

**LOK SABHA
DEBATES**

(THIRD SERIES)

Volume XXXIV, 1964/1886 (Saka)

[September 21 to October 3, 1964/Bhadra 30 to Asvina 11, 1886 (Saka)]



Ninth Session, 1964/1886 (Saka)

(Vol. XXXIV contains Nos. 11 to 20)

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

CONTENTS

[No. 18—Wednesday, September 30, 1964/Asvina 8, 1886 (Saka)]

	COLUMNS
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 478 to 480, 482 to 485 & 487	4445—81
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 481, 486, 488 to 490 and 492 to 502.	4481—95
Unstarred Questions Nos. 1527 to 1608, 1611 to 1616, 1616A and 1616B	4495—4550
Obituary reference	4550
Papers laid on the Table	4551—52
Messages from Rajya Sabha	4552—53
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
Forty-ninth Report	4553
Correction of Answer to Starred Question No. 1240	4553—54
Statement re: alleged ill-treatment of a Member —	
Shri L.N. Mishra	4554—79
Press Council Bill—	
Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to refer to Joint Committee—	4558—4662
Shri Bade	4559—66
Shri A.N. Vidyalkar	4568—73
Shri Warrior	4573—80
Dr. Ram Manohar Lohia	4580—88
Shrimati Indira Gandhi	4588—92
Shrimati Tarkeshwari Sinha	4592—4601
Shri Joachim Alva	4601—13
Shri Bagri	4613—19
Shri Tan Singh	4619—23
Shri P. Venkatasubbaiah	4623—25
Dr. Sarojini Mahishi	4625—31
Shri Prakash Vir Shastri	4631—38
Shri R.S. Pandey	4638—44
Shri J.P. Jyotishi	4644—47

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

Shri Sheo Narain	4647—49
Shri C.R. Pattabhi Raman	4651—61

Discussion re: flood situation in the country—

Shri Mani Ram Bagri	4662—71
Shri Diwan Chand Sharma	4672—76
Shri Naval Prabhakar	4676—83
Swami Rameshwaranand	4683—89
Sardar Gurmukh Singh Musafir	4689—93
Shri S.N. Chaturvedi	4694—98
Shri Yashpal Singh	4698—4704
Shri Gajraj Singh Rao	4704—08
Shri Tan Singh	4708—11
Shri Sinhasan Singh	4711—15
Shri Lahri Singh	4715—17
Shri L.D. Kotoki	4717—20
Shri Kamal Nath Tiwari	4720—23
Shri Kashi Ram Gupta	4723—26
Shri Yogendra Jha	4727—30
Shri Jagdev Singh Siddhanti	4730—32
Dr. C.B. Singh	4732—36
Shri A.P. Sharma	4736—37
Sardar Iqbal Singh	4737—40
Shri Shree Narayan Das	4740—42
Shri Sheo Narain	4742—44
Shri Hukam Chand Kachwai	4744—48
Shri S.M. Banerjee	4748—51
Shri Prakash Vir Shastri	4751—52
Shri Krishnapal Singh	4753—54
Shri Brij Raj Singh Kotah	4754—55
Shri Tulshidas Jhadav	4755—56
Dr. M.S. Aney	4756
Pandit Jwala Prasad Jyotishi	4756—59
Dr. K.L. Rao	4760

LOK SABHA

Wednesday, September 30, 1964/
Asvina 8, 1886 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Petro-Chemical Industry

+

- *478. { Shri D. C. Sharma:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Murl Manohar:
Shri Jashvant Mehta:
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of Petroleum and
Chemicals be pleased to state:

(a) whether a high-level investment
delegation recently visited India to
discuss Japanese capital participation
in the development of petro-chemical
industry in India; and

(b) if so, the outcome of their
visit?

The Minister of State in the Minis-
try of Petroleum and Chemicals (Shri
Alagesan): (a) A six-member techni-
cal delegation of petro-chemicals ex-
perts from Japan sponsored by the
Japan Consulting Institute in India is
presently touring India to get ac-
quainted with the various petro-
chemical manufacturing programmes
in India and to explore the possibili-
ties of collaboration. The technical
delegation will be returning to Japan
by the 10th October, 1964. A report is
expected to be submitted to the Gov-
ernment of Japan and the Govern-

1204 (A) LSD—

ment of India based on which the
prospects of financial collaboration
will be explored.

(b) This will be known after the
delegation returns to Japan and sub-
mits its report along with any pro-
posals for collaboration.

Shri D. C. Sharma: May I know
whether this delegation is interested
in the whole complex of our petro-
chemical industries or only in some
parts of it?

Shri Alagesan: We should like to
await their report; only then shall we
be able to know the extent of their
interest.

Shri D. C. Sharma: How long will it
take Government to receive the re-
port, consider it and arrive at some
kind of final conclusions? Can any
approximate time be given for that?

Shri Alagesan: Even if the dele-
gation's report is received by the end
of October, it should be possible for
us to take a decision thereon within
a month or two after that.

Shrimati Savitri Nigam: What were
the terms of reference given to this
committee? May I also know whe-
ther this committee is enquiring into
the possibilities of only collaboration
or the further prospects of making
this industry more and more use-
ful?

Mr. Speaker: Where is the commit-
tee? Only a delegation is touring
round the country. There is no ques-
tion of any terms of reference being
given to a delegation.

Shrimati Savitri Nigam: Even if it
be a delegation, they must have come
for some specific purposes. What
were the purposes for which this
delegation had come?

Shri Alagesan: That has been sufficiently explained in the main answer. They will go to various places where we shall have our refineries, examine the possibilities of establishing petro-chemical projects and then make an assessment.

Shri P. R. Chakraverti: May I know whether Government have worked out the financial involvement, and if so, the extent thereof?

Mr. Speaker: That would be known after the report is received.

Shri Kashi Ram Gupta: May I know whether the collaboration with Japan will be on Government level or with private enterprise in Japan?

Shri Alagesan: This delegation consists of representatives of private industries in Japan.

Shri Indrajit Gupta: May I know whether any offers were ever received or invited for collaboration in this field from any other countries which are experienced in petro-chemical industries, or there is any special reason why we went in for Japanese collaboration?

Mr. Speaker: The hon. Member should appreciate that we are here dealing with a particular country only . . .

Shri Indrajit Gupta: I want to know whether there are any special reasons why the Japanese offer has been more to our liking?

Shri Alagesan: We have been holding talks with various parties in America, in UK etc. But no definite conclusions have been arrived at as yet.

Dr. Ranon Sen: It was reported earlier in this House that negotiations were going on with a French firm. May I know how far that has advanced?

Mr. Speaker: The French firm is not relevant to the main question.

Shri Oza: May I know whether Government have taken a final deci-

sion about which of the petro-chemical industries will be in the public sector and which will be in the private sector?

Shri Alagesan: That will take some time. The whole thing is under examination.

Shri Li'adhar Kotoki: Did this delegation examine the question of setting up petro-chemical industries based on natural gas produced in the Assam oil fields?

Mr. Speaker: They are touring round.

Shri Alagesan: I am afraid they will not be visiting Assam. They will go to other places like Koyali, Bombay etc.

Shri Ramanathan Chettiar: Did the Japanese delegation discuss the question of equity participation in our petro-chemical industry or is it only lending money by way of yen credit?

Shri Alagesan: I would submit that we have to await the report.

श्री यशपाल सिंह : ये पेट्रो कैमिकल्स इंडस्ट्री जिसके लिए इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया रखा गया है ?

पट्टोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : यह अभी तक तै नहीं हुआ है। वह प्रतिनिधि मंडल आया, हमने उसका स्वागत किया। जब वह अपनी रिपोर्ट देग तो हम उस पर विचार करेंगे।

House Collapse in Delhi

*479. **Shri S. M. Banerjee:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news regarding the collapse of a double-storey building in

the morning of 12th July, 1964 in Delhi resulting in death of ten persons and injuries to six persons;

(b) if so, whether any enquiry has been made; and

(c) if so, the findings thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) It was found that the house had outlived its life, that the walls of the house were built with lakhori bricks in mud. The Engineers of the Corporation expressed the opinion that due to heavy and incessant rains, water had seeped through the brick-in-mud walls and precipitated their collapse and along with them the floor and the roof.

Shri S. M. Banerjee: Is it a fact that house-owners, specially of Delhi, do not repair their houses for years together with the result that the condition of the houses has become worse? If so, would Government take any action against them and compel them to repair or renovate them?

Shri L. N. Mishra: There is a special provision in the Delhi Municipal Corporation Act, sec. 348, under which there is a machinery to attend to that. The overseer inspects those houses and reports to the Assistant Engineer and Executive Engineer. Action is taken. They are asked to repair the houses; if they do not, the Corporation on its own repairs the houses.

Shri S. M. Banerjee: Is it a fact that apart from private houses, many houses in colonies like Mint's Road and other places are beyond repair. These government quarters have not been renovated by Government and the occupants have been asked to stay at their own risk. Will a census of such houses be taken and repair work started?

Shri L. N. Mishra: I cannot say about particular houses, but there are general instructions.

Mr. Speaker: The question was about a particular house.

Shri S. M. Banerjee: It arises out of that. Otherwise, many houses will collapse every day.

Mr. Speaker: Then he ought to have put the question differently.

श्री बने : क्या इस भवन के बारे में कारपोरेशन ने कोई एक्शन लिया और इसको गिराने की कोशिश की थी, क्योंकि यह गिरने वाला था ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सही है कि इसको प्रोवरसियर ने देखा था और इसके बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन वक्त पर यह मकान बनाया न जा सका, अब उसको नया बना दिया गया है ।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो दस घादमी मरें और जिनके चोटें लगें क्या सरकार ने उनको कुछ सहायता दी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी हाँ, उनको पांच पांच सौ रुपया कर के दिया गया है ।

Shri Shinkre: As the problem of repairs to old houses is applicable to practically every urban place in the country so much so that during the monsoon there are so many casualties, will Government consider this question on an all-India basis and enforce some legal enactment to prevent such collapses during the monsoon?

Mr. Speaker: How is it possible to cover that under this question?

श्री बागड़ी : प्रध्मस महोदय, जो बहालियात मुहकमे के मकान हैं और जिनकी हालत बिगड़ी हुई है, जो गिरते हैं और गिर रहे हैं और उनके जो नतीजे होते हैं, क्या उनके बारे में सरकार सोच रही है, क्योंकि वे तो एक तरह से सरकार के ही मकान हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सवाल तो एक खास मकान के बारे में था । जहाँ तक पुराने का ताल्लुक है उनके मकानों को देखा जा रहा है, और उनके बारे में जो कानून है उसके जरिए हम नोटिस देते हैं और मकान बनाने के लिए कहते हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : यह मकान पुरानी दिल्ली के किस मुहल्ले या बाजार का है, और क्या उस इलाके में और भी ऐसे मकान पाए गए हैं जो कि गिरावट की हालत में हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक खास मकान के बारे में सवाल है । सारे इलाके के बारे में नहीं है ।

श्री काशी राम गुप्त : मैंने यह पूछा कि यह मकान किस मुहल्ले में है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उस मुहल्ले में जाना चाहते हैं । आप उस मुहल्ले में मकान न लीजिए ।

मद्य निषेध

+

- * 480. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
 श्री यशपाल सिंह :
 श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
 श्री रामेश्वर टांटिया :
 श्री बिशन चन्द्र सेठ :
 श्री भी० प्र० यादव :
 श्री धवन :
 श्री स० मो० बनर्जी :
 श्री बागड़ी :
 श्री कोल्ला बंकेया :
 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
 श्री रामचन्द्र जलाका :
 श्री बुलेश्वर मीना :
 श्री इ० मधुसूदन राव :
 श्री बी० अं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 3 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निषेध जांच समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) इस मामले में राज्य सरकारों से जो सम्मतियां मांगी गई थीं क्या वे भी प्राप्त हो गई हैं ; और

(ग) समिति के निष्कर्षों के आधार पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) . वह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है । राज्य सरकारों के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार जानने से पूर्व क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के विचार भी जान लिए हैं, क्योंकि उन में से कुछ ने सार्वजनिक स्थानों पर मद्य-निषेध नीति का विरोध किया है । सरकार का अपना मन क्या है ? क्या वह इस मद्य-निषेध नीति पर चलना चाहती है या नहीं ? वह अपनी स्थिति तो स्पष्ट करे ।

श्री हाथी : रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वह स्टेट्स को और सेंट्रल प्राहिविशन कमेटी के सदस्यों को भेजी गई । अभी उनके मन्तव्य प्राप्त नहीं हुए हैं । हम सेंट्रल कमेटी की एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं ताकि हम उनके विचार भी जान लें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने खुद निर्णय ले लिया है कि उसकी क्या पालिसी है ।

श्री हाथी : सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि प्राहिबिशन होनी चाहिए, लेकिन इस बारे में किन स्टेजिज से कदम उठाया जाये, उस का फ़ैसला तो स्टेड्स के साथ सलाह मशवरा करके ही किया जा सकता है ।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : केन्द्रीय सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों में मद्य-निषेध नीति का पालन किया है, अथवा राज्य सरकारों ने जिन-जिन क्षेत्रों में मद्य-निषेध नीति को अमनाया है, क्या सरकार ने यह जानने का यत्न किया है कि उन क्षेत्रों का क्या अनुभव है ?

श्री हाथी : जी हां, जो रिपोर्ट आई है उसमें हर एक स्टेट को तीन भागों में बांटा गया है : वैंट स्टेट्स, ड्राई स्टेट्स और पार्शली वैंट आर ड्राई स्टेट्स । हर एक स्टेट में इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या क्या मुसीबतें हैं, वे सब बातें इस रिपोर्ट में हैं ।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : मैंने रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य एक्सपीरियंस की बात पूछ रहे हैं, तो वह तो उन्होंने बम्बई का पढ़ा ही होगा ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : "बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्यं मद्यं तदुच्यते"— शराब अन्दर और अक्ल बाहर ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य उपदेश देंगे या सवाल करेंगे ?

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं यह बात कह कर सवाल ही कर रहा हूँ ; जब सरकार को यह बात मालूम है, तो उसको पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने में क्या आपत्ति है ?

श्री हाथी : वह तो हर एक स्टेट में करने की बात है । स्टेट्स के साथ सलाह-मशवरा करने के बाद निश्चय किया जायेगा ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha: In the past some of the State Governments have expressed themselves definitely against prohibition policy. I would like to know whether, in view of the past experience that the Government of India have had and the statements that have been made by some of the State Governments, there is any likelihood of a change of policy in these States.

Shri Hathi: As I said, the report has been sent to the various State Governments, and the matter has to be discussed, but, as I said, the policy of the Government is there, decided.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: They have already made a committed statement that they are not prepared to follow the policy. In view of this, is there any likelihood of any change?

Mr. Speaker: She knows it better.

Shri Koya: We also want to know.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि जहां से प्राहिबिशन को हटा दिया गया है, खास तौर पर कानपुर जैसे इंडस्ट्रियल सिटी से, वहां पर मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई है और जहां सब से ऊंची इमारत पर लिखा होता था "आराम हराम है", वहां अब लिखा हुआ है "डीलक्स व्हिस्की" ?

श्री हाथी : दोनों प्रकार के किस्से मालूम हैं—एक वह, जो कि मेम्बर साहब ने बताया है और दूसरा वह भी मालूम है कि जहां प्राहिबिशन इम्प्लीमेंट हुआ है, वहां पर मजदूरों की स्थिति अच्छी हुई है ।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन राज्यों में

शराबबन्दी का कानून लागू हुआ है, वहाँ पर यह कानून लागू होने से पहले फ्रीकस, पर कैपिटा, शराब की खपत क्या थी और कानून लागू होने के बाद पर कैपिटा खपत क्या है ? अगर उस में अन्तर नहीं हुआ है या अगर वह बड़ी है, तो उस का क्या कारण है ?

श्री हाथी : ये सारी बातें रिपोर्ट में लिखी हैं ।

Shri D. C. Sharma: May I know if this report has made any recommendations for the stopping of illicit distillation in the various districts all over India? Have they made any concrete and constructive suggestion with regard to that?

Shri Hathi: The report dealt with this aspect in very great detail and I think I have sent a copy to the hon. Member also.

श्री यशपाल सिंह : क्या यह बात सही है कि आज तक भी पब्लिक सेक्टर में शराब बनाने के कारखाने चल रहे हैं; यदि हाँ, तो वे कहाँ कहाँ चल रहे हैं और कितने हैं ?

श्री हाथी : मेरे पास इस समय इस की सूचना नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय शासन के द्वारा अवैध रूप से बनाई जाने वाली शराब कितनी पकड़ी गई है। क्या राज्यों में भी इस तरह के ब्रांकडे इकट्ठे किये गये हैं ? क्या शराबबन्दी के सम्बन्ध में केन्द्र के मंत्रियों में कुछ मतभेद है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न प्राइविशन एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में है। माननीय सदस्य को जो सूचना चाहिए, उस के लिए वह नोटिस दें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या इस में सम्बन्ध कैबिनेट में कोई मतभेद है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर सारी कैबिनेट बैठे और पूरे एक महीने की रिसेस में बैठे रहे, तो ये ब्रांकडे इकट्ठे किये जा सकते हैं ।

श्री श्रींकार लाल बेरवा : सरकार शराबबन्दी का कानून लागू करने की बात करती है, लेकिन विदेशों से हजारों रुपये की शराब मंगाई जा रही है। मन्त्रि-मंडल के सदस्यों को जो इयूटी-फ्री शराब मिलती है, क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर भी प्रतिबन्ध लगाया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्रि-मंडल को फ्री मिलती है ? अगर मन्त्रि-मंडल को फ्री मिलती हो, तो मेरे हिस्से भी कुछ आ जाता ।

Shrimati Savitri Nigam: In view of the fact that this report is still under the consideration of Government, I would like to know whether the Central Government or the Planning Commission has given any suggestion to any State that they should not take any derogatory step as far as Prohibition is concerned.

Shri Hathi: The matter was discussed in the meeting of the Chief Ministers in 1963 and I think the hon. Member knows about it.

Mr. Speaker: Shrimati Yashoda Reddy.

Shrimati Savitri Nigam: I am asking this question after the report had been submitted . . .

Mr. Speaker: Now, another respectable lady.

Shrimati Yashoda Reddy: Thank you, very much. I would like to know from the hon. Minister upto what percentage of alcohol is the Government of India thinking to permit where beer is allowed in Maharashtra?

Shri Hathi: It is not a question of the Government of India permitting. It is for the State Government. But the Committee has suggested that the

content of alcohol should be decreased gradually.

Shri P. Venkatasubbaiah: Pending the finalisation of the report with consultation of various State Governments, may I invite the attention of the hon. Minister to the fact that there has been a committee by name the Ramamurthi committee which has sat on this prohibition issue and submitted its report? Will this committee's report also be taken into consideration before finalising the conclusions?

Shri Hathi: We will take everything into consideration.

श्री प्र० शर्मा : जब प्राहिबिशन एन्वायरी कमेटी सारे देश में जांच कर रही थी, उस समय देश के करीब करीब सभी मजदूर संगठनों ने शराब-बन्दी के पक्ष में अपनी राय दी थी। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां जहां मजदूरों के क्षेत्र हैं, वहां शराब-बन्दी से बहुत फायदा हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि कम से कम मजदूर क्षेत्रों में नशाबन्दी पूरे तौर से लागू कर दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह सजेस्चिन है।

Shri Jaipal Singh: There had been so many reports of committees and commissions on this delightful subject. May I know whether at any stage the financial implications of prohibition had been given by the committee, what impact it will have on the Fourth Five Year Plan and so forth?

Shri Hathi: The Tek Chand committee has looked into the financial aspects also. It had given various figures about the loss of revenue which the States would have to incur.

Shri Basumatari: In view of the fact that Assam has the largest number of Tribals, may I know whether when these tribals appeared before the Commission, before the Tek Chand Commission, these tribals, who are addicted to drinking, spoke in favour of prohibition?

Shri Hathi: Those details may not be with me.

Shri Hem Barua: In the Assam tribal areas they need liquor for poojas and all that and, according to experts, the people in Assam have to take liquor or else they get de-vitalised because of the cold climate there. May I know whether that aspect of Assam has also been taken into consideration?

Shri Hathi: The Committee has taken that aspect also.

Mr. Speaker: The hon. Member also may be consulted.

Fertilizer production programme

+

{
 Shri Bagri:
 Shri P. C. Borooah:
 Shri Bibhuti Mishra:
 Shri K. N. Tiwary:
 *432. { Shri Vishwa Nath Pandey:
 Shri D. C. Sharma:
 Shri Yashpal Singh:
 Shri Manabendra Shah:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state;

(a) whether a group of six American private manufacturers of petrochemicals and fertilisers have formed a consortium to participate in India's fertiliser production programme; and

(b) the terms of the participation proposal and whether the proposal has been approved by Government?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) and (b). On behalf of an American Consortium, an American firm has submitted a proposal for production and distribution of fertilisers to the extent of 1 million tonnes of nitrogen, by the end of the Fourth Plan period. The firm has been allowed to undertake a feasibility study to be completed by the end of December, 1964. The terms of participation etc. will be known only after the feasibility report is received.

श्री बागड़ी : खाद के साथ पानी की बहुत जरूरत होती है। क्या सरकार ने इन्हीं सदस्यों से या और अन्य भ्रमरीकियों से सहायता लेने का फैसला किया है कि पानी की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): That is the purpose of this proposal. We want to step up the production of fertilisers.

श्री बागड़ी : जो सदस्य आयेंगे, जिन से राय मशवरा होगा, उस समय क्या यह राय भी रखी जायेगी या यह निर्णय भी लिया जायेगा कि कितने प्रतिशत खाद के भ्रन्दर मुनाफा लिया जाये और किसानों को कितना नफा मिले ?

श्री हुमायून् कबिर : किसान को नफा क्या दिया जाये यह तो गवर्नमेंट तय करेगी। इस में कम्पनी का कोई सवाल नहीं है। फिर भी उनकी कोशिश होगी कि जितनी कम कीमत से यह खाद तैयार किया जा सकता हो, तैयार करने की कोशिश की जाये।

श्री क० ना० तिवारी : क्या भ्रमरीका के भ्रलावा और कोई दूसरे देश भी कैमिकल फटिलाइजर बनाने के लिए तैयार हैं, यदि हाँ, तो वे देश कौन कौन से हैं और उनके द्वारा तैयार किये जाने वाले कैमिकल फटिलाइजर की कीमत क्या पड़ेगी ?

Shri Humayun Kabir: All the parties which are trying to get refineries here have also made suggestions that they would be prepared to co-operate in fertiliser production.

Shri D. C. Sharma: May I know what percentage of the needs of fertilisers in this country will be met if this consortium's proposal is accepted?

Shri Alagesan: The Fourth Plan target has been tentatively fixed as 2.2 million tons in terms of nitrogen.

This proposal is for the establishment of a few units,—say, 4, 5 or 6,—which will produce, in terms of nitrogen, one million tons.

श्री यशपाल सिंह : इसी भ्रादरणीय सदन में सरकार ने यह माना है कि सरकार भ्रमरीका से ढाई सौ रुपये में एक टन फटिलाइजर लेती है और हिन्दुस्तान के किसान को चार सौ रुपये में बेचती है यानी ढेड़ सौ रुपये फी टन का मुनाफा वह लेती है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह मुनाफा सरकार कब तक खाती रहेगी, कब यह मुनाफा लेना बन्द कर दिया जायेगा ?

श्री हुमायून् कबिर : यह सवाल फूड एंड एग्रिकलचर मिनिस्टर से पूछा जाना चाहिये।

Shri Indrajit Gupta: In view of the fact that the present serious short-fall in fertilisers has been found to be due primarily to the failure of licensed private sector units to come up to the mark, am I to take it, in view of the Minister's statement, that henceforth Government intends to rely more on foreign capital coming into fertiliser production field rather than on trying to set up indigenous manufacture which has failed to come up to the licensed capacity so far?

Shri Alagesan: It is a question of balancing the various factors. It is very imperative that we should increase our food production in as short a time as possible. So, we are attacking this problem on all fronts. There are public sector fertilizer factories. Some private parties have also been licensed to establish fertilizer factories. Now we are exploring whether with the help of foreign capital we shall be able to put up these factories in as short a time as possible.

Shri A. S. Saigal: May I know whether Government has entered into any agreement with the private manufacturers of the American group?

Shri Alagesan: No, Sir.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: In view of the fact that there has been a shortfall of 40 per cent in the Second Plan in the production of fertilizer, this Consortium is coming into the picture for the expeditious disposal of the production programme of the Fourth Plan and the unfulfilled part of the Third Plan. May I know whether the requirements of the components and the raw materials will be provided by this Consortium or they will maintain the same rigidity in regard to this as in the matter of providing aid, that is to say, all the raw materials and the components for the fertilizer programme will be available only from that country?

Shri Alagesan: It is a long question.

Dr. L. M. Singhvi: But a pertinent question.

Shri Alagesan: I do not deny it. Ladies always put pertinent questions. As far as the fulfilment of the target laid down for the Third Plan is concerned, it will not be possible for us to achieve it and we have stated it on the floor of the House. If the proposal of the Consortium comes into fruition, every attempt will be made by us to see that at least by the second year of the Fourth Plan we achieve the target for the Third Plan.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: My question has not been answered. Because of the rigidity in the availability of raw materials and components....

Shri Humayun Kabir: May I point out...

Shrimati Tarkeshwari Sinha: May I finish my question?

Shri Humayun Kabir: You are repeating it.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: When the proposal is discussed with the Consortium may I know whether an assurance will be taken from it that this rigidity will not be maintained?

Shri Humayun Kabir: As the question was repeated, there is nothing to add. The point is, we are trying to enter into an agreement with this Consortium to overcome two major difficulties. One is the question of foreign exchange. An hon. Member on the other side suggested that we should not take foreign capital. But he forgets that without foreign exchange fertilizer factories cannot be built and, therefore, we have to get this foreign exchange. With regard to the question of raw materials etc. they will be found in the country. Whenever we enter into the agreement, we shall ensure that all the necessary factors are taken care of so that by 1968 we not only fulfil the target for the Third Plan but exceed it by about 50 per cent.

Dr. L. M. Singhvi: May I know whether Government have familiarised themselves with the tentative ideas of the participants of this Consortium about the raw material to be used about the production programme, about the capital outlay and by what time how many fertilizer factories would be made available as a consequence of this proposal?

Shri Alagesan: As far as the raw material is concerned, it is mostly naphtha which will come out of our refineries. They have not excluded coal. What is the other question?

Dr. L. M. Singhvi: The capital outlay and the production time, the quantity of production and the time by which it will go into production.

Shri Alagesan: The idea is to have units of the capacity of 200,000 tons. It will be rather premature to say about the capital outlay. There are only broad estimates.

Camps for refugees from East Pakistan

+

- *483. {
 Shri P. E. Chakraverti:
 Shri P. C. Borooah:
 Shri S. M. Banerjee:
 Shri K. S. Panuey:
 Shri Onkar Lal Berwa:
 Shri P. K. Deo:
 Shri Solanki:
 Shri Gulsnan:
 Shri Vishwa Nath Pandey:
 Shri Indrajit Gupta:
 Shri Yashpal Singh:
 Shri B. K. Das:
 Shri Biren Dutta:

Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:

(a) the number of camps opened in different States to accommodate refugees from East Pakistan;

(b) what is the general pattern of the improvised shelters;

(c) the arrangements for the supply of foodgrains and other essential requisites; and

(d) the total strength, camp-wise and whether there have been any desertions?

The Deputy Minister in the Ministry of Rehabilitation (Dr. M. M. Das):
 (a) 96 (inclusive of 8 camps under the control of the Central Government).

(b) There is provision generally for tents and/or basha type of hutment accommodation.

(c) Fair price shops have been opened in the camps to enable the migrants to purchase their requirements of food-stuffs and other essential items at reasonable rates.

(d) A statement showing the camp-wise strength is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-3286(64). So far 9,487 families have left the various camps.

Shri P. E. Chakraverti: What steps are being taken by the Government to screen the inmates of the camps

to weed out Pakistani spies and also saboteurs who want to provoke and tell the refugees to desert the camps?

Dr. M. M. Das: Steps are being taken to carry out this screening. We are going to appoint some officers who will take up this work.

Shri P. E. Chakraverti: May I know whether Government has considered the question of putting the refugees' mind at ease because of the stress and strain through which they have passed by employing social workers?

Dr. M. M. Das: Yes, Sir; there are some officers, known as sewaks, who have been employed and who are in charge of sometimes 200 families and sometimes 250 families or so.

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether the living and working conditions in these camps, specially in Madhya Pradesh, have improved after those children and others had died there; if so, whether the inhabitants of these camps are also given some sort of employment.

Dr. M. M. Das: Yes, Sir; we are trying our best to find employment for these refugees. For the information of the hon. Member I may say that the living conditions in these camps have been improved much.

श्री श्रींकार लाल बेरवा : जैसा अभी मंत्री जी ने बतलाया, 218 परिवार गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे किसी आपत्ति के कारण गये हैं या स्वयम् अपनी इच्छा से गये हैं, और यदि किसी आपत्ति के कारण गये हैं तो क्या सरकार ने उनकी आपत्ति का कोई व्योरा जानने की कोशिश की है ?

Dr. M. M. Das: These families have left of their own accord in spite of repeated persuasions by the officers in charge of the camps not to leave the camps. The reasons so far ascertained for leaving these camps are the following. Firstly, hot climate of the locality and the tented accom-

modation to which the migrants were not accustomed; secondly, shortage of water caused by sudden increase of population; thirdly, inclination to join relations in West Bengal—this has been a very potent cause; fourthly, a large number of the refugees who were in camps had their relations and friends settled in West Bengal and they joined the campers here to find out the possibilities of rehabilitation facilities to be given by the Government of India. But when they found that the possibilities were not very bright according to their estimation, they left the camps; and, lastly, desire to be settled on agricultural lands and reluctance to do any manual labour. These are the few causes which we have found.

श्री गुलशन : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के प्रबन्ध के लिये क्या किया गया है ?

Dr. M. M. Das: Primary schools have been set up in the camps for the education of the children of the refugees.

Shri Indrajit Gupta: Has Government's attention been drawn to a very widespread complaint that in these 96 or so odd camps the number of shops which have been opened for supply of foodgrains and other essential commodities is totally inadequate and the so-called reasonable rates at which commodities are being supplied are in excess of the capacity of these people to make purchases because of the very small income or doles which they are getting?

Dr. M. M. Das: It is not a fact that these shops are inadequate in number.

Shri Indrajit Gupta: How many shops are there?

Dr. M. M. Das: If the hon. Member put a separate question, I will try to answer it. The information is not readily available; it is not at my disposal at present.

Shri Indrajit Gupta: Then how does he know that they are adequate? He does not know how many shops are there but he says that they are adequate.

Dr. M. M. Das: Because we have not yet received any complaint about the inadequacy of these shops.

Shri Indrajit Gupta: The second part of my question was about the rates, the prices at which these commodities are being supplied.

Dr. M. M. Das: In these fair price shops the prices of foodgrains have been fixed by the State Government.

Shri Indrajit Gupta: But it must have a relation to their income.

Mr. Speaker: Order, order. Shri Yashpal Singh.

श्री यशपाल सिंह : उत्तर प्रदेश में कितने कैंप खोलने का विचार है ?

Dr. M. M. Das: As the situation arises—up till now every day 2,000 refugees are coming to our country—if this rate of influx goes on, we have to open more and more camps not only in Uttar Pradesh but in other States also.

Shri B. K. Das: May I know whether any members of these camps have been sent to rehabilitation centres so far; if so, what is their number?

Dr. M. M. Das: Yes, Sir; they are being sent to rehabilitation centres.

Shri P. Venkatasubbalah: May I know whether the Government is aware of the fact that a number of people from Nagarjunasagar Camp have deserted the refugee camp and have been held up somewhere? Will the Government try to investigate the reasons for their desertion?

Dr. M. M. Das: We have sought for detailed information from the State Government who are in-charge of these camps. But so far as we know, the language difficulty is one of the causes.

श्री बड़े : क्या यह बात सत्य है कि मध्य प्रदेश में जा शरणार्थी दंडकारण्य में रखे गए हैं उनका जा घन्था वह चाहते हैं, उसका कारणपट्टा है, वावग है, उसका लिय पैसा नहीं दिया गया और उनका छोट छोट प्रपाटमट्स दिया गया है रहने के लिये, इसालय व छोड़ कर जा रहे हैं ?

Dr. M. M. Das : I could not follow.

Shri Bade : They want that they should be given some implements for carpentry and weaving works. They want some assistance for starting carpentry and weaving works which you are not giving them and they are forced to do the earth work. Therefore, they are leaving the Dandakaranaya camps.

Dr. M. M. Das : Steps are being taken to give loans for starting of small industries as well as small trades and also for opening up small shops, etc.

Shri R. S. Paudey : In Mana camp thousands of refugees were put. I want to know whether the Madhya Pradesh Government has promised to open any other camp.

Dr. M. M. Das : The Mana camp is under the direct charge of the Central Government. It is not under the charge of the Madhya Pradesh Government. There are other camps which are under the charge of the Madhya Pradesh Government. But so far as the Mana transit camp is concerned, it is directly under our Ministry.

Shrimati Benuka Ray : The Minister stated that lack of water supply is one of the main causes and that is why the refugees have been leaving the camps and there is also another cause—I think he has not mentioned that—the lack of proper medical facilities. Would the Minister consider to bring to bear the experience gained in the past by the Centre and the West Bengal Government in the matter of running of camps and utilise it for running these new camps in the States

who have not got the experience of the past?

Dr. M. M. Das : At the very beginning, that is, in the month of April and May, during the hot season, when the influx was sudden and in large numbers there was some difficulty.

Mr. Speaker : Let the Minister consider her suggestion.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri : May I know what has become of the plan of the hon. Minister for forming some kind of works corps or something like that, whether that has started functioning, and how many refugees have joined the corps and what work they are doing?

Dr. M. M. Das : The hon. Member perhaps refers to the Rasnriya Vikas Dal. Steps are being taken for organising this. The uniforms have been ordered and the work is progressing.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri : How many have joined?

Dr. M. M. Das : The arrangements are being made...

Shri Tridib Kumar Chaudhuri : But none has joined.

Dr. M. M. Das : Up till now no recruitment has started.

Shri Hem Barua : If it is a fact that after granting the necessary financial assistance to the States, the Union Government entrusts the responsibility of managing the camps to the State Governments, the evidence of which we find in the death of children, insanitary conditions and mismanagement of camps, may I know whether the Government propose to take any steps for having overall guidance and supervision of these camps which are ordinarily managed by the State Governments for which the financial allotment is made by the Central Government?

Dr. M. M. Das : It is not a fact that the State Governments are not doing anything for the comforts and the

safety of these refugees. Whatever is in their power, they are doing. They are trying to do their best and we on our part have maintained strict supervision upon the running of the camps. Whenever it is found necessary, we issue necessary instructions to the State Governments.

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसे परिवारों की भी सूचना मिली है जो कैम्पों के कुप्रबन्ध के कारण, जल के अभाव के कारण या बच्चों की मृत्यु के कारण अथवा उचित जगह न मिलने के कारण फिर पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं ।

Mr. Speaker: Have some of them gone back to East Pakistan or have they only moved from one place to another?

Dr. M. M. Das: It is a fact that some families have gone back to Pakistan.

Shri S. M. Banerjee: Because of this difficulty?

Shri Bade: This is a very important question. Have they gone back because of these difficulties or due to other reasons?

Mr. Speaker: He wants to know whether because of the difficulties enumerated by the hon. Minister himself some of the families have gone back to East Pakistan.

Dr. M. M. Das: Many families which had left their lands and belongings in Pakistan came here leaving some members of their families there, with the hope that some more lands will be given to them here. But when they found that the prospect of getting lands was not very bright here they thought it better to go back to Pakistan.

Dr. Ranen Sen: From the statement given to us I find that in the contiguous States of Bihar and Orissa, there is only a small number of camps and refugees, whereas in the distant areas like those of Andhra Pradesh, Tamil

Nad etc., the number of camps and refugees is rather quite big. May I know what prevented the Government from setting up camps in the contiguous areas of Bihar and Orissa so that a greater number of people may be rehabilitated or re-settled there?

Dr. M. M. Das: Before January last, that is, from 1950 up to December, 1963, about 41 lakhs of East Pakistan refugees have crossed to India. About 35 lakhs of them are in West Bengal and the rest have found their accommodation or rehabilitation in the bordering States which the hon. Member has mentioned. Those border areas are now quite full, and there is no further space, and so, the refugees are being taken to distant parts of the country for their rehabilitation, where lands are available.

Import of Tractors

+

*484. { Shri Indrajit Gupta:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether it has been decided to import tractors for reclamation of forest lands where East Pakistan refugees can be settled:

(b) if so, how many tractors are required immediately for this purpose; and

(c) whether the necessary foreign exchange has been sanctioned?

The Deputy Minister in the Ministry of Rehabilitation (Dr. M. M. Das): (a) to (c). Yes, Sir. Tractors are required for the enlarged programme of reclamation in States where land has been offered for resettlement of the new migrants, besides Dandakaranya. In view of the urgency, tenders have already been invited for the import of 15 Grawler tractors from U.S.A. for which foreign exchange has been released. The number of additional tractors required would depend on the area of land available and suitable for reclamation. Land surveys are

being made and approximate requirements of additional tractors are being worked out. The tractors will have to be obtained from D.G.O.F. or imported from abroad depending on availability and foreign exchange resources.

Shri Indrajit Gupta: May I know the total area of these various pieces of land, which are sought to be reclaimed for this purpose, and whether it is for agricultural purposes?

Dr. M. M. Das: Up till now, 1,64,000 acres have been made available to us or offered to us by the different State Governments. Our estimation is that out of this, 1 lakh acres will be reclaimable, that is, will be fit for agriculture. Our programme is that every year, during the working season for tractors, that is, from the end of rains to the beginning of rains, 60,000 acres of land should be reclaimed. The existing 12 units of tractors which are working in Dandakaranya have a capacity of reclaiming only 36,000 acres of land during one working season. For the rest of the land, we have to find new tractors.

Shri Indrajit Gupta: Has Government's attention been drawn to the reports that the number of tractors which was considered immediately necessary for this purpose by the Ministry of Rehabilitation could not be imported because the Finance Ministry has refused to sanction the necessary foreign exchange?

Dr. M. M. Das: It is not a fact. Tenders have already been invited for one unit of tractors: that is, 15 tractors which make one unit. The Ministry of Finance has sanctioned the necessary foreign exchange.

श्री इन्द्रजित गुप्ता : अमरीका के घसाला जा ओ हमरे मसकों से ट्रैक्टर आ रहे हैं, जैसे पोर्लैंड से, कैकोन्गोन्गिया से, या रूस से, वें बहुत सस्ते हैं, आधी कीमत पर आ रहे हैं, क्या उन देशों के साथ भी बातचीत की गयी है या सिर्फ अमरीका के साथ ही बातचीत की गई है ?

Dr. M. M. Das: It depends upon the foreign exchange available and the advantages that the other countries are prepared to give to us.

Shri Mohammad Elias: Is it a fact that a number of tractors are lying idle in Dandakaranya? If so, why?

Dr. M. M. Das: Tractors cannot be operated during the rainy season. I do not know if he has...

Shri Mohammad Elias: Not rainy season, but they are idle the whole year.

Mr. Speaker: The Minister says that the hon. Member might have gone there during the rainy season.

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether the DGOF is in a position to supply tractors to the Dandakaranya Development Authority. Is it not a fact that because of a certain hitch in the Rehabilitation Ministry about the working of these tractors, they are not being taken? If so, will the expert committee report in this connection be taken into account and tractors manufactured by the DGOF taken?

Dr. M. M. Das: I think the information received by the hon. Member is pure imagination.

Shri S. M. Banerjee: There was a discussion in this House and it was said that tractors supplied by the DGOF were proved to be useless by the DDA. Shri Mehr Chand Khanna was the Minister in charge at the time. Then an expert committee with Admiral Shankar as chairman was appointed to go into this matter and they said it was proved that they were useful. So I am asking on the basis of facts.

Mr. Speaker: Then too I would make a request to the hon. Member. When he finds that the answer given is not correct and according to facts, he has just to write to me and I will find out where the mistake lies.

Shri S. M. Banerjee: I object to the word 'imagination' which he used.

Shri Kashi Ram Gupta: Which is the State which has given the largest area and will priority in reclamation be given to that area of that State?

Dr. M. M. Das: The Maharashtra Government has offered us 80,000 acres of land.

Shri Kashi Ram Gupta: How much of it will be reclaimed?

Dr. M. M. Das: The area is being surveyed and until that is complete, we cannot say.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये ट्रैक्टर कब तक आ जायेंगे कितने आयेंगे और कब तक काम चालू हो जायेगा ?

Dr. M. M. Das: We have invited tenders. It is difficult for me to say what exactly will be the time taken for the tractors to arrive.

Durgapur Fertiliser Project

+

*485. { **Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Gulshan:
Shri Mohammad Elias:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1249 on the 29th April, 1964 and state:

(a) whether Government have since taken any final decision on the report of the Fertilizer Corporation of India about the proposed Durgapur Fertilizer Project; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) It has been decided, in principle, to establish a fertilizer factory in Durgapur in the public sector and entrust its execution to the Fertilizer Corporation of India Ltd.

(b) The factory, estimated to cost Rs. 34.50 crores will produce 100,000 tonnes of nitrogen and 108,500 tonnes

of P205 in the form of ammonium phosphate sulphate.

Shri Ramachandra Ulaka: Will the fertiliser produced in this factory be cheaper than that produced in other units in the country?

Shri Alagesan: I am not able to say.

Shri Ramachandra Ulaka: When will this factory go into production?

Shri Alagesan: As I said, the project report has been prepared and it is under consideration by a committee of the board of directors of the Fertiliser Corporation. It has not yet been submitted to Government.

श्री गुलशन : क्या माननीय मंत्री जो बतायेंगे कि यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

वेङ्कटेश्वर और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): जैसा अभी बताया गया यह रिपोर्ट अभी फरटिलाइजर कारपोरेशन के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के सामने है । वह जब अपनी सिफारिश के साथ उस को गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट तय करेगी ।

Shri Mohammad Elias: When will the construction be done?

Shri Humayun Kabir: That will depend on when the proposals have been received and accepted.

Dr. Ranen Sen: Is there any truth in the newspaper report that this fertiliser factory at Durgapur is not going to be established and that it will be shifted somewhere else?

Shri Alagesan: No, Sir. There is no truth in that report.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: Am I to understand that the whole matter is under the consideration of the Fertiliser Corporation, and Government has received no specific proposals from the Fertiliser Corporation or, are they in touch with the West

Bengal Government or such other interested parties and a final decision has been or is going to be taken?

Shri Alagesan: The Fertiliser Corporation was entrusted with the task of preparing the project report, and naturally they have been in touch with the West Bengal Government etc., for land, power and other requirements. As I said, the report is just now before a committee of the Board of Directors of the Fertiliser Corporation. After they approve it, it will come to Government for final approval.

Shri A. P. Jain: What are the basic materials that are going to be used in the manufacture of fertilisers, and what is the process that is going to be adopted?

Shri Alagesan: For nitrogenous fertiliser production, it will be naphtha from the Barauni refinery. For P205, it will be from imported rock phosphate.

Shri A. P. Jain: Process.

Shri Alagesan: Process I am not able to say.

श्री तुलशीदास जाधव : दुर्गापुर में जो फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट कायम किया जाने वाला है, वह वहाँ पर किया जाने वाला है, जहाँ ज्यादा कारखाने हैं। जहाँ कारखाने नहीं हैं, उस जगह पर यह प्रोजेक्ट क्यों नहीं कायम किया जाता है ?

श्री हुमायूँ कबिर : हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में फर्टिलाइजर जितनी जल्दी हो सके, तैयार हो। इस के लिए जरूरत है कि दुर्गापुर में वह प्रोजेक्ट कायम किया जाये। जहाँ कारखाने नहीं हैं, उस के बारे में सोचा जायेगा।

Shri Joachim Alva: Government is aware that an American consortium of investors have now a proposal to set up three or four fertiliser factories. They have proceeded with

their plans. Are you waiting for them to set up their factories?

Mr. Speaker: Order, order. He should not address direct.

Shri Joachim Alva: I am sorry. Are you waiting for them to set up those factories? (Laughter).

I want an answer to my question. I am addressing it to you.

Mr. Speaker: This Parliament has had its life for three years now. Now at least we are quite mature that we should follow the procedure that is there.

Shri Hari Vishnu Kamath: He was a Member of the previous Parliament also.

Mr. Speaker: I can only talk of the present Parliament. He may have had longer experience.

Shri Alagesan: There is no question of waiting. This question was gone into in some detail when the previous question was answered. This is a particular project, and this will be considered on its own merits.

श्री रामेश्वरानन्द : अब तक जितने उर्वरक बने हैं, लगातार उनका प्रयोग करने से भूमि कृषि के योग्य नहीं रहती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो नवीन कारखाना खोला जा रहा है, क्या उस में इस प्रकार का यत्न किया जायेगा कि उर्वरक का लगातार प्रयोग करने पर भी भूमि कृषि के योग्य बनी रहे ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर जरूर शोर करेगी।

श्री रामेश्वरानन्द : इस प्रश्न का उत्तर दिलावा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उत्तर दे दिया है कि माननीय सदस्य ने अच्छी तजवीज दी है, सरकार उस पर ध्यान देगी।

श्री रामेश्वरानन्द : यदि सरकार की ओर से उत्तर आता, तो अच्छा होता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य मुझ पर एतबार नहीं करते ?

श्री रामेश्वरानन्द : यदि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देते, तो ठीक होता ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा बात है ।

Shri S. M. Banerjee: I want to know whether all steps have been taken by the Union Government to see that this fertiliser factory is established in Durgapur, and whether it is a fact that it is likely to be in production during the Fourth Plan.

Shri Humayun Kabir: My colleague has stated that Government entrusted this project to the Fertiliser Corporation of India for a detailed project study. After this, why this question is asked, I do not know.

Shri S. M. Banerjee: I rise on a point of order.

Mr. Speaker: He should say that the answer is not given. It is now very offensive that the Member stands up on a point of order. I would not allow any point of order.

Shri S. M. Banerjee: It is a slip of the tongue.

I would like to mention that this particular question about the Durgapur fertiliser project has come up repeatedly. We only want an assurance whether this plant is going to be at Durgapur, and whether it will go into production in the Fourth Plan. We want a definite assurance. The second portion has not been answered.

Mr. Speaker: Assurances are not given during the Question Hour.

Shri S. M. Banerjee: Whether this will be in production....

Mr. Speaker: Next question.

1294 (ai) LSD—2.

Photostat Copies of Serajuddin and Co. Account Books

+

*487. { **Shri Hari Vishnu Kamath;**
Shri Surendranath Dwivedy:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that photostat copies of all the account books of Serajuddin and Co. have been procured by Government for investigation; and

(b) the action taken on the basis of the photostat copies against the firm?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):

(a) Photostat copies of all the account books of Serajuddin and Co. have not been prepared. Photostat copies were prepared of some documents only which were required for purposes of investigation.

(b) No action could be taken against the firm by the Police on the basis of the photostat copies. The proprietor of the firm has, however, been prosecuted on the basis of some of the original entries.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it a fact that some of the photostat copies of certain entries of pages of the account books of Serajuddin and Company were made available sometime ago to the Orissa Council of Ministers and a question was raised in the Orissa Legislature, and is he aware of the answer given by the Orissa Home Minister, Mr. Raut Ray and may I also know whether these photostat copies were made available to a private individual, a Member of the Congress Party who was deputed to Orissa, and if so for what purpose and will they be laid on the Table of the House?

Shri Hathi: I have no information on this.

Shri Hari Vishnu Kamath: No information at all. You better get information. It came in the newspapers. The session is running out.

Mr. Speaker: Next question.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it a fact that the five-man committee appointed by the Central Cabinet has scrutinised the account books of Serajuddin and Company and also examined the other relevant material including the report submitted by Justice S. K. Das after a quasi-judicial enquiry, and has come to the conclusion that a commission of inquiry is necessary to enquire into the affairs of Serajuddin and Company and if so is the Government prepared to make a categorical statement that they will not be deflected from their decision by any pressure, gentle or otherwise, exercised by highups, including the former Chief Minister who is now reportedly in the capital, or by the one rupee antics of the present Chief Minister?

Mr. Speaker: He must end somewhere.

Shri Hari Vishnu Kamath: I have ended.

Shri Hathi: This committee has not gone into the account books or the photostat copies or anything of that sort.

Shri Hari Vishnu Kamath: What is it doing then?

Shri Hathi: They have not looked into these photostat copies.

Shri Hari Vishnu Kamath: If not into copies, into the account books.

Shri Hathi: They have not looked into them. I do not know how the hon. Member comes to the conclusion that they have come to a decision about the appointment of an enquiry commission. This question whether they will be deflected or not does not arise out of this question. The fourth—I have forgotten. (Interruptions).

Shri Hari Vishnu Kamath: The pressure of highups, including the former Chief Minister who is now reportedly in the capital and the one rupee antics of the present Chief Minister. What is the Committee doing then? Could he tell the House what it is doing?

Mr. Speaker: I have called Mr. Hem Barua: he will put that question.

Shri Hem Barua: May I know if it is not a fact that the photostat copies of Serajuddin account books clearly established the fact that Mr. Bijoo Patnaik and Mr. Biren Mitra the present Chief Minister of Orissa acquired wealth and property by misuse of their political power and office and if so may I know why is it that instead of taking drastic action against the persons concerned the Government are trying to wash off corruption by hesitancy and delay?

Shri Hathi: There is no question of washing off anything. These photostat copies were taken by the SPE and on the basis of these they looked into the original documents. Wherever they found that there were cases of corruption, the people have been charge-sheeted.

Mr. Speaker: Shri Tridib Kumar Chaudhuri—

Shri Hem Barua: Sir, my question has not been replied to and I do not want to raise a point of order.

Mr. Speaker: It is really very difficult now.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: Is there any confusion between the tasks that have been set to various committees by the Government in regard to enquiries about Serajuddin Company and the allegations of corruption against the ex-Chief Minister and also the present Chief Minister? May I know whether it is a fact that the Cabinet Committee is investigating into it, the Special Police Establishment is investigating into it, there have been public protests against the Special Police Establishment investigating into the affairs of the State, and whether the State Government itself has invited the Special Police Establishment and all these things have created a wide confusion in the public mind; if so, will the Government come out with some definite statement as to what is being done,

what is being looked into and what is going to be done?

Shri Hathi: There has not been any confusion on the side of the Government. As the Home Minister replied, certain members of legislature and the Parliament had given a memorial. They are looking into it. There is no question of any confusion.

Shri U. M. Trivedi: The replies given by the Home Minister indicate that action has not been taken on the photostat copies but action has been taken only on the basis of the original entries in the account books. Does he mean to suggest that the photostat copies were not true copies or were not exactly the photostat copies of the account books and they were also manipulated in some way after the photostat copies were taken?

Shri Hathi: The hon. Member is a lawyer.

An Hon. Member: What?

Shri Hathi: Lawyer, advocate.

Mr. Speaker: That should not prejudice the Home Minister.

Shri Hathi: Whenever any action has to be taken on a document, the evidence is the document itself in original. Photostat copies are only taken for various purposes of enquiries. The action is on the original document. These copies are copies of the original document and not forged copies.

—

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pakistani Text-books

*481. { **Shri Rameshwar Tantia:**
 { **Shri Dhaon:**

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1059 on the 15th April, 1964 regarding Pakistani text-books and state:

(a) whether the report of the investigation from the Rajasthan Government has been received; and

(b) the action Government propose to take or have taken in the matter?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The Rajasthan Government's report has been received.

(b) The Central Government drew the attention of the Rajasthan Government to this position and the State Government have taken and are taking necessary action; the Central Government do not propose to take any further steps at this stage.

Fertilizer Projects

*486. { **Shri Sham Lal Saraf:**
 { **Shri Manabendra Shah:**

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Development Council for Inorganic Chemical Industries, at its last meeting held in July last, has expressed concern at the delay in implementation of Fertilizer Projects and the widening gap in the Plan Targets and actual achievements; and

(b) if so, the reasons for this inordinate delay and the steps proposed to be taken to catch up with the pace in implementation to the full, the targets set forth in this behalf?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) and (b) At the last meeting of the Development Council for Inorganic Chemical Industries held on 23rd July, 1964, the programme of fertilizer production was discussed in general and in the course of the discussions it came out that the production target fixed for the Third Plan will not be reached by the end of the plan. The main reason for the shortfall is delay in the implementation of the projects licensed in the private Sector. There has also been delay in the implementation of some projects

in the public sector. Vigorous steps are being taken to increase the production of fertilizers by stepping up production in the existing factories and accelerating the establishment of new factories.

Science Education in Schools

*488. { Shri R. Barua:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the UNESCO team has submitted its report to Government regarding a plan to modernise Science and Mathematics education in schools in India;

(b) whether Government have considered this plan of the UNESCO team and finalised decisions on it; and

(c) if so, what has been decided towards its implementation?

The Minister for Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes Sir.

(b) and (c). The recommendations of the team are under examination.

दिल्ली की बाढ़

*489 श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता को किस प्रकार की सहायता दी गई है ; और

(ख) यह सहायता किस रूप में दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी.—3287/64].

Magazine "China Reconstructs"

*490. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a Chinese monthly magazine entitled "China Reconstructs" Vol. XIII, No. 8 issue;

(b) whether it contains a map of China showing Ladakh as part of China;

(c) whether the said issue of the magazine is being sold at book-stalls in India; and

(d) whether any action has been taken against the editor, printer and publisher of the magazine, and whether the magazine itself has forfeited to Government, containing as it does prejudicial matter, and if not, the reason therefor?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). Orders were issued on 24th September 1964, for the proscription of this issue of 'China Reconstructs' along with other issues of periodicals published in China which contain similar maps depicting the international boundaries of India wrongly. Government have no information that prior to the ban, it was being sold in book stalls in India. Suitable action has been taken to prevent the sale and circulation of the proscribed issues of the above periodicals in India. Action against the editor, printer and publisher of "China Reconstructs" cannot be taken because the periodical is printed and published in the People's Republic of China.

Indian Contingent to Tokyo Olympic Games

*492. { Shri Kapur Singh:
Shri Jaipal Singh:
Shri Fatehsinhrao Gaekwad:

Shri Hem Raj:
Shri M. E. Masani:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the principles on which the Indian Olympic Contingent to the Tokyo Olympic Games is to be selected have been finalised by the A.I India Council of Sports;

(b) whether the All India Council of Sports agreed to certain standards fixed by the Indian Olympic Association over a year ago and whether the Indian sportsmen were told about these standard;

(c) whether it is a fact that the Indian Olympic Association has expressed dissatisfaction at the rejection of the sportsmen who qualified themselves; and

(d) whether it is also a fact that only the National Olympic Committee is the final authority to send teams to the Olympic Games under the Olympic Charter?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) to (d). The All India Council of Sports had approved in November, 1963, in principle, certain standards suggested by the Indian Olympic Association for sending the Indian Contingent to the Tokyo Olympic Games. The proposals received from the Indian Olympic Association were considered by the Council at its meetings held on 28th August, 1964 and 8th September, 1964, and the final recommendations made by the Council for inclusion of the Indian Sportsmen in the contingent covered all persons who had qualified according to the standards laid down by the Indian Olympic Association and approved by the Council. It is a fact that the final authority to send teams to the Olympic games rests with the National Olympic Committees. However, while examining the request of the Indian Olympic Association for foreign exchange and financial assistance required for sending the Indian contingent to the Olympic Games, Government have to bear in mind the for-

foreign exchange position of the country and the funds available for the purpose.

Refusal of American family to leave India

*493. **Shri P. Venkatasubbaiah:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the American family of Mr. Adrian Corcoran and Mrs. Patricia Corcoran have refused to leave India and go to their country in spite of their being sentenced to jail;

(b) the reasons advanced by them for their refusal to go to America;

(c) whether any investigation has been made about their antecedents; and

(d) whether Government propose to give asylum to this family?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Misra):

(a) to (d). Mr. Adrian Corcoran and his wife and their two daughters, who were without any means and were staying in India unauthorisedly, were deported to the U.S.A. on the 22nd September, 1964 as they were unwilling to leave the country. They did not give any specific reason for their unwillingness to go back to America.

दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए पीने का पानी

* 494. { श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बजराम सिंह :
श्री मन प्र० सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की सभी शिक्षा संस्थायों को आदेश दिए हैं प्रथम प्राथमिक दिने हैं कि विद्यार्थियों को पीने का उबला हुआ पानी दिये जाने की व्यवस्था करें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शिक्षा संस्थाओं ने विद्यार्थियों से कहा है कि अपने घरों से बोतलों में उबला हुआ पानी लायें; और

(ग) यदि हां, तो शिक्षा संस्थाओं ने किन कारणों से अपनी यह जिम्मेदारी विद्यार्थियों के अभिभावकों पर डाल दी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने अधीन प्रथम उन से सहायता प्राप्त स्कूलों को ऐसे आदेश दे दिये हैं।

(ख) जी हां, स्कूल अधिकारियों द्वारा उचित व्यवस्था किये जाने तक, सावधानी के रूप में।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वास्तव में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संस्थाओं और अभिभावकों दोनों की होती है।

Whitley Council Scheme

*495. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no final decision has been taken regarding introduction of the scheme of Whitley Councils in the Central Government undertakings; and

(b) if so, the reason for delay?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):

(a) The Scheme of Joint Consultation and Compulsory Arbitration is not meant for Central Government undertakings in the corporate sector. However, for the various Ministries and Departments of the Government of India and the departmental undertakings, the Scheme is applicable and its introduction is under consideration.

(b) Various organisations of Government employees were consulted and

some of them seem to have objection to certain aspects of the Scheme. This matter is being considered further and is likely to be discussed with representatives of employees' organisations soon.

Department of Administrative Reform

*496. { Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri S. N. Chaturvedi:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1331 on the 6th May, 1964 and state:

(a) whether the Department of Administrative Reforms has concluded its scrutiny of the various reports submitted in the past;

(b) whether the said department has also studied the problem apart from the reports;

(c) if so, the outcome thereof; and

(d) whether a high-powered Administrative Reforms Committee is proposed to be appointed in the near future?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):

(a) As mentioned in the reply given on the 6th May, 1964 to the previous Question, a detailed scrutiny of previous reports was begun in the Department of Administrative Reforms as soon as it was set up. It soon became apparent, however, that going meticulously through all past reports might involve wasteful and purposeless effort and that a better method of utilising the wisdom contained in these reports would be to relate them to the study of specific problems. Accordingly the approach adopted was to identify major problem areas, and then to see what previous reports had said about those areas. In view of the procedure adopted, the question of concluding scrutiny of all previous reports does not arise.

(b) Yes, Sir. It is this which has led to the selection of a few problem

areas requiring study in the first stage programme of the department.

(c) The outcome will be known when the studies reach the stage of results.

(d) No, Sir. But the value of a comprehensive enquiry is recognised. The feasibility of having such an enquiry made will be taken up at a later stage.

Secondary Education Grants Commission

497. { **Shri D. C. Sharma:**
Shri D. J. Naik:

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 18 on the 27th May, 1964 and state:

(a) the progress made in the matter of providing better conditions of service, uniform pattern of secondary education and the establishment of a Secondary Education Grants Commission as represented in the Memoranda submitted by the teachers all over the country; and

(b) the stage at which the matter stands at present?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The attention of the State Governments has been drawn towards the need for improving the service conditions of teachers and providing reasonable security of service. States are conscious of the need for improving conditions of service of teachers and have been taking steps in this direction from time to time although there are several difficulties—mainly financial.

It was agreed in principle at the last conference of State Education Ministers that the country should move towards a uniform pattern of 12 year school education. This objective is constantly before the State

Governments, who have to implement the recommendation.

The question of establishing a Secondary Education Grants Commission or some other organisation for this purpose is under consideration.

Setting up an Engineering and Construction Company to Build Refineries with U. S. Partnership

*498. { **Shri P. C. Eroroah:**
Shri B. P. Yadava:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Bishanchander Seth:
Shri Dhaon:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri D. J. Naik:
Shri M. G. Thengondar:
Shri Veerappa:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government have recently entered into a partnership with the U.S.A. to set up an engineering and construction company to build refineries and other associated plants;

(b) if so, the terms of the partnership agreement; and

(c) the precise functions and constitution of the Company?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) to (c). A Memorandum of Understanding was initialled on the 27th June, 1964 with Bechtel International Corporation of U.S.A. for setting up an engineering company to provide technical and engineering services needed in the development of petroleum, petro-chemical and other industrial projects in India. Government of India will have 51 per cent share in the equity capital of the company and the balance of 49 per cent capital will be subscribed by Bechtel. The detailed terms and the functions of the new company are being finalised.

Corruption charges against Orissa Minister

- *499. { Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Vishram Prasad:
Shri Bade:
Shri Yashpal Singh:
Shri Solanki:
Shri Narasimha Reddy:
Shri P. K. Deo
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether he has received a representation signed by eight Members of the Orissa Assembly including the Leader of the Opposition for a probe into charges of corruption against the Chief Minister and other Ministers in Orissa;

(b) whether a Commission of enquiry is proposed to be appointed; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): (a) A memorial addressed to the President submitted by sixty-three persons making certain allegations against the Chief Minister and other Ministers has been received. The signatories include the Leader of the Opposition in the Orissa Legislative Assembly and twenty-one other MLAs of Orissa. Some other petitions making allegations against Ministers of Orissa have also been received.

(b) and (c). The matter is under examination.

दिल्ली में भ्रनाज व्यापारियों की गिरफ्तारी

*500. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हाल में ही लाइसेंसिंग आर्डरों का उल्लंघन करने के लिये तथा भ्रनाज के स्टॉक का सही हिस्सा

न देने के कारण कुछ व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना भ्रनाज पकड़ा गया है ; और

(ग) कितने व्यापारी गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) भ्रनाज की नीचे लिखी मात्राएं पकड़ी गई थीं :—

मद	किवटल	किलोग्राम	ग्राम
दलिया	9	73	500
चावल	21	02	000
चना	—	12	500
दाल चना	2	70	000
आयात किया हुआ गेहूं	37	80	000
आटा	1	60	650
बेसन (चने का आटा)	2	70	500

(ग) 31 ।

Jammu and Kashmir

- *501. { Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh
Siddhanti:
Shri Yashpal Singh:
Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Bagri:
Shri Hukam Chand Kachhavaia:
Shri Daljit Singh:
Shri E. Barua:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether any further steps have been taken or initiated since the 5th June, 1964 for the total integration of Jammu and Kashmir with the rest

of Indian Union and for abrogation of Article 370 of the Constitution;

(b) the steps taken by the Union Government and the Jammu and Kashmir Government; and

(c) the stage at which the matter rests at present?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): (a) to (c). A proposal is under consideration to apply to Jammu and Kashmir State the following provisions in the Legislative Lists in the Seventh Schedule to the Constitution:—

- (i) entry 55 of the Union List relating to regulation of labour and safety in mines and oil fields;
- (ii) entry 25 of the Concurrent List relating to vocational and technical training of labour;
- (iii) entry 30 of the Concurrent List in so far as it relates to vital statistics with respect to births and deaths including registration thereof; and
- (iv) entry 39 of the Concurrent List relating to newspapers, books and printing presses.

Regarding the abrogation of article 370 of the Constitution, the Government of India have not yet received any suggestions from the State Government.

Education Minister's Tour of Eastern Europe

*502. { **Shri P. C. Borooah:**
Shri E. Madhusudan Rao:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether he recently visited the Soviet Union, Bulgaria and Czechoslovakia;

(b) if so, whether he discussed the question of collaboration with those countries in educational matters;

(c) what specific proposals were discussed; and

(d) the result thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir, only the Soviet Union and Bulgaria.

(b) Yes, Sir.

(c) A statement of the proposals discussed is laid on the Table of the House.

(d) The Soviet side agreed to render necessary assistance for all the projects enumerated in the statement. The proposals discussed in Bulgaria are put forward by the Bulgarian side and the same are under active consideration of the Government of India.

STATEMENT

I—Proposals Discussed in U.S.S.R.

1. Setting up of an Indian Institute of Russian Studies in New Delhi.
2. Production of Russian Text Books and standard works in English and Indian languages, especially for scientific and professional courses.
3. Study of the operation of Correspondence Courses and Evening Colleges in U.S.S.R. with a view to adapting them for Indian University courses.
4. Assistance for Science teaching and propagation of Science in India.
5. Establishment of Centres of Advanced Study at University and Post-graduate level.
6. Assistance for setting up of Regional Colleges of Technology in India.
7. Setting up of a Low Temperature Physics Centre in India.
8. Development of Institutional co-operation between India and U.S.S.R.
9. Co-operation between National Commissions for UNESCO in the two countries.

10. Provision of the services of an Educational Expert for the Indian Education Commission.

11. Indo-Soviet Collaboration in Scientific Research.

II—Proposals Discussed in Bulgaria

1. Provision of the services of a Hindi Professor for Sofia University.

2. Specialised Training for Indian Scientists.

National Library Council

1527. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the National Library Council has been appointed by the Central Government for co-ordination of Library policies as per the report of the Advisory Committee for Libraries; and

(b) whether the Government of Orissa have started Library Council or not?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) No, Sir.

(b) Not to the knowledge of this Ministry.

College Librarians

1528. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the minimum educational qualification fixed by the University Grants Commission for the post of Librarians and Assistant Librarians of Colleges throughout India;

(b) whether the University Grants Commission has directed the State Governments through the Union Government to insist on this minimum educational qualification in case of new appointments; and

(c) which of the State Governments have already accepted this suggestion?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) While the Uni-

versity Grants Commission has not prescribed the minimum educational qualifications for the library staff of all colleges throughout India, it has decided that the college librarians who possess the following qualifications may be placed in the same scales of pay as Lecturers in a College with effect from 1-4-1961:—

(i) First|Second class B.A.|B.Sc.| B.Com. degree plus First or Second class M.Lib.Sc. Degree (Two Years Course).

(ii) First|Second class M.A.|M.Sc. degree and First or Second class B.Lib.Sc. or one year diploma Course in Lib. Sc.

In the case of Assistant Librarians, no minimum educational qualifications have been laid down by the University Grants Commission.

The Commission has also agreed to extend the benefit of revised scales of pay to the existing library staff who do not possess the qualifications laid down, provided that the College is satisfied that their experience and quality of work justify their being placed in the revised scales.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Stadium in Memory of the Late Shri Nehru

1529. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the All India Council of Sports has decided to erect a sports stadium in the memory of the late Shri Jawahar Lal Nehru who evinced keen interest in games and sports;

(b) if so, the details of the proposal; and

(c) the approximate expenditure for the construction of the stadium?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) to (c). In consideration of the keen interest taken by the late Prime Minister Jawahar Lal Nehru, in sports and games, the All India Council of Sports at its meeting held on 28th August, 1964 has decided to recommend to the Nehru Memorial Committee the setting up of a first class sports stadium and other amenities for sports to be named after him. The Council also requested the Nehru Memorial Committee to make available funds for that purpose. No details have yet been worked out.

विदेशों में शिक्षा पा रहे मैसूर के छात्र

1530. श्री वीरप्पा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी व्यय पर मैसूर राज्य के कितने विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं; और

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को विदेश छात्रवृत्ति योजना नामक इस मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत मैसूर राज्य के दो विद्यार्थी विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों आदि द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन करने वाले अन्य विद्यार्थियों के सम्बन्ध में मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) ये दोनों विद्यार्थी पिछड़े वर्गों के हैं।

Teachers of Non-Government Colleges

1531. Shri M. G. Thengondar: Will the Minister of Education be pleased

to state:

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission is contemplating the revision of pay scales of teachers in non-Government colleges in the country; and

(b) if so, when it is likely to take effect?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). In 1962, a Committee was appointed by the University Grants Commission to examine the question of revision of salary-scales of college teachers. The Committee made certain recommendations which were accepted by the Commission, in principle, in September, 1963 and it was proposed to take up the implementation of the scales recommended by the Committee in the Fourth Plan. Subsequently the Commission at its meeting held on 2-9-1964, has decided that the general question of revision of pay-scales of both college teachers and university teachers be further examined by a Committee which has since been constituted.

Pay Commission for Elementary and Secondary School Teachers

1532. { Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Murlil Manohar:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that All India Primary Teachers' Federation has submitted a memorandum urging the appointment of a Pay Commission for elementary and secondary school teachers; and

(b) if so, the attitude of Government towards the memorandum?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Drilling of Oil in Shivalik Region in U.P.

1533. { Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Murlī Manohar:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the progress made in the drilling operation for oil in the Shivalik region in Uttar Pradesh; and

(b) the future prospects of finding oil deposits in the area?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir):

(a) and (b). The depth of the first deep well drilled near Dehra Dun was 1069 metres on 21-9-1964. The ultimate depth of the well is likely to be 5,500 metres and nothing definite can be said till then.

Indian Institute of Technology, Delhi

1534. **Shri Swell:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of expert professors and supervisory technicians whose services have so far been lent by the U.K. Government and the Federation of British Industries to the Indian Institute of Technology, Delhi;

(b) the terms under which these experts are working in the Institute;

(c) the number of teachers in various grades working at present in the regular strength of the Institute; and

(d) the terms of service and the method of promotion of each grade of these teachers?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Professors 11; Technicians 5.

(b) The experts are governed by the normal terms and conditions of the general agreement under Colombo Plan. Accordingly, Indian Institute of Delhi is required to bear only the local costs during the period of the stay of the experts. These include

items such as expenses on internal travel, furnished residential accommodation or Rs. 25 per day in lieu thereof, office accommodation and secretarial assistance. Their salaries, allowances and international travel are paid for by U.K. Government.

(c) Designation	Grade	Number
Professor (Senior	1600—100—	1
Scale)	1800	
Professor	1100—50—	1
	1300—60—	
	1600	
Associate Professor	1100—50—	3
	1300	
Assistant Professor	700—50—1250	25
Lecturer	400—40—	53
	800—50—950	
Associate Lecturer	375—25—	14
	500—30—	
	590—EB—	
	30—650	

(d) The terms of services of teachers employed by the Institute are governed by Statute No. 13 of the Statutes framed under the Indian Institutes of Technology Act 1961 as amended in 1963.

There is no specific percentage of posts laid down for filling them by promotion and all posts are normally to be filled by advertisement. However, Board of Governors of the Institute has the power to decide that a particular post will be filled by promotion from amongst the members of the staff of the Institute. In such cases also, Selection Committees constituted under the provisions of the Statutes will consider the candidature for the posts in question.

Appointments made in Kerala

1535. { Shri A. V. Raghavan:
Shri Pottekatt:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons selected by the Kerala Public Service Commission for employment during the last four years;

(b) the number of persons who have been appointed by Government as advised by the Commission; and

(c) the number of cases in which Government have not found it possible to accept the advice of the Commission?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):
(a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Survey of Coastal District of Kerala

1536. { **Shri A. V. Raghavan:**
Shri Pottekkatt:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether any survey has been carried out in the coastal districts of Kerala for locating oil; and

(b) if so, what is the result of the survey?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir):
(a) Yes, Sir. Geological and gravity surveys have been carried out in the coastal districts of Kerala.

(b) The surveys indicated the presence of a relatively small thickness of sedimentary rock formations gently dipping towards the coast.

Prohibition cases in Kerala

1537. { **Shri A. V. Raghavan:**
Shri Pottekkatt:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of prohibition cases detected in Kerala during the current financial year;

(b) the number of persons involved in these cases;

(c) the number of Government officials accused of prohibition offences during this period;

(d) the number of cases disposed of so far; and

(e) the amount of fine collected and the amount paid to police and prohibition officers as reward for detecting these offences?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) 4795.

(b) 5017.

(c) 6.

(d) 3126

(e) Amount of fine collected is Rs. 1,41,270 and amount paid to police and prohibition officers as reward is Rs. 12,775.

दिल्ली के स्कूल के लिए टेलीविजन

1538. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रमेशनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जो कन्याओं के लिये हैं, विज्ञान पढ़ाने के निमित्त कोई टेलीविजन सेट नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक उक्त विद्यालय को सेट दिये जाने के सम्भावना है ; और

(ग) पश्चिम दिल्ली के कितने स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने का प्रबन्ध है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :
(क) जी हां ।

(ख) उनके मामले पर अगले वर्ष किसी समय विचार किया जाएगा ।

(ग) 56

Compulsory National Service

1539. { Shri Rameshwar Tantia:
Shri B. P. Yadava:
Shri Dhaon:
Shri Bishanchander Seth:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government of India are considering a scheme of compulsory national service for all fresh graduate engineers and doctors;

(b) if so, the main features of this scheme; and

(c) whether suitable legislation will be enacted to give effect to the scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The Government are considering the desirability of enacting suitable legislation to provide for compulsory national service for graduate engineers and doctors. It will be premature to furnish any details of the scheme which has not assumed a concrete form as yet.

Extension to I.C.S. Officers

1540. **Shri S. M. Banerjee:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether during 1964 some of the I.C.S. Officers have been given extension beyond the age of 60;

(b) if so, the names of such officers; and

(c) the reasons for keeping them beyond 60 years?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathf): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Car Thefts in Delhi

1541. { Shri R. G. Dubey:
Shri Ram Sewak Yadav:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a gang of teenagers in Delhi who steal cars for a joy ride and abandon them later;

(b) whether it is also a fact that recently four boys were seen hurriedly abandoning a car when the vehicle was involved in an accident in a South Delhi locality; and

(c) whether it is also a fact that some of these boys belong to influential families and hence the Police officials hesitate to carry on investigations properly?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) The Delhi Police is not aware of the existence of any such gang.

(b) Yes, Sir.

(c) The police are investigating into the case referred to in (b) above.

श्री नेहरू की स्मृति में विश्वविद्यालय

* 1542 { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धाली :
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कोई नये विश्व-विद्यालय खोले गये हैं ;

(ख) क्या इनके प्रतिरिक्त इस वर्ष में कुछ विश्वविद्यालय खोले जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या श्री नेहरू की स्मृति में

विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन है?

शिक्षा मंत्री (श्री सु० क० चागला) :

(क) जी हाँ। इस वर्ष के दौरान निम्न-लिखित छः विश्वविद्यालय खोले गए हैं:—

1. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद।
2. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर।
3. इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर।
4. जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर,
6. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हेन्बल, बंगलौर।

(ख) जी नहीं।

(ग) टैक्नोलोजी और व्यावसायिक अध्ययनों पर विशेष रूप से ध्यान देने वाला एक बहु-संकाय विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

Foreign Students in Delhi

1543. **Shri Surendra Pal Singh:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of foreign students in the Capital have complained against the high charges and lack of amenities in the newly-built International Students Hostel; and

(b) if so, Government's views on the matter?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): (a) and (b). There have been no complaints about lack of amenities but complaints from a few students were received about high charges in the beginning. It was explained to the students that the charg-

es were inclusive of services, etc. and they were satisfied.

Limited I.A.S. Examination

1544. { **Shri D. C. Sharma:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the progress made in reviving the scheme for holding limited competitive examination for I.A.S.; and

(b) the reaction of the State Governments thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). Replies from all the State Governments, except one, have been received only recently. The reaction of the State Governments is a mixed one.

The suggestions of the State Governments are being examined in detail and further correspondence will have to be undertaken with some of them before a decision can be taken in the matter.

Indian Copyright Act

1545. { **Shri Yashpal Singh:**
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating to amend the Indian Copyright Act to make the printing and sale of pirate text-books a cognizable offence; and

(b) if so, when this legislation will be brought forward?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The matter is under consideration.

(b) Does not arise.

Prison Manuals

1546. { Shri Yashpal Singh:
Shri Vishram Prasad:
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the Union Government have advised all the State Governments to revise drastically and if necessary to redraft the prison manual in the light of the recommendations of the Model Jail Manual Committee;

(b) if so, the main drawbacks pointed out by the Committee; and

(c) whether any model manual has been circulated to the States for guidance?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir. The State Governments have been requested to implement the recommendations of the All India Jail Manual Committee with such modifications as they may consider necessary. It has also been suggested to them that a manual may be drafted for the State or that changes may be made in the existing Jail Manuals on the basis of such of the recommendations as are considered feasible.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir.

तिब्बती संस्कृति का विद्यालय

*1547. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभ्राम प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि तिब्बती बच्चों के लिये तिब्बती संस्कृति का एक विद्यालय खोला जाये जहां स्कूल शिक्षा समाप्त करने

वाले छात्रों को धर्म तथा संस्कृति की शिक्षा दी जाये ;

(ख) क्या उस प्रयोजन के लिये कोई पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाने बला है ; और

(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर, कब से खोला जायेगा और उस पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Hindi Legal Texts

1548. { Shri Rameshwar Tantia:
Shri B. P. Yadava:
Shri Dhaon:
Shri Bishanchander Seth:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four Hindi-speaking States have agreed to set up a joint commission for the preparation of Hindi legal texts of State statutes; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) The details are still being worked out.

Science Policy Commission

1549. { Shri Rameshwar Tantia:
Shri Bishanchander Seth:
Shri B. P. Yadava:
Shri Dhaon:

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6 on the 27th May, 1964 and state:

(a) whether the suggestion made by the Association of Scientific

Workers of India regarding Science Policy Commission has been accepted by Government; and

(b) if so, the steps taken to implement the suggestion?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir. The matter is still under consideration.

(b) Does not arise.

Institute of Russian Studies

1550. { **Shri Rameshwar Tantia:**
Shri Bishanchander Seth:
Shri B. P. Yadava:
Shri Dhaon:
Shri P. C. Borooah:
Shri Mohan Swarup:

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2185 on the 15th April, 1964 and state:

(a) whether the reaction of the Soviet Union to the setting up of an Institute of Russian Studies in India has been received;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) when it is likely to start functioning?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) According to a tentative Scheme, the Institute will provide facilities for two courses to start with—a degree course for 3 years and a shorter course of a year's duration. The degree course is intended to be equivalent to an Honours degree of the Delhi University with more than half the content in the Russian Language and Literature and about less than half on Russian History, Economics, etc. The shorter course will give to the students sufficient proficiency in Russian language for pursuing advanced studies in the USSR and for other requirements in trade, diplomacy, etc. Detailed planning of the courses will be done shortly by

1294 (A1) LSD—3.

specialists from the USSR and India.

(c) It is likely to function from July 1965.

Noise Survey by National Physical Laboratory

1551. **Shri Surendra Pal Singh:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the report submitted by the National Physical Laboratory after carrying out a noise survey of Delhi and Bombay has completely exploded the myth of noise acclimatization amongst human beings; and

(b) if so, whether Government propose to put down the noise menace in big cities and towns by legislation?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The noise survey conducted by the National Physical Laboratory was intended to assess the value of prevailing noise levels. The aspect of subjective response to noise was not within the scope of this work. The results of the survey cannot, therefore, be interpreted to support or contradict the idea of noise acclimatization.

(b) Does not arise.

Unauthorised occupation of Government Properties in Delhi

1552. { **Shri Kapur Singh:**
Shri Solanki:
Shri Narasimha Reddy:
Shri Buta Singh:

Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:

(a) the approximate number of Government built properties at present occupied by unauthorised persons in refugee colonies of Delhi and New Delhi;

(b) whether Government have recovered any rent or damages from such unauthorised persons and if so, how much; and

(c) whether any rent or damages are still due from such unauthorised persons and if so, the details thereof?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) In accordance with the Government policy, cases of unauthorised occupation of Government built properties in Delhi by displaced persons prior to 31st December, 1960 have been regularised on receipt by the 28th February, 1963 of the initial cost and the up-to-date arrears of rent. In other cases properties have been or are being disposed of by sale leaving the purchasers to deal with the unauthorised occupants directly and hence no statistics are being maintained in respect of persons in unauthorised occupation of Government built properties; but the number of such occupants is very small.

(b) and (c). Recoveries of rent/damage charges from unauthorised occupants have been made in most of the cases and the amount of arrears is small. No separate figures of such recoveries made and the balance outstanding are being maintained.

Persons under Detention

1553. { Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Kolla Venkaiah:
Shri Bagri:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the total number of persons under detention under the Defence of India Rules and Preventive Detention Act as on the 31st August, 1964;

(b) the number of Members of Parliament and State Legislatures among them; and

(c) whether the cases of all these persons have been reviewed?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Murders in Delhi

1554. **Shri Daljit Singh:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of murders committed in Delhi during the last six months; and

(b) the causes thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) 38.

(b) Domestic quarrels	5
Enemy	10
Gain	4
Promiscuous sex relations	7
Mis. and unknown causes	12

Modern Bengali Encyclopaedia

1555. **Shri P. K. Deo:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether a modern Bengali encyclopaedia is being compiled;

(b) if so, how much aid has been given by the Central Government for this project; and

(c) in which other regional languages such modern encyclopaedia are being compiled and the aid given in each case by the Central Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakat Darsan): (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 56,250/-.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-3288/64].

Aid for West Bengal

1556. **Shri P. K. Deo:** Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether the West Bengal Government have asked for financial aid from the Central Government for the unexpected heavy expenditure due to large influx of refugees from East Pakistan; and

(b) if so, the reaction of Government thereon?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) and (b). Requests for financial assistance for the relief and rehabilitation of displaced persons from East Pakistan are being received from the Government of West Bengal from time to time and necessary funds are sanctioned after scrutiny.

पंजाब में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट

1557. श्री विद्वनाथ पाण्डेय: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बर्मन सरकार की सहायता से पंजाब में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कब और किस स्थान पर, और

(ग) उस पर कितना धन व्यय होगा?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला):

(क) एसे इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) विस्तृत योजना और उसके प्राक्कलनों की प्रतीक्षा है।

Commonwealth Education Conference at Ottawa

1558. **Shri P. C. Borooah** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether further aid in educational sphere is expected from Commonwealth Countries as a result of discussions at the Third Commonwealth Education Conference held recently in Ottawa; and

(b) if so, the nature and extent of such aid?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The recommendations of the Conference covered a number of fields

viz., training and supply of teachers, curriculum developments, scholarships and fellowships, provision of text-books, counselling, social education, education in rural communities, co-operation in the use of mass media in education, technical education, vocational training etc. The nature and extent of the aid that India will receive can be assessed only after the recommendations of the Conference have been approved by the participating member countries.

Land in Minicoy and Amindivi Islands

1559. **Shri Rishang Keishing:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the Union Government have decided to restrict outsiders from acquiring landed properties in the Minicoy and Amindivi Islands; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):

(a) Yes, Sir.

(b) To protect the interests of the islanders who are scheduled tribes.

पेनिसिलीन का निर्यात

1560. श्री बागड़ी: क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री 5 अप्रैल, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 721 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में बनी पेनिसिलीन के निर्यात के लिये कोई मण्डी तलाश कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से देशों को उसका निर्यात किया जा रहा है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भल्लगेशन): (क) और (ख) दोनों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों (undertakings) में प्रति-जैविक पदार्थों (antibiotics)

के (जिसमें पेनसिलीन शामिल है) निर्यात करने की सम्भावनाओं की अभी जांच की जा रही है।

निष्क्रान्त सम्पत्ति की नीलामी

1561. श्री बागड़ी : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई जमीन और दूसरी जायदाद नीलाम की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर जो लोग काबिज हैं उन को कोई मुआवजा दिया जायेगा ; और

(ग) क्या यह जायदाद काबिजों से छुड़ कर नीलाम की जायेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री स्यागी) : (क) से (ग) पंजाब में सारी अर्जित की हुई निष्क्रान्त ग्राम्य कृषि भूमि तथा मकान आदि 'पैकेज डील में' जून, 1961 में राज्य सरकार को निपटारे के लिये हस्तांतरित कर दिये गये थे। इसी प्रकार सारी अर्जित की गई निष्क्रान्त शहरी भूमि और बनाई गई जायदादें जिनका निपटारा नहीं हुआ था वे भी दूसरे 'पैकेज डील' में पहली अप्रैल, 1963 को उनको हस्तान्तरित कर दी गई थीं। चूंकि यह जायदादें तथा भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा चुकी है इसके निपटारे आदि के बारे में योजना बनाना राज्य सरकार का कार्य है।

Secondary Education in Punjab

1562. **Shri Daljit Singh:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether any financial assistance has been given to the Government of Punjab for recognition and promoting of secondary education in Punjab during the Third Five Year Plan period; and

(b) if so, the total amount allotted to Punjab during the same period for this purpose?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). Yes, Sir.

Assistance has been given for the following Centrally Sponsored Schemes:

I. State Bureaus of Educational and Vocational Guidance.

II. State Education Evaluation Units;

III. Strengthening of multipurpose schools; and

IV. Special programme of strengthening secondary schools.

The total amount of assistance given upto end of 1963-64 on the first three schemes is Rs. 78,037.68. The fourth has been taken up only during the current year.

Assistance is also given to States for schemes in the State Sector. The exact amount of central assistance given to Punjab Government under this head for secondary education is not known.

Technical Education

1563. **Shri Rama Chandra Mallick:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether with a view to improving the practical training provided in polytechnic courses, it has been decided that at least six months' training in an industrial plant will be made compulsory and each polytechnic should be linked with a limited number of industries and enterprises;

(b) whether this was one of the suggestions of a three-day seminar held at the Indian Institute of Technology, Guindy, Madras, in June, 1964, in collaboration between industry and institutions in the field of technical education; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No such decision has yet been made by the Central Government.

(b) Yes, Sir.

(c) The Seminar was of the view that since the existing diploma courses did not include sufficient practical training, the duration of the courses should be extended and a minimum of six months in-plant training should be linked with a limited number of industrial concerns.

House of Himu at Rewadi (Punjab)

1564. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of Education be pleased to state why the Department of Archaeology of the Government of India has not yet arranged to preserve the house of Himu at Rewadi (Punjab), the hero of the Second Battle of Panipat?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): As there is no house at Rewadi uncontroversially associated with Himu, the question of its preservation does not arise.

National Register of Non-Scientific Personnel

1565. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the Union Government propose to maintain another National Register to enrol Indian professors, historians and such other literary and non-scientific personnel returning from abroad; and

(b) if so, at what stage the matter stands at present?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) It is proposed that the Council of Scientific and Industrial Research, which has already established a machinery for registration and operation of the Scientists' Pool, should also maintain the Regis-

ter for non-scientific personnel with high qualifications returning from abroad.

(b) Details are under examination.

Training in Petroleum Technology

**1566. { Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:**

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2184 on the 15th April, 1964 and state:

(a) whether the recommendations of the Expert Committee regarding the problem of expansion of training facilities in petroleum technology have since been considered by Government; and

(b) if so, the decision of Government thereon?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The attention of the Hon'ble Members is invited to my reply given to Unstarred Question No. 1104 on the 23rd September, 1964 on the same subject.

Development of Andaman and Nicobar Islands

1567. Shri Mohammad Elias: Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether Government have appointed an Expert Committee to examine the possibility for further development of Andaman and Nicobar Islands; and

(b) if so, when the work of this Committee will begin?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) A team of officers representing the Planning Commission and the Ministries concerned with the various facets of development has been constituted to draw up an integrated resource development plan for the Andaman and Nicobar Islands.

(b) The team has held a preliminary meeting and is expected to visit the Islands in December.

Industrialisation of Dandakaranya

1568. **Shri Mohammad Elias:** Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether Government have chalked out any programme for rapid industrialisation in Dandakaranya area; and

(b) if so, the broad features thereof?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) and (b). In accordance with the central objective of the Dandakaranya Project, in the first phase rehabilitation was planned mainly in agriculture. It was realised that to start large scale industries, communications have to be improved, malaria eradicated and an integrated Master Plan would need to be prepared. However, nine small scale industrial centres have been set up by Dandakaranya Development Authority besides some cottage units. The items and products being produced in these units are: ammunition boxes, wooden furniture and tubular furniture, doors, windows and their fittings, truck bodies, agricultural implements, door chains, spikes, nails, dhoties, sarees and other varieties of cloth, telegraph poles by ASCU treatment, Sal and Teak round timber and sawn sections, Oils and Oil cakes. In the next working season, it is proposed to expand the centres and set up additional centres.

2. For a comprehensive and realistic assessment of the potentialities for the integrated development of the region, the National Council of Applied Economic Research was requested to conduct a survey of the area. The Report of the Council disclosed the presence of considerable mineral and other resources and suggested their utilisation by the establishment of cement, paper and other industries. It also recommended the conducting of systematic and regular field in-

vestigations of the mineral resources and carrying out a full techno-economic survey of the region.

3. The Revised Project Report of the Dandakaranya Development Authority also outlines the small scale and medium industries which can be sponsored by Dandakaranya Development Authority or in co-operation with other Central or State Government Agencies. A team of the Small Industries Service Institute of the Ministry of Industry and Supply have recently studied the possibilities for small scale industries in the area and their report is awaited.

4. Government have also appointed an Investigation Team to undertake an appraisal of the hydro electric and irrigation potential and an Inter-Departmental expert team to undertake a techno-economic appraisal of the Project area.

5. A comprehensive and long-term plan for integrated development including industrial development will be prepared after the reports of these teams are available.

6. When the long-term plan is drawn up, the fields in which Dandakaranya Project Administration can themselves start industries, the fields where other Government Departments should be brought in and the fields in which efforts should be made to attract private industries will be more fully considered.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रों को रोजगार

1569. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने देश के प्रमुख व्यापारिक संगठनों को एक पत्र लिखा है कि वे मुस्लिम छात्रों को अपने यहां नौकरी दें ; श्री

(ख) यदि हां, तो क्या यह पता लगाया गया है कि यह पत्र किन परिस्थितियों में लिखा गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री सु० क० चागला) :

(क) प्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, जिनमें मुस्लिम विद्यार्थी भी शामिल हैं, रोजगार देने के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठनों को एक पत्र लिखा था।

(ख) विषय उपकुलपति के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए जांच करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

हयियारों का पकड़ा जाना

1570. श्री बृज राज सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित भारतीय मिलिटरी एकाडेमी के पास 11 अगस्त, 1964 को किसी मोटर से कुछ कारतूस मिले, जो चीन देश से भेजे गये बताये जाते हैं ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). 11 अगस्त, 1964 को कुछ गोली-बारूद भारतीय मिलिटरी एकाडेमी, देहरादून, के समीप एक स्थान से, परन्तु किसी मोटर से नहीं, बरामद हुए। उनके स्रोत के विषय में जांच चल रही है।

Orissa I.A.S. Officer

1571. Shri Surendranath Dwivedy: Will the Minister of Home affairs be pleased to state:

(a) whether any case has been instituted in any court of law against Sri Somanath Misra I.A.S. who was

suspended under the orders of the Central Government; and

(b) whether investigation against this officer has been completed and if so, the findings thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No Sir.

(b) Investigation of the case against this officer has been completed and it has been decided to report the matter to the State Government for taking departmental action.

Cochin Refinery

1572 { Shri P. R. Chakraverti:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether a loan of \$18 million has been secured from private American sources for the setting of the Cochin Refinery; and

(b) if so, on what terms?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) Yes, Sir.

(b) Agreements have been executed by Cochin Refineries Limited for the drawal of \$6,000,000 short-term loan and 12,000,000 long-term loan from U.S. banks. The short-term loan is repayable in eight instalments commencing from January 1, 1967 and ending on July 1, 1970. The long-term loan is repayable in 21 instalments commencing from July 1, 1970 and ending on July 1, 1980. These loans bear interest at the rate of 5-3¼% per annum.

Honorary Teachers

1573. Shri Brij Raj Singh: Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 318 on the 27th February, 1964 in Rajya Sabha and state:

(a) whether any kind of recognition is given to the persons working

in Government Higher Secondary Schools as honorary teachers and principals for their selfless service;

(b) whether the number of honorary teachers in Government Higher Secondary Schools in Delhi has decreased since 1st May, 1963,

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the reasons for not accepting the services of the person who offered to work as honorary principal?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). In only one case, an honorary teacher worked from 6-3-1963 to 23-3-1964. He was thanked for the services rendered by him in an honorary capacity.

(d) The post of Principal is a Class II Gazetted post and is required to be filled up in accordance with the 'Recruitment Rules' approved by the Union Public Service Commission. The one person who had offered to work as Honorary Principal did not fulfil the prescribed qualifications.

Classification of Displaced Persons

1574. Shri B. K. Das: Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether any classification has been made of the Displaced Persons who have arrived in India from East Pakistan since January, 1964;

(b) if so, their number occupation-wise; and

(c) their number who have been deemed to be eligible for rehabilitation benefit?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) and (b). Steps have been taken to collect detailed particulars of the migrants from East Pakistan who have been admitted in transit/relief camps. Such particulars are not, however, collected in respect of the migrants who have not sought admission in camps.

Out of 63,708 families in the transit/relief camps, preliminary enquiries regarding the occupation of these families in East Pakistan have been made in respect of 34,010 families only. The occupation-wise break-up of these families is as follows:

1 Agriculturist	28,114	families
2 Businessmen	2,077	"
3 Fishermen	953	"
4 Service Class	615	"
5 Artisans & Weavers	993	"
6 Misc. Occupations	26	"
7 Families belonging to the long term liabilities group i. e. families having no able bodied adult male members.	1,232	"
	<u>34,010</u>	"

The break-up as given above is provisional and is liable to change as a result of a further screening of the families in the camps, which has been taken in hand.

(c) All the families in the transit relief camps are eligible for rehabilitation benefits except those who on screening are not found to be bona fide migrants.

Helicopters for Oil Exploration Work

1575. Shri D. D. Mantri: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government have asked the Soviet Union for the supply of special type of helicopters for work in areas where oil exploration is going on;

(b) if so, the number of the helicopters asked for;

(c) whether any reply has been received from the Soviet Union; and

(d) if so, the particulars thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) to (d). No formal proposal has yet been sent to the Soviet Union. The matter has however, been informally discussed with the Soviet authorities and the Oil and Natural Gas Commission are exploring the possibility of obtaining three helicopters for oil exploration work.

Microfilms of Rare Manuscripts

1576. { Shri D. D. Mantri:
Shri B. N. Kureal.
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a project having the rare manuscripts in Sanskrit, Persian and Arabic and other important documents microfilmed;

(b) whether an international organisation have offered assistance for the purpose; and

(c) if so, the nature of the assistance offered?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Unesco have made available a mobile microfilm Unit and the services of an expert for a period of four months for the purpose.

Assistance to Ceylon for Refining Crude Oil

1577. **Shri D. D. Mantri:** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether the Government of India have offered assistance to the Government of Ceylon to refine their crude oil;

(b) if so, the nature of assistance offered; and

(c) the terms thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Teaching of Agriculture in Port Blair

1578. **Shrimati Savitri Nigam:** Will the Minister of Education be pleased state:

(a) whether it is a fact that agriculture is one of the subjects taught in higher secondary classes in Government schools at Port Blair, Andaman Islands;

(b) if so, whether any agriculture farms are attached to these schools for practical field work by students of agriculture;

(c) whether any practical work on any other farm was done by students of agriculture; and

(d) if so, the names of the farms and the number of days in 1963-64 academic session on which students worked on those farms?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Advance Increments to Section Officers

1579. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have had under consideration the question of giving advance increments to Section Officers in the Government Departments at certain stages; and

(b) if so, the decision taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) It has been decided to grant advance increment to Section Officers at two stages subject to fulfilment of certain conditions and necessary orders are being issued.

पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के क्लेम

1580. श्री बागड़ी : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने कुल कितने क्लेम दाखिल किये और उनकी कुल कितनी मालियत थी ;

(ख) कितने क्लेमों को अभी तक निपटाया जा चुका है ;

(ग) कितने क्लेम निपटाये जाने बाकी हैं ; और

(घ) वह कब तक निपटा दिये जायेंगे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) :

(क) 4,65,000 दावे दर्ज किये गये थे। दावों की धन-राशि के बारे में झांकड़े नहीं रखे गये थे। इन दावों में से 3,90,000 दावे सत्यापित तथा स्वीकृत किये गये थे जिनका निर्धारित मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपये तथा इसके अतिरिक्त, 8.65 लाख मानक एकड़ भूमि था।

(ख) और (ग). दावों के सत्यापन के उपरान्त विस्थापितों को मुआवजे के लिये आवेदन-पत्र आवश्यक फार्म पर दाखिल करने थे। मुआवजे तथा पुनर्वास अनुदान के आवेदन-पत्र जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दाखिल किये गये उनकी संख्या 31 जुलाई, 1964 तक 5,05,559 है। इनमें से 5,03,226 मामले पहले ही निपटाये जा चुके हैं। जिन मामलों का निर्णय होना अभी शेष है उनकी संख्या 2,333 है।

(घ) लगभग छः मास की अवधि के अन्तर्गत।

Assam College Teachers Delegation

1581. Shri Hem Barua: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently a delegation on behalf of the

All Assam College Teachers Association met the Chairman of the University Grants Commission and submitted a memorandum suggesting higher scale of salary for Assam College teachers because of the peculiar circumstances prevailing there; and

(b) if so, the reaction of Government to that memorandum?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The representation will be placed before the University Grants Commission at its meeting to be held on the 7th October, 1964 for consideration.

Diplomas of State Board of Technical Education in U.P.

1582. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the status of the students qualifying themselves in the diploma examinations of the Polytechnic institutions at Azamgarh and other places in U.P.;

(b) whether it is a fact that the Union Government have provisionally recognised pass certificates in the final diploma examination in Civil, Mechanical and Electrical Engineering held by the State Board of Technical Education, U.P.; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The candidates are qualified for subordinate posts and services in engineering, like overseers, supervisors etc.

(b) Yes, Sir.

(c) Permanent recognition will be given after the polytechnics are fully developed and their standards are assessed by the Board of Assessment of Technical and Professional Qualifications.

Ocean-Going Drilling Barges

1583. **Shri D. J. Naik:** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that Ocean-going drilling barges capable of operating in deep waters are to be built in Britain for the Burmah-Shell Oil Company; and

(b) if so, whether Government intend to obtain such ocean-going barges for off-shore drilling operations in the gulf of Cambay and Kutch?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir):

(a) No, Sir.

(b) It is not proposed to purchase such barges at present.

Pensions for Delhi School Teachers

1584. **Shri Yogendra Jha:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the pension scheme for teachers in Government aided schools in Delhi has since been started;

(b) if not, whether the scheme is proposed to be extended;

(c) the difficulty experienced in the implementation of the said scheme;

(d) whether the question of raising the retirement age of the teachers under the said scheme has also been considered; and

(e) if so, the result thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). The Government are considering a proposal to introduce a retirement benefits Scheme (including the element of pension) for teachers in Government aided schools in the Union Territories but the matter is still under examination.

(d) and (e). Do not arise at this stage.

Unpopulated Belt along Assam Pakistan border

1585. { **Shrimati Renuka Barkataki:**
Shri P. C. Borooah;
Shri P. R. Chakraverti;
Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government had accepted a proposal to create a mile-broad unpopulated belt along the Assam-Pakistan border; and

(b) if so, the steps taken to implement this proposal?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). The matter is under consideration in consultation with the Government of Assam.

Employees Consumer Co-operative Society

1586. **Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the total membership of the Central Government Employees Consumer Co-operative Society Ltd. New Delhi and how many shares have been sold by this Society so far;

(b) who are the members of the Board of Directors and when this Board was constituted;

(c) how much subsidy has been given by Government to this society;

(d) the reasons for not opening a branch store of this Society in the Gole Market area; and

(e) the reasons for not convening the Annual General Meeting of this Society?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) As on the 21st September, 1964, about 32,400 employees have been enrolled as members. The number of shares sold is about 40,000.

(b) The first Board of Directors was constituted in June, 1963. Its composition is as follows:

1	Shri V. Viswanathan, (Ex-Secretary, Ministry of Home Affairs).	Chairman
2	Shri Dharma Vira (Chief Commissioner Delhi Administration).	Member
3	Shri S. Ranganathan, (Secretary, Ministry of Industry),	"
4	Shri V. T. Dehejia, (Secretary, Ministry of Finance),	"
5	Shri V. Shankar, (Secretary, Ministry of Civil Aviation),	"
6	Shri D. S. Joshi, (Secretary, Ministry of Commerce),	"
7	Shri B. N. Lokur, (Secretary, Ministry of Law),	"
8	Shri M. A. Quadeer, (Additional Member, Railway Board),	"
9	Shri Fatch Singh, (Joint Secretary Ministry of Home Affairs),	"
10	Shri G. A. Ramrakhiani, (Chief Welfare Officer, Ministry of Home Affairs),	"
11	Shri P. Lal, (Deputy Secretary, Ministry of Railways),	"
12	Shri S. Sundaresan, (Deputy Secretary, Ministry of Finance),	"
13	Shri R. P. Kaushik, (Under Secretary, Lok Sabha Secretariat),	"
14	Shri N. L. Gupta, (Section Officer and Member Senior Staff Council, Ministry of Defence),	"
15	Shri P. P. Seth, (Assistant, Ministry of Finance (Def.) and President, Sarojini Nagar Residents Association),	"
16	Shri R. P. Dabral, (Member, Junior Staff Council, Ministry of Finance),	"
17	Shri O. T. J. Zacharias, (Officer on Special Duty, Ministry of Home Affairs),	"

(c) Government has so far sanctioned a sum of Rs. 92,451 as subsidy towards the cost of superior staff of the Society.

(d) The Society gave priority to the needs of the members residing in far flung colonies like Ramakrishna Puram, Srinivaspuri, Moti Bagh, Kidwai Nagar, etc. and, opened branches first in these colonies. As the Gole Market area is comparatively nearer to the Raisina Road Store, the mem-

bers residing there can draw their supplies from this store. A branch stores will, however, be opened in the Gole Market area in due course.

(e) The Society will convene the Annual General Meeting in due course in accordance with the By-laws of the Society.

हायर सेकेण्डरी स्कूलों की इमारत बनाने के लिए अनुदान

1587. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लागू पंजाब शिक्षा संहिता में गैर-सरकारी हायर सेकेण्डरी स्कूलों को अपनी इमारतें बनाने, फर्नीचर खरीदने, साज सामान आदि के लिए अनावर्तक अनुदान देने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनावर्तक अनुदान मंजूर करने की जिम्मेदारी दिल्ली में किस अधिकारी को सौंपी गई है; और

(ग) क्या किसी गैर-सरकारी और सहायता तथा मान्यता प्राप्त स्कूल को अनुदान देने से इंकार किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला :)

(क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Antibiotics Plant, Rishikesh

1588. Shrimati Jyotsna Chanda: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether the machinery and equipments for Rishikesh antibiotics plant have arrived;

(b) if so, when the production will begin; and

(c) what is the cost of the plant and with whose collaboration the plant is being installed?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Orders for the bulk of the machinery and equipment for the Antibiotics plant at Rishikesh have been placed. A portion of it has arrived at site and the balance would be received in accordance with the contracts placed.

(b) The plant is scheduled to be commissioned for trial production in the middle of 1966.

(c) It is being set up with the Soviet collaboration and the estimated cost (excluding township) is approximately Rs. 18.70 crores.

Ex-Hyderabad State Service Personnel

1539. { Dr. Melkote:
Shri Heda:
Shri Hanmanth Rao:
Shri Gulshan:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the Central Government gave an assurance to the Service Personnel serving the ex-Hyderabad State to ensure fair deal in integration of services and equation of posts on the eve of the merger of ex-Hyderabad State with Andhra State; and

(b) the progress made so far in this matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathl):

(a) Under the States Reorganisation Act, the Central Government has to ensure fair and equitable treatment to all service personnel affected by the integration of States.

(b) Out of 868 representations received from concerned employees, orders were passed on 755 by 15th September, 1964.

Integration of Services

1590. { Dr. Malkote:
Shri Heda:
Shri Hanmanth Rao:
Shri Gulshan:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have received a copy of the judgment of the Andhra Pradesh High Court in W.P. No. 1187 of 1962, concerning integration of services and equation of posts among gazetted engineering personnel;

(b) whether Government have also received representations from the adversely affected engineers from Telengana region; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathl):

(a) Yes, Sir.

(b) Some representations were received.

(c) The representations and a copy of the judgment of the High Court were forwarded to the Central Advisory Committee for consideration and advice. Final orders will be passed on receipt of the recommendations of the Committee.

Non-Gazetted Engineering Personnel of Ex-Hyderabad State

1591. { Shri Heda:
Dr. Melkote:
Shri Hanmanth Rao:
Shri Gulshan:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether a Common Gradation list of non-gazetted engineering personnel of the ex-Hyderabad State and Andhra Region was not prepared by the Andhra Government under the provisions of the State Reorganisation Act, till 1963;

(b) whether the said list was not published till April, 1964 and *ad hoc* promotions were given to engineering personnel without considering their *inter se* position in that list;

(c) whether the Andhra Government have not yet revised the *ad hoc* promotions made in the cadre of engineering personnel prior to the publication of the said list; and

(d) if so, the action the Central Government propose to take in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):
 (a) The list was prepared in April, 1963.

(b) The provisional common graduation list was published in April, 1964 and promotions were provisionally made region-wise in the meanwhile.

(c) and (d). The promotions made, which are provisional, are to be reviewed on the basis of the orders which the Government of India may pass, in consultation with the State Advisory Committee after receipt of representations from the employees against the provisional graduation list.

Retirement Age of Delhi School Teachers

1592. Shri Kajrolkar: Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2400 on the 22nd April, 1964 and state:

(a) whether it is a fact that the age of retirement of the teachers in Delhi University is 63 years;

(b) whether it is also a fact that a representation has been received from the Rajdhani Shikshak Sangh, Delhi State, demanding enhancement of the retirement age of teachers of private schools in Delhi from 60 to 63 years; and

(c) if so, the action taken thereon?

The Minister of Education (Shri M. C. Chaglia): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. Such representations have been received from others also.

(c) The matter is under consideration.

Theft of Central Government Employees Consumer Co-operative Store Truck

1593. { Shri P. R. Chakraverti:
 Shri P. C. Borooah:
 Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a truck belonging to the Central Government Employees Consumer Co-operative Store run under the auspices of his Ministry has been missing since the fourth week of August, 1964;

(b) if so, the circumstances in which the truck was lost;

(c) the cost of the truck; and

(d) the steps taken to trace it?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Yes, Sir. The truck was parked in front of the Raisina Road Store, as usual, and was stolen on the night of the 23rd August, 1964.

(c) The cost of the truck is Rs. 41,221; and it is insured for its full value.

(d) The matter was immediately reported to the police who are investigating.

Correspondence Course

1594. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Education be pleased to state:

- (a) whether any scheme of correspondence course in Post-Graduate studies is to be introduced;
- (b) if so, when; and
- (c) in which Universities?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) At present there is no proposal to introduce post-graduate courses by correspondence.

(b) and (c). Do not arise.

राज्यपाल

1595. श्री सिद्धेश्वर प्रसाव : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्तमान राज्यपालों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और कितनी-कितनी प्रवधि के लिये है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : दो राज्यपालों को उनके कार्यकाल की प्रवधि की समाप्ति के पश्चात् तब तक अपने पदों पर बने रहने के लिये कहा गया है जब तक कि उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किये जाएं ।

Corruption Cases in Kerala

**1596. { Shri A. V. Raghavan:
Shri Pottekkatt:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of corruption cases pending before the Government of Kerala for the past four years; and

(b) the steps taken to expedite the disposal of cases pending for long?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) The number of cases relating to the period from 1960 to 1963 is 184, of which 113 are petitions.

(b) In order to expedite the investigation of corruption cases, all ranks of the X-Branch of the Police from

the Deputy Superintendent of Police downwards have been strengthened. That Branch of the Police is headed by a Superintendent of Police who is assisted by Deputy Superintendents of Police at the district level.

An Enquiry Commissioner and Special Judge, who is vested with power to compel attendance of witnesses and production of evidence, has also been appointed to deal with disciplinary and criminal cases charged under the Prevention of Corruption Act.

Reorganisation of Education Department, Kerala

**1597. { Shri A. V. Raghavan:
Shri Pottekkatt:**

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the special officer appointed to reorganise the education department in Kerala has submitted his report; and

(b) if so, whether his recommendations have been implemented?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The Kerala Government has informed the Ministry that he has submitted an interim and a final report.

(b) The Government of Kerala have already passed orders accepting some of the recommendations contained in the report. Some other recommendations have been accepted in principle and are proposed to be included in the Fourth Five Year Plan. The remaining items are under State Government's consideration.

वैज्ञानिक शब्दावली

1598. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में सन् 1963 एवं 1964 में वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण के लिये कितनी विशेषज्ञ-समितियों का गठन किया गया ;

(ख) वे किन-किन विषयों की थीं ;
और

(ग) उन समितियों में विषय-वार किन-किन सदस्यों को रखा गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त-
वर्षान) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल
पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में
रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०
-3289/64]

पुस्तकों की चलती-फिरती प्रदर्शनी

1599. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या
शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने
अभी हाल में एक चलती-फिरती पुस्तक
प्रदर्शनी का आयोजन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन
नगरों में ले जाया जायेगा ; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय
आयेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री
भक्त वर्षान) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Aid to Hindi Institutes

1600. Shri Hukam Chand Kachh-
vaiya: Will the Minister of Educa-
tion be pleased to state the total
amount of aid and grants given to the
various Hindi institutes along with
the names of such institutes during
1963-64?

The Deputy Minister in the Minis-
try of Education (Shri Bhakt Darshan):
A Statement is laid on the Table of
the House. [Placed in Library. See
No. LT-3290/64].

दिल्ली में कैदी

1601. श्री हुकम चन्द कछवाय :
क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे
कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सेंट्रल
जेल में अभी हाल में ही कुछ कैदियों में झगड़ा
हुआ जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति को छुरे
के काफी घाव लगे ;

(ख) यदि हां, तो मारने वाला व्यक्ति
छुरा कहाँ से लेकर आया और यह झगड़ा होने
के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसकी कोई जांच की गई है
और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम
निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री
हाथी) : (क) जी हां । घाव छुरे से नहीं लगे
थे ।

(ख) तीन कैदी जो आपस में 3-9"
1964 को झगड़े दो ऐसे दलों के थे कि
जिनमें पुरानी शत्रुता चली आ रही थी ।

झगड़े में छुरा नहीं बल्कि लोहे का एक
पांच इंच लम्बा टुकड़ा जो दोनों किनारों पर
तेज किया गया था और जिसके एक सिरे पर
कपड़ा बांधा गया था, प्रयोग में लाया गया
था । जेल में जहाँ बहुत से उद्योग हैं, ऐसे लोहे
के टुकड़े को पाना कोई कठिन नहीं है ।

(ग) इस मामले का प्रतिवेदन उसी
दिन पुलिस को कर दिया गया था । आई०
पी० सी० की 307 धारा के अधीन, जिसका
पठन 34 धारा के साथ किया जाय, एक दाद

का निबन्ध कर दिया गया है तथा आक्रमण शस्त्र भी प्रत्यादत्त हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Housing Plots in Delhi

1602. Shri Mohan Nayak: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the Delhi Development Authority is selling developed housing plots to those in the Middle and low income groups on lot basis;

(b) whether it is a fact that 15 per cent of plots are reserved for the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities; and

(c) if so, the method of draw of reserved plots for each such community?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) The Delhi Development Authority has been selling residential developed plots by draw of lots to individuals in the low-income group only, that is, to those whose annual income does not exceed Rs. 6,000.

(b) Yes Sir. Out of the plots referred to at (a) above only.

(c) A separate draw of lots is first held in respect of applications received from those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if the number of applicants is more than the number of plots reserved. Those who fail to get a plot in the reserved quota, are included in the general draw of lots where they take their chance along with other applicants. In case, however, the number of applications received from Scheduled Castes and Scheduled Tribes is less than the number of plots reserved for them, all the Scheduled Cast and Scheduled Tribe applicants get a plot and the lots are drawn only to determine the specific plot to be allotted to each applicant.

1294(Ai)LSD—4.

Das Commission Report

1603. { Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Yashpal Singh:
Shri Buta Singh:
Shri H. N. Mukerjee:
Shri Ranga:
Shri Alvares:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 63 on the 9th September, 1964 regarding Das Commission Report and state:

(a) whether the report of the Special Officer has been received; and

(b) if so, the action taken or being taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). The Officer on Special Duty has submitted his report in some cases to the Chief Minister of Punjab and it is understood, that necessary action is being taken by the Government of Punjab.

C.S.S. Grade I

1604. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 47 on the 27th May, 1964 and state:

(a) whether it is a fact that 45 posts of and above the rank of Deputy Secretary provided for the members of the C.S.S. were sanctioned in 1955 and no increase has been made in this number in spite of huge expansion in the set-up of Central Secretariat; and

(b) if so, what action Government propose to take to review the strength of selection grade of the C.S.S. taking into consideration (i) the expansion in the Central Secretariat and (ii) the fact that all organised services have a large number of permanent posts in the Junior and Senior Administrative Grades?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N.

Mishra): (a) 45 permanent posts have been provided for in the Selection Grade of the C.S.S. and there has been no increase since 1955.

(b) Though figures for 1955 are not easily available, the number of Deputy Secretaries in 1958 was 207 while the figure now is 219. It cannot be said that there has been huge expansion at that level. As for the number of permanent posts in each Service, it depends on the administrative needs for which each Service is drawn upon.

University for North-East India

1605. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the Committee jointly set up by the Ministry of Education and the University Grants Commission to examine the question of setting up a University for the north-eastern region of India has recommended the establishment of a federal type of university near Shillong;

(b) whether the recommendation has been considered; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The recommendations of the Committee are under consideration.

Oil Refinery at Tuticorin

1606. Shri Muthiah: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to set up an oil refinery at Tuticorin in Madras State; and

(b) whether there are any prospects of foreign assistance in this matter?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Fertiliser Plant, Tuticorin

1607. Shri Muthiah: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government have any intention of setting up a fertiliser plant in the public sector at Tuticorin in Madras State in view of the surrender of licence by Messrs Kothari and Sons;

(b) whether the plant would be set up in the Third Plan; and

(c) if not, whether the scheme would be included in the Fourth Plan?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) to (c). A feasibility study for production and distribution of 1 million tonnes of nitrogen has been undertaken by a group of American Consortium, for completion by the end of December, 1964. Madras vis a vis other locations will be considered. The position will be clear only after receipt of their report.

Forensic Laboratory at Delhi

1608. Shri Brij Raj Singh-Kotah: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a forensic laboratory is being set up at Delhi; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) The proposed laboratory will have biological, physical and chemical sections and will be under a qualified director.

Composite Wakf Property

1611. Shri Lahri Singh: Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:

(a) the total value of composite Wakf property transferred so far by

the Custodians of Evacuee Property in the country; and

(b) whether the evacuee shares of these properties would be resumed and their rents realised as before and credited to the Fund collected for this purpose?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) and (b). It is presumed that this question relates to wakf-alal-aulad properties. These properties also vested in the Custodian. These wakfs are primarily meant for the benefit of the descendants of the wakf but they also contain a provision for charity and are ultimately dedicated to God. These properties cannot be acquired under the Compensation Act because they involve interests of charity and non-evacuee beneficiaries. It was, therefore, decided to reinquish the evacuee beneficiaries interest in such properties in favour of non-evacuee beneficiaries. As no separate records have been maintained for these properties, it is not possible to supply information in regard to the total value of wakf properties transferred so far by the Custodian. Moreover, the collection of this information will not be commensurate with the time and labour involved.

Central Zonal Council Meeting

1612. **Shri P. Venkatasubbaiah:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the Central Zonal Council met in Bhopal recently;

(b) if so, the main issues discussed;

(c) whether rationalisation of borders between the States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh has been discussed; and

(d) the decision arrived at?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a). Yes.

(b) A list of the items discussed in the Seventh meeting of the Central

Zonal Council which was held at Bhopal on the 19th September, 1964, is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-3291/64].

(c) Yes.

(d) A copy of the proceedings embodying the decisions taken by the Council will be placed in the Parliament Library as soon as they are finalised.

नेशनल बुक ट्रस्ट में सम्पादक

1613. { श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकमचन्द कछराय :
श्री सोलंकी :
श्री बृजराज सिंह :
श्री राजाराम :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री यु० सि० चौधरी :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री वाडिया :
श्री गोरी शंकर कक्कड़ :
श्री काशी राम गुप्त .:
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशबीर शास्त्री :
डा० ब० ना० सिंह :
श्री दे० जी० नायक :
श्री बागड़ी :
श्री प० ह० भील :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बुक ट्रस्ट में सम्पादक का पद बदल कर प्रोडक्शन मैनेजर का पद बनाया गया और वर्ष 1962 के अन्त में 720—1000 रुपये के वेतन स्तर में सम्पादक का नया पद बनाया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभापति, श्री केसकर ने श्री सुरेश चन्द्र अस्थाना को इस पद पर नियुक्त किया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री अस्थाना ने अप्रैल, 1963 में उस पद से त्याग पत्र दे दिया था और, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि श्री अस्थाना नेशनल बुक ट्रस्ट में 7 जून, 1963 को सम्पादक के रूप में 750 रुपये मासिक पर पुनः नियुक्त किये गये ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त न करने और इसे श्री अस्थाना के लिए खाली रखने के क्या कारण थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चारला) :
(क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी हाँ । श्री अस्थाना के त्याग पत्र के अन्तर्गत उन्होंने केवल व्यक्तिगत कारणवश इस्तीफा दिया ।

(घ) जी हाँ ।

(ङ) श्री अस्थाना ने 25 अप्रैल 1963 को इस्तीफा दिया था और उन्हें उस पद पर 7 जून, 1963 को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त किया गया । किन्तु अन्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने के लिए बॉच का समय बहुत कम था । फिर भी, इस बॉच पद को विज्ञापित किया गया था और इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चुनाव समिति को सिफारिश पर पद को जुलाई, 1963 में खम्बां अवधि के लिए भर लिया गया ।

Punjab Regional Formula

1614. Shri Kapur Singh: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the Punjab Government have recently issued direction that even at the district level Punjabi need not be deemed and treated as the exclusive official language of administration in the Punjabi Region; and

(b) if so, how far these directions are consistent with the Regional Formula?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No.

(b) Does not arise.

Travel in Kashmir of Director of Information West Pakistan

1615. Shri Hari Vishnu Kamath: Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri Aga Ashraf, the Director of Information, West Pakistan, travelled extensively in Jammu & Kashmir recently; and

(b) if so, the reasons for permitting him to do so?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, S r.

(b) Does not arise.

Refusal of permission to sue Health Minister

1616. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the report published in the newspapers of 16th September, 1964 to the effect that permission to sue the Minister of Health was refused to the President of the New Delhi Municipal Committee, is correct;

(b) if so, on what ground the permission was refused; and

(c) what were the allegations which the President of the Committee wanted to refute?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). Shri Gajraj Singh, an officer of the Indian Administrative Service and President of the New Delhi Municipal Committee sought permission of the Government under Rule 16 of the All India Services (Conduct) Rules, 1954, to have recourse to legal remedies in regard to certain remarks alleged to have been made by the Health Minister at a meeting. Shri Gajraj Singh was advised not to press this matter and he has agreed.

I. O. C. Petrol Pumps

1616-A. { Shri D. D. Puri:
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state the criterion followed by the Indian Oil Corporation in the matter of allotment of petrol pumps to private parties in Delhi and New Delhi?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): The general criteria observed in regard to selection of petrol pump dealers are financial soundness, commercial contacts and ability to promote sales.

स्वर्गीय प्रधान मंत्री का निवास स्थान

1616.—B श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री 14 सितम्बर, 1964 के तात्कालिक प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री नेहरू के निवास स्थान का कुल क्षेत्रफल क्या है और भूमि की बाजार दर से क्या कीमत है ;

(ख) इसमें से कितनी भूमि पर इमारत बनी है, इसके निर्माण पर कितना धन व्यय

हुआ था और इसकी अब बाजार दर से क्या कीमत है ;

(ग) क्या इसे स्वर्गीय श्री नेहरू का स्मारक बनाने के लिए सरकार इस इमारत का विस्तार करने की कोई योजना बना रही है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) भूमि का कुल क्षेत्रफल और बही-मूल्य क्रमशः 44.74 एकड़ और 39,660.00 रुपये है। भूमि का बाजार-मूल्य नहीं आंका गया है।

(ख) जिस भूमि पर इमारत बनी है उसका क्षेत्रफल और बही-मूल्य के अनुसार उसकी लागत क्रमशः 25,009 वर्ग फुट और 4,42,315.00 रुपये है। बाजार-मूल्य नहीं आंका गया है।

(ग) इमारत का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा इस समय कोई योजना तैयार नहीं की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 hrs.

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker: I have to inform the House of the sad demise of Shri N. Sivaraj who passed away at New Delhi on the 29th September, 1964 at the age of 72.

He was a Member of the Central Legislative Assembly during the years 1937 to 1947 and of the Second Lok Sabha during the years 1957 to 1962.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure that the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may stand in silence for a shortwhile to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a shortwhile.

12.02 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ORDINANCES PROMULGATED BY THE
GOVERNOR OF KERALA

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): Sir, on behalf of Shri Hathi, I beg to lay on the Table, under article 213(2) (a) of the Constitution read with clause(c) (iv) of the Proclamation dated the 10th September, 1964, issued by the President in relation to the State of Kerala, a copy each of the following Ordinances promulgated by the Governor of Kerala:—

- (i) The Abkari Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 1964 (Kerala Ordinance No. 2 of 1964 promulgated on the 14th May, 1964. [Placed in Library. See No. LT-3280/64].
- (ii) The Revenue Recovery Laws (Amendment) Ordinance, 1964 (Kerala Ordinance No. 3 of 1964) promulgated on the 6th June, 1964. [Placed in Library. See No. LT-3281/64].

REPLIES TO THE RECOMMENDATIONS OF
THE ESTIMATES COMMITTEE CON-
TAINED IN CHAPTER V OF ACTION
TAKEN REPORTS

Shri A. C. Guha (Barasat): Sir, I beg to lay on the Table the following four statements showing replies to the recommendations of the Estimates Committee contained in Chapter V of Action Taken Report which were not furnished by Government in time for inclusion in the relevant Reports:

- (1) Statement showing the replies to the recommendations noted in Chapter V of the 39th Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha). [Placed in Library. See No. LT-3282/64].

(ii) Statement showing the replies to the recommendation noted in the Chapter V of the 38th Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha). [Placed in Library. See No. LT-3283/64].

(iii) Statement showing the replies to the recommendations noted in Chapter V of the 61st Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha). [Placed in Library. See No. LT-3284/64].

(iv) Statement showing the replies to the recommendations noted in Chapter V of the 57th Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha). [Placed in Library. See No. LT-3285/64].

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:—

1. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 28th September, 1964, agreed without any amendment to the Wakf (Amendment) Bill, 1964, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th May, 1964."

2. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 28th September, 1964, agreed without any amendment to the Companies (Amendment) Bill, 1964, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st September, 1964."

3. "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Legal Tender (Inscribed Notes) Bill, 1964, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 1964, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

diploma-holders will, however, be subject to adjustments according to local conditions at each Institute.

STATEMENT RE. ALLEGED ILL-TREATMENT OF A MEMBER

Mr. Speaker: I find that Shri Nath Pai is not here. He had been enquiring of me for the last two days about a particular case. Now that the Home Minister is making a statement.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Is it on the Calling Attention Notice?

Mr. Speaker: It would be seen when the statement is made.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): Mr. Speaker, immediately on receipt of calling attention notices and short notice questions tabled by some hon. Members on the reported ill-treatment and manhandling of Shri Priya Gupta, a Member of Parliament, while in detention in Purnea jail, the State Government was requested to furnish a report for the information of Parliament. A reply has now been received from the State Government denying that Shri Gupta was ever ill-treated or manhandled in Purnea jail. No complaint was also made to the District Magistrate in this regard. In fact the District Magistrate visited the jail on September 22, 1964, accompanied by the Additional District Magistrate and the Civil Surgeon, Purnea and enquired from Shri Gupta whether he was comfortable and was being properly looked after. Shri Gupta is said to have replied in the affirmative and does not seem to have complained of any ill-treatment.

Shri Hem Barua (Gauhati): There is a serious complaint that Shri Priya Gupta was transferred from the Purnea jail to another jail without the requisite permission. When he had been to the other jail, the authorities of that jail refused to accept

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-NINTH REPORT

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): Sir, I beg to present the Forty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 1240

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): While replying to a supplementary question, asked by Shri Basappa, the Minister of Education stated as below:—

"As regards the Central Institutes, as far as I know, the scheme is that we admit 100 candidates for graduate studies and 25 for diploma courses. As far as I know, they have all got to be graduates".

The correct position is that according to the draft Scheme each Regional Institute will admit about 100 candidates per year of whom 25 will be graduates and 75 diploma-holders. The proportion of graduates and

[Shri Hem Barua.]

Shri Priya Gupta and he was shunted back to the Purnea jail again. But the Purnea jail authorities would not accept him and there was a lot of trouble. He had to stand for quite some time under a tree when the sun was very bright and very hot. These were the difficulties that he had to face. May I know whether Government would enquire into it?

Mr. Speaker: He had the advantage of being out of the jail for such a long time!

Shri Hem Barua: The authorities bungled with the result that he was shuttlecocking between these two jails.

Shri L. N. Mishra: Transferring a prisoner from one jail to another is a normal thing.

Mr. Speaker: But it is not a usual transfer in this case. He was sent to another jail but the jail authorities there would not accept him. I do not know whether the fault lies with Shri Priya Gupta or the jail authorities.

Shri Hem Barua: With the jail authorities.

Mr. Speaker: Anyhow, when he was sent back to the original jail, they also did not accept him. Therefore, he had to establish a camp under a tree.

Shri Hem Barua: There was no camp.

Shri L. N. Mishra: No such thing has happened. He was arrested at Katihar where there is a small sub-jail. Subsequently, he was transferred to Purnea where there is a district jail.

Shri S. M. Banerjee: What was the machinery which enquired into the allegation that Shri Priya Gupta was ill-treated? Did the Minister simply rely on the statement sent by the District Magistrate to the State Gov-

ernment or did he employ the agency of the Central Government to know whether Shri Priya Gupta gave any written statement when he was approached by the district authorities?

Shri L. N. Mishra: We have received no complaint from Shri Priya Gupta. We have received this information from the State Government which is our agency, an accredited agency, a respectable agency I may say.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): The information that I have in my possession from a reliable source in Bihar is to the effect. . .

An Hon. Member: Which is that source?

Shri Hari Vishnu Kamath: I will tell you outside the House; come and meet me outside, in the lobby.

My information is that my party and parliamentary colleague, Shri Priya Gupta, was ill-treated soon after his arrest and while he was transferred from one jail to another. Sir, you will recall, here in this very House, when a reference was made that my parliamentary colleague, Shri Hukam Chand Kachhavaia, was ill-treated inside the jail you were good enough to agree with the Members that a committee of enquiry should be appointed, a proper independent and thorough enquiry should be held into the matter. May I ask the hon. Minister whether Government are prepared to hold a thorough, independent and impartial enquiry into this disgraceful affair?

Mr. Speaker: There was no independent enquiry held even in Shri Kachhavaia's case. Shri Kachhavaia gave us the complaint and we sent it on to the State Government. They made their own enquiry and submitted to us a report. But Shri Kachhavaia says that it is wrong and I am going to allow him to file a

statement on that. But that is the only agency that the Central Government has got. They cannot put up an enquiry committee over the State Government.

Shri Hari Vishnu Kamath: Let them have an enquiry like that.

Mr. Speaker: It was just the same enquiry that was made.

Shri Hari Vishnu Kamath: By whom?

Mr. Speaker: If they have something concrete in their possession, they can pass that on to me, that is, definite facts. Then, I can certainly pass that on to the Home Ministry so that they may find out those facts.

Shri Hari Vishnu Kamath: All right, Sir.

श्री बागड़ी (हिसार) : इसी के बारे में मैं एक निवेदन अध्यक्ष महोदय से करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझ से ही कहना है तो हम अलाहदा चैम्बर में बात कर लेंगे ।

श्री बागड़ी : मैं अध्यक्ष महोदय से ही निवेदन करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर हम लोग अलग बात कर लेंगे ।

श्री बागड़ी : नहीं वहाँ नहीं, इसी सदन में मैं कहना चाहता हूँ । मैं यह निवेदन करूंगा कि असल में इस सदन के मेम्बरों की गिरफ्तारी का जो ताल्लुक होता है वह राज्य सरकारों से और वहाँ की पुलिस से होता है । लेकिन इस तरह से बार बार यहाँ के माननीय सदस्यों की मानहानि व्यक्ति की नहीं, बल्कि सदन की मानहानि है । इस तरीके से जो खास चीजें हैं, फर्ज कीजिये कि उन को एक

जगह गिरफ्तार किया और फिर दूसरी जगह . . .

अध्यक्ष महोदय : यह चीज बाद में ली जा सकता है । इस वक्त इस का फाला नहीं हो सकता, यह एक अलाहदा बात है ।

श्री बागड़ी : मैं श्री प्रिय गुप्त के बारे में प्रर्ज करना चाहता हूँ कि उन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया गया । इस सम्बन्ध में क्या गवर्नमेंट ने यह दर्याफ्त किया है कि जो सहूलियात एक माननीय सदस्य को मिलनी चाहियें, उन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में जो सुविधायें दी जानी चाहियें, वह दी गई या नहीं । आया उन को पैदल चला कर ले गये या रिक्शा में और अगर उन को रेल में ले गये तो किस क्लास में ले गये, यह क्या मालूम किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त यह शिकायत नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सवाल अलग है ।

12.13 hrs.

PRESS COUNCIL BILL—Contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri C. R. Pattabhi Raman on the 29th September, 1964, namely:—

“That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to establish a Press Council for the purpose of preserving the liberty of the Press and of maintaining and improving the standards of newspapers in India.

[Mr. Speaker.]

made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 15th September, 1964, and communicated to this House on the 17th September, 1964, and resolves that the following 30 Members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:—Shri Peter Alvares, Shri C. K. Bhattacharya, Shri N. C. Chatterjee, Shri Tridib Kumar Chaudhuri, Shri Yudhvīr Singh Chaudhary, Shri C. Dass, Shri L. Elayaperumal, Shri Ansar Harvani, Shri T. D. Kamble, Shri Cherian J. Kappen, Sardar Kapur Singh, Shri M. K. Kumaran, Shri Nihar Ranjan Laskar, Shri Shiv Charan Mathur, Shri Mathura Prasad Mishra, Shrimati Sharda Mukerjee, Shri Mohan Nayak, Shri Man Sinh P. Patel, Shri Kishen Pattanayak, Shri Shivram Rango Rane, Shri Sadhu Ram, Shri Sham Lal Saraf, Pandit K. C. Sharma, Shri Shashi Ranjan, Shri Vidya Charan Shukla, Dr. L. M. Singhvi, Shri Tula Ram, Shri S. Veerabasappa, Shri Virbhadra Singh, and Shri C. R. Pattabhi Raman.”

Shri Bade may continue his speech.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): How much time is there?

Mr. Speaker: Time was not allotted, but 1 hour and 15 minutes have already been taken. What is the pleasure of the House? Shall we have three hours?

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Five hours.

Shri Bade (Khargone): It is an important Bill. Let us have five hours.

Mr. Speaker: We are taking up the flood situation at 3 o'clock. So, we should try to finish it by 3 o'clock. I will see when we proceed with it. Shri Bade.

Shri S. M. Banerjee: I do not want to ask for more time, but I want to say that we are having a discussion today, another discussion tomorrow and there is the Industrial Disputes (Amendment) Bill which also is important. I hope, it will not be pushed out.

Shri Hari Vishnu Kamath: May I, by your leave, suggest a *via media*? This discussion may go on till 3.30 then the flood situation for 2 hours up to 5.30 and the half-an-hour discussion from 5.30 to 6 o'clock, if the House agrees to sit till 6 o'clock.

Mr. Speaker: If the House agrees, I will have no objection.

अध्यक्ष महोदय : अब चाहिये तो यह कि हम इस पर टाइम लिमिट मुकर्रर कर रहे बोलने के लिये और जिस जिस बात को रिफरेंस यहां किया जाये, जो जो प्वाइंट्स माननीय सदस्य लेना चाहें उन को वे योइ में कह दें ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, आप ने जो सुझाव दिया है मैं उसी प्रकार बोलूंगा । कल मैं ने इस बिल के सम्बन्ध में कहा था कि जब प्रेस कौंसिल बिल ज्वायेंट कमेटी में जा रहा है तो ज्वायेंट कमेटी को एक प्वाइंट पर जरूर विचार करना चाहिये और वह प्वायेंट यह है कि इस बिलमें जहां जहां गवर्नमेंट के हस्तक्षेप की बात आती है उस को वहां से हटा देना चाहिये । जैसे इस में दिया गया है कि सेंट्रल कौंसिल शासन नियुक्त करेगा, 13 सदस्य शासन नियुक्त करेगा, दो पार्लियामेंट के सदस्य स्पीकर साहब नामिनेट करेंगे, स्टाफ आफ दि कौंसिल शासन के अधीन होगा ।

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर का नाम कहां से आ गया ।

श्री बड़े : जो दो पार्लियामेंट के सदस्य होंगे उन को स्पीकर साहब नामिनेट करेंगे ।

इस सम्बन्ध में मेरा तो यह कहना है कि स्पीकर साहब सुझाव दे कि जिस प्रकार मेडिकल कौंसिल या दूसरी कौंसिलों में एलेक्शन होता है उसी प्रकार से प्रेस कौंसिल के पार्लियामेंट के सदस्यों का भी एलेक्शन होना चाहिये न कि यह कि स्पीकर साहब नामिनेट कर दें ।

दूसरी बात यह है कि पेमेन्ट इन कौंसिल शासन करेगा । सेन्सर करने के बाद भी, 13 क्लाज में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्न-मेंट को रिपोर्ट करना होगा । इस प्रकार से शुरू से आखीर तक इस में शासन का हस्तक्षेप है । मेरी विनती है कि प्रेस शासन से जितना दूर रहेगा उतना ही अच्छा है क्योंकि मैं ने देखा है कि जहां पर भ. शासन का हाथ आता है वहां जिस पार्टी के हाथ में शासन रहता है उस का उस पर प्रभाव होता है । मैं समझता हूं कि अगर फ्री प्रेस यहां पर करना है तो उस में शासन का जितना कम हस्तक्षेप हो उतना अच्छा है । इस लिये इस पर ज्वार्येंट सेलेक्ट कमेटी को विचार करना चाहिये ।

मैं ने अभी मुना कि बेंनेट कोलमैन कम्पनी पर विविधन बोस कमिशन की रिपोर्ट आ जाने से शासन उस पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने जा रही है । मैं तो कहता हूं कि जिस ने गुनाह किया है उस को सजा देनी चाहिये । लेकिन टाइम्स आफ इंडिया के जितने पेपर्स चलते हैं उस में शासन का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है ।

इस के बाद मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में लिखा है :

"The Chairman shall be the person nominated by the Chief Justice of India."

इस पर मुझे आपत्ति है । इस में चीफ जस्टिस को इन्क्लूड करना कि चीफ जस्टिस नामिनेट करेगा, यह गलत है । उस के नामिनेशन पर पार्लियामेंट के अन्दर या बाहर अखबारों में अगर उस के खिलाफ कोई

क्रिटिसिज्म होगा तो वह कंटेंट ग्राफ कोर्ट हो जायेगा । हम यहां चीफ जस्टिस के बारे में बात नहीं कर सकते ।

The Chairman shall be the person nominated by the Chief Justice of India.

यहां पर यह नहीं कहा गया है कि चेयरमैन बिल बी एन्वेटेड फ्राम बि कौंसिल । इस प्रकार का प्राविजन इस में होना चाहिये और ज्वार्येंट कमेटी को इस पर भी विचार करना चाहिये ।

इस में एक क्लाज फंक्शन्स के बारे में है । उस में है कि :

"The Council may in furtherance of its objects, perform the following functions, namely:—

(a) to help newspapers to maintain their independence;"

मैं कहता हूं कि फिलहाल "टु मेनटें इन्डे-पेन्डेंस" के बारे में ज्वार्येंट कमेटी विचार करे ।

Annual report for 1963 of the Registrar of Newspaper for India reveals continuation of the monopolistic trend in the newspaper industry.

इस में उन्होंने लिखा हुआ है :

"A study has been made for the first time to assess the monopolistic position of different papers. This study revealed that six daily papers owned by big business enjoyed a monopolistic position in their respective languages or regions."

Further, it says:

"Nine such common owners between them published 48 dailies and commanded a total circulation of 23.35 lakhs or 41 per cent of the total circulation of all dailies in the country."

[श्री बड़े]

Regarding the ownership pattern, it says:

"There were 139 papers (2.9 per cent) owned by the Central Government and 90 papers (1.9 per cent) owned by the State Governments. Political parties owned 45 papers or 1 per cent of the total number of papers. The report revealed that the Congress Party owned the largest number of papers, namely, 29, followed by the Communist Party of India which had 25 papers. The Praja Socialist Party came next with nine papers. From the point of view of circulation, however, the Communist Party of India had the lead with a circulation of 82,920."

इस प्रकार की जो मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी चल रही है उस पर भी ज्वॉयंट कमेटी को विचार करना चाहिये कि अगर इस तरह से एक ही पार्टी के पेपर चलेंगे तो उसे न्यूज़प्रिंट का कितना कोटा देना चाहिये। यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वह चाहता है कि उस के हाथ में प्रेस रहे, कोई पंजीपति है तो वह भी चाहता है कि उस के हाथ में प्रेस रहे। पहले यह होता था कि अगर किसी देवता का चित्र निकालना होता था तो उस के हाथ में खड्ग, त्रिशूल और चक्र दिया जाता था लेकिन अगर आज किसी देवता का चित्र निकालना हो तो शायद उस के हाथ में न्यूज़पेपर देना चाहिये क्योंकि उस का इतना प्रभाव जनता पर पड़ता है। आज तो हालत यह है कि अगर किसी अखबार का नाम हो "डेली मेल" और उस का नाम "डेली हिस्टीरिया" रख दिया जाये तो भी हर्ज नहीं है। इस प्रकार से जो जो लोग अपने अपने तरीके पर न्यूज़पेपर को छापते हैं उस पर भी ज्वॉयंट कमेटी को ध्यान देना चाहिये। अभी मैं ने देखा कि जो तीन अखबार "ब्लिट्ज़", "लिक और पैट्रियाट" हैं वे भी अपने अपने अनुसार न्यूज़ छापते

हैं। दूसरी तरह के जो अखबार निकलते हैं उन को कम्युनिस्ट लोग जूट प्रेस कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि वह जूट प्रेस हैं तो यह जो अखबार निकलते हैं उन को मैं झूठ प्रेस कह सकता हूँ क्योंकि वे झूठी न्यूज़ देते हैं। मैंने देखा है कि हर न्यूज़पेपर पर जो उन के एडिटर्स या प्रोप्रायटर्स होते हैं उन की मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी चलती है। उन का उस पर प्रभाव रहता है और वे जिस प्रकार चाहते हैं उन को चलाते हैं। अभी हम ने देखा कि यहां पर डीविजन फ्रॉम नेहरू पालिसी के ऊपर इतना हंगामा मचा। धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ भी कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। इस का इतना हो हल्ला मचा दिया है कि मालूम पड़ता है कि शासन, कांग्रेस पार्टी और जो शासन के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वह सब प्रेजुडिस्ड हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि पहले भी कम्युनिस्ट लोग कांग्रेस के साथ थे और अब भी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक कांग्रेस में हैं। मैंने देखा है कि जितने कांग्रेस पार्टी के फेवरिट पेपर रहते हैं उन में महत्वपूर्ण न्यूज़ दी जाती है। जैसे आप देखें कि नेहरूज विल केवल ब्लिट्ज़ में छपी। दूसरे अखबारों में नहीं आई। इस प्रकार से फेवरिटिज्म होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शासन का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। शासन को यह देखना चाहिये कि प्रेस जितना फ्री हो उतना ही अच्छा है।

इस के बाद वह क्लॉज 12 (2) जी 0 में कहते हैं :

"to provide facilities for the proper education and training of persons in the profession of journalism and to assist persons so trained to get themselves absorbed in the profession;"

इस के बारे में प्रेस में काफी टीका हुई है। प्रेस काउंसिल की यह ड्यूटी नहीं है कि

वह कोई अपनी शिक्षा संस्था कायम करे। यह काम प्रेस काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है।

भागों फिर लिखा है :

"to promote a proper functional relationship among all classes of persons engaged in the production or publication of newspapers;"

इस के बारे में वकिंग जर्नलिस्ट में लिखा है :

"The only way of improving the quality of individual journals is to offer them incentive through openings to promotion on the basis of experience and merit...."

The journalistic operations of a newspaper must be free from the interference or influence of managerial functionaries, and there must be a well-defined principle for recruitment, appointment and promotion of the journalists, from the editor down to the proof-readers and part-time correspondents. Nothing can be more detrimental to the quality of a newspaper than directives from the advertisement manager's desk or from the administration office as to what should appear in the paper or how a news story should be written or in what manner an event should be interpreted. Everything that goes into a newspaper as news or views or interpretation thereof must be tested by the standard of journalistic etiquette. The journalists must be free to act as a team to determine news and editorial contents of the paper."

यह जो फ्रीडम प्रेस की बात कही जाती है तो इस में यह भी देखना चाहिए कि दर असल पेपर किस तरह चलते हैं। इन को बंधा नहीं पढ़ते हैं। इन में इस प्रकार की बरें छापी जाती हैं, जैसे "कीलर एंड प्रोफ्यूमा इन बाम्बे", या "कीलर एंड

प्रोफ्यूमा इन कैलकटा"। इन में इस प्रकार के भड़काने वाले समाचार छापे जाते हैं। अगर प्रेस फ्री रहना चाहता है तो उसमें अच्छी बातें लानी चाहियें। इस बारे में कोई ब्यवस्था होनी चाहिये। टेंगोर ने कहा है :

"Where the mind is without fear and the heads is held high, Where knowledge is free.... Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake."

मैं गोर के शब्दों में कहना चाहता हूँ :

"Into that heaven of freedom, my Government, let the press awake."

श्री प्र० न० विद्यालंकार (होशियारपुर) : देश में सन् 1954 से इस बात की चर्चा थी कि इस प्रकार का बिल सदन के सामने लाया जाय। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कारण हुआ कि इतने अरसे तक इस प्रकार का कोई विधेयक इस सदन में नहीं लाया जा सका और हमें इतनी देर तक इस का इन्तिजार करना पड़ा।

ग्राम तौर पर जो बातें इस विधेयक में लिखी गयी हैं मैं उन का समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में इस में काफी सुधार की आवश्यकता है। आप इस बिल के उद्देश्यों को देखें तो उन में बहुत सारी बातें इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। इस को काफी काम्प्रिहेन्सिव बनाने की कोशिश की गयी है ताकि कम से कम उद्देश्य बताने में कोई बात छटने न पाए। बड़े बड़े उद्देश्य इस में रखे गये हैं, जैसे प्रेस की आजादी की रक्षा करना, उस को कायम रखना, प्रेस के स्टैण्डर्ड को कायम रखना, पब्लिक के टेस्ट को, सुरक्षित को, बनाना आदि। वेक्टर तीन में ये बहुत सी बड़ी बड़ी बातें इस में रखी गई हैं। लेकिन जो मंत्री इस को कार्यावली बनाने के लिये सुझायी गयी है धीर कौंसिल को जो अधिकार दिए गए हैं उन को देखने से मुझे भय मालूम होता है कि

[श्री प्र० ना० विद्यालंकार]

इतने थोड़े अधिकारों से इतनी छोटी सी मैशिनरी इन बड़े बड़े उद्देश्यों को कैसे सिद्ध कर सकेगी। अगर ये उद्देश्य पूरे न हो सकें तो व्यर्थ काफी खर्चा होगा क्योंकि यह जो काउंसिल बन जायगी इस का काफी बड़ा दफ्तर होगा और उस पर काफी खर्चा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मैशिनरी को ज्यादा मजबूत किया जाय, और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो इन उद्देश्यों को कम किया जाय, आप अपने टारजट को उतना रखें जितना बोझा आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर यह उद्देश्य रखने हैं तो काउंसिल को अधिक मजबूत बनाना होगा और उस को अधिक अधिकार देने होंगे।

इस बारे में काफी चर्चा रही है कि यह काउंसिल स्टेट्यूटरी बाडी रहे या वालंटरी बाडी रहे। इस बारे में इंग्लैंड में भी काफी चर्चा रही है। पर हमारे प्रंस कमीशन ने यह समझा कि हम को इसे स्टेट्यूटरी बाडी की शक्ति देनी चाहिये। इंग्लैंड के रायल कमीशन ने इस बारे में कहा था :

"Several of us believe that the council would not be efficient unless it were launched by a legislation and endowed with statutory powers."

यहां पर भी इस बारे में काफी चर्चा हुई है। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता मैं समझता हूँ कि यह अच्छा है कि इसको स्टेट्यूटरी बाडी बनाया गया है। लेकिन अगर आप इस को अधिकार देते हैं तो काफी रिसर्पासिबिलिटी भी दीजिए क्योंकि पावर विदाउट रिसर्पासिबिलिटी इम्मारल होती है। साथ ही अगर आप इस को रिसर्पासिबिलिटी देते हैं लेकिन पूरे अधिकार नहीं दें तो भी यह निरर्थक हो जायगी क्योंकि रिसर्पासिबिलिटी विदाउट पावर बैरन होती है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इस को और ज्यादा अधिकार देने चाहिये। जो पावर्स आपने अभी दी हैं उन से ज्यादा पावर्स देनी चाहिये। महत्त्व

सेंसर करने का या डिसएप्रोबेशन का अधिकार काफी नहीं है।

फिर यह सवाल है कि जो लोग इस के सामने पेश होंगे वे पूरी इनफारमेशन दे सकेंगे या नहीं। इस पर काफी चर्चा हुई है। प्रंस के लोग पूरी इनफारमेशन दें या न दें इस के बारे में काफी चर्चा हुई है। प्रंस वाले इस अधिकार को एक पवित्र अधिकार मानते हैं कि जिस सोर्स से उन को सूचना मिली है उस को बतला नहीं सकते। लेकिन मेरे विचार में कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर प्रंस वालों को इनफारमेशन देने के लिए कहा जाना चाहिये। कभी कभी प्रंस में काफी बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। उस हालत में अगर प्रंस कहे कि हम को अधिकार है कि उस सूचना के सोर्स न बतायें तो मेरे विचार में यह ठीक नहीं है। प्रंस को यह स्वीकार करना चाहिये कि जब कोई बड़ा सीरियस मामला हो तो उन को सब बातें बताने के लिए मजबूर किया जा सकता है इतना किया जा सकता है कि यह सूचना केवल चेयरमैन को ही दी जाय जैसाकि लेबर ट्राइब्यूनल्स में किया जाता है कि एंकाउंट्स केवल चेयरमैन को दिखला दिए जाते हैं और चेयरमैन तसल्ली कर लेता है। अगर चेयरमैन को यह सूचना प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाय तो वह देख सकता है कि जो कुछ छपा गया है उस का क्या सोर्स है और उसमें कोई असलियत है या नहीं।

इसी तरह से इस बात की भी आवश्यकता है कि जो लोग इस काम को करने वाले हैं वे शिकायत करें तो उसकी पूरी तरह जांच हो सके। हम को देखना होगा कि जो लोग जरनलिज्म का काम करते हैं उन के साथ अखबारों के मालिकों का क्या सलूक होता है। अगर उन लोगों को कोई शिकायत हो तो उस को भी देखा जाना चाहिये। जो प्रंस के कारसर्पांडेंट हैं या जो एडिटर आदि हैं उन को कभी कभी मजबूर हो जाना पड़ता है, उन को यह देखना होता है कि कपड़े

कानूनों को मानें या उस हुकम को मानें जोकि मालिक उन को देता है। इन लोगों को प्रोटेक्शन कहां से मिलेगा ? अगर हम प्रेस की आजादी चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाय। जो प्रेस के बड़े बड़े मालिक हैं वे इन लोगों को आजादी नहीं देते। जो लिखने वाले हैं उन को आजादी नहीं है, एडीटर्स को और कारस्पॉण्डेंटों को आजादी नहीं है। अगर आप अपनी राय प्रेस में देना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उस को छपा जाय। पी० टी० आई० के कार्यकर्ताओं से मेरा सीधा ताल्लुक है। मामूली लोगों की तो बात ही क्या कहनी, मैं तो यहां तक जानता हूँ कि हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधान मंत्री, जिनके एक-एक शब्द को सुनने के लिए और छापने के लिए तमाम दुनिया भर का प्रेस लालायित रहता था, हमारी प्रेस एजेंसीज उन के उन शब्दों को ब्लैक आउट कर देती थी, ऐसे उनके वक्तव्यों के अंशों को ब्लैक आउट प्रेस एजेंसियों ने किया है जिनको कि प्रेस बैरंस, प्रेस के बड़े बड़े मालिक पसन्द नहीं करते थे। जब प्रधान मंत्री तक के बारे में यह घपला किया जा सकता है और प्रधान मंत्री के किसी विचार को किसी शब्द को या किसी भाव को या वक्तव्य के किसी भाग को जिसे कि यह प्रेस बैरंस पसन्द न करते हों उस को यह प्रेस वाले दबा सकते हैं तो यह प्रेस की कौन सी आजादी है ? मैं समझता हूँ कि आज प्रेस की लिखने और अपने विचारों को बगैर किसी दबाव के आजादी के साथ प्रकट करने के मार्ग में अगर कोई बड़ा खतरा मौजूद है तो वह इन मोनोपलिस्ट्स प्रेस से है और हम देखते हैं कि हमारे देश में इन प्रेस वालों की मोनोपली बढ़ती ही जा रही है।

मैं अभी आप के सामने फीगर्स रखता हूँ जिसे आप को मालूम हो जायेगा कि कितनी मोनोपली हमारे प्रेस में चलती है और दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे यहां पर हिन्दुस्तान में सन् 1956 में

जहां 9 प्रेस चेंस होती थीं जिनमें कि 62 अखबार थे। 1957 में इन 9 चेंस में 65 अखबार हो गये। सन् 1958 में चेंस की तादाद 12 हो गयी और 81 अखबार उन के मातहत हो गये। सन् 1959 में यह चेंस 14 हो गयीं और उन के नीचे 101 अखबार हो गये। सन् 1960 में चेंस की तादाद बढ़ कर 17 हो गई और उन के नीचे अखबारों की तादाद 103 हो गयी। लगातार अखबारों की बड़ी तादाद चेंस में आती जाती है, मल्टीपिल्स में आती जाती है और उन की तादाद बढ़ती जाती है।

इसी तरीके से अगर आप देखें तो पायेंगे कि यहां पर तीन बड़े बड़े अखबार के चेंस हैं। जितने भी आप के अखबार हैं उन सब में आप मुंबई करें तो पायेंगे कि उन में 41 के करीब बड़े बड़े अखबार हैं, जोकि यह जो इंगलिश डेलीज हैं, यह किसी न किसी चेंस में मौजूद हैं उन में भी तीन चेंस सब से बड़ी मौजूद हैं अर्थात् इंडियन एक्सप्रेस—गोइनका ग्रुप, टाइम्स आफ इंडिया—बैनेट रॉड कोलमैन ग्रुप और तीसरा हिन्दुस्तान टाइम्स—टाइम्स का ग्रुप है। यह तमाम सरकुलेशन जो होता है उस का बहुत बड़ा हिस्सा, करीबन, 67 पर सेंट सरकुलेशन इन तीन चेंस के अखबारों के काबू में है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जिन का इतने बड़े सरकुलेशन पर कब्जा हो, एक मोनोपली उन्होंने अपनी बना रखी हो वह तीन बड़ी चेंस, वह प्रेस बैरंस जिस तरह से चाहते हैं अखबारों में खबरें निकलवाते हैं। वह अगर चाहते हैं कि फ़्लॉ: चीज नहीं निकलनी चाहिए और फ़्लॉ: चीज निकलनी चाहिए, फ़्लॉ: तरह की हैडिंग निकलनी चाहिए और फ़्लॉ: तरह की हैडिंग नहीं निकलनी चाहिए, फ़्लॉ: तरह से वह खबर छपनी चाहिए और फ़्लॉ: तरह से वह खबर नहीं छपनी चाहिए तो फिर प्रेस की आजादी के साथ लिखने और अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता कहां रह जा पाती है ? प्रेस का न तो एडीटर आजादी के साथ लिख सकता है

[श्री अ० ना० दिवालयकार]

श्रीर न ही संवाददाताओं को आजादी हासिल है। उन्हें तो उन प्रैस बैरंस के डिक्टेट्स पर चलना होता है। अब इस में न गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और न ही पबलिक कुछ कर सकती है क्योंकि आप ने प्रैस की आजादी के नाम पर उन को पूरी आजादी दे रखी है। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा प्रैस की यह आजादी एडीटर्स के पास नहीं, कारसर्पोरेट्स के पास नहीं, लिखने वालों के पास नहीं होती है बल्कि यह बड़े बड़े सरमायादारों के पास रहती है जोकि देश की दूसरी इंडस्ट्रीज को भी कंट्रोल करते हैं। उन प्रैस बैरंस के हाथ में प्रैस की तमाम ताकत रहती है।

इस बिल में यह लिखा गया है कि यह प्रैस काउंसिल हमारे प्रैस की आजादी को बरकरार रखे और यह जो प्रैस के अन्दर श्रेष्ठ मोनोपली की टेंडेंसी है उस को रोकने की कोशिश करे। मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या उपाय आप इस के लिए अख्तियार करेंगे लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप कोई कारगर उपाय नहीं करते हैं तो आप की डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी के अन्दर किसी जमहूरियत के अन्दर, प्रैस का बहुत बड़ा महत्व है। प्रैस के बगैर डेमोक्रेसी चल नहीं सकती है। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहे तो आप का समाजवादी समाज बन नहीं सकता है। लेकिन आज हमारा जो प्रैस है, खास तौर पर, शहरों के अन्दर, बड़े बड़े शहरों के अन्दर जो श्रेष्ठ प्रैस है उस का बहुत महत्व है और मुफस्सिल में जो प्रैस है वे उपेक्षित से हैं। इसलिए मुझे डर है कि आप जो प्रैस काउंसिल बनायेंगे, जो आप 13 मेम्बर्स लायेंगे, उन में से जो बकिंग जर्नलिस्ट्स के नाम से, एडीटर्स के नाम से, वह आम तौर पर जो मेट्रोपोलिटन प्रैस है, बड़े बड़े शहरों के अन्दर जो श्रेष्ठ प्रैस है, उन के ही एडीटर्स या उन के ही काम करने वाले उस काउंसिल के अन्दर भर लायेंगे, और देह तों में, कस्बों में या जो मुफस्सिल में प्रैस है उन के जो नुमायन्दे हैं उन को शायद उन्हें इग्नोर कर दिया

जायगा। मैं नहीं कहता कि आप उन्हें इग्नोर करेंगे लेकिन यह प्रोब्लम ऐसे चलता है कि कुछ लोग जो बड़े बड़े हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, पैसे वाले प्रैस हैं, वे अपने रिसोर्सज के जरिए और अपनी ताकत के जरिए जिस को उसमें लेना चाहेंगे उसे रखवा देंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जो मुफस्सिल प्रैस है वह इग्नोर होगा। हमें यह देखना चाहिए कि मुफस्सिल प्रैस, लॉवेज प्रैस और दूसरे जो प्रैस हैं उन्हें इस में किस तरीके से नुमायन्दगी दें और उन की ताकत को बढ़ायें।

मुझे हाल ही में प्रैस के बारे में जो एक थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है और प्रैस पबलिसिटी के सम्बन्ध में मुझे देखने का जो अवसर प्राप्त हुआ है उस के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि जो मुफस्सिल प्रैस है, हालांकि उसको वे तमाम सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, हालांकि बहुत काफ़ी ताकत उसे हम नहीं दे रहे हैं, उन के पेपर्स को ऐडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलते, उन को समाचार उताने नहीं मिलते, श्रेष्ठ प्रैस जितनी उन को सुविधायें प्राप्त नहीं हैं तो भी वे पबलिक की जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा करने को उत्सुक रहता है। वे हमारे प्लान की पबलिसिटी के बारे में अपेक्षाकृत ज्यादा एनफोरमेंशन देने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन उस को इतनी सुविधाएं और आजादी प्राप्त नहीं हैं तो मैं चिन्ता हूँ कि हमारी निगाहें सिर्फ मेट्रोपोलिटन प्रैस की तरफ न जाय बल्कि उन वनकुलर प्रैस की तरफ मुफस्सिल प्रैस की तरफ भी जाय जिन का कि काफ़ी महत्व है। काफ़ी दिक्कतें उन के सामने हैं। डिक्लरेशन देना है तो उसमें दिक्कतें होती हैं। करसर्पोरेट्स रखने होते हैं तो जो प्रान्तीय सरकारें हैं वे उन सम्वाददाताओं को एंक्रैडेशन देने को तैयार नहीं होती हैं। एंक्रैडेशन उन को नहीं मिलता है जिससे कि वे काम कर सकें। और भी अनेकों दिक्कतें हैं जिन की कि तरफ प्रैस काउंसिल को जाना चाहिए और उन के सम्बन्ध में देखना चाहिए।

आप ने इस में यह व्यवस्था रक्खी है कि जो प्रैस काँसिल का चेअरमैन होगा उसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नौमिनेट करेंगे। मुझे यह व्यवस्था कुछ बहुत अच्छी नहीं लगी। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस में घसीटना नहीं चाहिये। इस के साथ ही मैं यह भी अर्ज करूँगा कि इस में जो व्यवस्था रक्खी है कि स्पीकर पार्लियामेंट और चेअरमैन की तरफ लोक सभा की तरफ से उसमें मेंबर्स नौमिनेट करें, मैं बड़े अदब से अर्ज करूँगा कि इसमें स्पीकर और चेअरमैन द्वारा जो नौमिनेट करने की चर्चा है वह मुझे कुछ मुनासिब नहीं जँची है। हालाँकि मैं समझता हूँ कि तमाम हाउस का आप के ऊपर विश्वास है, सब का आप पर पूरा भरोसा और ऐतमाद है लेकिन इस के बावजूद अध्यक्ष महोदय, आप को इस तरह से इस चीज में खींचना कुछ मुनासिब नहीं होगा। मुमकिन है कि उसमें कोई एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाय और इसलिए उसमें भी खींचना उचित नहीं होगा। कुछ हाई आफिसेज ऐसे हैं जैसे कि स्पीकर का या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, ऐसे उच्च आफिसेज के लिए किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में खींचना मुनासिब नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सेलेक्ट कमेटी में इस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। मैं तो इस में तभी इम्प्रूवमेंट समझूँगा जबकि इस की सारी शकल एक बिलकुल नया हो जायेगी। मौजूदा शकल में यह बिल एक कमजोर सा बिल मालूम होता है। धन्यवाद।

Shri Warior (Trichur): Mr. Speaker, I welcome this Bill, at the same time with certain reservations. In the statement of objects and reasons, it is stated that one of the major recommendations of the Press Commission concerns the establishment of a Press Council in India consisting of people principally connected with the Press,

which would safeguard the liberty of the Press, evolve and maintain standards of journalistic ethics, keep under review developments tending towards monopoly and concentration of control and promote research and provide common services for the Press. If these objects are to be gained, it is well that we have a Press Council to look after these matters and raise the standard in general of the Press in India.

But the main thing in these objects is to keep under review developments tending towards monopoly and concentration of control. This has become already a menacing feature in our press world. It is not necessary even to quote figures from either the Press Commission's Report or the Press Registrar's Reports or even the Report of the Ministry of Information and Broadcasting, because it is the talk of the town. Everybody knows it. Now, one group, the *Express* chain controls over 11 per cent of the circulation of the dailies in India and the next group the *Times* publications control about 7 per cent, both together accounting for 19 or 20 per cent.

It is heard, and I think there may be some truth in that, that *Indian Express* is going to swallow up the *Times of India* very soon, that negotiations are already advanced to such a stage, that the case is also supported by big people in the Cabinet, by interested parties who are always supporting the Goenka group in the Fourth Estate.

Shri Bade: You have got a special C.I.D.?

Shri Warior: It is already known to the public, and it is not a secret with me alone....

Shri Hari Vishnu Kamath: Open secret.

Shri Warior: It is an open secret, if at all it is a secret. The only impediment for the *Express* group to swallow up this big concern is not even the question of how much is to be

[Shri Warrior]

paid, but whether the Government will o.k. it or not, whether Government is vigilant or not in its declared objective of curbing the monopoly.

Today, incidentally or coincidentally, the Ceylon Parliament is discussing the press, and there the Government had to requisition the help of the military to protect that democratic institution of Ceylon.

That is the essence of the matter, because whether there is monopoly or not is not the question at all now. It has been suggested by the Mahalanobis Committee Report that there is concentration of wealth and also a monopolistic tendency in industry. It is not a question of circulation. Circulation is only a very small yardstick to know whether there is monopoly in the Fourth Estate, because where the economy itself is in the hands of a few individuals or families or concerns, and they are controlling the entire field of industry and finance in this country, naturally, there is no necessity to enquire into the aspect whether by circulation it can be decided that there is monopoly or not. It is a foregone conclusion that where the economy is in the hands of a few tycoons of finance and commerce and industry, naturally this industry is not an exemption and that it will also be controlled by them.

This has been established by the reputed journalist, Shri Chalapati Rao, in one of his addresses. He has said that there is no question of doubt in this matter. Before I quote him, I would like to read a comment made by none other than the late Pandit Jawaharlal Nehru, our Prime Minister. He had an experience, and he said:

"I was recently in Bombay. I addressed a meeting, a small one of about 2½ lakhs or 3 lakhs. I spoke only briefly, for just about two hours. I do not claim anything for myself, but I happen to be the Prime Minister of India and Bom-

bay dailies next morning did not carry a line of that meeting."

This is how they treat the Prime Minister of India, and how will they treat the other ordinary people of India? So, it is a menace to our democracy.

What happens is this. These people are linked with so many of these industrial and financial houses that the Press Commission itself has reported that they never publish those items of news which will be against their own interests. In the Press Commission's Report, at page 352, I have the quotation here, they have said categorically that whenever the interests clash, they never publish those items which go against their interests. That is the finding of the Press Commission.

But the tragedy of the whole thing is that the Press Registrar, and for that matter the Government, is still hesitating to definitely declare that there is a monopoly in the press. Even in this Statement of Objects and Reasons it is said that they want only to keep a watch, keep under review, and not come forward boldly and say that there has been established a monopoly and that the Government is going to take action against it, so that there will be more diffusion of this control over newspapers. That is one of the main things.

The Federation of Working Journalists in their annual conference had suggested taking action against this monopoly in a resolution. They have said:

"There can be no denying the fact that there already exists in the Indian newspaper industry considerable degree of concentration. We feel that there is a danger that this tendency may develop in future. We are of the opinion that it would not be desirable in the interests of freedom of choice that this tendency should be accentuated."

So, the question of questions is whether the Government is prepared to come forward, just like the other governments in the neighbouring countries, to curb this tendency of monopoly in the press, to take stringent action against those concerns which are more and more concentrating in their hands this power of the newspapers and industry, and also to give as much help to the other papers which are groaning under the weight of these people.

They have not only concentrated the power in their hands of newspapers. Even in the Press Trust of India, which is almost a monopoly news agency, these people are always there. Even the Editors' Conference—I may be excused by the editors who may be here—is always controlled or influenced by these big monopolist groups. Hence, it is suggested that the Government must take some very definite action in this matter.

I do not want to quote the figures that are available already in the published reports of the Press Registrar as well as the Government. My only contention is that circulation will not alone be a yardstick; if at all a yardstick, it will be a very small, short yardstick.

Why we are against this monopoly, that also must be mentioned. It is because it is a menace to our democracy. Look at the daily press today. They appear to be very unattached or detached, to be standing above everything and then giving their opinions, as if they are not influenced by any considerations at all, and the public take that for what it is worth. They do not know what lies behind these views and news aired by them. Actually, these people are against all the basic tenets of our national policy, they go to the extent of being even anti-national when it is the question of their interests being safeguarded.

For instance, we have seen in the press—and there are so many cuttings from the press that we can produce—

that they attack the basic policies of our Government in regard to non-alignment and peace. They are for alignment. They surreptitiously bring forward this view to the public, and then by the time the public is well prepared for that, they have their *coup d'etat*. That is how they are doing in other countries.

Then, they attack the public sector projects and the role of the public sector in our planned economy. They do not say that they are totally against the public sector, but they publish news and views and other materials in a way that the public may begin to think that the public sector is completely rotten, that we cannot expect anything from it, it is all corruption, it has to be scrapped and the entire thing must be given lock, stock and barrel to the private sector. So many of these public sector undertakings have been maligned unnecessarily and quite unjustifiably by these people and they prepare the public mind in such a way that at any time they can scrap the entire policy.

This is what they are doing, and hence we think that it is a menace to the future of our democracy, to our planned economy, the basic tenets of our foreign policy and what the people cherish.

They are solely interested in safeguarding their profits and their vested interests. They do not even shrink from making huge collaborations. For instance, take *Statesman*. It was formerly a British concern. Now the British concern is there but at the same time the shares are owned by Indian monopoly concerns in Indian industries. How can we be sure that the *Statesman* or for that matter *Indian Express* or the *Times of India* will actually support the demands of the people in the expression of their democratic and nationalist feelings? Government must bring forward a more stringent measure and ask the Press Council to take proper action against these monopolistic tendencies before it is too late, before they take over Government.

[Shri Warior]

There are certain things which are a departure rather, from the recommendations of the Press Commission and they must be looked into very carefully by the Joint Committee. For instance, clause 4 is there. Almost all papers have objected to it. That does not mean much because we know which are the papers which are objecting to it. If a legal tribunal is formed my apprehension is that all these legal paraphernalia will be brought in and it will be a long drawn out battle whether what is written was justified or not justified. It is very difficult to come to a decision. We have the experience of the labour tribunals. There also things are not decided for two or three years. It is a cumbersome process. Anyhow, I have my own fears about it and it must be looked into. I keep an open mind on this because the culprit should not be left out and at the same time the freedom of the press should also be maintained. Suppose I am one of those small writers in the Press and suppose I am hauled up every week..... (Interruptions.) I have been recently hauled up, true. But the Council must look into these things properly. Clause 13 is the most important provision. Some of us in the journalistic world are just like cats fallen in hot water once. Such a cat whenever it finds cold water, it thinks it is hot water and is very apprehensive of it. That sort of thing should not happen and this clause should be amended suitably to protect journalists.

The hon. Minister was pleased to say that it was just like medical profession or legal profession but there was no such code of conduct for journalists and so on—It all depends upon their own independence and their own experience. If it is thought just like medical profession or legal profession. it will be very harmful and the new people will find it very difficult to come forward.

One word about the Constitution of the Council, Sir. It is going against the recommendations as well as the

memorandum given by the working journalists. The word working journalist is there but his representation will be a microscopic minority in the Council. Not more than 7 of them will be there. By whatever other name you may call it, the managerial section, etc. gets about 12 or 13. That should not be allowed because in this Bill the pivotal point, the basic man is the working journalist and he must be protected and if that is to be so, they must have more representation in the Council. I hope we will have another opportunity to discuss these things when the Bill comes back from the Joint Committee.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद):
 अध्यक्ष महोदय, विद्यालंकार जी और वारियर साहब को मुनते वक्त मेरे दिमाग में सवाल उठा कि जो यह अखबारों के एकाधिकार की बात कहते हैं और उसके साथ साथ अखबारों और सरकार में एक संघर्ष की बात कहते हैं तो आखिर इसका क्या मतलब है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ हिन्दुस्तान के अखबार ज्यादा तर कहिये, प्रायः हमेशा ही सरकार के चपरासी और संदेशवाहक हैं। इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लिया जाना चाहिये। इसमें कोई शक नहीं है कि अखबार आर्थिक दृष्टि से करोड़पतियों के एकाधिकार में हैं चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे टाइम्स आफ इंडिया हो, चाहे हिन्दुस्तान टाइम्स हो। आर्थिक दृष्टि से ये अपने मालिक के एकाधिकार में हैं, मालिक लोग इन से नफा उठाते हैं, लेकिन नीति, विचार और ताकत की दृष्टि से ये सब के सब अखबार सरकार के चपरासी हैं, जैसा मैंने कहा है। उसका एक विशेष कारण यह है कि ये करोड़पति लोग हिन्दुस्तान में अपनी कमाई, प्रायः हर एक अनुचित ढंग से करते हैं, इनको डर लगा रहता है कि कब सरकार इनके ऊपर ऐसे कदम उठा ले, इनके खिलाफ कार्रवाई कर ले, इसलिये ये सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। हो सकता है कभी किसी

प्रधान मंत्री की सारी जिन्दगी में एक दिन तकरीर न छपी हो लेकिन मुझ जैसे आदमी की तो कोई पंद्रह दिन में एक दफा छप जाये तो समझो बहुत हो गया और वह भी तोड़ मरोड़ करके। इसको आप लोग बखूबी देख लिया करते हैं कि हिन्दुस्तान के अखबार मेरी बात तो नहीं छापते हैं लेकिन दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं यह अकसर छपा करते हैं . . .

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : डाक्टर साहब को यह शिकायत नहीं होना चाहिये, इनकी तस्वीर तो बराबर छट जाती है।

डा० राम मनोहर लोहिया : तस्वीर आपकी देखनी है, हुजर, अपनी नहीं। बात अपनी छपे तस्वीर आपकी छपे। इस बात को भी सोच लीजिये।

अपनी बात में कहना चाहता हूँ . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर डाक्टर साहब मेरी तरफ ही देखते रहे तो बहुत अच्छा हो।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं क्या करूँ ? कभी कोई सुरीली आवाज निकल जाया करती है तो कान उस तरफ हो ही जाया करते हैं।

वैचारिक एकाधिकार सरकार का है और मिलिक्यत का या नफे का अधिकार करोड़पति का है। अगर इस बात को हम न समझेंगे तो अखबार की कोई भी आगे की नीति ठीक तरह से नहीं चल पायेगी।

एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज हिन्दुस्तान में खबरों का सब से बड़ा स्रोत सरकार बन गई है। सरकार न सिर्फ केन्द्र और प्रान्तों वाली बल्कि एक माने में जिले वाली भी। और मैं जिले के संवाददाताओं की तरफ से कहना चाहता हूँ कि उनको इतनी ज्यादा मातहत

रहती है सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की या कलैक्टर की कि जिले का संवाददाता बेचारा बिल्कुल ही गुलाम जैसा हो जाया करता है। सरकार ही खबरों की स्रोत है और खबरों का स्रोत इतना अधिक हो जाता है कि चाहे लालच के जरिये, विज्ञापन के जरिये या डर दिखला करके, जिस तरह से भी हो साधन बहुत सारे हैं। सरकार अपनी बातों को छपवा लिया करती है। सरकार कोई दो देशों के बीच झगड़ा भी पैदा कर सकती है अगर चाहे तो अपनी इच्छा से और कई दफा न जाने कितनी चीजों को भी चढ़ा करके और आंखों में हंसी ला करके लोगों के मन बना दिया करती है।

ऐसी हालत में बुनियादी बात को सोचते हुए मैं दो छोटो से सुझाव आप को दे देना चाहता हूँ कानून और प्रशासन के। पहला सुझाव जो मैं दे रहा हूँ उससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रा का ही फर्क पड़ सकता है। जो अखबारों के मालिक हैं, करोड़पति लोग हैं, वे उद्योग के मालिक न रहें। थोड़ा ही फर्क पड़ेगा। फिर भी वे अपना पैसा इधर उधर लगाते रहेंगे लेकिन सीधे मिलिक्यत दोनों की बिल्कुल अलग कर दी जाये। और तब जो करोड़पति लोग स्वयम् अखबारों के मालिक हैं वह इस बात की कोशिश करेंगे कि सच्चाई और ताजगी के साथ अपने अखबारों को चलायें और शायद ज्यादा नफा कमाने की दृष्टि से हम जैसे आदमियों के साथ थोड़ा बहुत न्याय इधर उधर कर जाये।

13 hrs.

दूसरा सुझाव मुझे इस बात का देना है कि जो कुछ भी यहां कम्पनी कानून के बारे में तब्दीलियां हुई हैं और सरकार को ट्राइब्यूनल के सामने जा कर के अधिकार मिल गया है कि अगर कोई कम्पनी अपने काम को खराब तरह से चला रही है वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया जाये, यह किसी कम्पनी के लिये तो हो सकता है लेकिन अखबार वाली कम्पनी के

[डा० राम मनोहर लोहिया]

लिये सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार अभी नहीं देना चाहिये। कम से कम विरोधी लोगों को इस के लिये सावधान हो जाना चाहिये और तैयार रहना चाहिये पूरी तरह से विरोध करने के लिये। वैसे यह अखबार बुनियादी तौर से सरकार के ही हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत उधर उधर का छप जाया करता है वह भी प्रशासक के आ जाने से बन्द हो जाया करेगा। अगर मान लीजिये कि किसी अखबारी कम्पनी को सरकार को छोड़ना छोड़ना है, खत्म करना है, पहली बात तो मुझे इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि आपसी झगड़े की दृष्टि से जैसे एक करोड़पति का और दूसरे करोड़पति का किसा न किसा मंत्री से सम्बन्ध होता है उसी तरह से एक न एक अखबार से हर करोड़पति का सम्बन्ध रहता है, यह जो हेर फेर रहता है वह भी खराब बात है लेकिन साथ साथ मुझे यह कहना है कि अगर प्रशासक नियुक्त करने की ही बात हो तो मैं समझता हूँ कि विरोधी दलों में से कोई प्रशासक हो जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या यह कि प्रेस कौंसिल को वह अधिकार दिया जाये। यह मैंने दो सुझाव रखे।

इस के साथ साथ जहाँ मैं सच्चाई की बात करता हूँ वहाँ एक ताजा ताजा उदाहरण आप को दिये देता हूँ। कलकत्ते में अभी हड़ताल हुई 25 तारीख को। अखबारों में छपा कि वह 12 प्रतिशत हड़ताल हुई। बिल्कुल झूठ बात है। मैं आप से कह देना चाहता हूँ कि हड़ताल कम से कम 80 से 90 प्रतिशत थी। दफ्तरों की हड़ताल। मैंने कलकत्ते का उदाहरण इसलिये दिया कि वह हिन्दुस्तान का सब से बड़ा शहर है। यह बात सब जगह लागू होती है। किसका एकाधिकार है। करोड़पतियों का एकाधिकार है या फिर शायद सरकार का एकाधिकार है। सरकार नहीं चाहती थी कि उस की अक्ष

नीति के खिलाफ किसी भी प्रदर्शन या आन्दोलन की ताकत बढ़ाई जाये और इसलिये उस ने यह झूठ बोला हड़ताल के बारे में। वैसे मैं कोई इस "भारतबन्द" आन्दोलन से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता था कि यह आन्दोलन चलता रहे, पांच सात दिन लगातार, ताकि उधर य उधर फैसला हो जाता। मैं चाहता था कि रेल भी इस में शामिल होती, लेकिन चाहने की बात अलग छोड़िये, मैं तो आप के सामने खाली सच्चाई की और झूठ की बात रख रहा हूँ कि किस तरह से अखबार वाले जिस चीज को नहीं चाहते उसे दबा दिया करते हैं। इन्सानों की कितनी मौतें हुई इस को तोड़ तोड़ कर छापते हैं। मैं आप को एक और उदाहरण देता हूँ। जब यहाँ पर मस्बिदा आया था कि सदस्यों की तन्ख्याहें और भत्ते बढ़ाये जायें। अभी कुछ लोगों को इससे शिकायत थी कि मेरे बारे में छपता जरूर है, लेकिन क्या छपता है, कि मैं कहीं टहल रहा था, जैसे मुझे इस बात से खुशी हो रही थी कि भत्ते बढ़ाये जा रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सारे दिन यहाँ बैठा रहना करीब करीब नामुमकिन है, और कोई भी सदस्य नहीं जानता कि किस वक्त सदन में क्या हो रहा है जब तक वह खुद यहाँ नहीं बैठा रहता है। इसलिये यह इशारा कर दिया गया कि भत्ता बढ़ाते वक्त मैं चला गया। यह कितनी झूठ बात है, खास तौर से तब जब भत्ता और तन्ख्याह को बढ़ाने वाले कानून के आते वक्त मैंने सब से ज्यादा हल्ला मचाया था कि यह काम हर्गिज नहीं होना चाहिये। हम को दामों को घटवाने की कोशिश करनी चाहिये, अपना भत्ता नहीं बढ़वाना चाहिये। मैं आप को नमूना बतला रहा हूँ कि किस तरह से किसी आदमी को गिराने के लिये उस के बारे में कितनी मनगढ़न्त बातें चलती हैं।

मैं आप को एक और उदाहरण देता हूँ, जो कि शायद आप के सामने से न गुजरा हो।

मेरे बारे में एक या डेढ़ महीने पहले कुछ अखबारों ने छाप डाला था कि इस को अब की जिन्दा नहीं लौटने देंगे बिहार से, और पूरी सुर्खी के साथ छपा था कि जिन्दा नहीं लौटने देंगे। मेरा क्या कुसूर हुआ था। 28 तारीख को मैंने जैक्सन में कहा था जो कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के लिये था। अगर देखा जाये तो शायद यह क्षतना मामिक और बढ़िया था जैसा कि किसी और ने नहीं कहा था। लेकिन वह प्रधान मंत्री के लिये नहीं बल्कि सन् 1946 के पहले के श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में था। यह मैंने जैक्शन, मिसिसिपी के एसोसिएटड प्रेस के सामने कहा था। कुछ दबाव डाल कर वह मुझ से लिया गया था, लेकिन वह बन्द कर दिया गया, छपा नहीं। और 30 मई को जो चीज हर्गिज छपनी नहीं चाहिये थी, जो कि अमरीका में नहीं छपी कहीं, वह आधी तोड़ मरोड़ कर, आधी सही रख कर, आधी झूठ मिला कर हिन्दुस्तान में छपी गई। नतीजा इस का हुआ कि मेरे खिलाफ लोगों को भड़का दिया गया सब और झूठ मिला कर। इस का नतीजा हुआ कि बिहार वाले लोगों ने अखबार में बड़ी सुर्खी के साथ छपा कि जब अबकी दफे यह आये तो जिन्दा नहीं लौटने देंगे, और जूता, ईटा, पत्थर वगैरह भी इस के साथ होता है। जब कभी मैं कोई जुमला इस्तेमाल करता हूँ तो याद रखना कि मैं किसी ऐसे सन्दर्भ में ही कहा करता हूँ। वैसे मैं ने कहा था कि मैं माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, अगर मुझे उकसाया नहीं गया। लेकिन मुझे इतना जबर्दस्त उकसाया गया जिस का ठिकाना नहीं। लेकिन मैं यह बात नहीं बतलाऊंगा कि मैं क्या बोला था और क्या नहीं।

लेकिन मैं बहुत अदब के साथ एक बात प्रधान मंत्री साहब से कह देना चाहता हूँ, एक बात जो शायद छपे नहीं, हालांकि सिक्कों की बात दिन रात छपती है, कसम की बात दिन रात छपती है। बड़ा भारी पाप हो रहा है आज देश में। लेकिन एक

बात मैं सिद्धान्त की कहना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी मरे तो तीन सौ बरस तक उस का कोई सिक्का या स्मारक वगैरह मत बनाओ क्योंकि तब फँसला हो जायगा कि वह आदमी बक्ती था या इतिहास का था, उस की ख्याति किस बंग की थी। यह सिद्धान्त की चीज है। विवेक आना चाहिये देश में। आखिर हम अखबारों को किस लिये पढ़ते हैं। विवेक के लिये। लेकिन विवेक आ नहीं पाता है। मैं आप को एक ताजी मिसाल दिये देता हूँ। बिल्कुल साफ बात है कि पाप हो रहा है, और मैं कोई बड़ी खुशी से यह बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसा समय आ सकता है तीस या चालीस वर्ष के बाद जब कि भावी पीढ़ियाँ उन कामों को उजारेगी जिन को यह पीढ़ी कर रही है, क्योंकि इतिहास में और बक्ती ख्याति में बड़ा फर्क होता है। इसी तरह से मैं आप को अभी की एक ताजी मिसाल दिये देता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री ने फरमाया था कि सामुदायिक विकास संगठनों से जीपें हटा ली जायेंगी। मुझे यह बात पसन्द आई, खाली इच्छा के लिये नहीं, मैं ने सोचा कि इस से नया युग शुरू होता है। सत्तरह वर्षों का फँशन और विलासिता का युग खत्म हो रहा है और नया सादगी का युग शुरू हो रहा है, लेकिन फिर उस के बाद क्या हुआ। यहां पर किसी माननीय मंत्री साहब ने फरमाया कि यह काम तो नहीं हो पायेगा क्योंकि सामुदायिक विकास संगठन का काफी बड़ा हिस्सा पंचायत परिषदों के अख्यार में होता है। ऐसी स्थिति में हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। अब जीप की बात तो छाप दी गई अखबारों में मोटे मोटे शब्दों में, सुर्खी से, जैसे कि अखबारों के लिये इस दुनिया की सब से बड़ी खबर थी, लेकिन जब इसी सरकार के एक मंत्री स्वीकार करते हैं कि यह काम हो नहीं सकता क्योंकि पंचायत परिषदों के हाथ में वह जीप हैं, तो वह खबर किसी एक कोने में इधर उधर छपी जिस से कि पता न चले कि क्या हुआ। यह उपरोक्त

[डा० राम मनोहर लोहिया]

चल रही है। हमारे देश का चरित्र इस ढंग का बन गया है कि खाली इरादा बतलाते रहो, लेकिन अमल उस पर कुछ मत करो। मैं समझता हूँ कि राजपुरुषों का कार्यक्रम इस ढंग का बनता चला जा रहा है कि हमेशा नित नये नये इन्पुटे बताते चलो ताकि जनता खुश हो जाये कि हाँ, भाई बहुत अच्छा इरादा है भले ही वह अमल में न आये। नतीजा क्या होगा कि फिर जनता में विवेक नहीं रह जायेगा। विवेक खत्म हो जायेगा और राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ पायेगा। इसी तरह से जो ताजगी आनी चाहिये खबरों में वह नहीं आ पाती, और इस का मुख्य कारण यह अंग्रेजी है। मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है वहाँ विचार और विश्लेषण अच्छी तरह आ नहीं सकता। क्योंकि एक देशी आदमी के लिये अपनी भाषा का इस्तेमाल भी बड़ा कठिन होता है, एक परदेश की भाषा वह चाहे जितनी अच्छी सीख ले, उस के इस्तेमाल में करीब करीब शब्दों का जोड़ सा हो जाया करता है। जिस भाषा में केवल शब्दों का जोड़ हो, कुछ मुहावरों का जोड़ हो तो वह सिर्फ मुहावरेबाजी, लफ्फाजी और लच्छेदारी हो जाया करती है। कोई विचार और विश्लेषण उस में नहीं आ पाता है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो विधायक हैं हिन्दुस्तान में वे अपना काम अच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं। जो विधायक होते हैं वह बजाय विचार की ताजगी रखने के शब्द और व्याकरण की पुरानी रूढ़ियों और परम्परा में फसे रह जाया करते हैं। आज जो प्रेस कौंसिल बनेगी, वह शायद ही कुछ कर पाये क्योंकि जितनी कौंसिलें बना करती हैं किसी भी देश में वह परम्पराएँ और सनातनवादी रूढ़ियाँ लिये होती हैं। आखिर इस में कौन लोग चुने जायेंगे। असरदार लोग, नामी लोग। और नामी लोगों में, मैं समझता हूँ, पुराने रास्ते पर चलने वाले ही दुब्रा करते हैं। इसलिये मैं इस बारे में साफ कह देना चाहता

हूँ कि यह प्रेस कौंसिल की जिम्मेदारी नहीं है, खुद सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार तार सेवा, दूरमुद्रक सेवा, अंग्रेजी में चलाती है तो निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के अखबारों में ताजगी और सच्चाई कभी आ नहीं सकती। इसलिए मेरी सब से बड़ी मांग यह है कि तार सेवा और दूरमुद्रक सेवा से अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल जल्दी से जल्दी खत्म हो जाये, न सिर्फ इसलिए कि जो जामूस लोग हैं वे हमारे देश का बड़ी जल्दी इस्तेमाल कर लिया करते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे अखबार आदि इस कारण झूठ का भंडार बनते चले जा रहे हैं। मैं यह छोटी मांग नहीं कर रहा हूँ कि तार सेवा और दूरमुद्रक सेवा से अंग्रेजी के इस्तेमाल को हटाया जाये। इसके बदले में मैंने हिन्दी का नाम नहीं लिया। ये बंगला या किसी भी देश की भाषा में हों। लेकिन इन संचार सेवाओं से अंग्रेजी को खत्म किया जाये। मैं किसी न्यूज एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह उसने गड़बड़ मचायी थी और मेरे ऊपर करीब करीब हमला करा दिया था। और यह वह संचार सेवा है जिसे सरकार तरह तरह से बहुत पैसा दिया करती है। वह अर्घ्य सरकारी संस्था है।

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): Mr. Speaker, Sir, I am glad to see the widespread interest in this measure. Wherever I have gone in the last few weeks, I have been questioned about it. Most of the newspapers have commented on it editorially, and the fact that the Government of India have brought back the Bill, which was shelved ten years ago, is indicative of the great importance which we attach to it.

In the long debate which took place in the Rajya Sabha, many opposing viewpoints were put forward

and criticisms were made of some of the provisions of the Bill but, so far as I can remember, not a single Member opposed the Bill.

The setting up of a Press Council was an important, perhaps the most crucial, recommendation of the Press Commission. It was felt at that time that the sooner the Press Commission was set up the better it would be for the profession of journalism, for the newspapers themselves and for the democratic process to which we all attach so much importance. Democracy, as we know, entails the balancing of the rights and privileges with duties and responsibilities. In a totalitarian set up the people and press are regulated by Government, but in a democracy the society must regulate itself. So, ideally, a code of conduct should grow from within and should be sustained by internal sanctions. But, so far as I know, neither on the part of the profession of journalism, nor of the newspaper industry, have we witnessed any such attempt at self-regulation. Nor have we noticed any move towards a code of conduct, especially in curbing restrictive and unfair practices.

I hope hon. Members will not misunderstand me. I have had my share of bouquets and brickbats from newspapers of the right, the left and the centre, as well as from those who are not supposed to have any politics at all. I bear them no grudge and I would like to give credit where it is due. As newspapers go, our newspapers in India are of a high level, but cases do occur of breaches of accepted standards. So, the need for some machinery of self-regulation is self-evident.

I am not unaware of the dangers inherent in this situation. Freedom of expression is a fundamental right but it is also one which can be easily abused. Lamartine said:

“When the press is the echo of sages and reformers, it works

well; when it is the echo of turbulent cynics, it merely feeds political excitement.”

Similarly, Benjamin Franklin wrote:

“If by the liberty of the press, we understand merely the liberty of discussing the propriety of public measures and political opinions, let us have as much of it as you please; but, if it means the liberty of affronting, calumniating, and defaming one another, I own myself willing to part with my share of it whenever our legislators shall please to alter the law; and shall cheerfully consent to exchange my liberty of abusing others for the privilege of not being abused myself.”

Some newspapers, while writing about this Bill, have commented that the regulations can be misinterpreted in the wrong hands. But that is true of any law or regulation. Yet, we cannot do without laws. Civilization consists of the individual's voluntary acceptance of certain curbs on his behaviour and his desires. No civilized society can exist, or live an ordered life without regulations. For, while each man wants to be free, it is society's duty to see that his freedom does not impinge on the freedom of others.

In this Bill an effort has been made to safeguard the rights of the press and to protect its freedom of expression. We do hope that the new law will promote healthy traditions of journalism. If there are any lacunae or wrong trends, the proposed Joint Committee will no doubt look into them and correct them. Government have no other desire than to provide the best possible and the most carefully devised machinery for self-regulation.

An important question is how freedom of the press and of the journalistic profession can operate within the framework of an industry. The Press

[Shrimati Indira Gandhi]

Council will have to deal with both these aspects: with professional matters as well as with the future of the industry.

Some hon. Members have spoken of the growing concentration and the monopolistic tendencies. These tendencies are not good anywhere. But in India, where most of the large newspapers are not only in a foreign language but emanate from cities which are unrepresentative of the vast majority of our population, there is the grave danger that the viewpoint and self-interest of an exceedingly small section of society may be presented authoritatively as the voice of the people. These tendencies can be checked only by assuring free and fair competition and by lending a helping hand to small and medium-size papers. The other day there was a conference in Delhi of such newspapers and a long list of demands was presented. I certainly hope that Shri Diwakar's Committee, which is dealing with this matter, will go into these problems thoroughly and give us practicable suggestions for ameliorating the difficulties of the smaller newspapers.

Sir, I do not wish to go into details. But one thing is certain, that to serve any useful purpose, the Press Council must be invested with dignity and authority, so that it cannot be brought into contempt and so that it is respected by the Press as a whole. The recommendation that the Chief Justice of India should nominate the Chairman is to ensure that the Chairman should be a person of high integrity and impartiality and preferably of high judicial experience and expertise in assessing evidence.

In the difficult times through which our country is passing the press has to remember its vast social responsibility. It is my fervent hope that the proposed Press Council will be a means to that end. It is with this desire that Government have intro-

duced this Bill and seek to carry it through with whatever changes may be deemed necessary by the Joint Committee.

Personally, I should like the tremendous powers of the press to be used to reveal the true voice of India, to urge and encourage our national efforts, to help in forging national unity and to achieve an identity of purpose with national policy. Thus, it could play a truly significant role in winning public co-operation and strengthening public participation in the great and challenging tasks which await us.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रिणी जी का स्वागत करती हूँ इस बिल को लाने के सिलसिले में।

इस बिल का इतिहास अगर हम देखें तो हम महसूस करेंगे कि आठ साल हम ने गंवा दिए फिजूल की बहस में। सिलेक्ट कमेटी में यह मामला जाए या न जाए इस बात पर आठ साल पहले जी श्री केसकर महोदय यह बिल लाए थे तो वह ठप्प पड़ गया था। इससे हमको कुछ फायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ। फायदा यह हुआ है कि हम ने बहुत कुछ तजर्बा अपना बढ़ाया है।

13.19 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

प्रेस कमीशन के जो सुझाव आए उनके बारे में तरह तरह के सुझाव दिए गए, उन पर टीका टिप्पणी हुई। उससे हमारा फायदा हुआ। और नुकसान यह हुआ कि जितना वातावरण आज का दूषित हो गया है कुछ अखबारों की वजह से—सब की वजह से नहीं से—अगर पहले ही यह प्रेस काउंसिल भा गया होता तो यह वातावरण दूषित न हो पाता। मैं और सदस्यों के साथ हाँ में हाँ मिलाती हुई

इस बात को कहती हूँ कि अधिकतर हमारा जो प्रँस है, हमारी जो जनवाणी प्रँस के द्वारा मुखरित होती है वह एक अच्छे कायदे से मुखरित होती रहती है। एक जमाना तो वह था शायद मैंने उस समय होश भी नहीं सम्हाला था जबकि वही सम्पादक, वही प्रँस के काम करने वाले कर्मचारी, वही सम्वाददाता, उन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के संग्राम में। उस जमाने में जबकि लाठियों और गोशियों के बीच से गुजरना पड़ता था बोलने वालों को भी और लिखने वालों को, उस समय भी हम ने यह देखा कि उन की कलम टूटने नहीं पाई, उन का साहस मिटने नहीं पाया। सबल जो उन का मिला देश का वह बड़े आधार के रूप में मिला परन्तु अफसोस यह होता है कि जो अखबार इस तरह के निकला करते हैं जो कि जनता को भ्रष्ट करते हैं, उनके दिमाग और सोचने, समझने की पद्धति को भ्रष्ट करते हैं, उन से जितना नुकसान होता है, बाकी अखबार वाले अच्छा भी लिखते रहें तो भी उन से उतना फायदा नहीं होगा। कहावत मशहूर है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तालाब में अगर एक मछली सड़ जाती है तो वह सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक नाली का पानी सारे दरिया को गंदा कर देता है। आज दिल्ली में पानी के बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि पानी गंदा हो गया। अब कोई सारी जमुना का पानी तो गंदा हो नहीं गया। हुआ यह कि एक नाला बह कर निकल आया जमुना में और उस एक नाले ने जमुना के सारे पानी को दूषित कर दिया है। जमुना का पानी पीने के लायक नहीं रह गया है। इसलिए ऐसे अखबार जोकि इस तरह की बातें छापते हैं, निष्कृष्ट तरीके की बातें छापते हैं, गंदे तरीके की बातें छापते हैं वे इस तमाम वातावरण को और भी दूषित कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि अगर दस अखबार भी अच्छी बातें छापें तो वे इस तरीके से मन पर असर नहीं करती हैं। आमतौर पर इच्छा होती है, भावनाएं होतीं

हैं, हम न भी पढ़ना चाहें, उन बातों को तो भी चूँकि नजर के सामने वे आती हैं इसलिए वे पढ़ लेते हैं। आज इस देश में अखबार पढ़ने वालों की तादाद कोई कम नहीं है यह देश अनपढ़ देश माना जाता है परन्तु यहां पर करीब 57 लाख लोग अखबार पढ़ते हैं। एक अखबार पढ़ने वाला आदमी कम से कम उस बात की चर्चा दस आदमियों से करता है। गांव में एक, दो अखबार आते हैं। लेकिन हम लोगों का तर्जुबा रहा है कि अगर गांव में अखबार एक आदमी मंगवाता है तो कम से कम 25 घर उस अखबार को लेकर पढ़ते हैं। उसके और पड़ोस के परिवार वालों को इस प्रकार उन खबरों की जानकारी हो जाती है। अखबारों का बहुत बड़ा महत्व है। मैं यह बात क्यों कह रही हूँ? हम ने महसूस किया है कि पिछले 8—10 वर्षों में जिस तरीके से वातावरण इस देश का निर्माण होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। इस के लिए हमारे कुछ अखबारों की जिम्मेदारी रही है कि उन्होंने उस वातावरण को बिल्कुल विषाक्त बना दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अखबार की चर्चा करती हूँ। उस अखबार को बहुत नाज है कि देश में उस की दस लाख कापियां बिक्री होती हैं। वह अखबार बड़ी हिमाकत से इस बात को कहता है कि वह कुछ ऐसे अखबारों में से एक है जिनकी कि देश में बिक्री सबसे अधिक है। उस की एक प्रति मैं आप के सामने रखना चाहती हूँ और उसमें से कोट करना चाहती हूँ। 14 मार्च का वह ब्लिट्ज अखबार है। उसके बारे में आप को सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। उस में से मैं कोट करके यह दिखलाना चाहती हूँ कि किस तरीके से वातावरण को विषाक्त किया जाता है। 14 मार्च के अखबार ब्लिट्ज में एक खबर छपी थी कि प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में यज्ञ किया जा रहा है उन को मारने के लिए। सारे देश में यह खबर फैल गई। मेरी उस में चर्चा की गई थी। नाम तो उस

[श्री.मं. तारकेश्वर: सिन्हा]

में मेरा नहीं लिया गया था लेकिन जो अखबार लिखने वाले हैं वह समझते हैं कि उनकी उस खबर को पढ़ कर पढ़ने वालों को स्वयं यह मालूम हो जायेगा कि किस के नाम की चर्चा की जा रही है। उस अखबार में इतने मोटे मोटे हुरूप में यह खबर छपी थी। सारे हिन्दुस्तान में उस की चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की असेम्बली में सवाल आया। 2, 3, 4 दिन की तहकीकात के बाद इस अखबार की उस खबर के बारे में कहा गया कि वह सरासर निराधार और गलत खबर छपी थी। परन्तु उस का अंजाम क्या हुआ? सारे देश में उस की चर्चा हुई। सारे देश में तरह तरह के लोग सोचने और समझने वाले होते हैं और उससे कुछ लोगों को शक हो ही गया होगा कि ऐसा निरुद्ध काम भी मैंने किया होगा। किसी आदमी के लिए किसी भले आदमी के लिए इस तरह के वातावरण में रहना, पलना और अपने को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मंत्री महोदय को याद होगा कि मैंने उन से मिल कर इस बात की चर्चा भी की थी। मुझे उन की इस बात को सुन कर बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने यह कहा कि मैं ऐसे अखबार को नहीं पढ़ा करती हूँ परन्तु दिक्कत यह है कि उन की तरह सब नहीं सोचा करते हैं और सब नहीं समझा करते हैं। अखबार पढ़ने वाले बुरा भला सब कुछ ही पढ़ते हैं।

मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं, मंत्रियों से बड़ कर जो बड़े बड़े नेता हैं वह उन अखबारों को प्रश्रय देते हैं। माननीय गृह मंत्री के साथ ब्रिटिश के सम्पादक का 18 जलाई के अंक में एक जो इंटरव्यू दिया गया उस को देख कर अफसोस हुआ। मेरा मत है कि ऐसे जो इंटरव्यू दिये जाते हैं वे गलत दिये जाते हैं। इसी तरह दिल्ली में एक अखबार वाले ने अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अपने अखबार में गंदे

लफजों में एक इल्जाम लगाया। अब कीचड़ जब सफेद कपड़े पर पड़ जाती है, सफेद कपड़ा आप पहने हुए हैं, अगर इस पर कोई कीचड़ पड़ जाय तो उस पर दाग पड़ जायेगा और घोबी के घर धुल आने से भी वह दाग नहीं मिट पायेगा। जहाँ ऐसे ऐसे अखबार हों जिन्होंने कि अध्यक्ष महोदय को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी कीचड़ उछाली, अध्यक्ष महोदय, जोकि देश के सब से बड़े लोकतंत्री सदन के अध्यक्ष हैं, लोक सभा की सिमटी हुयी अमानत हैं, जिम्मेदारियों की अमानत हैं और इज्जत की अमानत हैं उसकी अस्मत् की अमानत हैं, एक गैरजिम्मेदार अखबार की हिमाकत ने उस अस्मत् को छानने की कोशिश की। ऐसे अखबार दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बिका करते हैं जिनका कि मकसद संसद् सदस्यों को छोड़ने और उनको चूटियां काटना रहता है। इस तरह के अखबारों की कौमपलीमेंटरी कापियां उन के पास पहुंचायी जाती हैं जिन्हें भले ही कोई और न पढ़ता हो लेकिन संसद् सदस्यों को वे जरूर पढ़ायी जाती हैं। इस तरह के अखबार जिनमें कि उस तरह की गंदी बातें लिखी होती हैं संसद् सदस्यों को पढ़ायी जाती हैं। मुझे तो यह देख कर तरस आता है कि बड़े बड़े नेता ऐसे अखबारों को प्रश्रय देते हैं, उन को बुलाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और अपने पास से उन को खबरें देते हैं। ब्रिटिश में जो खबरें इस तरह से जाती हैं और छपती हैं दूसरे दिन ब्रिटिश में छपी वह खबर आफिशिएली सच निकलती है। कैसे यह खबरें उन अखबारों द्वारा दां जाती हैं? कैसे उन्हें यह सब आफिशिएल बातें मालूम हो जाती हैं। कैसे इस बात से इनकार हो सकता है कि दरअसल यह बात सही है? गृह मंत्री महोदय को कोई जरूरत नहीं थी कि ब्रिटिश को वह एक फूल माला चढ़ा दें। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा—और फिर अखबार वालों की आदत है कि कोई अंगुली छुला दे तो वह उसका बाजू ही पकड़ लेंगे—इसलिए

ब्लिट्ज ने लिखा:—

“The Home Minister spoke in praise of the role played by Blitz in the exposure of economic and political corruption.”

होम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया, जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने यह बताया कि ब्लिट्ज अखबार के खबरों के छापने की जो पद्धति है वह उस से बड़े प्रभावित हुए हैं। ब्लिट्ज ने बहुत बड़ी नेकनामी हासिल की है और उस ने इस मुल्क का वातावरण बदल दिया है। हमारे गृह मंत्री क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं इस के बारे में मैं नहीं जाना चाहती परन्तु गृह मंत्री महोदय इस देश के नेता हैं, इस देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, सरकार के बहुत बड़े अधिकारी हैं, सरकार को चलाने में, शासन को चलाने में उन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर ऐसे महान व्यक्ति इस तरह के अखबारों को प्रश्रय दिया करेंगे कि तो इस देश का भाग्य कर्भों बदल नहीं सकता है और इस देश का दुर्भाग्य बराबर बना रहेगा।

श्री बागड़ी (हिसार) : ब्लिट्ज के ऊपर माननीय सदस्या मुकद्दमा चलायें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुकद्दमा चलाने की बात कही जाती है। यह हर कोई जानता है कि कोई भला आदमी डिफेंशन केस जाकर कोर्ट में तब दायर करे जब उसे अपने बाप दादों का श्राद्ध कराना हो। कौन नहीं जानता कि कोर्ट में जाने से और मुकद्दमा लड़ने में बेट-बेटे, पोते-पोती, और बाप-दादों की इज्जत का वहां पर जनाजा निकलता है। आज का कानून इस लायक नहीं है कि कोर्ट में मानहानि का मुकद्दमा चलाया जाये। चीज यह है कि जो खुद कीचड़ है उस पर कोई कीचड़ नहीं डाल सकता है। परन्तु जिस का सफेद कपड़ा है उस के ऊपर कोई एक बार भी कीचड़ फेंक देता है तो 1000 कानून

के मुकद्दमे भी वह कीचड़ उस के ऊपर से नहीं उतार सकते।

मैं एक बात इस सिलसिले में जरूर कहना चाहूंगी कि कोई कानून ऐसा अवश्य बन जाना चाहिए कि जो खबर इस तरह की चीजों को लेकर छपे और वह झूठ साबित हो जाय तो अखबार वाले के ऊपर जुर्माना किया जाय और उन के ऊपर एक पेनाल्टी लगाई जाय

श्री बागड़ी : गृह मंत्री का क्या हुआ ? गृह मंत्री ने ब्लिट्ज को जो खबर दी तो उस के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय सदस्य सत्र से मुनें। वे इतनी बेसब्री क्यों दिखला रहे हैं ?

नाइजेरिया में भी इस के लिए एक बिल आया है। नाइजेरिया में भी कुछ प्रेस ऐसे मौजूद हैं जोकि बुरा काम करने हैं, गंदा काम करते हैं। उन पर रोक लगाने के लिए वहां पर एक बिल आया है। उस में यह कहा गया है कि अखबारों में अगर कोई खबर छपी जाती है और उस के कारण किसी का कोई नुकसान होता है, किसी आदमी पर उस के द्वारा लांछन लगाया जाता है और पीछे अगर वह लांछन साबित नहीं होता है तो उस अखबार वाले के ऊपर गलत खबर छापने और लांछन लगाने के वास्ते मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए और उस पर जुर्माना होना चाहिए। नाइजेरिया में जुर्माना करने के पांच सौ पाँड की रकम रक्खी गई है। मैं चाहूंगी कि ज्वा-एंट सेलेक्ट कमेटी इन चीजों पर गौर करे कि जो यह स्टैचुटरी बोर्ड अर्थात् प्रेस कांसिल बनाई गई है वह यह हक भी अपने पास रखे कि अगर कोई जिम्मेदार अखबार इस तरह की बातें लिखता है और जिम्मेदारी का दावा करता है तो उस के ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्माना होना चाहिए अगर वह बात गलत साबित होती है।

[श्री.मती तारकेश्वरी सिन्हा]

मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि प्रैस कौंसिल एक स्टेटुटरी बाडी बनाया जा रहा है—ऐसी संस्था बनाया जा रहा है, जो कानूनी ढंग पर काम कर सके। हम ने देखा है—ब्रिटेन में भी देखा है—कि जो स्वयंसेवी संस्थायें, वालन्टरी बाडीज़, होती हैं, वे उस तरह से काम नहीं कर पाती हैं, जिस तरह कि उनको करना चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि यहां पर एक ऐसी संस्था का प्रा-दुर्भाव किया जा रहा है, जिस को इतने अधि-कार और साधन प्राप्त होंगे कि वह सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम कर सकेगी।

मैं इस बात का भी स्वागत करती हूँ कि सर्वोच्च न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस संस्था के अध्यक्ष का चुनाव कर सकें। मैं इस बात का स्वागत क्यों करती हूँ? इसलिए कि आज-कल आम तौर पर यह देखा जाता है,—जैसा कि माननीय सदस्य, डा० लोहिया, ने कहा है—कि यदि कोई संस्था बनती है, तो उस संस्था के जो मेम्बरान तथा अध्यक्ष बन जाया करते हैं, उन के बारे में कुछ इस प्रकार की आलोचना की जाती है कि वे फलां के बहुत नजदीक हैं, इसलिए मेम्बर या अध्यक्ष बना दिये गए। इसलिए अगर सर्वोच्च न्यायाधीश की तरफ से अध्यक्ष का नाम दिया जायेगा, तो उन के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी। यह बात इस लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस संस्था को एक न्यायालय के अधिकार दिये गए हैं, यह कोई वालन्टरी संस्था नहीं है, बल्कि यह एक स्टेटुटरी संस्था है।

लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह जरूर कहना चाहती हूँ कि सर्वोच्च न्यायाधीश चाहे जो भी अध्यक्ष चुनें, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को न चुनें। मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन आम तौर पर यह बात होती जा रही है कि चूंकि रिटायर्ड

हाई कोर्ट जज हर बड़ी बड़ी संस्था के—चाहे वह कोई कमीशन हो और चाहे कोई और संस्था हो—अध्यक्ष बना दिये जाते हैं, तो वे लोग भी सरकार की तरफ देखते हैं कि रिटायर होने के बाद शायद उन्हें सरकार की तरफ से कोई काम मिल जायेगा। मैं समझती हूँ कि इस बात की आलोचना अब इस देश में होने लगी है। यह आलोचना सत्य नहीं है। यह मैं मानती हूँ कि इस आलोचना में सचाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अब भी हमारे न्यायालयों का आदर्श बहुत ऊंचा है। अभी हाल ही में भ्रमरीका की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यहां आए थे। उन्होंने कहा कि यहां के न्यायालयों का आदर्श बहुत ऊंचा है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें इस सम्बन्ध में वह प्रशंसा मिली है, जिस के हम हकदार हैं। लेकिन कुछ चर्चा इस मुल्क में चलने लगी है कि हमारे रिटायर्ड जजों को झट से कोई काम दे दिया जाता है, जिस की वजह से वे सरकार का मुंह देखने लगे हैं या देखने की कोशिश करेंगे। सर्वोच्च न्यायाधीश को अध्यक्ष के चुनाव का अधिकार दे कर बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन आम तौर पर यह जो प्रथा चल गई है कि रिटायर्ड न्यायाधीशों को किसी भी कौंसिल या किसी अन्य संस्था का चैयरमैन बना दिया जाये, इस से मुझे कुछ खतरा दिखाई देता है।

प्रैस कौंसिल को एक स्टेटुटरी संस्था बनाया गया है और वह एक न्यायालय की तरह काम करेगी। फ्रंज कोजिए कि अगर मेरे बारे में कोई शिकायत आई है, तो मझे यह अधिकार होना चाहिए कि मैं अपने साथ किसी वकील को भी ले जाऊं। चूंकि यह संस्था एक न्यायालय की तरह काम करेगी और इसकी अपील दूसरी जगह नहीं होगी, इसलिए हो सकता है कि मैं जिस बात को जाहिर करना चाहूँ, उसको मैं जाहिर न कर पाऊं। इसलिए ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी इस बात पर और करे कि सम्बद्ध व्यक्ति को अपने वकील या

लीगल एडवाइजर की राय लेने और उसको अपने साथ इस संस्था के सामने ले जाने की इजाजत हो ।

हो सकता है कि किसी अखबार वाले या सम्वाददाता के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी जाये या झूठा इल्जाम लगा दिया जाये, जिससे उसकी बदनामी हो जाये और उसको सजा भी मिल जाये। ऐसी हालत में अगर उस सम्वाददाता को अपील करने का अधिकार नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ कि वह बहुत बड़ा अन्याय होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी फ़ैसले के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कभी कभी जब मौत की सजा होती है, डैथ पिन्टैदी दी जाती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बदलवाने के लिए राष्ट्रपति के पास भी जाते हैं। ऐसी हालत में यह उचित नहीं है कि इस संस्था के फ़ैसले के खिलाफ़ कोई अपील न हो सके। मैं चाहती हूँ कि इस संस्था के फ़ैसलों के खिलाफ़ अपील की गुंजायश होनी चाहिए। ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी इस बारे में क्या फ़ैसला करेगी, यह उस के देखने की बात है, लेकिन वह इस बात पर ग़ौर फ़रमाये और कोई रास्ता निकाले।

इस संस्था को यह भी हक़ होना चाहिए कि वह सरकार को सिफ़ारिश करे कि अख़बारों को कितना न्यूज़प्रिन्ट मिलना चाहिए। अर्ध-मन्त्रिणी महोदय ने कहा है कि दिवाकर कमेटी यह देखेगी कि छोटे तथा मध्यम-वर्गीय अख़बार वालों को कैसे मदद दी जा सकती है। मैं चाहती हूँ कि यह संस्था इस सम्बन्ध में भी जागरूक हो कि छोटे अख़बारों को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

धन्यवाद ।

Shri Joachim Alva (Kanara): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome this Bill though it is not what it should

have been. Press Commission was on the anvil of the House. Incidentally, I welcome the hon. Minister of Information and Broadcasting who has resumed her duties. Shrimati Indira Gandhi is the third of her generation, of her celebrated family. Her great grandfather was a Titan in this House, her great father sat on that side of the House and now she herself has come in! These are green and new pastures and I hope she will breathe a new spirit into the Ministry of Information and Broadcasting. I hope she will fulfil her ambition of doing the right thing by the right time because there is so much to do in this Ministry in regard to journals and broadcasting.

When we were students, we used to recall the days of the great Pandit Motilal Nehru sitting on that side fighting with the great giants of British imperialism. In the days gone by, when he died, he said, "Swaraj is coming." Perhaps, he never dreamt that it would come so soon. That came after 15 years. Yet today the fruits of swaraj are not within our hands!

Sir, once upon a time, journalism was a great missionary institution. There were great journalists who wrote for less than Rs. 100 a month. There were great journalists who drew their salary for the month of January in the month of December in the third or fourth or fifth or sixth instalment. And today there are journalists who draw Rs. 3000 or Rs. 4000 or even Rs. 6000 and who are the hirelings of the press lords. Some of them are not fired with the real spirit of nationalism or freedom.

Sir, I am reminded of one of those great men, late Mr. Benjamin Guy Horniman. I had the honour of speaking to Pandit Jawaharlal Nehru, not once but twice, on the subject of unveiling a portrait of Mr. B. G. Horniman which was to be presented by me to the Press Club here. Yet a great journalist said, "I will put it

[Shri Joachim Alva]

before the Committee" and, later on, he said that the Committee consists of men who draw Rs. 200 or Rs. 300 only! Well, the gentleman had once licked the boots of the British Raj during the Bengal famine. Nehru understood what struggles were waged for free journalism. Horniman was a great friend of the Nehru family apart from being hailed by Mahatma Gandhi. Today the new generation of journalists does not seem to know who was Mr. B. G. Horniman.

Today we have the twin evils of journalism, the monopolistic press and the yellow journalism. My esteemed friend Shrimati Tarkeshwari Sinha referred to the other side. I would like to remind her that the late Prime Minister had said that action shall be taken against the *Blitz* for contempt of the House. He did not hesitate to say, as the leader of the House, that action shall be taken against the *Blitz*. And Mr. Karanjia was hauled up before this House. The late Prime Minister, as the leader of the House, performed his duty of taking action against the *Blitz*. He may have given long interviews to the Editor of the *Blitz*. But may I know which great man has not done so? The late Pandit Pant also gave long interviews to him. Time was when the lady also gave him long interviews and there appeared in the *Blitz* her fulsome photographs. If we boycott something, we must boycott from 'A' to 'Z'. Not having done that, it does not lie in the mouth of the honoured lady to denounce *Blitz* which has a terrific circulation.

Now, I may tell you, Sir, I have watched journalism in the city of Bombay from the year 1925? As a student, I have seen the crowds. I have seen the great editors and I have watched and met the small journalists and the great journalists. There were papers like *Navakal* and *Bombay Chronicle* now no more! *Navakal* was a patriotic paper. I still remember its editor, the late

Mr. Khadilkar who was hauled up in Bombay High Court for sedition and was given two years imprisonment though he was defended by one of the great orator-lawyers of India, Mr. Bhulabhai Desai. He wrote that the British were fomenting trouble between Muslims and Hindus, and that was the first time when the first communal riots occurred in Bombay. But now who remembers Mr. Horniman? And who remembers Mr. Khadilkar? The monopolistic press has come in—the press lords not only earning huge amounts of money—and it has invaded Hindi journalism but Marathi, Tamil, Telegu and every type of Indian language journalism. Mr. Horniman has gone; Mr. Khadilkar has gone. Mr. Khadilkar went back to the hard wall and lived in Yerrawada jail for two years. However, those great days are forgotten by the new generation of journalists. Today, we have got a monopolistic press. The external finance has played havoc on our journalism. They have wrought havoc in the sense of buying up papers by means of huge bank balances. They take a cheque-book in their pockets and go about seeing whether they can buy up the very stars in the heavens!

My hon. friend Shri Warior disclosed a very important thing when he said that the *Times of India* should not be permitted by Government to be bought up by any other group of papers. If the Government of India and the Finance Minister permit the *Times of India*, with the accounts muddle that it is in now, and with the inquiry that is going on into its affairs, to be bought up by another powerful group of papers, our freedom will be in great peril, and all the objectives for which we had fought and for which the people had fought, and for which many of the great heroes and heroines whose names are not even known to us, except to their nearest and dearest ones, had fought—and all the objectives of our nation would be in peril. Some of

these press lords should have been inside jail walls. Some of the proprietors of the chain newspapers should be inside jail walls. I make bold to say that not only here, but I said it at the time when Shri Krishna Menon was standing for election to the parliamentary constituency last time, to the hundreds of thousands of people on the Juhu Sands. Why did I go to the Juhu sands to say that when that was not my constituency at all? I went there because I found that the statement of Pandit Jawaharlal Nehru was blacked out. I felt that it was a slap at us; I found that it was an insult on us that the Prime Minister's statement should be blacked out by a couple of blackmarketeers who could own a paper, and I felt that it was time that some of us stood up and raised our voice against it; and so, I stood before a crowd of a hundred thousand people on the Juhu Sands and said that the owners of the *Times of India* and the *Indian Express* should be jailed for many of the malpractices that they had done. I said that with the full knowledge of law, because I had successfully defended Benjamin Guy Horniman half a dozen times in the law courts, and, therefore, I knew what the law was. I had also been hauled up for a defamation once. I was the first man to be hauled up when the trial of Mahatma Gandhi's assassination was going on, because I had written one simple sentence that the late Jamnadas Mehta who was sitting on one of the Benches here before, pretended to be innocent though he was guilty. I had written like that because a diary had been shown to me written by Godse in that connection. I was one of the very few to have seen the diary of Godse wherein he had noted that "I saw Jamnadas Mehta on 26th in Bombay; 27th: I was in Gwalior, and on 28th I came to Delhi," and on 30th—he shot Mahatma Gandhi! And yet why does not my hon. friend go to the law courts and file a suit for defamation? I faced this case of defamation against me and I had to apologise and I had to pay Rs. 12,000

because it was a civil suit filed against me. If there had been a case for criminal defamation, then Shri Jamnadas Mehta would have lost the case. But it was a case for civil action. And you know how civil remedy is very hard. It is open to anyone to go to the law court and file a civil suit for defamation, and it would be difficult even on just grounds to get the civil protection. I shall not say more about this point, because there are lots of other points to be covered.

Newsprint is being tampered with. Newsprint is being exploited by these press lords. Even in the 26th Report of the Estimates Committee it has been stated that the circulation claims of 151 newspapers checked had an element of exaggeration to the extent of 450,000 copies per issue, which would have meant a saving of 2,200 tons roughly of newsprint amounting to nearly Rs. 17 lakhs of foreign exchange. I would like to know this. Who were the officers who permitted this? Who were the Ministers who permitted this? I do know that there are certain high-ups here, and a few Ministers right here, and there are one or two Chief Ministers also, who are very much enamoured of these press lords, and they have been giving all kinds of extravagant concessions to them. If only those concessions had been given to small tiny newspapers in the land in the district towns, to which the hon. Minister Shrimati Indira Gandhi had made a reference, if only we had only put a little drop of water in their mouths when they were starving and when they were about to close down, what a power they would have been today!

I have seen the late Mr. Sadanand struggling, and struggling with a fattened, heavy leg, because the poor man was suffering from filaria. And yet unto the last, he went on fighting with any amount of courage. He had fixed his marriage at six o'clock, and there were only six people at the

[Shri Joachim Alva]

time of the marriage, and I was invited half-an-hour before it. That was the position then, because such a great patriot he was. And he was running the *Free Press Journal*. But that was recently closed down for nearly a month because the wages of the employees were in dispute. Similarly, the *Bombay Chronicle* also was closed down for all time because the present owners thought that they were making more money by selling newsprint and taking printing jobs. Today, we do not have that old type of patriotic journalists in the field. We have a new set of people coming into the field of journalism. Is the Press Council going to take care of all these people? Is the Press Council going to take care of newspapers that take newsprint and sell it in the blackmarket, depriving the small newspapers of their legitimate share of newsprint, the small newspapers having no mouths, having no guts, having no exponents and no advocates to argue their case before Government to request Government to give them concessions to build up their papers. All the big newspapers get as many facilities and as many import licences as possible for the purchase of printing machinery etc., but if the small newspaperman goes to Government for getting any of these things, he does not get them. What is the press council going to do for these small newspapers?

Even in England, we know what has happened in regard to the powers of the press council to enquire into the ownership of papers. Though the Royal Commission of 1959 had said that the press council shall have the power to enquire into the ownership of papers yet what is the position that we find there? Mr. Cecil King closed down the *Daily Herald*, which was the paper of the Labour Party, and he has started the *Sun* only a month ago on the eve of the British general elections. I would like to point out that he spent £450,000 for six months for advertising that the

Sun needed rising up! If in England they could not do it, are we going to do it in our country? And yet, I say that we could do it, because we can profit by the sufferings and tribulations of British democracy. We have benefited by their democracy, and we can fight this chain ownership. Are these half a dozen men going to hold us to ransom? Each one of them has got some business or the other; one has got the jute business, and any member of other allied business or industry. Only yesterday, it came out in the proceedings of Parliament that a sum of Rs. 26 crores was due from the private sector steel companies. And yet what are those steel magnates doing? One of them, either the TISCOs or the IISCOs have been putting money in *The Statesman* and the *Hindu*. May we know from where the money has come to be put in *The Statesman* and *Hindu* or intractors or in pomades or scents or in an associate company like that of the Birlas, manufacturing even enamelware and sanitaryware? Why can they not leave these small businesses to others? Why do all these profits run into these businesses? They want to control public opinion, and public opinion is controlled through some of the Ministers even right here. I would submit that our top-ranking Ministers, whether he be the Minister of Finance or anybody else, should not show any partiality towards any one of the paper lords.

I must frankly say that Shri C. D. Deshmukh and Dr. John Mathai when they were Ministers—perhaps that was so because they were from the services—were very hard with these people. I remember I once went with a begging bowl to Shri C. D. Deshmukh about Mr. Sadanand, when one of the yellow journals of Bombay—I shall not name it—had reported that action should be taken against Sadanand because he had bought machinery in Europe and imported it to India. But do you know under what circumstances he got all

that? I have seen that with my own eyes. If a man begs, borrows or even steals and gets all these things in order to build up a healthy newspaper, is he to be prosecuted for that? When I put forward Sadanand's case like this before Shri C. D. Deshmukh, he said, "I am not going to do anything about it; you may approach the Reserve Bank Governor". And I went to the then Reserve Bank Governor, Shri Rama Rau, and he also pleaded helplessness. And poor Sadanand died of frustration and perhaps also of heart failure. What a good and fine journalist he was, who spent the last drop of his blood to build up our fearless journalistis.

Again, take the case of the *National Herald*, which has been built by the Nehrus and edited by one of India's foremost editors, Mr. Chalapathi Rau. That newspaper is not getting all the benefits which the bigger newspapers are getting; it is not getting all the benefits which all the mighty papers are getting. Is the Press Council going to do something in such matters?

I find that the press council is going to consist of thirteen members, half of whom are going to be editors. I take my hat off to these editors. But then that young and noble breed of editors has gone and is vanishing from the face of India. We are yet to have a new generation of great heroes and heroines who will fight and say to the proprietors 'If you do not agree to what I have written, I am prepared to walk out; you can write whatever you like and have it published, but I shall walk out'. We have not got that type of editors now. We have yet to produce them.

The PTI and the UNI are the handmaids of the proprietors. None of them will even report for two inches of space a report of what we say now, because if they do so, they will be knocked off their jobs. These news agencies consist of fine young men,

pleasant young men, patriotic and capable young men, but they have been caught up in the machinery. The UNI is a capitalist organisation headed by one of the biggest newspapers, namely the *Hindustan Times* owned by the Birlas. The PTI is a handmaid of the *Times of India* and *Express* groups. To illustrate my point, I would just mention the case of the question about the manufacture of a cheap car, which came up in this House the other day. You may read what all the newspapers had reported on the 12th September last, and you may also read what the *Hindustan Times* had reported. Because Mr. Birla runs *Hindustan Motors*—therefore, there could not even be a proper report of what had happened in Parliament in the *Hindustan Times*. There was only a report of how Shri Dasappa got the worst of it; they said that Shri Dasappa was taken to task; that was the whole burden of the reporting in the *Hindustan Times*, and there was nothing about anger regarding prices of cars, there was nothing about the fiasco of car prices, and nothing about anything that hit the consumers. This is the way in which big papers which are owned by half a dozen or a dozen industrialists report about things which affect the economy and the prestige of the country, and it is these papers that we hug to our bosom unfortunately.

Therefore, I would like to repeat the proposal that I had once made in this House some time ago. I remember that Pandit Jawaharlal Nehru just looked up when I mooted the idea on the floor. I was the first man to say that sooner or later we would have to have a public sector daily in all the languages. The public sector is the mighty sector which has got a lot of money; it is not the money of the rich landlords or the capitalists but it is the money of the sweat and toil of the people of India, and with that money we shall have to produce a paper which will give the best for the people of India. If one single paper

[Shri Joachim Alva]

like that is published, all these press lords will be on the run because this public sector paper can be edited by fine young men who are still working journalists, and it can be edited by patriotic men who will give the public what they want and not what the press lords want because they have plenty of speculation in the jute bazar in Calcutta or in the Bombay Stock Exchange and they have the money-machinery through the banks and all sorts of means at their command. If they want to make money, I have no objection; let them make as much money as they like; let them stuff this Parliament House also with currency notes, but we shall not permit them to dictate the policies of the Government of India or the people of India through the UNI, the PTI and half a dozen newspapers. Bombay's oldest textile mill: were sold by Shri Dharamsey Morarji to the Dalmias. I have seen it with my own eyes. Today, you would not see them any more, because the reserves from that mill were appropriated by Dalmia Jain and used to purchase shares in the *Times of India*, into which an inquiry is going on now. Hereafter, we should not permit anyone to pocket the reserves of any company to buy up a single big newspaper and start dictating policies to the Government and unscrupulously strive to run the Government of the country.

Therefore, the Government of this country should not, in any shape or form, be in the hands of, or under the dictates of, these newspaper lords.

Mr. Deputy-Speaker: He has already taken 15 minutes.

Shri Joachim Alva: I have spent more time in journalism than most of the speakers who have spoken.

Mr. Deputy-Speaker: There are other Members also wishing to speak.

Shri Joachim Alva: I am not quoting the figures I have here, which reveal a lot. But I say this. This Parliament, irrespective of party, Congress, Jan Sangh, Swatantra, Communist or other, should fight this menace. Otherwise, it will be too late, and we will find ourselves strangled. It will be like the Nazi menace which caught hold of Europe and to get rid of that menace they had to go through a bloody war.

We have got young men and women who can run a paper in the public sector. The Press Council can do very little unless and until it can corner the monopolistic ownership of the papers. It will find each family, each big house, having dozens of members owning this and that under benamidars. By this means, they will own paper. We must lay down clear-cut principles by which we shall not permit anyone to wield the economic policies of this country through these journals. All our talk of social and economic progress, all our talk of the welfare state, will avail us not if we allow half a dozen people to dictate the policies of our country.

Yellow journalism has come directly as a result of monopolistic practices. Yellow journalism is a product of the monopolistic press. That it exists in our country is a reflection on the state of our society. Our finest moral values, the finest human values and the great democratic values are being slowly lost. If we have lost the great values and principles which Mahatma Gandhi has bequeathed to us, whose fault is it? It is because of such kind of papers; these vipers, these cobras have intruded into our garden. Have we forgotten our ideals—the great ideals of democracy and other things?

I shall conclude by referring to what Sir Harry Douglas, Chairman of the Economic Council of the Trade

Union Congress recently said in London. He talked of modernisation of the machine. 'We shall modernise, we shall not stick to old ideas'; And he used a very expressive phrase when he said, 'The old rogues of elephants shall not be permitted to come into our garden'. We have some old and new rogues who have come into the Indian garden. They have to be exterminated. Unless we do kill them all, we shall have no peace, no contentment and no happiness for the millions of this land.

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, अखबार देश का एक ऐसा म्रोत है जिससे कि देश की जनता अपनी राय और मन बनाया करती है और अपने देश का निर्माण करती है। अगर आप सारे आंकड़े देखेंगे तो इस देश के अखबार सिर्फ चन्द लाख आदमियों का मन या वाणी है, देश का नहीं, देश की जनता का नहीं, क्योंकि आखिर 44 या 45 करोड़ इन्सानों का यह देश है। यहां के लोग आखिर इन्सान हैं, वे ज्ञान रखते हैं, बेज्दान नहीं हैं। इस देश के अखबार कभी निर्माण कर नहीं सकते जब तक कि इस देश की जनता अपनी ज्दान में अपने अखबार पढ़ या लिख नहीं सकती। हिन्दुस्तान के उन लोगों के लिये, उन वर्गों के लिये, जिन को देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिये, सरकार क्या करती है? सरकार को क्या करना चाहिये, सरकार का क्या कर्तव्य है, उन लोगों का क्या कर्तव्य है, जब तक देश की आम जनता तक यह बात अखबार द्वारा नहीं पहुंचती या नहीं पहुंच सकती, अखबार सिर्फ एक टगों का तोड़ा है, इससे ज्यादा नहीं और वे इसकी कंशिश करते हैं कि लुटेरा वर्ग किसी तरह से अपनी लूट को कायम रख सके, लोगों को भ्रम में डाल कर। इस देश के किसान, इस देश के श्रमिक, खानाबदोश, इस देश के दलित लोग अखबारों से बिल्कुल बेबहरा हैं।

आज यह अखबार क्या हैं। जिस तरह से रजवाड़ों के समय में भाट लोग खड़े होकर

राजा के गीत गाया करते थे और दूसरे लोग नाच करके उसे रिझाया करते थे, उसी तरीके से फोटो निकलवा कर अखबारों के अन्दर और उन लोगों के वक्तव्य निकाल कर सरकारी नीति को दिखलाया जाता है, जिस तरह से पहले भांड लोग किया करते थे। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस देश की जनता तक देश की सरकार के कार्यक्रम और देश की जनता की रीति नीति को पहुंचाना है, देश की जनता को अपना कर्तव्य पालन करने के लिये उत्तेजित करना है और अपने हकों को हासिल करने के लिये उनको शक्ति देना है तो देश के अखबारों को, देश की जनता तक इन खबरों को पहुंचाने के लिये, देश के स्वाधीन अखबार बनना चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल अखबारों में छपता क्या है। अखबारों में छपता है सरकार और सरकारी अफसरों के नाम। कोई भी सरकारी अफसर हो, मन्त्री हो . . .

श्री कान्ही राम गुप्त (अलवर) : आपका भी नाम तो छपता है।

श्री बागड़ी : मेरा नाम मुश्किल से छपता है। अगर छपता भी है तो गलत छपता है। मैं आप को एक मिसाल देता हूं। कल की ही बात है, यहां पर बाढ़ से पीड़ित लोगों का प्रदर्शन हुआ। उसमें क्या हुआ? वे कांग्रेस वालों का सारा प्रदर्शन था। उन बेचाराओं ने कांग्रेसी झंडा दूर रख कर मुझ से कहा कि बागड़ी, तुम भी कुछ बोलो। मैं उसके अन्दर बोलने लगा। मेरा भाषण खत्म हुआ। उसके बाद मन्त्री जी खड़े हुए। मन्त्री जी को लोगों ने सुना नहीं। अखबार वालों ने खबर दे दी कि मनीराम बागड़ी ने माइक्रोफोन छोड़ा ही नहीं इसलिये मन्त्री जी बगैर बोले ही चले गये। कितना झूठ है। हमारे मन्त्री जी खुद इस सदन के सदस्य हैं, वे इस बात को साफ कर दें कि क्या मैंने माइक्रोफोन नहीं छोड़ा। मन्त्री जब

[श्री बागड़ी]

बोलने लगे तो लोगों ने उनको मुना नहीं, लेकिन चूँकि अखबार मन्त्री जी से खुश था, हम से नाराज था क्योंकि मैं कभी कभी बिड़ला हाउस का जिन्क कर दिया करता हूँ और वह अखबार बिड़ला जी का था, इसलिये उसने इस बात को इस तरह से लिख दिया।

मैं आप से अर्ज करता हूँ कि अगर देश के अखबारों को आज विलासिता, भोग और झूठी बातों को छोड़ कर हिन्दुस्तान के दिल को पकड़ना है, हिन्दुस्तान के गरीबों के दिल को झकझोरना है, तो वे आज इस तरह के अखबार बनें जिससे हिन्दुस्तान का सही नक्शा हिन्दुस्तान की जनता के सामने आये और देश कुछ कर सके। आज अखबार किस तरह से छापते हैं। जैसे कि प्रधान मन्त्री ने ऐना किया कि वह धोती पहनें, तो धोती वाला खबर बड़े जोर से छपी गई, लेकिन अगर कहीं विदेश में जाकर प्रधान मन्त्री का मन कुछ छोटा हो गया और पनवून या चूड़दार पायजामा पहनने लगे, तो एक कोने में यह खबर छपेगी। वैसे तो छोगी ही नहीं, लेकिन अगर छपी भी तो एक कोने में, कि उनका पतलून या पायजामा मजबूरन पहनना पड़ा। सारे देश में सादगी का प्रचार होता है लेकिन अमल जब होता है तब विलासिता का होता है और उसका प्रचार नहीं होता है।

मैं आप से अर्ज करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के अन्दर आज सरकार को, अखबार का और लुटेरे वर्ग का जिसको पूँजीपति बर्ग कहते हैं, रिश्ता बन गया है। एक भाई सरकार में है, एक भाई अखबार में है और एक भाई व्यापार में है। तीनों मिल कर हिन्दुस्तान के समाज को लूट रहे हैं। तीनों की एक ही वाणी है और तीनों का एक ही अमल है। मैं मिलावट बता हूँ। हिन्दुस्तान के अन्दर महंगाई बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी। लेकिन जब किसान की फसल आयेगी तो व्यापारी भाई कहेगा कि अखबार भाई तुम उठो, और

अखबार भाई कहेगा कि महंगाई आ गई है, फिर सरकार भाई कहेगा कि भाव गिरा दो क्योंकि व्यापारी भाई को किसान से खरीदना है। जब वह देखेगा कि सारा अनाज, गुड़, चीनी और शक्कर मार्केट में आ गई, जखीरा-खोर लोगों के पास चली गई तो व्यापारी भाई कहेगा कि अखबार भाई उठ। अखबार भाई कहेगा कि भाव नीचे गिर गया, उत्पादन टकराव नहीं खाता, वह कहेगा कि कीमत बढ़ाओ। सरकार भी उठेगी और व्यापारी भाई की मदद करेगी, भाव बढ़ेंगे और लूट खसोट चलेगी। ये तीनों त्रिजटायें हैं जो देश को आज लूट रही हैं।

मैं आप से अर्ज करूँगा कि एक अखबार के अन्दर एक खबर निकली, शायद सदन को इसका पता न हो, कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति को सरकार डी० आई० जी० पुलिस लगा रही है। यह कितनी ताज्जुब की खबर है लेकिन वह अखबार के किसी कोने में छपी है। यह कितने अवर्षम की खबर है कि किसी सांप ने आदमी को नहीं काटा बल्कि आदमी ने सांपों को काटना शुरू कर दिया है और सांप मरने लगे हैं। तो यह एक खबर बनाने का ढंग है।

मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि देश के अन्दर खबरों को सहीँ मैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक किस्म का वातावरण बनता है तो काया पलट भी हो जाया करता है और जाने वाली परीक्षियां उसके उलट भी अपना फैसला दे दिया करती हैं।

अगर इस सदन में बिड़ला भवन का जिन्क चलता है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए क्योंकि हिन्दुस्तान के राष्ट्रपिता बापू वहाँ लहीं हुए थे, तो अखबारों में यह खबर

नहीं छपती और विज्ञान के अखबारों में तो कतई नहीं छपती। कांग्रेस के भाई भी बाहर जाकर कहते हैं कि बात तो सही है लेकिन विज्ञान के खिलाफ हम कैसे करें। तो इस तरह उसका अखबारों पर आतंक छाया हुआ है।

मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि हिन्दुस्तान के अखबार दो किस्म के हैं, या तो दक्षिण पन्थ और सरकार पन्थ और दूसरा वामपन्थ और भ्रष्टाचार पन्थ। अभी एक कांग्रेसी सदस्या रो रही थीं कि क्या करें कांग्रेसियों के खिलाफ आपत्ति होती है तो सहारा देना पड़ता है। अखबारों के खिलाफ तो वह बहुत कह गयीं लेकिन गृह मन्त्री के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वह भी तो उसमें उतने ही दोषी हैं। अगर अखबार ने पाप किया है तो धनवन्तरी ने भी पाप किया है जिसका उसने प्रचार किया है। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ यह कहना चाहता हूँ कि अखबारों से इस भ्रष्ट ढंग को हटा दें। एक पी० टी० आई० है उसका तकरीबन सारा काम सरकार के सहारे चलता है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : गलत है। वह इंडिपेंडेंट एसोसियेशन है।

श्री बागड़ी : ठीक है, लेकिन पैसा तो सरकार से मिलता है, मदद तो सरकार से मिलती है। उसको इशतिहार मिलते हैं। सरकार जिन अखबारों को इशतिहार देती है वे अखबार सरकार की खबरों का ज्यादा प्रचार करते हैं। तो इशतिहारों के सहारे भी यह भ्रष्ट नीति चलनी है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : अखबारों में रिनेमा के विज्ञापन भी बहुत छपते हैं।

श्री बागड़ी : यह सिद्धान्ती जी ने ठीक कहा।

अखबारों में यह खबर नहीं छपती कि किस तरीके से देश को बढ़ाना है। खबर छपती है कि फलां मन्त्री को आज जूकाम हो गया, फलां मन्त्री जी आज ग्राठ बजे उठा तो उसे ग्रांगड़ाई आ गयी, लेकिन ये खबरें नहीं छपतीं कि किस तरीके से भारत बन्द हुआ, किस तरीके से हिन्दुस्तान के लोग भूखे मरे, किस तरीके से बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ी। एक कारखाने को, जो कि एक सरमाएदार का था, बचाने के लिए नजफगढ़ को डूबो दिया गया जिसमें दिल्ली के अधिकारियों का भी हाथ था, लेकिन वह खबर अखबारों में नहीं छपती। अखबार में छपता है कि आज त्यागी जी के चेहरे पर मुस्ती थी। तो इस खबर में किसी मजदूर को क्या दिलचस्पी हो सकती है। ऐसा मालूम होता है कि ये अखबार मन्त्रियों की मुस्ती और मरमी की खबरें छापने के लिए ही हैं।

मैं एक बात और अर्ज करूंगा कि अखबारों में नंगे और गन्दे चित्र नहीं छापने चाहिए, इससे देश का चरित्र बिगड़ता है। मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार हिन्दुस्तान के अखबारों का इस्तेमाल हिन्दुस्तान की जनता को बढ़ाने के लिए, हिन्दुस्तान की जनता के ज्ञान और उपदेश के लिए करे, और इस प्रकार की हेरा फेरी न हो कि हिन्दुस्तान की भाषाओं के पत्रों को अखबारी कागज का कोटा कम दिया जाए और अंग्रेजी अखबारों को ज्यादा दिया जाए। जो न्यूज एजेंसी चलती रकमें हैं उनको आश्रय और प्रश्रय दिया जाता है और दूसरों को कम। अगर आप हिन्दुस्तान के गरीबों के दिलों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं तो भाषा के अखबारों को ज्यादा उत्साहित करें जिससे उनका ज्यादा प्रचार हो। उनको हिन्दुस्तान की जनता दिल से सुनना चाहती है। इससे जनता का मन बढ़ेगा। उनमें उनके दुःख दर्द की बात रहती है। अगर एक मन्त्री के जूकाम की खबर छप जाए तो इससे किसी गरीब मजदूर को क्या दिलचस्पी हो सकती है। अगर आप यह खबर दें कि हिन्दु-

[श्री बागड़:]

स्तान के अन्दर लोगों की दरिद्रता मिटाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, महंगाई मिटाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, हिन्दुस्तान के लोगों की गरीबी मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है और हिन्दुस्तान के लाखों इन्सान अपनी गरीबी मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हिन्दुस्तान की जनता को उन खबरों में दिलचस्पी होगी। यही करना ठीक है।

श्री तन सिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्त प्रकार की स्वतन्त्रताओं में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का सबसे ज्यादा महत्व है और इसलिए इसको संविधान में भी पर्याप्त स्थान मिला है।

हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति का एक लम्बा संघर्ष होने के कारण समाचार पत्रों में भी प्रायः यही हुआ करता था। लेकिन राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद दुर्भाग्य से जब हम को उस स्वतन्त्रता के फलों को अपने समाज में लाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, वहाँ अखबारों में राजनीतिकता आवश्यकता से अधिक घुस गयी और हम हर जगह इसी को देखते हैं। नतीजा यह है कि आज हमारे देश में एक स्वस्थ और अच्छे सुरक्षितपूर्ण साहित्य की उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है।

मैं समझता हूँ कि प्रेस काउंसिल की स्थापना के साथ इस बात पर विचार किया जाएगा कि जहाँ हम राजनीतिक आवश्यकता से अधिक जोर देना चाहते हैं वहाँ यह भी देखें कि जीवन में और भी समस्याएँ हैं। हमें यह देखना होगा कि उन समस्याओं के सुरक्षितपूर्ण समाधान के लिए एक अच्छा साहित्य निर्मित हो सके। इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

एक बात जो यहाँ अभी बहुत जोरों से कही जा रही है वह अधिक एकाधिकार के सम्बन्ध में है कि अखबारों के स्वामित्व का एकाधिकार होता जा रहा है। मैं समझता हूँ

कि जनतन्त्र के लिए इससे भी अधिक खतरनाक एक बात और हो रही है, वह यह कि विचारों का एकाधिकार होता जा रहा है। आज हमारे समाचार पत्रों पर कुछ घनपतियों का ही प्रभुत्व है इतनी ही बात नहीं है। एक विचार विशेष का या एक राजनीतिक दल या सत्तधारी दल का जितना प्रभाव समाचार पत्रों पर है उससे जो खतरा है वह खतरा उस आर्थिक एकाधिकार से कहीं अधिक है। राजनीतिक विचार स्वातन्त्र्य एक ऐसी स्वतन्त्रता है जो आर्थिक या अन्य किसी प्रकार के बन्धनों को तोड़ सकने की क्षमता रखती है, लेकिन अगर उसी स्वतन्त्रता को किन्हीं व्यवधानों में बन्द कर दिया जाए तो हमारे लिए और दूसरा मार्ग खोलने का रास्ता बन्द हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति प्रेस काउंसिल की स्थापना के साथ साथ विचार स्वातन्त्र्य के लिए समाचार पत्रों के विभिन्न पक्षों को प्रोत्साहन देने और विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेशन करने पर भी विचार करेगी। यदि विभिन्न विचार इस देश में नहीं पनपेंगे तो जनतन्त्र अच्छे ढंग से पनप नहीं सकेगा।

इसके सिवा मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ और वह यह है कि जब हम विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दें तो सरकार को इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि अपने कार्यों का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करे और उसके विपरीत माने वाली समस्त आलोचना को गम्भीरतापूर्वक सहन करने की शक्ति रखे।

मेरी यह समझ में नहीं आता कि प्रेस काउंसिल की स्थापना के साथ मुख्य न्यायाधीश को क्यों घसीटा जा रहा है, उनको क्यों लाया जा रहा है। हम इस बात को मानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश एक बहुत ऊँची हस्ती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उनके द्वारा मनोनीत किया हुआ व्यक्ति

भी उतने ही ऊंचे स्तर का व्यक्ति हो। अभी सम्बन्धित मंत्री महोदय ने बताया था कि हमने एक बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति को इसलिए रखा है कि इससे किसी को भी यह सन्देह न हो कि इसमें पक्षपात हो सकेगा। मेरा कहना है कि यदि यह माना जाता है कि मुख्य न्यायाधीश के नाम के कारण, या उनके द्वारा उस व्यक्ति के मनोनीत किये जाने के कारण आलोचना नहीं होगी या सन्देह नहीं रहेगा, यह तर्क ठीक प्रतीत नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि चाहे कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किया गया हो, फिर भी वह गलतियों से परे नहीं है। और इसलिए उस पर भी आलोचना हो सकती है। इसलिए जब हम आलोचना ही करने जा रहे हैं, उस समय हम मुख्य न्यायाधीश को बीच में लाएं या उनका उससे सम्बन्ध हो, तो यह कोई अच्छा परम्परा नहीं है। सरकार को इस बात की हिम्मत रखनी चाहिए कि वह स्वयं इसका मनोनयन करे और उसके द्वारा की गई जो कुछ भी कार्यवाही करनी हो उसके उत्तरदायित्व को भी वही अपने ऊपर ले। उसकी जवाब देही सरकार पर होनी चाहिए। सरकार द्वारा यह कह देना कि चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मनोनीत है इस वास्ते हम जिम्मेदार नहीं हैं, यह अच्छी परम्परा नहीं बनेगी।

प्रेस कौंसिल के सम्बन्ध में एक मुख्य बात, प्रेस कौंसिल द्वारा अखबार की भर्त्सना की गई है। मुझे इसमें भी कोई तूक नहीं दिखाई देता। यदि एक बहुत से लोगों का जमघट या एक समिति इकट्ठा हो कर किसी अखबार विशेष या समाचार पत्र विशेष के बारे में अपनी राय प्रकट करे, उस के ऊपर अपनी नाराजगी जाहिर करे, क्या यह पर्याप्त सजा है उस के लिए? यदि उसका अपराध इस कोर्ट का है कि देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत आता है तो

उस कानून के अन्तर्गत उसको सजा मिलनी ही चाहिए और यह मात्र भर्त्सना क.फी नहीं है। यदि सामान्य कानून के अनुसार उसको कोई सजा नहीं मिल सकती तब यह भर्त्सना बेकार की है। यह एक मात्र नाटकीय तरीका है और इससे कोई सार हासिल होने को नहीं है।

एक मुख्य बात इसमें यह कही गई है कि आर्थिक एकाधिकार जो कि अखबार वालों का होता जा रहा है उसको दूर करने का यत्न किया जायेगा। रजिस्ट्रार प्रोफ़े. न्यूजपेपर्स का आफिस कितने ही अर्थ से चल रहा है। जो सूचनायें एक अखबार वाले को देनी पड़ती हैं वे कानून के अनुसार उस अखबार में प्रकाशित करनी होती हैं। वार्षिक जो स्टेटमेंट देना पड़ता है उन स्टेटमेंट्स में भी उसे यह सारी बातें स्पष्ट करनी पड़ती हैं। अब यह प्रेस कौंसिल स्थापित होकर ऐसी कौन सी नई सूचनाएं प्राप्त कर लेगी जो कि रजिस्ट्रार प्राप्त नहीं कर रहा है? आवश्यकता तो इस बात की है कि रजिस्ट्रार के पास में अब तक जितनी भी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं उन सूचनाओं के आधार पर कोई इस तरह की नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे कि यह जो आर्थिक एकाधिकार स्थापित होता जा रहा है उसको दूर किया जाय। लेकिन बजाय उसके दूर करने के एक और नई समिति की स्थापना की जाय और फिर उससे जो विचार आये उनके आधार पर और एक नई समिति की स्थापना की जाय यह तो एक तरह का द्रोपदी का चौर हरण हो गया कि ज्यों ज्यों खींचा जाता गया वह त्यों त्यों बढ़ता ही गया। मेरा कहना यह है कि यह समस्या का समाधान न होकर समस्या को टालने की चेष्टा है। सरकार इस दृष्टि से जागरूक रहने के लिए तैयार है तो उसके सामने समस्या भी बहुत स्पष्ट हो चुकी है।

इसके अलावा प्रेस कौंसिल के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह प्रतिरिक्त

[श्री तन सिंह]

सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है ? यह तो वही होंगी जो कि स्टेटमेंट प्रखबार वाले बेंगे । वही होंगी । इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है । जब कोई नई चीज पैदा नहीं हुई तो बजाय इसके कि प्रेस कौंसिल उन्हीं सूचनाओं के आधार पर काम करे उचित यह होगा कि वह इसकी सिफारिशों के बावजूद नया रास्ता ही अपनाये । इन शब्दों के साथ मैं उसके उद्देश्यों का समर्थन करता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि यह बिल बनने आप में बहुत अधूरा है और प्रवर समिति में जाने पर इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और इसको एक अधिक अच्छे ढंग से और एक नये सिरे से लाया जायेगा ।

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni):

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Bill which has been brought forward by the hon. Minister of Information and Broadcasting. It is long overdue. It is not a day too early that we have come to discuss this.

When we consider this Bill, our minds go back to the great editors and leaders of public life who had started many newspapers and moulded public opinion in the cause of freedom struggle. In those memorable old days each leader of standing has been editing a newspaper which played a historic role in the freedom of this country.

Coming to the present days, it has been appropriately said by many speakers that the Press is now controlled by big monopolists and does not play the useful role as it is intended and it is necessary that the Press Council should go into this with attention.

The Joint Committee should see that as far as practicable every encouragement is given to the small newspapers that are doing useful work in the regional languages. It has been stated that 13 members of this Council will be from among the journalists and not less than six would be from editors. I can say without fear of contradiction

that the newspaper editors that are now in the big newspapers have not been able to exercise their own independent judgement and they are often influenced and motivated by the policy that they set for that paper by those who run those newspapers. Representation should be reduced for them from six to three and adequate representation should be given to the working journalists as well as for the language newspapers. I think their number must be increased from three to six. We have been agitating these days that the regional languages should have a useful place in all spheres of life and we should give every encouragement to language newspapers. It is only in the fitness of things that the language newspapers should get adequate representation in this Press Council. There are difficulties that the language newspaper experience in the matter of getting advertisements, newsprint quota etc. The Press Council should be enabled to bestow its thought and give special treatment so far as the initial difficulties of the language papers are concerned. They are struggling hard and are not able to meet with success very much in spite of their very best efforts and in spite of the fact that they take up local issues. In this context, I suggest that very encouragement should be given to these newspapers.

There are welcome provisions about the composition of the Council in this Bill. The Chief Justice will nominate the Chairman and the other persons will be nominated in consultation with the Chief Justice, the Chairman and a representative nominated by the President. This is a laudable process and I hope that the Press Council will play its role in moulding public opinion and also in protecting the newspapers and journals that are brought in this country and do their duties properly and also that much of the mud-slinging and slanderous propaganda that is being carried on by the so-called yellow journals would be put down. The proper image of the country, its economic policies, its adherence to demo-

cratic socialism and the working of the Government and its policies should be very well projected in these newspapers, without attaching any bias or without trying to distort the proper image or policy and giving a twist to some of the policies that are being pursued by the Government

With these words, Sir, I support the Bill.

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar North): Sir, the Press in India has played a very significant role in the pre-independence days also in awakening social and political consciousness among the people, and in the post-independence period in creating social consciousness and educating the people in the democratic values. The Press, during the pre-independence period, had to struggle very hard against odds. Many leaders, political and social, had associated themselves, fortunately, with some of the papers through which they could ventilate the grievances and they could educate the people. I am reminded of Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi and other leaders of our country. I remember an occasion when Lokmanya Tilak published an editorial in one of his papers—*Maratha* and *Kesari*—on the occasion of a Hindu festival. That article, particularly the portion referring to the meeting of Shivaji with Afzal Khan, was interpreted by the Privy Council as seditious as a result of which Lokmanya Tilak was thrown behind the bars.

The Press has gathered strength and momentum in this country, though facing odds and also moving against the times. But anyway, it should get all facilities and there should be freedom of the Press subsequent to our attainment of independence. I may quote here that the Privy Council interpreted the particular article published by Lokmanya Tilak in this way:

"The offence consisted in exciting or attempting to excite in others certain bad feelings towards the Government and not

in exciting or attempting to excite mutiny or rebellion or any sort of actual disturbance great or small."

Therefore, the article has been so interpreted to have a particular thing. But we notice that the word "sedition" has been deleted in the Draft Constitution from article 13(2). Deletion of the word "sedition" from Draft Article 13(2), therefore, shows that the criticism of Government exciting disaffection or bad feelings towards it is not to be regarded as a justifying greater freedom has been given to the expression or Press unless it is much as to undermine the security or tend to overthrow the State. Therefore, greater freedom has been given to the Press. Subsequently, we notice, in the decision given by the Supreme Court, also, in the case *Ramesh Thapar vs. the State of Madras*, freedom of Press has been interpreted in a very liberal way. It says:

"There can be no doubt that the freedom of speech and expression includes freedom of propagation of ideas and that freedom is ensured by freedom of circulation. Liberty of circulation is as essential to that freedom as the liberty of publication. Indeed, without circulation the publication would be of little value."

This is how a part of the judgement given in the case of that particular paper *Crossroad* reads. Therefore, we notice here that the Press has been given all the liberty. Again, in another case—*Brij Bhushan and others vs The State of Delhi*—with reference to the circulation of a particular paper, it was said:

"The liberty of the Press consists in laying no previous restraint upon publications and not in freedom from censure for criminal matters when published. Every free man has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to forbid this is to destroy the freedom of the Press."

[Dr. Sarojini Mahishi],

Therefore, the freedom of the Press is there. But it should also be examined whether this freedom is proper? being utilised. Of course, there are very narrow and stringent restrictions laid upon legislative powers to curtail this freedom. This is a fundamental right—freedom of speech including freedom of expression, freedom of publication freedom of circulation either by expression or by photography or by lithography or by whatever means publication is possible. Therefore, the Press, no doubt, has attained so much freedom in our country. At the same time, this freedom, in certain corners, is being misused. There are so many papers, especially after independence, that have come up in different languages in different corners of the country. But in spite of the fact that there are so many newspapers, dailies and periodicals, in the country, we find that there is a vast difference as regards the proportion of the number of newspapers in the country and the number of readers. I do not know what measures are going to be adopted by the hon. Minister for inculcating the habit of reading in the public. The proportion is so deplorable that the highest circulation of any Indian paper in the country is not more than 1½ lakhs. I learn that in England if the circulation of a paper is reduced to 30 lakhs it would close down its office because it cannot run the paper. Of course, we cannot compare our conditions, social and literary conditions, with those prevailing in the United Kingdom or in the United States of America. At the same time, after attaining independence we should be able to inculcate this habit of reading in the public. It is also a very strong means of educating the people in the democratic and social values which are quite essential and are at the grassroots of our democracy.

But, Sir, there are papers in our country, very small papers, especially in the language Press, which try to encash their capacity to defame others, which try to live and exist upon

criticising or entertaining unhealthy criticism. These papers, I know, are sold like hot cakes. The moment they come to the market they are sold out. What is there to control these papers, to check these papers, to curb the circulation of these papers? As it has been rightly said in that particular case, *Brij Bhushan and Others vs The State of Delhi*, which I quoted earlier, freedom does not mean freedom from censure for criminal matters when published. Therefore, this particular thing also has to be attended to.

Therefore, the papers, especially the language papers, suffer due to very many handicaps. We say that the Press should be given proper encouragement. The other day the hon. Minister was pleased to say that a Wage Board would be set up to look into the conditions of working journalists also. 'Press' does not necessarily mean "newspapers" as they come early in the morning, but it means the whole paraphernalia which is working behind this Press. Therefore, the small papers also should be encouraged. At the same time, a certain check or control should be exercised over those papers. In the matter of granting quota of newsprint or in the matter of giving advertisements, it is only the big papers which are fortunate enough to get them. Giving of advertisements by the Government depends upon the circulation of a paper. The circulation number can also be manoeuvred. Some of the inspectors can make it quite evident that the number of papers in circulation is the number of papers brought out which can be known from the machinery which brings out the exact figures upon it. But certain papers are there which never put the white paper below the machine to get the news printed. They find it more profitable to sell away that white paper in the blackmarket and make money. If they sell out the white paper in the market they know it will bring more money than if they sell it with the printed material as newspaper. Many papers make good

money in that way also. Therefore, this is a very appreciable, praiseworthy Bill that has been brought before the House and an attempt is being made for self-regulation among the journalists, among the people working in the Press.

Yesterday, while referring to this particular matter, Shri D. C. Sharma, said that the number of editors on the Council should not be so much, it should be in proportion to the other people working in the press. Of course, the number of editors is only one in a Press and the number of compositors and correspondents is very great and we cannot have any proportion between the editors and the number of other journalists working there. Therefore, what I mean to say is,—of course, whether an editor is editing the paper for a big businessman or is himself a publisher and editor of any paper he is responsible for that particular paper, for the things published in that paper—the representation of six editors on this Council is welcome, but we must see that more than 50 per cent of the representation is given to the language newspapers because language newspapers in India are in 13 or 14 languages.

I would specially like to refer to this particular thing that the formation of a Council which ought to have been done earlier has come before the House now. But in this particular matter this Council has got a variety of functions to perform. One of the functions—I am referring only to one or two of the functions mentioned here—is to keep under review any development likely to restrict the supply and dissemination of news of public interest and importance and also the arrangements made for the reproduction in India of material obtained from other countries. To see that facilities for publishing the news from abroad is given to all these papers, it will review all these things, review and take proper remedial action to see that these things

are fulfilled and that these conditions are satisfied. That is one of the important things.

Another function to which I would like to refer is the one to provide facilities for the proper education and training of persons in the profession of journalism. That is more important, because many of the universities are not able to make provision for imparting instruction in journalism. There are a few diploma courses and degree courses in some universities. But in service training for the working journalist, a sort of orientation and reorientation training facilities should also be given.

I would also like to draw the attention of the Minister to one important point, namely, that power to censure has been given under clause 13. This is only power to censure publicity. No disciplinary powers have been given to the Council; it is only a moral disapprobation that the Council can have at the most. Under sub-clause (1) this decision of the Council shall be final and it shall not be questioned in any court of law. The Council can sue and be sued. At the same time the decision of the Council under sub-clause (1) shall be final and cannot be questioned in any court of law. This particular thing has been discussed at great length in the other House also, I learn. Under article 136 the Supreme Court can entertain any appeal from any decree or decision or determination or sentence or order. But should we leave all this to the decision of the Supreme Court to entertain any case on this particular thing? That is one thing. And under article 226 the High Court is empowered. Under article 32 it is a remedial right given to the citizen under Fundamental Rights. But should there be resort only to these things and should there be no other *via media* in between?

And, secondly, is this a court at all? Is this Press Council a court at all? For the purpose of enquiry its

[Dr. Sarojini Mahishi],

proceedings will be treated as judicial proceedings according to the provisions of the Code of Civil Procedure for (a) summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath (b) requiring the discovery and production of documents, (c) receiving evidence on affidavits, (d) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

After all these things are done, what is the result, what is the outcome that is going to come out of this judicial proceeding or from this particular enquiry? At the most, after once publicly censuring any editor or any journalist, for the second time it can report to the Central Government, and the Central Government should take action on that. But I hope there will be cordial co-ordination established between the two and the Central Government would take immediate action on the report of the Press Council.

I do not know whether its decision is in the nature of a judicial decision; it cannot be. I hope the hon. Minister will make all these things clear. And if at all the Press Council is to function and discharge its functions in a very able manner, because the Press Council has been newly formed and is going to lay down very healthy conventions and traditions in the field of journalism, I wish that in order that the powers given to it can be utilised properly the other incidental and ancillary powers be also given to it so that the Press Council may discharge those functions.

I take this opportunity to congratulate the new Minister who has taken a very bold step in overhauling the machinery of the Information and Broadcasting Department.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) :
उपाध्यक्ष जी, प्रेस कमीशन ने समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का आघात न हो सके, इसके लिए जो अपनी सिफारिश

की है और उसकी पृष्ठभूमि में जो यह विधेयक यहां लाया गया है, इस भावना का तो मैं स्वागत करता हूँ लेकिन विधेयक का प्राख्य जिस ढंग से तैयार किया गया है, उससे उस भावना की रक्षा हो सकेगी, इसमें मुझे सन्देह प्रतीत होता है ।

पहले तो इस प्रेस काउंसिल के गठन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ । इसके गठन के लिए मूल रूप में तीन व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है । इस पर मैं आपत्ति प्रकट करना चाहता हूँ । ये तीन व्यक्ति होंगे, चीफ जस्टिस आफ इंडिया, दूसरे उनके नामांकित और तीसरे राष्ट्रपति जी के नामांकित—ये तीन व्यक्ति जिस काउंसिल का निर्माण करेंगे, उसके बारे में मान लीजिये कल को किसी को इस काउंसिल के खिलाफ कोई शिकायत हो तो वह शिकायत किस कोर्ट में जाकर की जाएगी ? अब तक तो यह था कि नीचे के स्तर पर कोई कठिनाई हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हुए थे या राष्ट्रपति जी का द्वार खुला हुआ था और वहां जाकर कोई अपनी इस कठिनाई को प्रकट कर सकता था । लेकिन जब राष्ट्रपति और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उनके प्रतिनिधि जो हैं वही पच्चीस सदस्यों का चयन करने वाले होंगे और वही उनको नामांकित करेंगे तो फिर उनके खिलाफ अपील किस के यहां हो सकेगी ? एक बात और जो मुझे सब से ज्यादा आपत्तिजनक प्रतीत होती है वह यह कि अब तक भारतवर्ष के न्यायाधीशों को राजनीति में कभी भी इस रूप में घसीटा नहीं जाता था और वे इन तमाम चीजों के ऊपर रहते थे । कोई कठिनाई हो तो उनके यहां अपील हो सकती थी । अब जब उनको स्वयं इसका निर्णय करने के लिए निवृत्त कर दिया जाएगा, तो इससे मेरा अपना अनुमान यह है कि हम गसत परम्परा का ही श्रीगणेश करेंगे ।

सरकारी हस्तक्षेप का प्रतिफल मैंने कई स्थानों पर देखा भी है। यहाँ मैं एक घटना का जिक्र कर देना चाहता हूँ। जम्मू काश्मीर में अभी हाल में एक घटना घटित हुई है। वहाँ दो समाचारपत्रों के सम्पादकों को और उन पत्रों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। एक पत्र का नाम है "काश्मीर पोस्ट" और दूसरे का नाम है "मार्तंड"। इसका कारण यह था कि उन्होंने कुछ इस प्रकार के समाचार छापे थे कि जो समाचार सरकार की नीति से मिलते जुलते नहीं थे। वहाँ राज्य में पीछे एक गांव में साम्प्रदायिक उद्वेग हुआ था और उस साम्प्रदायिक उद्वेग के सम्बन्ध में उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि इसमें सरकार के प्रतिनिधियों का भी हाथ किसी न किसी रूप में है। इस कारण से उनको डी० आई० आर० के अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसी जम्मू काश्मीर राज्य के अन्दर एक समाचार पत्र इस प्रकार का भी निकलता है उर्दू में जिसका नाम "मुहाज" है और जो शेख अब्दुल्ला का पत्र माना जाता है और वह वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ भी बगावत का प्रचार बराबर करता रहता है। जम्मू काश्मीर राज्य सरकार की नीति के खिलाफ बगावत और विद्रोह के समाचार उसमें आए दिन प्रकाशित होते रहते हैं। लेकिन जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट इस पत्र के खिलाफ न किसी प्रकार का कानून लागू कर सकी है और न इस पत्र के मालिक पर और न इस समाचार पत्र के पीछे जो हाथ आजकल काम कर रहे हैं उन के ऊपर किसी प्रकार का कानून लागू कर सकी है। जब यह भारत सुरक्षा अधिनियम लागू हुए थे उस समय इस विभाग के जो मंत्री थे, जो इस समय सौभाग्य से हमारे देश के प्रधान मंत्री भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि समाचारपत्र के किसी सम्पादक को या समाचारपत्र से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को अगर इस

कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाएगा तो प्रेस एसोसिएशन को पहले उसका केस भेजा जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो दो सम्पादक समाचार पत्रों के वहाँ गिरफ्तार किये गये हैं, इनके सम्बन्ध में क्या उक्त मिनिस्टर साहब के आश्वासन का पालन किया गया है और यदि नहीं किया गया है तो कहां तक न्याय बरता गया है और इसी तरह फिर कहां तक आगे न्याय बरता जा सकेगा, यह देखने की बात है। इस और भी हमारा ध्यान सा ध्यान जाना चाहिये।

एक और बात मैं सरकार से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी नई सूचना मंत्री इस पर खास ध्यान दें। अब तक भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के सम्बन्ध में हमारी सरकार की नीति बड़ी ही पक्षपातपूर्ण रही है और इस प्रकार की रही है कि उसको मानो दूसरे नम्बर की भाषा समझा गया है। समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इसको अगर आप देखें, इस में जो आंकड़े दिये हुए हैं उन से आपको पता चल जाएगा कि सभी भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों, दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्धमासिक, मासिक आदि की संख्या अंग्रेजी में छपने वाले समाचारपत्रों की संख्या से कितनी अधिक है। इनकी संख्या अंग्रेजी पत्रों की संख्या से कई गुना अधिक है। लेकिन जब कभी सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व का प्रश्न आता है तो भारतीय भाषाओं की इस बुरी तरह से उपेक्षा की जाती है जिसको देख कर दुख होता है। कुछ उदाहरण देकर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। मैं तीन हाल की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे प्रधान मंत्री शास्त्री जी परसों काहिरा के जिस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं वहाँ जो समाचारपत्रों के प्रतिनिधि भेजे गये हैं, उनमें आप देखिये कि भारतीय भाषाओं के जो समाचारपत्र हैं उनके प्रतिनिधित्व का अनुपात

[श्री प्रकाशचंद्र शास्त्री]

क्या है और अंग्रेजी के पत्रों के प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है ? लेकिन इससे भी बड़े जिस पक्षपात की मैं चर्चा करना चाहता हूँ वह यह है कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने अंग्रेजी समाचारपत्रों के प्रतिनिधि जो वहाँ पर गये हैं उनको तो अधिक विदेशी मुद्रा दी है और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को कम । अंग्रेजी के समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को डेढ़ सौ रुपये प्रति दिन के हिसाब से विदेशी मुद्रा दी गयी है और भारतीय भाषाओं के जो प्रतिनिधि गये हैं उनको सौ रुपये के हिसाब से विदेशी मुद्रा दी है । इस सम्बन्ध में आपका न्याय कहाँ आकर सो जाता है ? इनको क्या भूख कम लगेगी या इनको साधन आसानी से उपलब्ध हो जायेंगे ? अंग्रेजी के समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को डेढ़ सौ रुपया प्रति दिन के हिसाब से और भारतीय भाषाओं के पत्रों को सौ रुपये के हिसाब से विदेशी मुद्रा देना कहाँ का न्याय है ?

इसी तरह की एक दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ । दो तारीख को एयर इंडिया की एक नई फ्लाइट चालू होने जा रही है मास्को होकर लन्दन के लिए । उसमें जो समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किया गया है, उसको भी आप देखें कि अंग्रेजी समाचारपत्रों को कितना प्रतिनिधित्व मिला है और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को कितना मिला है । मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्यों यह जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं ? जब एक प्रेस एसोसियेशन बनी हुई है तो उसके सामने आप मांग भेज दीजिये कि एक नई उड़ान आरम्भ हो रही है उसमें हम चाहते हैं कि समाचारपत्र उद्योग या समाचारपत्रों के प्रतिनिधि भी जायें और आप अनुपात को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रतिनिधि भेज दीजिये ।

विदेशों की बात छोड़िये । मैं घर की ही एक बात कहता हूँ । रेल मंत्रालय इस पहली

अक्टूबर से, अर्थात् कल से, कुछ नई गाड़ियाँ चला रहा है, जिन में से एक गाड़ी दिल्ली से आगरा तक जायेगी । उसका नाम है "ताज एक्सप्रेस ।" इस ताज एक्सप्रेस में समाचारपत्रों के प्रतिनिधि भी बुलाये गये हैं । जो समाचारपत्रों के प्रतिनिधि उसमें जा रहे हैं, आप जरा देखें कि उसमें अंग्रेजी पत्रों के प्रतिनिधि कितने हैं और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रतिनिधि कितने हैं । जो सज्जन इस विभाग के अधिकारी हैं जब उनसे शिकायत की गई कि क्यों साहब, भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रतिनिधि इतने कम क्यों हैं तो वे कहने लगे कि हम क्या करें । जो हमारे मिनिस्टर हैं वे अंग्रेजी के ही आखबार पढ़ते हैं । मिनिस्टर अंग्रेजी के आखबार पढ़ते हैं तो क्या समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों का चयन अंग्रेजी के समाचारपत्रों से किया जायेगा । मैं नहीं समझता कि यह न्याय तुला आपकी कहाँ तक ठीक काम कर सकेगी । अगर भारतीय भाषाओं की इस प्रकार से बराबर उपेक्षा चलती रही तो एक दिन भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों और समाचारपत्रों के कार्यकर्त्तियों को ही नहीं, देश की उस जनता को भी जो भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र पढ़ कर अपना मस्तिष्क बनाती है एक दिन सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाना पड़ेगा । अगर यह पक्षपातपूर्ण नीति सरकार की रही तो यह अनिवार्य है ।

दूसरी इसी प्रकार की बात न्यूजप्रिंट के बारे में है । सरकार अंग्रेजी के समाचारपत्रों को जब अधिक न्यूजप्रिंट देती है तो भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है । भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र अधिकांश जन साधारण तक जाते हैं, गाँव और कस्बों तक जाते हैं । भारत के नगरों में उनका प्रसार अधिक है । लेकिन वह बेचारे अपने में तड़प तड़प कर रह जाते हैं जब उनको न्यूजप्रिंट का कोटा कम मिलता है ।

जो समाचार सरकार जनता तक पहुंचाना चाहती है वह पत्र ही उसको अधिक से अधिक जनता तक पहुंचा सकते हैं, सरकार की नीति को भी वे अधिक से अधिक जनता तक पहुंचा सकते हैं, अगर उनको न्यूज़प्रीट अधिक दिया जाये। लेकिन आप अंग्रेजी के समाचार-पत्रों के न्यूज़प्रीट का कोटा देखिये और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों का कोटा देखिये। सरकार की इस प्रकार की नीति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंग्रेजी के समाचार-पत्रों को ही बढ़ावा देना चाहती है। हालांकि उनके पाठकों की संख्या धीरे धीरे गिर रही है और अंग्रेजी का स्तर भी देश में गिरता ही जा रहा है।

इसी प्रकार विज्ञापनों के सम्बन्ध में देखिए, जितने विज्ञापन अंग्रेजी के समाचार-पत्रों को दिये जाते हैं उनकी तुलना में भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के साथ विज्ञापनों के सम्बन्ध में पक्षपात भी किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो जनता की सरकार है और जनता की भाषा में काम करना चाहती है, और जनता के लिये काम करना चाहती है उस को चाहिये कि वह देखे कि जो जन-भाषा के समाचारपत्र हैं उन का उनके क्षेत्र में उचित रूप से वितरण क्यों नहीं होता। अगर आज तक ऐसा नहीं किया गया तो कम से कम आगे के लिये इस चीज को जरूर संभालना चाहिये।

इसी प्रकार से एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ और वह है न्यूज सर्विस के सम्बन्ध में। प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के विचार और किसी बात के सम्बन्ध में चाहे किसी प्रकार के रहे हों लेकिन वह एक बात बार बार वह कहते थे कि मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि हमारे देश में भाषायें चाहे अपने अपने क्षेत्रों की अलग अलग हों, लेकिन सभी भारतीय भाषायें एक दूसरे के निकट आ सकें इस के लिये कोई सामान्य लिपि क्यों नहीं स्वीकार कर ली जाती। अगर ऐसा किया जाये तो अच्छा होगा।

1294 (A) LSD.—7.

मैं चाहता हूँ कि नई सूचना मंत्री एक कार्य अवश्य करें कि देवनागरी लिपि के माध्यम से एक इस प्रकार की समाचार समिति देश में चालू की जाये कि तेलगू वालों को तेलगू में समाचार मिल सके, तमिल वालों को तमिल में समाचार मिल सके और कन्नड़ वालों को कन्नड़ में मिल सके। कुछ ऐसे दूर मुद्रक यंत्र यहां चालू किये जायें जो देवनागरी के माध्यम से हर प्रदेश में समाचार पहुंचा सकें। केवल रोमन लिपि का एकाधिकार उस पर हो और कुछ व्यक्ति समाचार समितियों पर अपना एकाधिकार कर के बैठ जायें इस से हमें थोड़ा बचना चाहिये। पहले भी जब सूचना और प्रसार मंत्रालय का बजट आया था मैं ने इस बात की चर्चा की थी, और आज भी जब प्रेस कौंसिल बिल प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है, मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि भारतीय भाषाओं की उपेक्षा मत कीजिये। भारतीय भाषाओं में जहां समाचारपत्रों का उदय धीरे धीरे हो रहा है वहां जनता की भावनाओं का भी धीरे धीरे उदय हो रहा है और इसके लिये आप को प्रोत्साहन देना चाहिये। आर्थिक दृष्टि से प्रोत्साहन देना चाहिये, प्रतिनिधित्व की दृष्टि से प्रोत्साहन देना चाहिये, समाचार समितियों के नये नये निर्माण की दृष्टि से प्रोत्साहन देना चाहिये। इस प्रकार अगर आप कार्य करेंगे तो इस विधेयक की पृष्ठभूमि में जो आपकी भावना है आप उसकी रक्षा कर सकेंगे।

इतना ही मैं आपके सामने आवश्यक रूप से निवेदन करना चाहता था।

श्री राम सहाय पांडेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूँ। विशेष बात यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकार में आकर जो दायित्व सम्भाला उस दायित्व को सम्भालने के साथ साथ उनके कार्य का जिस प्रकार आरम्भ हुआ, जिस प्रकार यह बिल सदन में उपस्थित

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

हुआ, वह एक सुन्दर श्रीगणेश है और मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ।

कहा यह जाता है कि जंगल में जब टाइगर को गोली लगती है तो वह दहाड़ता भी है और छलांग भी बहुत जोर से लगाता है। प्रजातंत्र के सतरह वर्षों का इतिहास यह कहता है कि जिस वाणी स्वातन्त्र्य के नाम पर और जिस लेखनी स्वातन्त्र्य के नाम पर हम ने देश का वातावरण निर्मित होने का भवसर दिया, उस का कुछ लेखा जोखा हमारे सामने उपस्थित है। जब हम इस लेखा जोखा को देखते हैं, और देश के वाणी स्वातन्त्र्य की गति और उस की प्रगति का, उस की व्यवस्था का सिंहावलोकन करते हैं तब इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि इस वाणी स्वातन्त्र्य का दुरुपयोग किया गया है, उस स्वातन्त्र्य का जो हमारे इस प्रजातंत्र में एक अक्षुण्ण निधि है, जिस को हम ने पाया है, उस का दुरुपयोग किया गया। हम यह चाहते हैं कि एक परम्परा की स्थापना हो, जन मानस और उस की स्वतंत्रता के लिये एक आचरण का निर्माण हो, जो प्रजातंत्रात्मक अनुभूतियाँ हैं, उन का शिलान्यास हो कर उम्र की नींव अच्छी तरह मजबूत हो। लेकिन हम यह क्यों चाहते हैं। जहाँ सब से पहले हम ने प्रजातंत्र को स्वीकार किया, जनता के स्वत्व को स्वीकार किया, उस की प्रभुता को स्वीकार किया, उस के अधिकारों को स्वीकार किया, वहाँ उन अधिकारों के संरक्षण के लिये हम एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी प्रणाली भी चाहते हैं जिस के द्वारा उस का निर्वाह हो।

एक तरफ यह कहा जाता है कि पत्रों पर कुछ लोगों का अधिकार है। यह बात किसी हद तक सही हो सकती है, लेकिन जब यह कहा जाता है तो मेरा ध्यान लन्दन टाइम्स के प्रकाशन पर जाता है। पहले वह एक व्यक्ति का था। उस के बाद एक ट्रस्ट बना दिया

गया, और आज लन्दन टाइम्स की प्रतिष्ठा इंग्लैंड में यह है कि प्रजातंत्र के जो अधिकार हैं उन को सामने रखते हुए, सच्चाई के महत्व को सामने रखते हुए, जनता के प्रतिनिधित्व के आदर्श को सामने रखते हुए पत्र का संचालन किया जाता है और उस के जो ट्रस्टी हैं वह बड़े असाधारण हैं, ऊँचे लोग हैं, चीफ जस्टिस हैं और वह एक नामिनी हैं जिन पर किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी पत्र हैं, दैनिक पत्र हैं उन में लगी हुई पूंजी को एक ट्रस्टीशिप में परिवर्तित कर दिया जाये। यानी उसका संचालन ट्रस्टी करें और उसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस करे। इस तरह से हमारे देश में इस प्रकार का विवाद समाप्त हो जायेगा। यदि इस में पूंजी लगाई जाती है, और किसी व्यक्ति ने लगाई है, तो उस का एक ट्रस्ट बनाना चाहिये। इस ट्रस्ट में ट्रस्टी हों और उन की नियुक्ति चीफ जस्टिस करे, तब पता चलेगा कि पूंजी का अभिप्राय और आदर्श किस प्रकार हो सकता है। यदि हमारे दैनिक पत्रों का संचालन ट्रस्टीशिप के आधार पर हो जाये तो हम सभी को निकट ला कर जनता और प्रजातंत्र की सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम साप्ताहिक पत्रों की तरफ भी नजर रखें।

अगर वास्तव में देखा जाये तो सारे समाचारपत्रों में दैनिक समाचारपत्रों का जीवन केवल एक घंटे का होता है। चाय की चुस्की के साथ हम दैनिक पत्र लेते हैं और एक घंटे में उस का जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन सब से बड़ा सेन्सेशन, सब से बड़ा झूठा प्रचार, कैरेक्टर, एसेसिनेशन और झूठी खबरें, एक दूसरे को गिराना, पालिटिक्स से खेलना, लीडरों से उन का सम्बन्ध रखना और एक लीडर को काटना और एक लीडर का समर्थन करना, इस तरह की जितनी गन्दगी होती है वह साप्ताहिक पत्रों में अधिक होती है। साप्ताहिक पत्रों में जो भी समाचार

हों, यह प्रेस कौंसिल का काम होगा कि उन को देखे। साप्ताहिक पत्रों का जीवन होता है सात दिन। अगर शनिवार को पत्रिका प्रकाशित होती है तो वह शनिवार तक ही रहती है और जितनी ही सेंसेशनल न्यूज़ उस में होती है, उतना ही तकिया के बगल में उस को स्थान मिलता है। उस में बार बार लोग उस न्यूज़ को पढ़ते हैं।

एक माननीय सदस्य : तकिये के बगल में होने से क्या होता है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मतलब यह है कि रात को भी उसे वे पढ़ते हैं। जितना ही किसी एक व्यक्ति, ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति, के कैंरेक्टर के खिलाफ, उस के चरित्र के खिलाफ उस में छिद्रान्वेषण होता है उतना ही उस का जीवन सात रोज का पक्का होता है। वह लिख देता है कि अब भगले भ्रक में देखिये, भ्रमुक व्यक्ति के सम्बन्ध में लिखा जायेगा। इस तरह उस पत्र का सात दिन का जीवन और बढ़ जाता है। अब लोग देखते हैं कि दूसरे भ्रक में क्या निकलता है। मेरा निबेवन है कि प्रेस काउंसिल के सामने यह सबसे बड़ा सवाल होगा। जो सेंसेशनल न्यूज़ का प्रकाशन करते हैं, जो गरमाहट और चटपटाहट के समाचार निकालते हैं जो लोगों को बरगलाते हैं और उनके दिमाग को खराब करते हैं और जो धन्तलोगत्वा प्रजातंत्र का खून करते हैं, ऐसे पत्रों पर उसको निगरानी रखनी पड़ेगी, और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा और उनका प्रकाशन बन्द कराना पड़ेगा।

मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री का समर्थन करता हूँ कि सरकार को ग्रंथेजी पत्रों और भारतीय भाषाओं के पत्रों के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रस्टीशिप के उसूल को स्वीकार कर लेते हैं तो आप को चाहिए कि जो पत्र अच्छे विचारों को लेकर निकलता है, ऐसा न हो कि वह सरकारी विज्ञापन न मिलने के कारण या पैसे की कमी

के कारण बन्द हो जाये। क्या गणेश शंकर विद्यार्थी ने, या चलपति राव ने, या तिलक सहाराज ने, या बापू ने, या हरिपचन्द मुखर्जी ने या श्री घोष ने या श्री मजूमदार ने तथा श्री सदानन्द ने यह सोचा था कि हम को पत्रों के प्रकाशन से क्या प्राफिट होगा। वे देश के लिए मर गये, कुरबान हो गये, उन्होंने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, देश में जन-जाग्रति लाने के लिए अपना जीवन वे दिया। एक खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे पैदा हुए थे और उसको पूरा करने में वे मरे। लेकिन आज क्या होता है? आज जो जन मानस को भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है उसको बन्द कर दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय भाषाओं के पत्रों को आर्थिक सहायता दे कर, मशीनों आदि दे कर उनकी सहायता की जाये। और वही आदर्श जो कि स्वातंत्र्य की उपलब्धि के के समय हम ने अपने सामने रखा बही आगे भी रखें। ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि जो पत्र जन मानस का निर्माण करते हैं उनके उस काम में वृद्धि हो।

एक बात मैं चुनाव के सिलसिले में भी कहना चाहता हूँ। आप भी चुन कर द्याये हैं, आप के खिलाफ भी एक दो पत्र निकले होंगे। किसी भी व्यक्ति का संसद के लिए नामिनेशन होता है कि उसके साथ ही उसके खानदान की पूरी जन्म पत्नी तैयार हो जाती है और सामने आ जाती है। और उन अच्छे लोगों के नाम होते हैं, सच, आदर्श, स्वाधीनता, कर्मशील आदि। अगर कोई इन नामों के पत्र होंगे तो वे मुझ से शिकायत करेंगे। तो उन पत्रों के नाम तो ऐसे होते हैं और उन में निकलता क्या है? श्रीमान् जी, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। डाक्टर लोहिया ने कहा कि वे भी इसके भुक्तभोगी हैं। वे भी होंगे। वे तो कभी कभी बकवास कर भी जाते हैं और ऐसी वैसे बातें कर जाते हैं जैसे उन्होंने अमरीका में जा कर कह दिया कि श्री जवाहरलाल तो कांग्रेस के नेता हैं राष्ट्रीय नेता नहीं हैं। तो वह

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

भुक्तभोगी होंगे। लेकिन मैं तो ऐसी बात नहीं करता। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी वाणी में शक्ति न होती और मुझ में दौड़ धूप की ताकत न होती तो मैं धराशायी हो गया होता। और आप देखें कि दूसरे रोज वह पत्रकार मेरे पास आ कर कहता है कि दो सौ रुपया दे दीजिये तो लिखना बन्द कर दूंगा। मैं ने कहा कि भाई हम दो सौ रुपया नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम देंगे तो उसे उस 25,000 के चिट्ठे में कैसे दिखायेंगे। तो मैं ने रुपया नहीं दिया, पर दूसरा तरीका किया। मैं ने एक पहलवान वर्कर को बुलाया और उससे कहा कि अगर यह ऐसा लिखे तो बुलाओ उसको, ठीक हो जायेगा। और दूसरे दिन से वह प्रकाशन बन्द हो गया। इस तरह कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है। तो मेरा निवेदन है कि प्रेस काउंसिल को इस प्रकार की बातों को रोकने का भी प्रयत्न करना होगा। इस प्रकार के पत्रों को प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो 6 महीने के लिये चलते हैं और फिर बन्द हो जाते हैं और फिर चलते हैं। जो बात मेरे खिलाफ लिखी गयी यदि वह सच मान ली जाती तो मेरा क्या हाल होता, मैं यहाँ आपके सामने न बोल सकता।

श्री बागड़ी : माननीय सदस्य ने क्या यह कहा था कि लोहिया साहब बकवास करते हैं ?

श्री राम सहाय पाण्डेय : लोहिया जी इसके लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ।

श्री बागड़ी : आप सब प्रसिद्ध हैं, आप की मण्डली प्रसिद्ध है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय भाषाओं के पत्रों के साथ डिस्ट्रिबिनेशन न किया जाये। और ऐसे पत्रों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना

चाहिए जो आज निकलें और 6 महीने बाद बन्द हो गये, जो केवल समय समय पर निकलते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) :
स्वस्थ पत्रकारिता के निर्माण की ओर...

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सात मिग का समय है, मैं तीन बजे मिनिस्टर साहब को बुलाऊंगा।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का हामी हूँ कि पत्रकारिता स्वतंत्र हो लेकिन इस स्वतंत्रता के नाम पर देश के चरित्र की हत्या करने और चरित्रवान व्यक्तियों पर गलत लांछन लगाने की खुली छूट किसी आदमी को मिल जाए यह गलत चीज है। मैंने इस बारे में कंसलटेटिव कमेटी में जिक्र किया था और मुझे खुशी है कि आज मंत्रिमंडल में नए रक्त के प्रवेश के साथ यह विधेयक लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह एक काफी अच्छा कानून बनाया जा रहा है। इस बात की स्वतंत्रता किसी को न होनी चाहिए कि वह गलत सलत चीजें प्रकाशित कर सके।

यह बात सही है कि हम विचार स्वातंत्र्य चाहते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इसका दुरुपयोग होने दें और विचार स्वातंत्र्य के नाम पर जनता के सामने गलत सलत और अपरिपक्व विचारों को आने दें। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। जब खाने-पीने की चीजों में मिलावट के विरुद्ध हम अपना रोष प्रकट करते हैं तो गलत विचार जो समाज के लिए और ज्यादा घातक हैं, उन पर अगर कठोर नियंत्रण हो तो बहुत अच्छी बात होगी।

यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन सही दिशा में है। हमको कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो कि बैठें और लोगों

को कहें कि यह गलत बात है। यद्यपि यह एक छोटा सा कदम है लेकिन सही दिशा में है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

पत्रकारिता संसार में सेवा की भावना से प्रारम्भ हुई थी और इस देश में तो इसी के द्वारा स्वातंत्र्य संग्राम प्रारम्भ किया गया। लेकिन अब एक भ्रंश उठ रहा है। अब तो हम देखते हैं कि चाहे शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य रक्षा की बात हो सब में व्यवसाय का भाव आ रहा है। पहले जमाने में तो व्यवसाय में भी सेवा का भाव रहता था लेकिन आज के युग में ऐसी पार्थिववाद आधी आ रही है कि उसमें वे सिद्धान्त नष्ट हुए जा रहे हैं। आज मुझे दुःख होता है यह स्थिति देखकर। पत्रकार देश का गुरु होता है। एक अध्यापक मुट्ठी भर लड़कों को पढ़ाता है, एक विश्वविद्यालय कुछ हजार विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन पत्रकार तो पत्र द्वारा लाखों करोड़ों लोगों के मानस का निर्माण करता है। वह तो इस प्रकार देश का गुरु है। लेकिन आज कितने पत्रकार इस देश में इस कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। आज ये पत्र तिलक के हाथों में नहीं हैं, गांधी के हाथों में नहीं हैं, इन के पीछे आज जवाहरलाल नेहरू नहीं हैं। अधिकांशतः आज यह ताकत गलत लोगों के हाथों में आ गयी है जो देश के मानस को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस पर कड़ा नियंत्रण होना आवश्यक है। मैं इस बिल से पूरी तौर से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं नहीं उम्मतता कि देश के अन्दर जितनी सख्त कार्रवाई की आज आवश्यकता है उतनी सख्ती करने का अधिकार हमें इस बिल द्वारा मिलता है। लेकिन फिर भी क्योंकि यह कदम उस दिशा में है इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ।

सदन में प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा अपील करने की बात कही गयी है। मैं चाहूंगा कि हमको ऐसे आदमियों को नियुक्त करना चाहिये कि जिनके वरडिकट में किसी को सन्देह न हो और जिनका वरडिकट फाइनल हो, जिसमें कोई आशंका न की जा सके। वे ऐसे व्यक्ति हूँ ने चाहिए कि जिनके चरित्र पर देश में

किसी को जरा भी सन्देह न हो। इसलिए उनके फैसेले के खिलाफ अपील की आवश्यकता न हो। ये जो तीन तरफ से नामिनेट हो कर व्यक्तियों की सूची आवेगी मैं समझता हूँ कि इस सूची में ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिन पर इस देश में समस्त समाज को विश्वास हो सकेगा।

एक चीज मुझे अखरती है। वह यह है कि आज भी हम अंग्रेजी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अंग्रेजी के पत्रों को ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं। इस देश की बहुसंख्यक जनता हिन्दी बोलती और अन्त्य भारतीय भाषाओं बोलती है। जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके चिन्तन की शक्ति और उनके विचार साधनों के स्रोत दूसरे हैं। लेकिन इस देश के समाज का बहुत बड़ा भाग हिन्दी पत्रों द्वारा और अन्त्य प्रांतीय भाषाओं के पत्रों के द्वारा अपना मानस बनाता है। शासन के लिए यह जरूरी है कि इस बात पर ध्यान दे कि देशी भाषाओं के पत्रों में स्वस्थ पत्रकारिता जन्म ले सके। कुछ बड़े पत्र जो गलती करते हैं वह जो ब्लैक मेलिंग और ब्लैक मारकेटिंग करते हैं, वे गलतियां कुछ छोटे पत्र भी करते हैं। हम को सब पर नियंत्रण रखना है। हम अगर एक चपरासी भी नियुक्त करते हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशन्स के बारे में जांच करते हैं। अगर हम किसी पुलिस के कांस्टेबल को भी नियुक्त करते हैं तो हम उस की क्वालिफिकेशन्स आदि का ध्यान रखते हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि जनरलिज्म के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जिस तरह पालिटिक्स में कोई भी आदमी आ सकता है, उसी तरीके से जनरलिज्म में भी चाहे उसमें योग्यता हो या न हो, चारित्रिक स्तर उस का कुछ भी हो, बौद्धिक क्षमता उस की कुछ भी हो, हर एक आदमी के लिए हम ने उसमें घुसने की पूरी गुंजाइश दी हुई है। इस बात की आवश्यकता है कि यहां पर भी कोई एक सख्त तरीका अपनाया जाय, गहरी देखभाल के बाद ही लोगों को इस पेशे में घुसने दिया जाय ताकि हर एक आदमी इस

[श्री ज्वा० प्र० उद्योतिषां]

क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। जिस तरह से एक कालिज या युनिवर्सिटी में एक अच्छे पढ़े लिखे छादमी को, चरित्रवान् छादमी को प्रोफेसर नियुक्त करते हैं उसी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ठीक छादमी पहुंच सकें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। शासन स्वयं यह काम न करे, लेकिन एक ऐसी बाहर से नियंत्रण करने वाली समिति नियुक्त हो जिसका कि शासन से कोई ताल्लुक न हो और वह इस की व्यवस्था करे। इसी उद्देश्य से यह जो प्रेस कौंसिल की स्थापना की जा रही है मैं उसका स्वागत करता हूँ।

15.00 hrs.

श्री शिव नारायण (बांसी) : श्रीमन्, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूँ कि आपने मुझ बोलने का अवसर दिया।

हिन्दुस्तान का प्रजातांत्रिक राज्य जो हम संचालित किये हुए हैं उस में प्रेस का क्या स्थान है? प्रेस फोरम स्टेट कहलाता है। उस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी इस सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी प्रेस वालों की भी है। मुझे याद है कि सन् 42 में 7, 8 और 9 अगस्त को नेशनल हेराल्ड का जो एडिटोरियल छपा था उस ने हिन्दुस्तान के बच्चे बच्चे की रग में आजादी का मंत्र फूंक दिया था और खून में एक जोश भर दिया था। वह दिन हमें भली भाँति याद है। मैं जहाँ अपनी गवर्नमेंट से और विशेष कर अपने नये मंत्री से यह अपील करता हूँ कि वे पत्रकारों को प्रोत्साहन दें और उन के जो भी प्रीवियारिज हों उनकी सुनवाई करें वहाँ मैं अपने पत्रकारों से भी अपील करता हूँ कि वे अपनी जिम्मेदारी को पहचानें और उसके अनुसार ही आचरण करें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस द्वारा प्रेस कौंसिल में नामिनेशन किये जाने का विरोध किया है लेकिन मैं इस व्यवस्था का समर्थन करता हूँ क्योंकि आखिर को यह दो बड़ी शक्तियत्तों

हमारे मुल्क की हैं। एक लोकसभा जो कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है उसका हैब है तो दूसरा इस मुल्क की बुद्धिशियरी का हैब है और उनको यह जो प्रेस कौंसिल में नामिनेशन का अधिकार दिया जा रहा है वह उचित ही है। अलबत्ता जो पत्रकार उस कौंसिल में नोमिनेट होंगे उन पर एक विशेष जिम्मेदारी आती है। उन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वे "लघुता से प्रभुता मिले", वाली नीति बतें। जो छोटे लोग हैं जिनको कि प्राय छोटा मानते हैं, जो छोटे अखबार वाले हैं उन को भी भोका मिसलन चाहिए ताकि वह ऊपर आयें। इस देश में जो छोटे लोग हैं वे बहुत पिछड़े हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो छोटे पत्रकार हैं, जो छोटे अखबार चल रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा उनको मदद व प्रोत्साहन दिया जाय। जो बड़े लोग हैं, बड़े पत्रकार हैं उन के लिए कोई कहता है कि यह बिड़ला का अखबार है तो किसी के लिए कहा जाता है कि वह टाटा का अखबार है, जाहिर है कि वे बड़े अखबार हैं और सरकार को उन की तरफ़ देखने की जरूरत नहीं है।

जहाँ मैं चाहता हूँ कि सरकार पत्रकारों को सभी संभव मदद व प्रोत्साहन दें वहाँ मैं उनसे चाहूँगा कि वे लोग भी ठीक से अपने कर्तव्य का पालन करें। दूर न जाइये, यहीं दिल्ली के अखबार दिल्ली के बाजार में, यहीं ठीक गवर्नमेंट की नाक के नीचे ऐसी खबरें छापते हैं जो कि शर्मनाक हैं और जिनसे कि मारे शर्म के सिर झुक जाता है। मैं पत्रकारों से अपील करता हूँ कि वे इस से बाज आयें। जाहिर है कि अगर पत्रकार लोग कोई गंदी चीज़ लिखेंगे तो मैं उन्हें गंदा समझूँगा; अगर उत्तम चीज़ लिखेंगे तो मैं उन को उत्तम समझूँगा और उनकी प्रशंसा करूँगा। नेशनल हेराल्ड का उदाहरण हमारे सामने भीषूद है कि उसने देश के सामने कितना एक स्तर का बयब रख कर दिखाया? अगर इस देश में हमको डेमोक्रेसी

को पतनाना है, चलाना है तो इस पत्रकारिता के स्तर को ऊंचा उठाया जाय। आज जो वहाँ पर गड़बड़ी और बेईमानी चलती है उस को सरकार को ठीक करना चाहिए। अगर कोई खराब काम करता है गलती करता है तो सरकार को उस के साथ कोई रिभ्रायत नहीं करनी चाहिए। न्याय का पलड़ा सरकार को मजबूत बनाये रखना चाहिये।

यह उधर से ठीक ही कहा गया है कि पत्रकार लोग समाज के वास्ते एक गुरु का काम करते हैं। हमारे सामने ऐसे पत्रों के बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण मौजूद हैं। बनारस से जो आज अखबार निकलता है वह एक बड़ा सुन्दर अखबार है। उसके एडीटर पराकर जी रहें जोकि जिनके लिए कि पांडे जी ने ठीक ही कहा कि वे त्याग और तपस्या की भूति थे। इसी तरह से लखनऊ में मैं रहा हूँ। नेशनल हैराल्ड अखबार है जहाँ कि पहले एडीटर रामाराव होते थे और अब चेलापतिराव हैं। उन सभी लोगों को हम ने देखा है। उन के सम्पर्क में मैं रहा हूँ। इसी तरह का एक सुन्दर न्यूजपेपर स्वतंत्र भारत भी निकलता है। इंगलिश पेपर का जहाँ तक सम्बन्ध है मुझे आज 'स्टेट्समैन' अच्छा लगता है, मोडरेट पेपर है और मैं उसे ही रोजाना पढ़ता हूँ। इसलिए हमें पत्रों के लिए कोई प्रज नहीं है और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे पत्र जो कि ठीक से आचरण करें उन्हें सभी संभव प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो सही बात लिखे उसे सरकार को मदद देनी ही चाहिए। हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम् और पंचशील के सिद्धान्तों का अनुयायी है। पंचशील का नारा हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने दिया है और इस वास्ते हमें किसी से भी कोई प्रज नहीं है। हम तो सारे संसार को सुखी व समृद्ध देखना चाहते हैं। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो अखबार सही काम करें उनको बे काफ़ी प्रोत्साहन दें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और भाषा करता हूँ कि ज्वाइंट

सेलैक्ट कमेटी उसमें जो खामियां रहती हैं उन्हें बह दूर कर देगी।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Pattabhi Raman.

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri C. R. Pattabhi Raman): Mr. Deputy-Speaker, Sir, . . .

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, तीन से ज्यादा समय हो गया है अब तो बाढ़ का सबाल लिया जाना चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Kamath suggested that it may be taken up at 3-30 p.m. The House did not have any objection to that.

श्री बागड़ी : साढ़े तीन बजे लेने का क्या अर्थ हुआ जब कि तीन बजे का समय निश्चित किया गया था ?

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : यह क्या बात हुई ? ढाई घंटे का समय तो पहले ही निश्चित हो चुका है।

Shri Warior: We can have this discussion upto 5-30 p.m. and the Half-an-Hour discussion can be taken after that.

Mr. Deputy-Speaker: 2 hours is the time allotted for this. Mr. Kamath suggested that this Press Council Bill should go on till 3-30 p.m. and the discussion on flood situation could start at 3-30 p.m. till 5-30 p.m. About the Half-an-Hour discussion, he suggested that it could be taken up at 5-30 p.m. till 6-00 p.m. (Interruptions) If the House agrees that the Half-an-Hour discussion may be postponed and taken up on some other day, I have no objection.

Some Hon. Members: Yes. . .

Mr. Deputy-Speaker: So, the discussion on flood situation will go on till 6.00 P.M., that is, for 2-1/2 hours. Shri Pattabhi Raman.

Shri C. R. Pattabhai Raman: Mr. Deputy-Speaker, Sir, may I at the outset express my deep sense of gratitude for the very valuable suggestions that have fallen from the hon. Members from all sides of the House. I am glad that not even one person has questioned the need for having a statutory body, the Press Council.

15.2 hrs.

[MR. THIRUMALA RAO *in the Chair*]

Sir, the Royal Commission in the United Kingdom, after our Press Commission's report was published, remarked in 1961-62:

"The more valid these excuses for the Council's inactivity in the economic field may be, the greater is the criticism against the constituent bodies which have denied it the necessary powers and finances. If however the Press is not willing to invest the Council with the necessary authority and to contribute the necessary finance the case for a statutory body with definite powers and the right to levy the industry is a clear one."

Even in England where you have got a voluntary body functioning, you have this expression of opinion by the Royal Commission in clear and unmistakable terms.

"As I have already pointed out, the object of the Press Council is to preserve the liberty of the press and maintain and improve the standards of newspapers."

Some discussion has taken place with regard to the composition of the council which consists of a chairman and 25 others. The chairman is to be nominated by the Chief Justice of India. Of these 25, 13 will be drawn from among the working journalists; that is, more than half would be from among the working journalists, and of these, six will be editors who do not own or manage the business of newspapers, and of these six, at least three will be from newspapers published in our own languages. The Joint Committee in their wisdom may suggest some other ratio, but I am

only submitting here that as it is the majority consists of working journalists.

The right of the Chief Justice to nominate the chairman has been questioned by some of the hon. Members. The real position is this. Originally we wanted a small committee of the Chief Justice, the Speaker of this House and the Chairman of the Rajya Sabha to take part in this selection. But both the Speaker and the Chairman have indicated their inability to get involved in this as they think that it will affect their independence and their position. So, we were left only with the Chief Justice, who I am glad to say has agreed to nominate the chairman. The provision is that the chairman will have to be nominated. If he is nominated by the executive there will be the charge that he is a tool of the Government. The legislature has refused to come into the picture. We thought, therefore, that the most independent body, namely the Supreme Court could have the voice in this matter, and, therefore, it was that we had suggested that the Chief Justice should nominate the chairman, and the Chief Justice was very pleased to agree to nominate the chairman.

It has also been stated that the powers of the press council are not adequate. Hon. Members are aware that there is clause 13(2) under which in suitable cases, the council may report to the Central Government with their recommendations, after one or two censures, as the case may be. As to what the effect of the recommendation is going to be, I shall not say, because frankly, I want to be sincere and I want to be serious about this matter, and I would say that I am doubting whether much can be done, but it is always open to us to amend the laws that may fetter the right of the Government to act in those cases. But, as it is, we have clause 13(2) in regard to this matter.

There has also been a reference to monopolies. I may state straightway that the Registrar of Newspapers has been paying considerable attention to this aspect of the development of the newspaper industry. One of the functions of the press council would be to make study of such ownerships and to recommend to Government necessary remedial measures. Under rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956, it is obligatory for the publisher of every newspaper to publish in the first issue of the last week of February each year, the particulars including *inter alia* the names and addresses of individuals who own the paper and the partners and shareholders holding more than one per cent of the total capital. So, I would submit that some precaution has been taken in this regard already. If there is a change of ownership or if there is an accumulation of shares in one hand, that will be indicated under the present existing law.

There was also some reference to the monopolistic tendencies that were developing in the country. Shri Warrior gave an instance of it. I am not going into the instance referred to by him, but may I point out to him that the Press Commission themselves have defined the term 'monopoly'? They have said that monopoly is deemed to prevail if a predominant part of all the newspapers sold in the whole country or a substantial part of it is supplied by one person or by one group of inter-connected companies.

Shri Warrior: The Mahalanobis Committee also has given a definition of that term.

Shri C. R. Pattabhai Raman: I am coming to that. As has been pointed out by the hon. Member, the Mahalanobis Committee also has dealt with the existence of monopolies. I am only stating that the Press Commission had also defined the term and had recommended that the press registrar should keep a close watch on the circulation of newspapers and if he came

to the conclusion that a monopoly had developed in a particular area or in a language he should bring it to the attention of the proposed press council which should conduct an investigation. I would submit that this is a vital responsibility which will fall squarely on the shoulders of the press council.

Actually, the registrar of newspapers has drawn attention to monopolistic tendencies that exist in the country. I would refer to Chapter V of the Annual Report of the Registrar of Newspapers for India, 1964, which refers to this and says:

"From the study conducted in the following pages, it would be evident that monopolistic trends continue to exist. This growing trend would have been higher and the rate of growth much faster had it not been for the inevitable curbs which had to be placed on the allocation of newsprint to the newspaper combines who have, during the past eighteen months, from time to time, approached the Government for additional quota to bring out new publications, dailies, weeklies and monthlies. It is, therefore, the shortage of foreign exchange which is retarding the growth of these combines."

This is the report of a Government officer, namely the Registrar of Newspapers, which has been placed before the House. A study of some of the pages of that report is very illuminating. This report also points out that in 1963, the daily newspapers under common ownership commanded a circulation of 38.17 lakhs representing 68.4 per cent. of the total circulation of dailies. The Bill enjoins an important function on the press council to study developments which may show trends towards monopoly or concentration. I have already referred to that part of the Bill where the attention of the press council is proposed to be drawn to it.

[Chri C. R. Pattabhi Raman]

If I remember right, Shri Bade proposed that the press council should be given the responsibility of distribute newsprint and Government advertisements. I am afraid that both these fall outside the purview of the press council. The press councils elsewhere also have not been entrusted with this responsibility.

Shri Bade: That is at the root of the matter. If you want to destroy monopoly, the distribution of newsprint should be entrusted to the press council.

Shri C. R. Pattabhai Raman: I may take the House into confidence and say what the present position is. It is another Ministry which sanctions the foreign exchange for newsprint. What is sanctioned is distributed by us. We are taking into account regional claims, language claims and the claims of English papers and circulation figures etc. and then make the allocation of newsprint. That is the position now. But I dare say that this is also one of the matters which the press council can take up. What is more important is that the Joint Committee will certainly deliberate on this important aspect of the matter.

Shri Warrior: I would like to draw the attention of the hon. Minister to the report of the Registrar of Newspapers himself where certain instances have been cited of some of the monopolies having started new papers and periodicals without getting any fresh quota of newsprint. I do not know how that has been possible.

Shri C. R. Pattabhi Raman: The snag of the matter is that. I have great respect for the hon. Member, and I am aware of what he is saying. I may tell my hon. friend that there are some cases where papers are being published and printed without any fresh newsprint quota at all. The point is how they have been able to get the newsprint. That matter is

under inquiry. It is not as if it has escaped our attention, but there it is. Sometimes, they may also get things printed on glazed paper or white paper which is costlier. We are not concerned with that here. We are only concerned with newsprint.

Shri Warrior: They are printing on newsprint, and especially foreign-imported newsprint and not the NEPA newsprint.

Shri C. R. Pattabhi Raman: As I have already pointed out, the press council is going to have prominent persons; most of them will have to be connected either with journalism or with something connected with journalism. There cannot be anyone without journalistic experience or some standing in the journalistic field.

It has also to be noted that the Indian Federation of Working Journalists themselves have desired that the Chief Justice of India should nominate the chairman. Thereafter we had discussions in the press consultative committee also, to which I have already made a reference in my opening speech. And then this present provision has been incorporated.

There have also been some comments about the need for training and research programme. As the hon. Members will note, there is already a provision in the Bill for that purpose. But the question has been put whether there will be an effective training. The Press Commission had recommended that the press council should be charged with the responsibility of creating suitable agencies for recruitment, education and training in the profession of journalism. Actually, they have recommended the setting up of an organisation called the press institute. It is true that there are some universities which have courses in journalism. But there is a great need for an institution for advanced training in journalism. There is no provision in the universities or elsewhere for imparting what is called in-service

training in journalism. This is rather important. Mass communication media are changing rapidly, and it is necessary that facilities should be provided for journalists to keep abreast of developments in this field.

There is also a reference to the regulatory character of the functions of the Press Council. Really, I wish to point out at the very outset because there were some harsh things said about journalists—that by and large, the press in the various languages in India has acted with a deep sense of responsibility. I would be failing in my duty if I did not say that particularly during the emergency period—I do not say that the emergency does not exist now; I am saying that when we were having these border skirmishes—not one paper was found writing against us; they all really stood behind us as one man.

It is also true that there are black-sheep in the journalistic family as in other families, as in the families of lawyers, doctors and so on. I am proud to be a lawyer myself, but simply because one or two in the profession may be black-sheep, we cannot condemn the whole profession.

Shri S. M. Banerjee: Why did you proceed against four papers?

Shri C. R. Pattabhi Raman: I do not know whether he is asking me, who is connected with the Information and Broadcasting Ministry, as to why I proceeded against those papers.

Shri S. M. Banerjee: I consider the Government to be a collective body.

Shri C. R. Pattabhi Raman: I am sure the proceedings against certain newspapers would be defended by more able persons when the time comes for that. I am here concerned with the Press Council. I am another limb of the Government. I am not really defending, I cannot defend, because I have no facts before me as to what has been done in those cases.

This is really not within the purview of this Ministry, so far as the action against the papers is concerned.

The tendency to indulge in anti-national, communal and obscene matter is certainly noticeable. I am not going to run away from that. This should be checked by the Press Council rather than by the State.

The Press Council will be an autonomous body charged with the responsibility of maintaining high standards of conduct by newspapers and journals. It is also a body of the Press to keep its erring members under restraint so that the freedom of the Press given to us by the Constitution is not abused. It is really a self-regulatory body for the Press and all would welcome it.

I am glad that the hon. lady Member from Mysore, who has distinguished herself in the legal field, spoke about Ramesh Thaper's case. I have already quoted in this House about that. I had the good fortune to appear in the case in the Supreme Court. There the late Shri Patanjali Shastri, who was later to become Chief Justice,—Shri N. C. Chatterjee who is a distinguished friend of mine was there—speaking for the Court, made these observations—there was also the Brij Bhushan case and my hon. friend, Shri Chatterjee who appeared in that case was there. This is what Justice Patanjali Shastri said:

“There can be no doubt that the freedom of speech and expression includes freedom of propagation of ideas and that freedom is ensured by freedom of circulation. Liberty of circulation is as essential to that freedom as the liberty of publication. Indeed without circulation the publication would be of little value”.

This was said in the *Cross Roads* case. This is precisely what fell from the learned jurist, I cannot improve on the language.

[Shri C. R. Pattabhi Raman]

Subsequently, in the Brij Bhushan case where my hon. friend, Shri Chatterjee appeared, the same expressions were used. Therefore, this guaranteed fundamental right is most important. I dare say there may be many mistakes committed even by Government. It is the right of the subject in a democracy to point out the mistakes and anything which goes against the freedom of the press cannot really be welcomed by a democratic state or any party wedded to those principles. I am certain that the press upholds this principle. It is quite true that in totalitarian states, this question does not arise at all. But in India where we have the greatest democratic nation functioning in the whole world, we are proud of these guaranteed fundamental rights.

With your leave, I would quote a few sentences from the Indian Press Law Enquiry Committee Report, it was as early as in 1948. They say:

"Freedom of speech and of publication consists primarily, as has been very truly said, not in the liberty of the individual to speak or write what he chooses, but in the liberty of the public to hear and read what it needs. No one can doubt if a democracy is to work satisfactorily, ordinary man and woman should feel that they have some share in government. . . Freedom of the press is essential to political liberty. Where men cannot freely convey their thoughts to one another, no freedom is secure. Where freedom of expression exists, the beginnings of a free society and a means for every retention of liberty are already present. Free expression is therefore unique among liberties".

Then they go on to say—this is rather important:

"Freedom of expression is not merely a reflection of important

interests of the community but also a moral right. It is a moral right because it has an aspect of duty about it. The press itself should accept responsibility for performance in the public interest. There should be a code of ethics with the same sanction behind it as the ethical code of lawyers or the medical profession".

This is precisely what the Press Council seeks to do.

With regard to one aspect namely reference to 'blackmail' which was alluded to, I myself had brought in two amendments. One amendment was for knocking off the word 'blackmail'.

I am glad I had the benefit of the views of all sections of the House. I hope this will also help the Joint Committee in their deliberations after which the Bill will come bad to us again.

Shri Bada: He has said that the Chief Justice of India has kindly agreed to nominate the Chairman. But can we discuss the nomination? We cannot say anything against the Chief Justice and no one outside also can say anything against him because it constitutes contempt of court.

Shri C. R. Pattabhi Raman: The hon. Member is aware that the judicial act of a Judge cannot be discussed in the House, but not the nomination which he has very kindly undertaken to do. The nomination may certainly be open to some little criticism here. The House is not therefore prevented from expressing its opinion.

As you know, it has to be done by some authority. As I said, the legislature did not want to take part in that. As regards the executive, I am sure the House will not approve of their nominating the chairman of the

Press Council. Therefore, we have to go to the third limb which is very proper in the circumstances, because after all, the fourth estate is called the fourth limb of the state.

Shri K. C. Sharma: What has led the hon. Minister to bring the Chief Justice into this? Could he not find any other organ?

Shri C. R. Pattabhi Raman: The Indian Federation of Working Journalists wanted it. It was also in the original Bill.

Mr. Chairman: It is too late to raise this question after the discussion is over.

The Question is:

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to establish a Press Council for the purpose of preserving the liberty of the Press and of maintaining and improving the standards of newspapers in India, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 15th September 1964, and communicated to this House on the 17th September, 1964, and resolves that the following 30 Members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely: Shri Peter Alvares; Shri C. K. Bhattacharyya; Shri N. C. Chatterjee; Shri Tridib Kumar Chaudhuri; Shri Yudhvir Singh Chaudhary; Shri C Dass; Shri L. Elayaperumal; Shri Ansar Harvani; Shri T. D. Kamble; Shri Cherian J. Kappen; Sardar Kapur Singh; Shri M. K. Kumaran; Shri Nihar Ranjan Laskar; Shri Shiv Charan Mathur; Shri Mathura Prasad Mishra; Shrimati Sharda Mukerjee; Shri Mohan Nayak; Shri Man Sinh P. Patel; Shri Kishen Pattnayak; Shri Shivram Rango Rane; Shri Sadhu Ram; Shri Sham Lal Saraf; Pandit K. C.

Sharma; Shri Shashi Ranjan; Shri Vidya Charan Shukla; Dr. L. M. Singhvi; Shri Tula Ram; Shri S. Veerabasappa; Shri Virbhadra Singh, and Shri C. R. Pattabhi Raman."

The motion was adopted.

15.28 hrs.

DISCUSSION RE: FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

Mr. Chairman: We are nearing 3.30 p.m. I think it is agreed that we should discuss this for 2½ hours, that is till 6 p.m.

Shri Warior (Trichur): In the order paper it was put that the Industrial Disputes (Amendment) Bill would be taken up. Let us know when it would be taken up.

Mr. Chairman: I was present when the Deputy Speaker decided about the course of business here. It was agreed that this discussion would go on till 6 p.m. Afterwards, no other business will be taken up for the day. Therefore, the hon. Member's question does not arise now. It may come tomorrow.

Regarding this discussion, there are a large number of Members wishing to speak. There should be some self-imposed timelimit. One view is in favour of 10 minutes per speaker. Members speaking later will not require so much time. Shri Bagri is the mover. I can allow him 15 minutes. He should strictly adhere to this timelimit. The flood situation is a problem that affects the whole country, and representatives from every State are anxious to ventilate their difficulties. The situation has not arisen so recently yesterday or today, and it is a continuing one in all the States. Therefore, I should like to distribute the time in such a way that every State gets its quota of time.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): More floods, more time.

Mr. Chairman: No. That way, we will be choked. More floods, less time.

Shri Bado (Khargone): There are six signatories to the motion. They should be given time.

Mr. Chairman: There are signatories all right, but there are others from all sides of the House who want to speak. I will see how it can be adjusted.

श्री बागड़ी : सभापति महोदय, एक बात मैं प्रार्थना करूंगा कि इस से पहले भी इस तरह की चर्चायें उठती रही हैं। लेकिन इस तरह से कभी पन्द्रह मिनट की पाबन्दी पहले प्रादमी पर नहीं रही है बोलने की। मैं पहली दफ्ते अपने लिये ऐसा सुन रहा हूँ। जो पन्द्रह मिनट की पाबन्दी बान्ध रहे हैं मेरे लिये ऐसी कोई व्यवस्था पहले नहीं हुई इस सदन में। यह पहली बार हो रहा है।

Mr. Chairman: I have said that he will get 15 minutes. Let him proceed with his speech.

श्री बागड़ी : पन्द्रह मिनट में तो मैं कुछ कह नहीं सकूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय, 5 सितम्बर, 1962 को इसी सदन में मैंने इसी बाढ़ के ऊपर चर्चा को उठाया था। उस वक्त मन्त्री महोदय कोई और थे। बाढ़ की चर्चा यहां से उठी। ग्राज वह मन्त्री नहीं। यह बात दूसरी है कि ग्राज मन्त्री और सज्जन बैठे हैं। शायद बाढ़ का तूफान उन मन्त्री महोदय को वहां ले गया क्योंकि वह किसी तरीके से उसको काबू में नहीं कर सके।

इस बाढ़ की चर्चा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि दो प्रदेशों को छोड़ कर झट्टारह प्रदेशों में इस वक्त भयंकर बाढ़ है। बाढ़ जब आती है तो एक किसम का प्रदर्शन होता है, सरकार की तरफ से भी और बाहर से नेताओं और जनता की तरफ से भी। बाढ़ आई। हवा के अन्दर हवाई जहाजों में मन्त्री और बड़े लोग भी घूमते हैं, कारों और मौकाओं में मध्यम श्रेणी के लोग घूमते हैं और दूसरे

लोग भी तरह तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मुस्तकिल तौर पर वह बात नहीं जमा पाते कि किस तरीके से इस देश में इस बाढ़ का अन्त किया जाये। इससे पहले कि मैं बाढ़ के बारे में यह बात रखूँ कि क्या और क्यों, मैं आपकी खिदमत में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बाढ़ सिर्फ खुदाई कर नहीं है, यह सिर्फ खुदाई देन नहीं है। सन् 1945 से पहले हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहा करते थे कि बाढ़ सिर्फ खुदाई देन नहीं, बल्कि वह अंग्रेज शासकों के अष्टाचार और उनके अत्याचार की देन है। उसके बाद मैं देश के महान् पूज्य महात्मा गांधी के शब्दों को दोहरा देता हूँ जो कहते थे कि जो सरकार बाढ़, रोग और भुखमरी जैसे पापों से मुक्त होने के लिये यह कह कर अपना पिंड छुड़ाना चाहती है कि यह दोष हमारा नहीं, भगवान् की देन है, यह प्रारब्ध की बात है, वह सरकार कभी पाप से मुक्त नहीं होती। जनता जागृत होती है और उस सरकार को पापों का दण्ड देती है।

मैं प्रार्थना करूंगा कि ग्राज हिन्दुस्तान की एक करोड़ जनता इस बाढ़ के अन्दर अस्त है। बाढ़ तीन तरीके से आती है। एक तो नदियों में पानी का बहाव ज्यादा हो जाने से दूसरे बारिश ज्यादा हो जाने से और तीसरे पानी के काफी दिन तक खड़े रहने से नीचे से सेम के रूप में पानी के आ जाने से। जो बाढ़ हिन्दुस्तान के अन्दर अंग्रेजों की देन भी वह वेन ग्राज भी बदस्तूर है। यानी वह रेल, वह सड़क, वह नहरें जो अंग्रेजों ने अपने मफाद के लिये निकाली थीं, उनको यहां यह देख कर नहीं निकाला था कि इस तरीके से सेबल रखने से जनता दुखी होगी। इससे उसे कोई मतलब नहीं था कि उसका काम कैसे चलेगा, उसको सुविधा और आराम कैसे होगा। उसमें से जो पाप निकला बाढ़ का वह बदस्तूर कायम है ही, लेकिन ग्राज की सरकार भी इस बात की दोषी है कि इसके कर्मों से

भी बाढ़ बढ़ा है। जिस तरह से सड़कें, नहरें और रेलें हैं उसी तरह से इस सरकार ने भी बांध बांधे। जब उसने ऐसा किया तो वह इसके तीन परिणाम देश के सामने रखती थी कि बांधों से क्या होगा। एक तो यह होगा कि बांध से पानी मिलेगा, दूसरे बिजली मिलेगी और तीसरे बाढ़ रुकेगी। मैं सदन में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि बड़े बांध बिल्कुल अपने परिणाम को नहीं पा रहे हैं, बल्कि फंस हुए हैं। अगर थोड़ी बहुत पानी और बिजली की बात मान भी ली जाये, तो भी बाढ़ के लिये हिन्दुस्तान के बांध लाभदायक नहीं बल्कि हानिकर साबित हो रहे हैं। उन्होंने खुद हिन्दुस्तान के अन्दर बाढ़ पैदा की है। इसलिये कि यह नहरें, यह रेलें और यह सड़कें, असल में ठीक लेबल पर नहीं हैं। उनके नीचे छोटे छोटे पुल और साइफन नहीं हैं, जिन से पानी निकल सके। हर चीज जो दुनिया के अन्दर आती है उसके जाने का रास्ता भी कुदरत साथ देती है। इसी तरह से पानी का कुदरती बहाव होता है। तीन किस्म के दुःख पानी ने इस देश में पैदा कर रखे हैं। एक तो नदियों में बाढ़ आई असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में। राजस्थान का मैं जिक्र नहीं करूंगा, रोहतक, करनाल...

श्री श्रीकार लाल बरवा (कोटा): जरूर कीजिये राजस्थान का जिक्र।

श्री बागड़ी : मैं राजस्थान का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। आप जरा सुनिये। मैं जिक्र नहीं करूंगा हिसार का, रोहतक का, करनाल का, क्योंकि स्वामी रामेश्वरानन्द, श्री जगदेव सिंह सिद्धांती, श्री लहरी सिंह आदि खुद इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, वे स्वयम् इस पर बोलेंगे।

एक तो बाढ़ आई नदियों से, दूसरे बाढ़ आई बरसात से और तीसरे बाढ़ आई सेम से। तीनों किस्मों की बाढ़ें इस देश की

जनता को ग्रस्त करती जाती हैं। सन् 1962 के बाद दो साल के अरसे में हमारी कांग्रेस सरकार सो गई। जब बाढ़ आई तो जलूस निकले, बाढ़ चली गई है जलूस खत्म हो गये। फिर चिन्ता नहीं। जब बाढ़ आती है और लोग शोर मचाते हैं तो हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि किशितयां थोड़ी हैं। क्यों साहब, आपको किशितयों की तब याद आती है जब बाढ़ आती है। हमारी सरकार तो ऐसी है जो कहती है है कि जब प्यास लगती है तो कुआं खोदो। बाढ़ से पानी आ गया। बाढ़ इस देश के अन्दर आता है, मानता हूँ। लेकिन इतनी गैर जिम्मेदारी की बात अगर किसी जनतान्त्रिक देश के अन्दर कोई सरकार करती होती और उस जनता में शक्ति होती, जो दुःख आज बाढ़ से हिन्दुस्तान की गरीब जनता को है, अगर वह इस देश के पड़े लिखे और दम्याने तबके के लोगों का होता, तो हिन्दुस्तान के अन्दर एक क्रान्ति हो जाती, बगावत हो जाती, और जो लोग आज कुसियों पर बैठे हैं शायद जनता उनको तख्तबरदार कर देती या जला देती। आज हिन्दुस्तान की जनता का इतना नुकसान हुआ तब यह कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है कि साहब, किशितयां नहीं हैं। क्यों साहब, क्या किशितयां बनाने में बड़ा जोर लगता है। अगर आप बना सकते हैं चण्डीगढ़ और उस पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े महल बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना सकते हैं, तब जब आप को पता है कि बाढ़ आयेगी तब आप उसके लिये कुछ नौकरों नहीं बना सकते। मैं अर्ज करूंगा कि उनके लिये नौकरों नहीं, वक्त पर उनको रोटी नहीं। कल कांग्रेसी भाइयों ने एक प्रदर्शन किया, नजफगढ़ के लोगों ने। उनमें औरतें थीं, बच्चियां थीं, बच्चे थे, भूखे थे, दरिद्र लोग थे। एक महीने से उनके खेतों में पानी पड़ा है। आज पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, दिल्ली में, पानी ने एक भयंकर भुचाल ला दिया है, जहां जहरीले जानवर सांप,

[श्री बागड़ी]

बिच्छू पानी के ऊपर तैरते हैं और गरीब किसानों और दलित लोगों की जिन्दगियां पानी में खड़ी हुई हिन्दुस्तान का इस तरह का दृश्य दिखला रही हैं कि मायों अपने बच्चों को छाती से चिपटाये खड़ी हैं क्योंकि उनके बैठने के लिये जगह नहीं, सोने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, छाती से दूध नहीं आता है, उसका पाप उसका खन चूसता है, लेकिन यह सरकार उसे मदद नहीं दे सकी। यह हिन्दुस्तान की सरकार का एक भयानक दौर है, कब तक इसको जनता देखेगी और बर्दाश्त करेगी।

मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत सरकारी भ्रूंकड़े होते हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ पंजाब के अन्दर, लेकिन रकबे का पता नहीं। रकबे का पता इसलिये नहीं कि इन्फार्मेशन नहीं आई प्रदेशों से। इतनी भयंकर बाढ़ें आ गई हैं, लेकिन रकबे की इत्तला नहीं आई। अब बोलिये साहब, कब आयेंगी इत्तला। एक बड़े ताज्जुब की बात यह कि पंजाब ने तीन पम्पिंग सेट मंगवाये थे। पंजाब से वादा भी किया गया था लेकिन वह भजे नहीं गये। क्यों? क्या वह भी रूस और अमरीका की बात थी कि वादा करके नहीं भेजा। एक प्रान्त सरकार की सरकार दूसरे प्रान्त के वास्ते चीज न भेजे।

और एक सबसे बड़ी बात पाप के गर्भ में से निकल रही है। एक तरफ तो पंजाब डूब रहा है, दिल्ली डूब रही है, राजस्थान डूब रहा है, उत्तर प्रदेश डूब रहा है और दूसरी तरफ शासक अन्ध्याय के गर्भ से यह पाप निकाल रहे हैं कि पंजाब से कहते हैं कि तुम को यू० पी० डुबा रहा है, राजस्थान से कहते हैं कि तुमको पंजाब डुबा रहा है और इस प्रकार एक प्रान्त को दूसरे से लड़ा रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि पानी को निकाला जाए और लोगों को आबाद किया जाए,

लोगों को लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें झण्डा तो कांग्रेस का था और कांग्रेस के लोग बोल रहे थे और कहा जा रहा था कि तुमको किसने डुबोया, पंजाब ने। मैं तो कहता हूँ कि न पंजाब डूबना चाहिए, न दिल्ली डूबनी चाहिए, न उत्तर प्रदेश डूबना चाहिए, न मध्य प्रदेश डूबना चाहिए, हिन्दुस्तान का कोई किसान या गरीब नहीं डूबना चाहिए। मैं डूबने के कतई हक में नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी को डुबोना है तो चरत राम और भरत राम के मिल को क्यों नहीं डुबोते जिसको बचाने के लिए नजफगढ़ नाल को खराब कर दिया और जिसके कारण दिल्ली की जनता को खराब पानी पीना पड़ रहा है। उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता क्योंकि या तो वे दिल्ली के चीफ कमिश्नर के रिश्तेदार हैं या पूंजीपति हैं। आज एक महीने से पानी भरा है जिसे नहीं निकाला जा रहा है।

सरकार ने बाढ़ की परिस्थिति में लोगों की मदद की है, लेकिन कितनी मदद दी है। असल में तो मदद का कोई ढंग ही नहीं है। कहते हैं कि पंजाब में 60 आदमी मरे और कुल 148 आदमी मरे हैं। हम देखते हैं कि जब तरक्की की बात आती है तो कर्मचारी उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और जब जनता के नुकसान की बात आती है तो या जनता के दुख दर्द की बात आती है तो तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई दुःख है ही नहीं, अगर कहीं दुःख है तो मन्त्रियों के दिल में है बाहर कहीं नहीं है। तो यह तरीका गलत है। यह देश के मन को गिराएगा, यह देश की मर्यादा को भंग करेगा।

मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इन बातों की तरफ ध्यान देकर इस सदन को कुछ फंसला करना चाहिए। इस चर्चा के गर्भ से कुछ निकालना चाहिए। इसके दो रास्ते हैं, एक तो स्थायी इलाज और

दूसरा फौरी इलाज । जहां तक स्थायी इलाज का सवाल है कल मुझे लोहिया साहब ने बताया था कि जो 25 हजार मील में रेल की पटरी है अगर इसको ठीक लेवल में कर दिया जाए तो बाढ़ का काफी हिस्सा मिट सकता है । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि सरकार प्रतिष्ठावाद को छोड़े । कोई काम करते हैं तो तो प्रतिष्ठा का सवाल पहले सामने रखते हैं । तो सरकार को इसे छोड़ना चाहिए और जो निर्णय ले उस पर अमल करना चाहिए । सिद्धान्त और आदर्श को आगे रखना चाहिए ।

यहां विज्ञान की बात कही जाती है । विज्ञान के बारे में मैं एक बात कहूँ । मुझे यह कहते लज्जा आती है कि वे कोई और देश होंगे जिनमें वैज्ञानिक पहाड़ों पर दरिया को चढ़ा देते हैं, यहाँ तो यह बात नहीं हो सकती । हिन्दुस्तान में तो यह बात होने वाली नहीं है । यहाँ कहा जाता है कि विज्ञान के कारण उद्योग में तरक्की हुई है । लेकिन क्या तरक्की की है । मैं तो कहता हूँ कि विज्ञान के द्वारा जनता के मन को बढ़ाओ । कुछ निर्णय लो और उनको पूरा करो । यह फैसला करो कि हम हिन्दुस्तान की इतनी जमीन को छोटे तरीकों से पानी देंगे । यह फैसला करो कि इतनी सेम जदा जमीन में से पानी निकालेंगे । यह फैसला कीजिए कि इतने छोटे छोटे बांध बनायेंगे या इतनी पुलियाएँ बनायेंगे जिनसे बाढ़ का पानी निकल सके । केवल उद्योग की बात कह दी जाती है कि उसमें तरक्की हुई है । मैं पूछता हूँ कि उद्योग में अंग्रेजी राज्य में हिन्दुस्तान का दुनिया में आठवां नम्बर था, आज कोई बताए कि कौनसा नम्बर है । यह तरक्की है उद्योग की ।

हर बात को गलत ढग से पेश किया जाता है । मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक फौरी इमदाद का सवाल है यह फैसला किया जाए कि सेम जदा इलाके से सेम निकाला जाए और नदियों से जो बाढ़ आती है पानी के ढलान के कारण उसका बुनियादी तौर पर

इन्तिजाम किया जाए जिससे न रोहतक डूबे, न दिल्ली डूबे, न राजस्थान डूबे, अगर कोई डूबे तो वे लोग डूबें जिनके पाप कर्म लोगों को डूबा रहे हैं ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि नदियां जो आती हैं तो अपने साथ रेत लाती हैं और कटाव करती हैं । इस तरह वे चौड़ी ज्यादा होती जाती हैं और गहरी कम होती जाती हैं । इसके लिए जरूरी है कि नदियों की खुदाई करायी जाए और उनके किनारों को मजबूत किया जाए ।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि फौरी मदद के नाम पर पंजाब को 68 लाख रुपया दिया गया और इतने ही आदमी वहां बाढ़ से पीड़ित हैं, यानी एक आदमी को एक रुपए की मदद दी गयी और हातिम ताई जैसी बावें करते हैं । फौरी मदद के सिलसिले में मैं चार पांच बातों का सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूँ । जो फसलें तबाह हो गयी हैं उनका तमाम मुआवजा दिया जाए, सरकार का जितना आबियाना, माल आदि का बकाया है उसको माफ किया जाए, फौरी तौर पर उनको राशन दिया जाए, कपड़ा दिया जाए क्योंकि सरदी का मौसम आ रहा है । बच्चों की मुफ्त तालीम का प्रबन्ध किया जाए और लोगों के लिए दवा का इन्तिजाम किया जाए, पशुओं के लिए चारे का इन्तिजाम किया जाए, और चूँकि इन इलाकों में अन्न नष्ट हो गया है और बुवाई का समय है इसलिए इस इलाके में लोगों को मुफ्त बीज दिया जाय ताकि वे खेती कर सकें, और नजफगढ़ वगैरह इलाकों से पानी को निकाला जाए । तो मैं कहना चाहूंगा कि सदन गम्भीरतापूर्वक सोच कर कुछ निर्णय ले और उस पर पूरा अमल करे । राज्य सरकारों से अभी पूरी सूचना नहीं आयी है । मुझे राम किशन सरकार का पता है कि उन लोगों ने अभी तक इनफारमेशन नहीं दी है ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : राज्यों से फिगर आने पर निर्णय किया जा सकता है ।

श्री बागड़ी : सभी राज्यों से इनकारमेशन एवेंट की जा रही है। क्या ये आंकड़े तब आएंगे जब बाढ़ चली जाएगी या जब जनता की बाढ़ के कारण मन्त्रिमण्डल चला जाएगा। कब आएंगे ये आंकड़े ? पंजाब में यही हाल है, मध्य प्रदेश का यही हाल है और तकरीबन जितने आंकड़े हैं उनके बारे में मैं पंजाब के आंकड़ों को देखते हुए कह सकता हूँ दावे के साथ कि वे बिल्कुल गलत हैं। मैं कहूँगा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को महसूस करे। एक बेचारे के० एल० राव हैं जो भागते फिरते हैं। लेकिन वह एक अपंग आदमी हैं। वह तो एक राज्य की इतिला दूसरे राज्य को देते हैं, इससे ज्यादा उन्हें ताकत नहीं। ताकत है सारे मन्त्रिमण्डल को। सारा मन्त्रिमण्डल इसको सोच कर फँसला करे और जो इस वक्त दुःख और संकट है उसको फौरी तौर पर दूर करने का मुकम्मल इन्तिजाम करे। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बहस के गर्भ में छे कुछ नतीज निकाले। एक गांव को बचाने के लिए एक इलाके को न डुबाया जाए, एक मिल को बचाने के लिए दिल्ली को न डुबाया जाए।

भाज कहा जाता है कि दिल्ली के अन्दर सवा लाख आदम बाढ़ से पीड़ित हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि 25 लाख आदमी बाढ़ से पीड़ित हैं। क्या जो लोग गन्दा पानो पी रहे हैं वे सब बाढ़ से पीड़ित नहीं हैं। तो मैं अन्त में कहूँगा कि इस तरह के गलत आंकड़ों का तरीका भी बदलो।

Some hon. Members rose—

Mr. Chairman: Shri D. C. Sharma.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : सभापति महोदय, जिस क्रम में यह नाम दिये गये हैं उस तरह से न बुला कर क्या बीच वालों को छोड़ देंगे ? कृपया क्रम से चलिए।

Mr. Chairman: I am apportioning the time. I will try to see that every section of the House gets its time. I

must have the freedom to arrange the debate.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : जिन लोगों ने नॉटिस दिया है उनको सभापति महोदय को पहले लेना चाहिए और उसी क्रम से उन्हें बुलाना चाहिए।

सभापति महोदय : स्वामी जी, आप बैठ जाइये।

श्री इरुवाल सिंह (फिरोजपुर) : सभापति जी आपको बैठने के लिए कह रहे हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरानन्द : सरदार जी को शायद पता नहीं है कि किस तराफ से बहुत कुछ लिखा पढ़ी और वहने सुनने के बाद यह मोशन आज हाउस के सामने आ सका है। फिर मैंने तो सभापति महोदय से यही चाहा है कि वे क्रम से लें...

सभापति महोदय : क्रम का भी निर्णय करने वाला मैं ही हूँ। स्वामी जी, अब बैठ जायें। सभी लोगों को मौका मिलेगा (इंटर-प्लान्स)।

Mr. Chairman: Punjab is not inhabited only by representatives from the Opposition or the Congress Party. All parties are represented here. Therefore, every party will get its time according to its strength.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, at the very outset I wish to submit that the calamity which has overtaken almost all the States in India is not the first of its kind. I want to ask the Government of India, when this calamity occurs every year, when we are told about this Najafgarh area, when we are told about Jumna, Bagmati and other rivers where flood takes place, why is it that the Government does not take due precautions to stop these floods? Sir, prevention is the better part of cure. I know that when floods occur the Government does everything in its power to

help the people. But in spite of that, cattle are destroyed, lands go under water, human lives are lost and so many other calamities overtake our population.

I would like to ask the hon. Minister one question. India has been free for the last 17 years and these floods have been occurring every year. Why is it that they have become hardy annuals, why is it that they have become annual occurrences, and why is it we are asked to debate this point every time in this House. Therefore, I think it is the duty of the Government and the duty of every Member of this House to whatever party he may belong, to take not only long-term measures for the prevention of these floods but also short-term measures so that the population is not put to any trouble every year.

I do not want to go into the extent of damage that has been brought about by these floods. I think the hon. Minister has been very candid in this matter. If I may be permitted to say so, it is for the first time that we have got a very reliable report from the Government. Of course, there are some persons who may differ from this report. They may say that the damage is greater than what is given in the report of the Government.

An Hon. Member: Because they are not dependable.

Shri D. C. Sharma: But there is no doubt about the fact that the Government has been very fair with us, very fair with the population, very fair with the people of the country and very fair with those people who are affected. How are these losses to be made good—the loss of crops? Of course, nobody can make good the loss suffered on account of loss of human lives. Who can do anything about that? My heart goes out to all those persons who lost their lives during these floods, and I think the whole House is full of sympathy for those persons. . . .

Dr. M. S. Aney: For their relatives.

Shri D. C. Sharma: I want to ask the Government whether they are going to do something for the survivors of those persons. It is the moral duty of the Government to do something for the families of those persons who lost their lives in the floods.

My second point is this. Only this morning some persons came and told me that so many houses have fallen down. A gentleman came and told the story of Sonapat. The same story is repeated everywhere. The same story is more or less to be found in my constituency also. The same story is to be found in all parts of India—Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal and other States. Here is my hon. friend from Midnapur. He has suffered from floods. I would say, the Government should do something to make good the losses that the farmers have suffered on account of their crops being damaged altogether by these floods. Why do I say so? Unless the Government pay the penalty for its neglect, the penalty in terms of money, the penalty in terms of *prayaschith*, I think these floods will not become things of the past, these floods will go on occurring every year.

My third point is this. The hon. Minister has given us two statements. I have gone through both these statements. We know where the disease is, what the trouble spots are, which of the rivers are dangerous and how the whole thing starts. I would say that the Government should prepare, first of all, a short-term plan for those cities and villages which are affected every time these floods occur. I would also say that the Government should have blue-prints of those rivers which are causing us trouble. It will be said that it is very difficult to control these rivers, that Kosi is known as the river of sorrow, that Bagmati is an erratic river, that Beas is a river which is as whimsical as you can imagine it to be and so on. But all these things

[Shri D. C. Sharma]

do not cut any ice with this House today. I would, therefore, say that a high-power commission should be set up to prepare village-wise account, to prepare a blueprint for the protection of every village that is affected, every city that is affected by these rivers which are causing us trouble.

15.59 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI in the Chair]

I want to ask one other thing. What is the reason that whenever we are in trouble we send for the army? What is the reason that whenever we are in trouble we send for the navy? Why is it that our civilian population cannot cope with these disasters?

श्री जगदेव सिंह सिद्धन्ती : आप का काल समाप्त हो गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा : काल आपका समाप्त होने वाला है । मैं तो अभी बहुत दिन जिन्दा रहने वाला हूँ ।

So, I was submitting very respectfully that something has got to be done. I know that the hon. Minister will say something to alleviate the human suffering, to bring hope to the minds of the affected persons. I say that will not be enough. We want to have a foolproof remedy for these ills which are recurring every day, every year; unless that is done, the trouble will go on recurring. It may be said that we will require so many crores of rupees, that the whole Five Year Plan money will have to be spent on it. I may tell you that the population of India is not prepared to listen to these things because, as it has been stated, these calamities are due to three causes. The rainfall is there. But what about drain No. 8 and drain No. 6? There is no effective construction of drains. Those drains were not deep enough and strong enough and so breaches occurred. Therefore, it is not God-made malady but man-made malady. It has been created by

man. Therefore, you should take action against the persons who have constructed this defective drain. You have to entrust the whole case to some establishment like the SPE to see why this drain was constructed in such a defective manner that it could not stand the floods.

16.00 hrs.

Therefore, I would say that while we have got to look to the needs of the people who are in distress and have to satisfy those needs as fully as possible, while we have to see that such floods do not take place in future, we have also to see that those drains and bunds which were man-made and that too under the supervision of engineers are in good condition. Therefore, Government has to order an all-round, all-out, foolproof, unbiased enquiry into these happenings. It should place before this House not only a long-range plan but also a short-term plan. Dr. K. L. Rao is a person who knows all these things. I hope he will be able to satisfy us in such a way that next time no debate on floods takes place in this House and even if there are floods there are no damages to human life, crops and other things and everything goes on smoothly.

श्री नवल्ल प्रभाकर (दिल्ली करोलबासा) :
सभापति जी, आज हम यहां पर बाढ़ की समस्या पर विचार कर रहे हैं । देश में हर साल बारिश आती है, बरसात होती है, नाले उबलते हैं, नदियां अपने तट-बन्धों को छोड़ देती हैं, सब जगह पानी फैल जाता है और फिर वही परेशानियां हमारे सामने आती हैं । इस सम्बन्ध में मेरा मुझाव यह है कि हम सारे देश के लिये एक ऐसा नक्शा तैयार करें, जिसमें किसी भी सीमा की कोई रोक नहीं होनी चाहिए, किसी प्रदेश की कोई रोक नहीं होनी चाहिए ।

अक्सर यह देखा गया है कि एक प्रान्त वाले अपने पानी को निकाल कर दूसरी जगह लाकर छोड़ देते हैं और दूसरे प्रान्त वाले उससे परेशान रहते हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या वह अपने घर से पानी लाकर छोड़ देते हैं ?

एक माननीय सदस्य : चोर की दाढ़ी में तिनका ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं वह भी बता दूंगा ।

इस अवस्था में हमें मह प्रयत्न करना चाहिए कि वह पानी रुकने न पाए और हर बरसात में ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े ।

मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन श्री सिद्धान्ती ने मुझे कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि बरसात दिल्ली में नहीं हुई, पंजाब में हुई और परेशानी दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ी । पंजाब वालों ने नाला नम्बर 8 खोदा और ड्रेन चेम्बर 6 खोदी और उनका लाकर दिल्ली के पास छोड़ दिया कि दिल्ली डूबती रहे । पंजाब वालों ने जो नालियां खोदीं, उन में उन्होंने पंजाब की तरफ तो मिट्टी डाल दी और दिल्ली की साइड पर मिट्टी नहीं डाली, ताकि नालों में पानी बढ़ेगा तो वह दिल्ली की तरफ चला जायेगा ।

श्री हुकम चन्द कृष्णाय (देवास) : "दिल्ली चलो" ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : रांग स्टटमेंट ।

श्री नवल प्रभाकर : यह रांग स्टटमेंट नहीं है । मैं माननीय सदस्य को साथ ले जा कर दिखला सकता हूँ ।

Shri D. C. Sharma: I think this debate should be kept free from provincial rivalries and acrimonies.

श्री नवल प्रभाकर : जब माननीय सदस्य पंजाब के मिर्चाई मंत्री थे, तो उनके जमाने में भी कुछ नालियां खोदी गई होंगी । मैं आज भी दिखला सकता हूँ कि पंजाब सरकार की तरफ से जो नालियां खोदी गई हैं, उन में दिल्ली की साइड पर मिट्टी नहीं डाली गई है और पंजाब की साइड पर मिट्टी डाल दी गई है । इस कारण जब नालियों का पानी ऊंचा होता है, तो वह दिल्ली की तरफ आ जाता है ।

आज क्या हो रहा है ? कोई पहाड़ पर थोड़े ही बारिश हुई है ? पंजाब का पानी आया नाला नम्बर 8 में । उसमें दरार डाल दी गई और जमुना में पानी भर गया । इससे दिल्ली वाले परेशान हैं और तबाह हो रहे हैं ।

श्री झोंकार लाल बोरबा : दिल्ली और पंजाब के पापों से राजस्थान डूब गया ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्राथना करती हूँ कि वे बीच में रुकावट न डालें ।

श्री नवल प्रभाकर : इस तरह का सिलसिला बन्द होना चाहिए । हम सब इस देश के निवासी हैं और हम सब को मिल कर इस समस्या को हल करना चाहिए । पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये चार इलाके ऐसे हैं, जहाँ के लोग—हम लोग—एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि हम दोषारोपण करना छोड़ कर मिल कर बैठें, इस समस्या पर विचार करें और फ़ैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि एक दूसरे की तबाही बन्द हो जाये ।

टेशन में बाढ़ सब जगह आती है, लेकिन पानी दो, तीन, पांच, सात दिन में निकल

[श्र नवत्र प्रभाकर]

जाता है। लेकिन मेरी कांस्टीट्यूण्ट्सी की हालत यह है कि हर साल पानी आता है, लेकिन वह महीनों तक नहीं निकलता है। चरसात खत्म हो जाती है, सर्दी आ जाती है, सारे देश में बुप्राई हो लगे जाती है लेकिन मेरी कांस्टीट्यूण्ट्सी की अवस्था यह होती है कि पंजाब का पानी सर्दी में भी छोड़ दिया जाता है, जितसे खेत डूबने लगते हैं और जो थोड़ी बहुत बुप्राई को जाती है, वह भी तबाह हो जाती है।

पिछली बार सदियों में, जनवरी के महीने में, पंजाब का पानी, काले रंग का और मैला, यकायक आ गया।

श्री ट्यागो : मैला ?

श्री नवल प्रभाकर : काले रंग का। (Interruption) मैं यह नहीं कह सकता कि पंजाब के कारनामे कैसे हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि वह पानी ऐसा था कि जिसमें मछलियां मरी हुई थीं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह दूषित पानी छोड़ दिया गया और हमारे यहां सारे नजफगढ़ ब्लाक में वह पानी गिर गया। मैंने डा० के० एल० राव को बताया कि आप जो मोरियां खोज रहे हैं, उनकी वजह से मेरी कांस्टीट्यूण्ट्सी के लोग बहुत परेशान हैं।

जब बाढ़ का प्रकोप होता है, तो वह कुछ बरदान भी साथ लाता है। बाढ़ अपने साथ बहुत सारा कूड़ा-कंकट और खाद आदि लाती है, जो कि उपज को बढ़ा देने वाले होते हैं। लेकिन दिल्ली की परेशानी यह है कि बाढ़ आती है, तो पानी महीनों निकलने का नाम नहीं लेता है। आज एक, डेढ़ महीने से नजफगढ़ ब्लाक में पानी आया हुआ है। नावें चल रही हैं, लेकिन पानी निकलने का नाम नहीं लेता है। पिछले शुक्रवार को बारिश आई, तब नौ इंच पानी कम था। लेकिन अगले दिन, शनिवार को, नौ इंच से

पानी ऊपर चढ़ गया। हर खेत में छः, सात, दस फुट तक पानी खड़ा हुआ है। किसान लोग यह जानना चाहते हैं कि उन के यहां से पानी कब तक आप निकाल देंगे, कब तक पानी निकालने की व्यवस्था आप कर देंगे? उनको यह मांग थी कि उन के यहां से पानी पंद्रह अक्टूबर तक निकल जाना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि आप उनकी इस मांग को पूरा कर देंगे।

नजफगढ़ नाले के बारे में मैं कुछ कना चाहता हूँ। यह अंग्रेजों की देन है। यहां पर पानी कुछ बरसता है। नजफगढ़ नाले में मछलियां मारने का काम होता है। अंग्रेज चाहते थे कि यहां पर पानी बना रहे और उन्होंने कभी भी इस नाले को सफा नहीं कराया। ऐसा उन्होंने जानबूझ कर किया क्योंकि वे मुर्गाबियां वगैरह मारा करते थे। लेकिन 1947 के बाद ...

श्री बागड़ी : आदमी तो नहीं मारते थे।

श्री नवल प्रभाकर : हमें स्वतंत्र हुए सतरह वर्ष हो गये हैं 1954 से लेकर आज तक पानी 1964 तक लगातार पानी आता है, लगातार पानी इस में बढ़ता जाता है, लगातार इस पानी के कारण परेशानियां बढ़ती गई हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि इसके बारे में कोई यत्न नहीं किया गया है। प्रयत्न किये गये हैं। लेकिन वे प्रयत्न एक दम अफसस रहे हैं दिल्ली सरकार ने पहले यह कहा कि हम पानी इसका निकालेंगे लेकिन वह इस में कामयाब नहीं हो सकी। फिर सोचा गया कि भारत सेवक समाज इस पानी को निकालेगा और इसके कार्यकर्ता गये और उन्होंने निकालने की भी कोशिश की लेकिन उन को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई ...

श्री बागड़ी : चांदी वाला सोने वाला बन गया।

Mr. Chairman: May I know whether the hon. Members are thinking loudly or are giving certain suggestions?

श्री नवनर राकर: उनके कुछ कार्यकर्ता आए, कुछ ठेकेदार आये लेकिन उनको भी सफलता प्राप्त नहीं हुई।

श्री बागड़ी: मैं कह रहा हूँ कि दस साल के अन्दर कुछ किया नहीं है और वह कह रहे हैं कि किया है।

सभापति महोदय: बीच में टोकना अच्छा नहीं है। मैं आप से इसके बारे में प्रार्थना कर चुका हूँ।

श्री राव प्रसाद: फिर 1956 में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूजी ने उस इलाके को जा कर देखा और देखने के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिस में केन्द्रीय सरकार के बड़े बड़े इंजीनियरों थे, चीफ कमिश्नर थे और कुछ लोग जो इस मामले को समझ रखते थे, वे थे। जहाँ तक मुझे याद है लगभग दो करोड़ रुपया इसके निर्माण कर दिया गया था। इस काम को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन केन्द्रीय सरकार को भी उसमें सफलता नहीं मिली। फिर मालूम हुआ कि यह इंसान के बस की बात नहीं है। कहा गया कि अब मशीनों के आर्डर दिये जायें। दो बरस तक मशीनें नहीं आईं और पानी इतनी तरह से परेशानी का तयस बना रहा। अब जब मशीनें आ गई हैं तो कहा जाता है कि मशीनें कम हैं। नजफगढ़ नाले को आज इतनी क्षमता नहीं रही है कि वह इस सारे पानी को निकाल सके। यह नाला पानी निकाल देगा यह ठीक है। लेकिन बीच बीच में जो अप्स एंड डाउन आये हैं उनको साफ करना बहुत जरूरी है। जब तक वे साफ नहीं होंगे यह पानी नहीं निकलेगा।

मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि नेरो कॉन्स्ट्रक्शंस की पचास हजार एकड़ जमीन

पानी में डूबी हुई है। दिल्ली के दूसरे इलाके भी इसी प्रकार से पानी में डूबे हुए हैं। उत्तरी दिल्ली में भी इतनी ही जमीन पानी में डूबी हुई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सत्तर गांवों में से पचास गांव पानी में डूबे हुए हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे राव साहब ने बहुत प्रयत्न किया है। उन से पहले जो मंत्रोगण थे वे यहां पर अपने दफ्तरों में बैठ कर के हुकम ही चलाया करते थे। लेकिन राव साहब स्वयं इंजीनियर हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उन के मन में लगन है, तड़प है, और उन्होंने इस मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली है। इतनी उन्होंने इस मामले में रुचि ली है कि कि हर चौथे पांचवें या आठवें दिन वह जाया करते थे और जा कर एरियाज को देख कर आया करते थे। किन्तु जो दुखी लोग होते हैं, जो परेशान लोग होते हैं, उनका जो दुख और परेशानी है वह जब तक दूर नहीं हो जाती है तब तक उनको सन्तोष नहीं मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि उनके दुख का निवारण जल्दी से जल्दी हो।

एक और प्रश्न है जो रोज हमारे सामने आ खड़ा होता है। पाने का पानी हमें नजफगढ़ नाले की वजह से स्वच्छ नहीं मिल पाता है, दूषित पानी हमें पाने के लिए मिलता है। इसके निवारण के लिए भी एक प्रोजेक्ट डा० राव साहब ने रखी है जिस में यह कहा गया है कि नजफगढ़ झील से पानी ले जा कर के अलग से पलवल के रास्ते जमुना के अन्दर डाल दिया जाए। अगर इस तरह से हो जाए तो न पानी दिल्ली शहर में आएगा और न किसी कालोनी में आएगा और न किसी को किसी किस्म का खतरा होगा। न किसी फेक्ट्री को कोई नुकसान होगा और न किसी दूसरे को कोई परेशानी होगी। न गांवों में पानी फैलेगा, न पंजाब में पानी फैलेगा न दिल्ली में रहेगा। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र-शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिये ताकि आगे

[श्री नवल प्रभाकर]

घाने वाले साल के अन्दर यह कठिनाई और परेशानी पैदा न हो ।

रिलीफ का जो काम हो रहा है, वह भूसे कुछ जंचा नहीं है । आज सुबह मेरा एक सवाल था जिस के उत्तर में बताया गया कि प्रत्येक परिवार को सी सी रुपये दिया जाएगा आप देखें कि क्या यह काफी है ? खरीफ की फसल हुई तक नहीं और रबी की फसल की कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है छः महीने के अन्दर वे लोग क्या करेंगे और क्या खायेंगे ? किस तरह से वे अपना गुजर बसर करेंगे ? कैसे अपने पशुओं को बे खिला पायेंगे में निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम पांच सी रुपये प्रति परिवार दिया जाना चाहिये । उस परिवार को जिस परिवार के पांच सदस्य हों । पांच सदस्यों से अगर अधिक सदस्य हों तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पचास रुपये प्रतिरिक्त दिया जाना चाहिये ।

मकान भी गिर गये हैं । गांवों के जो गरीब लोग हैं उनके मकानों की यह दशा है कि पानी में वे बिल्कुल तबाह हो गये हैं, बरबाद हो गये हैं, मकान उनके टूट फूट गये हैं । उनके मकान बनाने का भी इंतजाम किया जाना चाहिये । चारा जो पशुओं का है, वह चारा भी दिया जाना चाहिये, उसका भी इंतजाम किय जाना चाहिये ।

माननीय राव साहब ने जितनी दिलचस्पी अब तक इस मामले में ली है, उसके लिए मैं उन की प्रशंसा करता हूँ । मैं समझता हूँ कि आगे वे इस से भी अधिक इस मामले में दिलचस्पी लेंगे, ताकि यह पंजाब, दिल्ली राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अन्दर जो हर साल संकट आता है, वह टल सके और दिल्ली के पास आकर जो पानी खड़ा हो जाता है, वह खड़ा न हो सके ।

श्री रामेश्वरा नन्द :

श्री ३३ हिरण्यमयेन् पात्रेन् सत्यस्या
१ हितम्, मुखम्

तत्वम् पूषन् अपावृणु, सत्य धर्माय
दृष्टये । ।

सभापति महोदया, यह बाढ़ का जो प्रश्न है, यह आज से नहीं अपितु जब से हमारा शासन आया है, तब से हमेशा ही हमारे सामने रहा है । बहुत से गांवों में तो पन्द्रह पन्द्रह वर्ष हो चुके हैं कि फसलें बिल्कुल हुई ही नहीं हैं । मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूँ कि पानी कहां से आया, कैसे आया, रोहतक से आया, करनाल से आया, पंजाब से आया, दिल्ली सूबा डूबा या नहीं डूबा । मैं ने पढ़ा था कि दिल्ली में 38 इंच वर्षा हुई है, दिल्ली और इसके आसपास इतनी वर्षा हुई है । क्या यह वर्षा भी दिल्ली को पंजाब ने भेज दी है ? अगर वर्षा कहीं अधिक हो जाए तो क्या किया जाए ? क्या इस में भी किसी दूसरे प्रान्त का अपराध है ?

हम ने शास्त्रों में पढ़ा है, कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि क्यों होती है । वहां लिखा हुआ है :

अतिवृष्टि अनावृष्टि मूसकः सलभः शुक्रः
अत्यासन्नाच राजान् षडेता इत्यः
स्मृतः ।

इस तरह की जो आपत्तियां हैं ये तब आती हैं जब शासन अत्याचारी होता है, अन्याय करने लग जाता है । तब अधिक वर्षा भी होती है, कम वर्षा भी होती है और अकाल भी पड़ते हैं । जो भाई यह कहते हैं कि साहब यह शासन क्या करे, तो मैं भी उन से ही यह पूछता हूँ कि वह क्या करे, जब शासन बाढ़ों की रोक थाम नहीं कर सकता है तो करे क्या ? शासन ने जो भूलें की हैं वे इसको नहीं करनी चाहिये थी । जो भूलें की हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

अभी चकबन्दी हुई है। चकबन्दी से पहले पानी जहाँ से जाया करता था वहाँ कुछ प्रभावशाली लोगों ने, उन रास्तों को रुकवाकर नए रास्ते बनवा दिये, कुछ सड़कें निकल गईं, पुल ही नहीं लगाये गये और दिल्ली सूबे और हरियाणा को डुबाने का जो सब से बड़ा कारण है, वह कारण है, भाखड़ा बांध। पहले पानी अम्बाले से निकल कर करनाल और रोहतक से होता हुआ पश्चिम की तरफ जाया करता था और उधर से वह पानी प्राये पाकिस्तान में निकल जाता था। लेकिन भाखड़ा बना, नहरें पक्की बनीं और इस कारण से पानी उधर से जाना बन्द हो गया। इसको आप बिल्कुल जा कर देख सकते हैं। और उसके नीचे से साइफन निकाला नहीं है। या अगर निकाला है तो बहुत छोटा निकाला है। इसलिये हरियाणा को बचाने का सर्वात्म उपाय यह है कि उस नहर के नीचे से, जहाँ से पानी आ कर जोर करता है, साइफन निकाला जाये।

दूसरे, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ नदियों के बारे में, आप यमुना को हँ ले लें, यमुना से सब नदियों का पता आप को चल जायेगा। यमुना का स्तर भूमि के स्तर के समान ही है, वह अधिक गहरी नहीं है, जब पानी ऊपर से आता है तो वह फैल कर चलता है। यमुना में कोई ऐसी जगह नहीं है जो पानी को सम्भाल ले। इलाके से पानी आता है नदियों के द्वारा और यमुना भी अपने में पानी ले कर आती है। इन नदियों के द्वारा इस इलाके में पानी फैलता है बजाय इसके कि यमुना उसे ले जा सके। इसलिये मैंने गत वर्ष श्री के० एल० राव से मन्त्र निवेदन किया था कि वे अपने कुछ उच्चाधिकारियों को भेजें। मैंने उन को तीन चार गांव दिखलाये। अभी श्री नवख प्रभाकर कह रहे थे कि वे बड़े दुखी हैं कि दिल्ली सूबे में और नजफगढ़ में इस प्रकार की स्थिति है। परन्तु वे दिल्ली के पास हैं, उन्हें दूरबीन लगा कर देखा जा

सकता है, मिनिस्टर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं करनाल की स्थिति आप के सामने रखना चाहता हूँ। एक तरफ यमुना माई हैं, दूसरी तरफ भाकंडा है। उनके बीचों बीच नहर निकाली हुई है पानी के लिये, और सैकड़ों छोटी मोटी नदियां हैं उस क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो करनाल तथा रोहतक और उस से सम्बंधित जितना भी गुड़गांव का भाग है और दिल्ली सूबा है, यह सही है कि कुछ दिन के पश्चात वह झील बन जायेगा और कई लाख जनता के लिये अभी से कोई स्थान निश्चित कर लेना चाहिये।

हालत यह है कि अभी तक पानी मकानों में घुसा हुआ है। आप चल कर देख लें। गत वर्ष आठ गांव थे जो दिखलाने थे, लेकिन श्री के० एल० राव के उच्चाधिकारी केवल चार देख सके, जो कि यमुना के तट पर थे। वे आधे आधे बह गये थे। इस बार भी दो गांव बिल्कुल बह गये यमुना में और लोग बाहर पड़े हैं। उन को सरकार की तरफ से केवल 50 सिक्की मात्र दी गई हैं, और कोई चीज नहीं दी गई। पशु मरने लगे हैं, मकान बह गये हैं। वे जिस बुरी अवस्था में हैं, मैं नहीं कह सकता कि कोई मनुष्य उस अवस्था में रह सकता है। मैंने आपके वक्तव्य को पढ़ा। उस में करनाल की बात नाम मात्र है। मालूम नहीं होता कि करनाल में भी कोई बाढ़ आई है। अभी जितना रोहतक से लगता हुआ जो भाग है, जो करनाल की तहसील है पानीपत, उस को चल कर आप देख लें। मैं कहता हूँ कि छः महीनों तक भी पानीपत तहसील के अहर, कोराना, कल्याणा, और पट्टी आदि गांवों का पानी सूखेगा नहीं। यह स्थिति करनाल की है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस का कोई उपाय होना चाहिये। आप इंज निर्भर को लगाते हैं, मैं मानता हूँ कि आप ने इंजीनियरिंग है, लेकिन वह दिल्ली के ठंडे कमरों में बैठ कर

[श्री राश्वता नन्द]

नक्शे बनाने वाले इंजीनियर हैं। आप देहात के लोगों से भी पूछ कर देखिये कि हम उस पानी को किस तरह से वहाँ से निकालें। लेकिन उन की तरफ आप का ध्यान नहीं है। जिस को अंग्रेजी टरं टरं नहीं आती, उस की बात को आप सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं। मैं आप से विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि इस समय हजारों पशु भूखों मर चुके हैं करनाल में। यही रोहतक की स्थिति है क्योंकि वहाँ तो पशुओं के लिये चारा तक नहीं है। मनुष्य तो इधर उधर भी जा सकता है। लेकिन पशुओं को कौन लेगा, जिन का 15 या 20 मन का बन्ध होता है। घरती भी उन का भार नहीं सम्भालती। घास सब नष्ट हो गई है। हमने वक्तव्य में पढ़ा कि उन के लिये चारा भेजा गया है। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आप बतलायें अगर आप ने बनारस में एक छाँक भी चारा भेजा हो। आप तो लाखों रुपयों की सहायता देते हैं। मैं नहीं चाहता आप देहातियों की आदत को दिगाड़ें लाखों रुपयों की सहायता दे कर। हम वेदल यह चाहते हैं कि रुपया न दे कर आप इन नदियों का पानी किसी तरह से रफाई कर के निकालें। अगर आप ऐसा कर सकें तो अच्छा है। हमारी एक यही मांग है। अगर आप को सहायता देनी है तो रुपये मत दीजिये, रुपये से काम नहीं चलता उस क्षेत्र में जहाँ की बात मैं कह रहा हूँ। इन क्षेत्रों में पिछले चीमासे में वर्षा हुई और अन्न नहीं हुआ। पिछली वर्षा के कारण इस साल फसल भी नहीं हुई और मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि इस समय सैकड़ों घर ऐसे हैं जिन में एक बरत चूल्हा जलता है, अन्न का इतना अभाव है। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो वस्त्र दें, अनाज दें, आप उन को चारा दें। और भी यदि आप कुछ कर सकते हैं तो केवल एक काम करें कि हमारे पानी का कोई प्रबंध करें। यही मैं आप से चाहता हूँ। भविष्य में इस के लिये हमें आप के सामने गिड़गिड़ाणा न पड़े। इस में पार्टी

का कोई प्रश्न नहीं। हम सब इस देश के रहने वाले हैं। लेकिन आज कोई पंजाब को दोष देता है और कोई किसी और को देता है। इस का एक बड़िया हल मैं बतलाता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में एक ही सरकार रहे, सारी प्रादेशिक सरकारों को खत्म कर दिया जाये। तब किसी के लिये दोष देने का मौका नहीं रह जायेगा। परन्तु बटन दबाते समय जब उधर से बटन दबाये जायें तो मेरा प्रस्ताव कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसका एक यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कब तक हम एक दूसरे को कहते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप के सामने कोई दूसरा उपाय हमारी समस्याओं का है। हम आप को श्रमदान देने के लिये तैयार हैं अगर जिन नदियों को हम बतलायें उन को आप कुछ थोड़ा सा गहरा करवा दें। मैंने डिप्टी कमिश्नर करनाल से बात की। मैंने कहा कि यहाँ से बांध लगवाइये और थोड़ा सा रेता एक फर्लांग में निकलवा दें तो पानी सीधा चलने लगेगा और कई गांव जो हैं वे नष्ट नहीं होंगे। डिप्टी कमिश्नर मुझे से क्या कहते हैं कि स्वामी जी दरिया के प्रवाह को कौन रोक सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं रोका जा सकता है। क्या वह सोच कर चलता है, कोई प्रोग्राम बना कर चलता है। लेकिन इस सरकार की गदियों पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिधर से दबाव पड़ता है उधर हो लिया करते हैं।

16.26 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]
मैं आप से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जिन नदियों की स्थिति बन गई है वहाँ आप अवश्य ही ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ से रेता निकलवा दें। अगर आप ऐसा कर दें तो ताजेवाला से दिल्ली तक आप को कई हजार नहीं लाखों एकड़ भूमि, कई भील का खादर बोवाई के लिये मिलेगा। साथ में जहाँ पर रेता डेगा उस जगह पर पेड़ लगाये जा सकते हैं और देश की और भी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर प कुछ करने के मूड में हैं, आप की यह स्थिति है कि आप वस्तुतः कुछ करना चाहते हैं तो आप इस को अपने हाथ में लें, नहीं तो इतने खेत और दसियों गांव बह गये हैं और लगभग दस और आ रहे हैं। सम्भव है कि अगले चुनाव तक वह भी हो जायें। कौन जाने जब अब तक आप लोगों को बसा नहीं सके हैं तो इन लोगों को बसाने के लिये आप जगहन दे सकें। उनको कोई सहायता नहीं दी जा रही है। मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूँ कि बिना पार्टी का ध्यान किये हुए, बिना किसी पार्टी का विश्लेषण किये हुए, इस समय देश की जनता जिस संकट में है, उस संकट को ध्यान में रखते हुए, इस तरह से की जाये तभी उन का कोई उपाय हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता।

श्री गु० फ० मुत्तसर (अमृतसर) :
उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के मुताल्लिक जो रिपोर्ट हमारे मिनिस्टर साहब ने दी है उस में जहां तक फिगर्स का ताल्लुक है, कुछ कमी बेशी हो सकती है। हमारे मिनिस्टर साहब काफी अच्छे इंजीनियर हैं। आज मेरे मन में एक बात आई थी और असल में उस का जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तीसरे सफे में जो आखिरी पैरा है उस में किया है, और ज्यादातर ध्यान इस तरफ ही देने की जरूरत है। इस में दो चीजों की कमी जरूर नजर आ रही है। एक तो वह कमी जिसका मुजाहिदा अभी हमारे इस हाउस में हो रहा था कि कोयर्न नेशन नहीं है। हम अलाहदा अलाहदा प्रदेशों की बात करते हैं, इस बात को नहीं समझते कि :

जो दूंगी किशती तो डूंगे सारे,
न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे।

बानी इस में किसी के बचने की आशा नहीं है। उन्होंने ड्रेन नं० 8 का जिक्र किया हमारे दिल्ली के मेम्बर ने। वह तो हमारी जान लेने लगा था। हमारी किशती उस में उलट गई।

मैं तो कहूंगा कि जहां माननीय मंत्री ने 60 जानों का नुक्सान बतलाया है वहां शायद उन को 68 बतलाना पड़ता अगर हम आठ भी मर जाते। और नैरी किशती तो डाइवर्शन में उल्टी है, ड्रेन में नहीं। डाइवर्शन में पानी इतने ज र से चल रहा था। ता एक यह बात है कोयर्न नेशन की।

दूसरी बात वक्त पर मुनासिब इन्तिजाम का न होना है। हमारे पंजाब के जो इर गेशन मनेस्टर हैं उन्होंने रात कीर पर अपनी रिपोर्ट में इस बात का इजहार किया है कि ये जो फ्लड हैं यह कई नई बात नहीं है। सन् 1955 से मुताबितर फ्लड आते रहे हैं। बसे सन् 1947 में भी कहीं कहीं थोड़ी बाढ़ आती रही है। स्वामी जी ने सरकार पर इल्जाम लगाया है कि सरकार के कर्मों का फल कि सरकार शायद अच्छी तरह से सेवा नहीं करती इसलिये बाढ़ आ रही है। मैं समझता हूँ कि हम में ही कुछ नुक्स हैं। हमारे सन्त महात्माओं के कमी का ह कुछ नुक्स है जिसकी वजह से हमारा इन्तिजाम ठीक नहीं होता।

मैं अमृतसर से आता हूँ। अमृतसर का जिला अनाज पैदा करने में बहुत मशहूर है। अमृतसर का किसान बांडर तक खा करता है, एक इंच जमीन भी नहीं छड़ता। वह अपने कंधे पर बन्दूक रख कर बांडर तक खेती करने जाता है। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। हमने खुद देखा है। मैं शुरू से इस कास्टी-ट्यूएन्सी को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ। शुरू में उनकी मांग थी कि हमें खेती के लिये पानी नहीं मिलता, लेकिन आज हम जाते हैं तो वह कहते हैं कि इस पानी को यहां से उठाओ, यह हमारी जान लेने वाला है। आज यह हो रहा है कि एक तरफ तो आप देश में जंगल काट कर खेती के लायक जमीन तैयार करते हैं और दूसरी तरफ जो जमीन हमारे किसान ने बनायी थी वह वाटर लाइंग की वजह से बिल्कुल

[श्री. गु० सि० मुसाफिर]

बेकार हो गई है। और लोगों को परेशानी है। अमृतसर का जिला जो कि पंजाब का सबसे ज्यादा पैदा करने वाला जिला था उसकी हालत ठीक नहीं है। वहाँ की हालत हमें मजबूर करती है कि पंजाब की तरफ खास तवज्जह दी जाए। अगर इन छोटी-छोटी बातों का खयाल कर लिया जाए तो यह इलाका अनाज पैदा करने में बहुत मुफीद हो सकता है।

जब भी हम जाते हैं तो हम से शिकायत की जाती है कि इस बात बार ड्रेन की खुदाई बक्त पर नहीं हुई। इसलिये हमारी सारी फसलें तबाह हो गई हर साल यही शिकायत की जाती है कि ड्रेन की खुदाई अच्छी तरह से नहीं हुई। इससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमारी एफीशेंसी बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि यह हमारे देश पर एक घब्राहट है, एक दाग है कि हमारे पास ऐसे इंजिनियर और एक्सपर्ट नहीं हैं जो कि इन छोटी छोटी बातों को ठीक कर सकें ताकि बाढ़ें जमाती हैं व अधिक नुकसान न कर सकें। अगर इन बातों की तरफ बक्त पर ध्यान दिया जाये तो हम इन रोज रोज की शिकायतों को खत्म कर सकते हैं।

यह ठीक है कि आज पंजाब के 22 हजार गांवों में से चार हजार गांव डूबे हुए हैं पानी में। पंजाब में इस फ्लड से पहले ही 25 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसको अगर थोड़ा सा खोदा जाए तो उसमें पानी निकलने लगता है। वह खेती के लिये बेकार हो चुकी है वाटर लागिंग की वजह से और पहले के फ्लड्स की वजह से। इस फ्लड की वजह से पांच लाख एकड़ और जमीन पानी के अन्दर है। इसमें फसल होने की कोई उम्मीद नहीं है।

मेरे दिल्ली वाले भाई ने कहा कि पंजाब की वजह से दिल्ली डूब गई, इसी तरह से

पंजाब वाले भी शिकायत कर सकते हैं कि राजस्थान की वजह से पंजाब डूब गया, और राजस्थान वाले भी शिकायत कर सकते हैं कि यू० पी० की वजह से उनको नुकसान हुआ। यू० पी० से हमारे यहाँ लोग आए थे जो इस तरह पानी को बंद करना चाहते थे कि पंजाब का ज्यादा फायदा न हो और उत्तर प्रदेश को नुकसान न हो। लेकिन मैं तो किसी को इल्जाम नहीं देता और न इल्जाम देना चाहिये। इस बात के लिये हमारे इरीगेशन के मिनिस्टर साहब जज बैठे हैं। जो बात है वह उनके सामने है, और वह उसको देखते भी हैं। वह खुद इन बातों में इंटेरेस्ट भी लेते हैं। मैं उनसे दरखास्त करूँगा कि यह सिलसिला पैदा ही न होने देना चाहिये जिससे कि यह नुकसान हो। इस तरह ऐसी तवज्जह देनी चाहिये कि यह नुकसान बार बार न हो। इससे हर साल तबाही हो जाती है और हर साल यही शिकायत रहती है कि फलां काम बक्त पर नहीं किया गया इससे तबाही हो गई।

अमृतसर में हम ने खुद भी लोगों से सरविस करायी है। ड्रेन वगैरह खुदवायी हैं, काफी काम करवाया है। फिर भी जो शिकायत आती है वह यही आती है कि बक्त पर काम नहीं हुआ। जैसे ड्रेन की खुदाई होनी चाहिये थी नहीं हुई। कहा जाता है कि इसी लिए यह पानी आ गया और तबाही और बरबादी हो गई।

बक्त खत्म हो रहा है। इस मजमून के साथ इतने बक्त में इन्साफ करना मुश्किल है। हमारे पास फिगर हैं कि हर साल मृतवातिर कितना कुछ सरकार करती रही है, मगर किसान को कभी तसल्ली नहीं हुई इस वास्ते कि एक दफा उसने जो तकली और कर्जा लिया उसको वह चुका नहीं सका और वह नए सिरे से डिसप्लेस हो

गया । इसलिये उसकी मुसीबत उसी तरह बनी रहती है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से दो बातें जरूर कहूंगा उनकी तरफ ध्यान दें । आखिर इस बात का क्या मतलब है कि हर साल यह शिकायत होती है कि वक्त पर काम नहीं हो सका और ठीक ढंग से नहीं हुआ । जिस वक्त तक यह बात दूर नहीं होंगी उस वक्त तक हम चाहे कुदरत का कितना ही गिला करें, हम जिम्मेवारों से बच नहीं सकते । दूसरे मुल्क वालों ने आसमान में नए चांद तक चढ़ा दिये । हम हिन्दुस्तान में यह तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या यहाँ हमारे इंजिनियर और एक्सपर्ट यह भी नहीं कर सकते कि जिस इलाके में बाढ़ आती है उस पर खास तवज्जह दे कर वक्त पर काम कर दें ।

दूसरे जो आपने कोआरडिनेशन कमेटी बनायी है उसको आप अमली शकल दें । सिर्फ कमेटी बना देना काफी नहीं है बल्कि इस पर जोर दें कि कोआरडिनेशन इस ढंग से हो कि न पंजाब को दिल्ली से, न दिल्ली को राजस्थान से और न राजस्थान को उत्तर प्रदेश से शिकायत रहे । इस तरीके से काम चलाया जाएगा तो मेरा खयाल है कि मुकम्मल तौर से यह सिलसिला खत्म हो सकेगा । बाकी कुदरत के साथ तो किसी का मुकाबला नहीं हो सकता । मगर जितना इन्सान कर सकता है वह तो हमको कर देना चाहिये । आज लोग हम से उद्वेग हो रहे हैं, और जब हम उनको तसल्ली देने जाते हैं तो वे समझते हैं कि हमें जीने का तसल्ली देने नहीं आए हैं बल्कि हमें आसानी से मरने भी नहीं देते । इस पर मुझे एक शेर याद आ गया :

तसल्ली दी गई उनको जिन्हें
दुश्वार जीना था
मरज यह थी कि मरना भी
उन्हें दुश्वार हो जाये ।

श्री श० ना० षतुर्बेदी (फिरोजाबाद) :
उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी कहा गया कि प्रयः हर साल बाढ़ भारे देश में आ जाया करती है और हर दफे हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि पिछला बार जो काम होने थे वे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी बड़ी स्कीम्स के लिए तो रुपया उपलब्ध नहीं है और छोटी स्कीम्स पर तब तक कोई काम शुरू नहीं होता जब तक कि जून का महीना नहीं आ जाता । हमारे कागजात के इधर से उधर जाने में ही न मालूम कितना समय नष्ट हो जाता है लेकिन काम वास्तविक तौर से कुछ भी नहीं हो पाता है और स्थिति जहाँ की तहाँ वैसे की वैसे ही बनी रहती है । जब बाढ़ आई उस वक्त कुछ दौड़ भाग शुरू हो जाते हैं । यह बिल्कुल सही बात है कि जितना नुकसान होता है उस का एक अंश मात्र ही सरकारों रिपोर्टों में आता है । पानी आया, घर बरबाद हुए, मवेशी मरे, आदमियों की जानें गई और सब कुछ हुआ, उस के बाद भी हम लोगों को यह राहत नहीं मिल पाती है कि जो वास्तविक उन का नुकसान हुआ है उगा के अनुसार उन्हें छुट्टी दी जाये । हालत तो यह है कि जितने ही बात की जाय लेकिन वसूली उसी प्रकार होती रही है । कहीं कहीं थोड़े दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है । अब जहाँ 12 आने नुकसान हुआ है वहाँ 6 आने या 7 आने कह कर उस में कोई राहत होने का सवाल है ही नहीं रखा जाता है । हालत तो यहाँ तक होती है कि चारों ओर पानी भरा रहता है और लोग अपनी रोज की जरूरियात के लिये बाहर नहीं जा सकते हैं, स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती हैं ।

[श्र. शं. ११० सं. ३०००]

कुएं जो हैं उन का पानी खराब हो गया। फसलें सड़ गईं खेत में खड़ खड़े और उनमें तमाम कीड़े, मकोड़ों की उत्पत्ति हो गई। वह जो फसल खड़ी हुई है उस को जानवर भी नहीं खा सकते। एक भयंकर दृश्य उपस्थित हो जाता है। मकान सोजने को बजह से बंदते हैं, बीमारी फैलती है और जब हालत बेकाबू हो जाती है तब इन से कहा जाता है कि आप श्रमदान कीजिये। यह कहाँ तक न्यायसंगत बात है? पहले पांच, पांच मील के ड्रेंस के लिए कहा गया था कि श्रमदान के जरिये यह बनाये जायेंगे लेकिन अब उते घ.क. एक मील का कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो गलत काम होते हैं उन के ऊपर कभी किसी को सजा नहीं मिलती है। मेरी सूचना तो यह है कि ढांसा बांध के बनाने में बुनियादी गलती हुई है। इसी तरह से मुझे अपने आगरे के ड्रेंस के बारे में भी अनुभव है कि वहाँ पर भी इनको उलटा बनाया गया है। आगरा में बा.र.पु. ड्रेन एटा में छोड़ा गया जो आउटफाल से लेकर ऊपर को सोर्स की तरफ से बनाना चाहिए था लेकिन हुआ इसका उलटा है। आखिर यह उलटे ड्रेंस क्यों बनाये जाते हैं? इस में किस का लाभ है? नियम तो यह है कि आउटफाल पहले बना दिया जाये ताकि पानी का निकास हो जाये। मुझे नहीं मालूम कि आज तक किसी इंजीनियर को उसके ऊपर सजा मिली है। मंत्री महोदय स्वयं इस बात को जानते हैं कि एक दो नहीं बल्कि

अनेक ऐसे केसेज मिलेंगे जिसमें कि ऐसा उलटा काम किया गया है। मैंने तो यह एक दो मिलाए दिये हैं। परिणाम यह होता है कि तमाम देहातों में पानी फैल जाता है और फसल को बर्बाद करता है। मेरी सूचना है कि ढांसा बांध और नजफगढ़ के ड्रेंस से हुई तबाही भी ऐसी गलतियों का परिणाम है।

हमारी नदियों में सिल्टिंग हो रही और उन की ड्रेजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कोई साइंस की कला नहीं है जो दुनिया को मालम नहीं होगी। उन नदियों की आप ड्रेजिंग करें, बड़ी बड़ी नदियों का निकास देखें।

दूसरी शिकायत पुल-पुलियों के बारे में आती है। रेलवे लाइन बन गई, नहर बन गई लेकिन उसके नीचे छे जो निकासी भी पानी, की वह रुक गई। जो यह पुलिया पड़ी है उस बजह से तमाम पानी भरा हुआ है और मांग की जाती है कि किसी तरीके से उन नहरों, आप हमारा पीछा छोड़ाइये। नहरों से सड़कों व रेलवे लाइन पर जो ड्रेनज की पुलियां बनती हैं उनकी काफी चौड़ाई नहीं होती है। वह पानी को रोकती हैं उनको वहाँ चौड़ा किया जाये। आखिर इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं,

क्या वे इतना भी नहीं कर सकते कि पानी का इतना निकास हो जाए। मंत्री महोदय एक योग्य आदमी हैं, और मैं कम से कम जानते और समझते हैं इसलिये जहाँ पर आप को जानबुझ कर कोई गलती की गयी मालूम दे तो खतावार को आप कदापि न बर्खास्त करें। जहाँ भी आपको शिथिलता और गफलत बर्ती जाती दिखे पड़े वहाँ आप किसी को छोड़िये मत। जनता के सामने यह बात आती है, एक दफे नहीं बीसियों दफे सामने आती है और हमको भी मालूम होता है। हम कहते हैं कि साइब मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई। हमने यहाँ कहा कि फलड्स आ रहे हैं जरा जाकर देखिये तो लेकिन अधिकारियों को चिन्ता नहीं रहती है। गांव वाले कहते हैं कि पानी का निकास उधर है लेकिन ड्रेन बिल्कुल उठा अपोजिट डाइरेक्शन में बनाई गई है। वहाँ पर कहते हैं कि आप जाकर देखिये कि वाकई जो देहात वाले कहते हैं वह सही है या जो आपके इंजीनियर्स लोग दावा करते हैं वह बात सही है लेकिन बात वहीं की वहीं पड़ी हुई है। एक-एक नाले को चार, चार चक्कर कटवाये जाते हैं सीधा ड्रेन भाये तब तो वह पानी ले सकता है।

इसी तरह से मेरा कहना है कि बाढ़ पीड़ित किसानों में किसी को 15 रुपये और किसी को 20 रुपये दिया जाना इस मुसीबत में उनका घोर अपमान करना है। इस तरह की छोटी, छोटी सहायता देकर एक तरीके से हम उन्हें लज्जित करते हैं और वास्तविक रूप से उनको सहायता नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर सरकार यह चाहती है कि दरअसल उनको कुछ राहत मिले तो जितना भी बाढ़ आदि से नुकसान हुआ है उसकी

बिल्कुल सही-सही रिपोर्ट आनी चाहिये और कम से कम तब तक के लिये उन से जो मालगुजारी वगैरह वसूल की जाती है वह स्थगित हो जानी चाहिये। अगर आप वास्तव में उनको कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप उन्हें वह सहायता दीजिये जिस का कि वह कुछ उपयोग भी कर सकें। इस तरह से नाम मात्र की सहायता देने से कोई काम नहीं होने वाला है। सही बात होने के लिये और ताकि मालूम हो कि हमारी गवर्नमेंट का वास्तव में जो मुसीबत आई है, उस में उनकी हानुभूति है और वह कोरी कागजी कार्यवाही नहीं खलाना चाहती है, सरकार को सक्रिय रूप से उनकी ठोस सहायता करने की व्यवस्था करनी चाहिए। दुःख की बात तो यह है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं वे एक अज्ञान दृश्य उपस्थित कर देते हैं, जिस वक्त उन के ऊपर मुसीबत आती है तो वे अधिकारी जरा भी इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कम से कम और कुछ न कर सके तो सही सही चीज तो अपने ऊपर के अधिकारियों तक पहुँचा दें। ऐसे संकट के अवसरों पर भी उनका वही रवैया रहता है जैसा कि साधारणतया होता है। हमारे माननीय मंत्री एक योग्य व्यक्ति हैं, वे इस समस्या को खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं, उन में लगन व उत्साह है और मैं कहूँगा कि वे इस बात को देखें कि उन के इंजीनियर्स ठीक से काम करें। इसके अलावा जो उन मुसीबत जदा किसानों को सहायता आदि सरकार की ओर से दी जाती है वह ऐसी हो जिस से कि उनको वास्तविक लाभ मिल सके।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): श्रीमन् काफ़ी देर से इस बाढ़ पर ही बहस को सुन रहा हूँ। दरअसल यह जो दिक्कत है यह गाँव गिबन नहीं है बल्कि यह मैन मेड है। इंसान की गलती से यह चीज हुई है। अगर इंसान अक्लमंदी से काम करे तो यह दिक्कत दूर हो सकती है। आज जो हमारे

[श्री यशपाल सिंह]

16.52 hrs.

करोड़ों आदमी बाढ़ से प्रभावित हैं वे सिर्फ इसलिए हैं कि सरकार इंतजाम नहीं कर सकी है। यूरोप वालों ने दरिया राइन को बांध कर डाल दिया है, उनके हुकम में वह चलती है। लेकिन हमारे देश की दरियाएं बिना नकेल के ऊंट की तरह से चलती हैं। सरकार ने एक दिन भी यह कोशिश नहीं की कि उन दरियाओं को गहरा किया जाय। जापान के लोग भूकम्प से परेशान थे। उन्होंने इसका इंतजाम कर लिया है। उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया है, कि ऐसी खोजें कर ली हैं कि भूकम्प आने से एक घंटा पहले चुम्बक पत्थर लोहे को खींचना बंद कर देता है। उनको एक घंटा पहले पता लग जाता है कि अर्थ-क्वैक आने वाला है और वे मकानों से बाहर आ जाते हैं। सरकार इन 17 सालों में सिर्फ इतना कर सकी है कि यह बाढ़ें और बढ़ गई हैं। बारिशें पहले भी होती थीं। बल्कि इस से ज्यादा होती थीं। बाढ़ का जो मूल कारण है और इस बारे में जो बुनियादी गलती हुई है, उस की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है।

हमारे देश में सत्तर करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है, जो कि कल्टीवेबल लैंड कही जाती है। उस जमीन को टिल करने के लिए सिर्फ ढाई करोड़ बैल रखे गये हैं और सिर्फ पच्चीस लाख ट्रैक्टर हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सत्तर करोड़ एकड़ जमीन इन से टिल नहीं की जा सकती है। जो जमीनें पहले टिल की जाती थीं, वे पानी को पीती रहती थीं और पानी बाहर नहीं निकलता था। अब इस देश की करोड़ों एकड़ जमीन ऐसी है कि उस में हल और ट्रैक्टर नहीं चल सकता। वह जमीन बंजर हो गई है। इस लिए पानी पड़ता है और बाहर चला जाता है, दरया बन गए हैं, यही कारण है कि जिला रोहतक में 250 मुरब्बा

मील के इलाके में किशतियां चल रही हैं और वहां पर इन्सान इन्सान को नहीं देख सकता है।

हम ने शुरू में कहा था कि बन-सम्पत्ति को मत कटवाओ। हम ने कहा था कि बागात और जंगलात को मत कटवाओ। करोड़ों पेड़ हमारी मर्जी के खिलाफ कटवाए गए। पहले गंगा का पानी करोड़ों पेड़ों में रिस रिस कर जाता था। डा० के० एल० राव बड़े इंजीनियर हैं। मेरा ताल्लुक भी रुड़की यूनीवर्सिटी के साथ है। हम लोगों को यह पढ़ाया गया कि एक तिनका डेढ़ मन पानी को हरकत को रोकता है। पहले तो करोड़ों पेड़ थे, वे पानी की हरकत को रोकते थे। इसलिए बलिया, गाजीपुर और देवरिया में पानी तीन महीने के बाद पहुंच पाता था। आज हालत यह है कि आज हरिद्वार और देहरादून में बारिश होती है तो और वह बारिश 48 घंटे में कहां कहां मार करती है।

16.52 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

बन-सम्पत्ति के नष्ट करने से बाढ़ें बढ़ी। दूसरे मुल्कों ने बाढ़ों को इस तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन लोगों ने इंतजाम किया है। कांग्रेस सरकार इंतजाम नहीं कर सकी है। आज भी अगर कल्टीवेबल लैंड्स को दाकायदा, ठक वक्त पर, जीता जाये, उनको ठोक टिलिंग हा तः कोई बजह नहीं है कि यह पानी इस तरह से बिखरा जा सके।

दिल्ली के मुट्ठी भर लोगों को हिफाजत के लिए ढांसा बांध बना कर रोहतक की उस जनता को मारा गया है, जो छः फीट के जवान पैदा करती है। हिसार की उस जनता को मारा गया है, जहां के जवान नेफा और लदाख के मोर्चों

पर लड़ते हैं। उस जनता को डबो कर मारा गया है। आज वहाँ पर 250 मरम्बा मीस इलाका ऐसा पड़ा हुआ है, जहाँ पानी के सिवाय कोई चीज नहीं दिखई देती है।

सरकार चाहे, तो आज भी इस का इन्तजाम कर सकती है, लेकिन सरकार इस का इन्तजाम नहीं करना चाहती है। जब दिल्ली की शिकायत की जाती है, तो कहा जाता है कि दिल्ली में जगह की इतनी कमी है कि एक चारपाई पर दो आदमी सोते हैं। लेकिन हमारे किसानों, और छोटे जमींदारों की हालत देखिए। हमारा किसान भैंस के साथ सोता है। हमारा किसान बैल के साथ सोता है। उस को हर वक़्त यह खतरा रहता है कि कहीं रात को बैल उस की छाती पर पैर न रख दे और उस की जिन्दगी की लीला समाप्त न हो जाये। लेकिन दिल्ली की हालत को सुधारने के लिए उन लोगों को डबो कर मारा गया है, जो कि देश के लिए गल्ला पैदा करते थे, जो देश के लिए फतहयावी हासिल करते थे। यह सरकार का पाप है और सरकार को इस का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। अगर सरकार प्रायश्चित्त नहीं करेगी, तो हालत और भी खराब हो जायेगी, यह देश और रोहतक, हिसार का इलाका झील की हालत में होगा।

ब्रिटिश पीरियड को हम गैर-मुल्की राज कहते थे। हम उस के खिलाफ बगावत करते थे। हम उस के खिलाफ लड़ कर जेलखानों में जाते थे, लेकिन एक दिन हम ने नहीं देखा था कि बाढ़ की इतनी मुसीबतें आती हैं। जब आये साल मुसीबत आती है, तो क्यों नहीं मंत्री जी उस का इन्तजाम करते? आये साल वही हालत होती है। हमारे जिले, बलिया,

गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर सब इस लिए पीछे रह गए हैं कि वे डबे पड़े हुए हैं। उन बेचारों की हालत यह हो गई है कि वहाँ सिर्फ सदियों में चार महीने खाना बनता है। बरसात में वे डबे पड़े रहते हैं। गर्मियों में हालत यह है कि उन को यह डर रहता है कि कहीं उन के झोंपड़ों में आग न लग जाये। इस लिए वे खाना नहीं बना सकते। अगर सरकार चाहे, तो इस का इन्तजाम कर सकती है। ये मैटीरियलिज्म के जो पुजारी हैं, उन के लिए मैं कह रहा हूँ। उन्हें इन्तजाम करना जरूरी है। जो ईश्वर को मानने वाले हैं, उन का इन्तजाम भगवान खुद करते हैं। गीता माता में यह आज्ञा हुई है,

अनन्याश्चित्तं अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः
पर्युपासते ॥
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।

गीता में यह हुक्म हुआ है कि मैं अपने शरणार्थी, प्रेमी और भक्त की हर चिन्ता अपने ऊपर ले लेता हूँ। लेकिन जो मैटीरियलिज्म के पुजारी हैं, मैं उन के सामने चार सुझाव रखना चाहता हूँ ॥

जो दरया बिना नकेल के ऊंट की तरह बह रहे हैं, उन को गहरा करना पड़ेगा। जो जमीनें अतटिल्ड पड़ी रहती हैं, वे बाढ़ का कारण होती हैं। उन अनटिल्ड लैंड्स का इन्तजाम करना पड़ेगा। ट्रैक्टरों और पशुधन को बढ़ाना पड़ेगा। इस के अतिरिक्त वन-सम्पत्ति पैदा करनी पड़ेगी। आज बागात और जंगलात खत्म हो गए हैं। दोबारा वृक्षारोपण कर के और वन-महोत्सव आयोजित कर के जंगलात को बढ़ाना पड़ेगा। सब से जरूरी बात यह है कि जिस इलाके की बाढ़ का इन्तजाम नहीं हो सका, वहाँ के मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर और मुन्तजिम लोगों को एक-कलम बरखास्त कर दिया

[श्री यशपाल सिंह]

जाये। ये मैन-मेड दिक्कतें हैं—ये गाड़-गिवन दिक्कतें नहीं हैं। इन का हल हो सकता है।

मैं ने ये सुझाव इस लिए रखे हैं कि ग्राज जो करोड़ों आदमी डूबे हुए पड़े हैं, उन के रहन-सहन का इन्तजाम हो सके। सरकार एक दफा कह दे कि हम इन्तजाम नहीं कर सकते। ग्राज कौन मरता है? कोई राय बहादुर, खान बहादुर, रायजादा या कोई राजा-महाराजा नहीं मरता है। गरीब, किसान और मजदूर मरते हैं। चाहे यहां बाढ़ आए, चाहे बाढ़ भाये बलिया में और चाहे गोरखपुर में, किसान मरता है मजदूर मरता है, जो गरीब आदमी है वह मरता है—बड़ा आदमी नहीं मरता है। “यहां बिजली गिरे या उस चमन में आंधिरियाँ आवें, वहर सूरत गरीबों का ही घर बर्बाद होता है। इन मिनिस्ट्रों और बड़े बड़े लोगों को यह पता नहीं है कि बाढ़ कितना सत्यानाश कर रही है। सरकार बाढ़ की समस्या को हल करने के सिलसिले में कोई डेफिनेट डेट दे। इन लोगों ने दुनिया में मेटेोरियलिज्म का इतना बोल बाला कर रखा है। ये लोग मेटेोरियलिज्म की परस्तिश करते हैं। जितना रुपया इन्होंने मेटेोरियलिज्म के लिए खर्च किया है, अगर उस का एक-चौथाई रुपया इन्होंने स्पेर्टुअलिज्म के लिए खर्च किया होता, तो भगवान खुद इन की इमदाद करते। चूंकि ये भगवान से बिमुख हुए, इस लिए इन के हाथ-पैर बेकार हो गए हैं।

दूसरे देशों ने दरियाओं को बांधा है। दूसरे देशों ने करोड़ों किलोवाट बिजली पैदा की है। दूसरे देशों ने अपने रेगिस्तानों को पीर कर चमन खड़ किये हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार बेकार के कामों में, नाच-गाने, ड्रामों, रंगीनियों, कल्चरल प्रोग्राम्ज में रुपया बहाली रहे और उस ने किसान और

मजदूर के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। जो भगवान को मानते हैं, उन के लिए इस बात की जरूरत नहीं है, जो कि मैं उन लोगों को कह रहा हूं, जो कि मेटेोरियलिज्म के पुजारी हैं। कुरान पाक में यह हुकम हुआ है :

कूलुझ सलाती वनुसूकी व महयाया
व ममाती लिल्लाहे रब्बिल आ मीन।

जो अपनी जिन्दगी और मौत को खुदा के हवाले कर देता है, उस शख्स पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती है।

श्री बृज राज सिंह—कोटा (झालावाड़):
हजरत ईसा ने क्या कहा है, वह भी बता दें।

श्री यशपाल सिंह : सरकार के लिए यह जरूरी है कि ...

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त बहाव है। इस वक्त किसी को नहीं बोलना चाहिए।

श्री यशपाल सिंह ... वह बैलों और ट्रैक्टरों का इन्तजाम करे, जंगलात को बढ़ाने का इन्तजाम करे, ताकि देश आगे बढ़े।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी फ्लड की तरह ही चल रहे थे।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): My I request that Members from all States may be given opportunity to participate in this debate.

Mr. Speaker: I will certainly try to do that. But a little more time should be given to Members coming from flood-affected areas. In any case, every Member should try to be brief. Now, Shri Gajraj Singh Rao.

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) :
जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। फ्लड की वजह से जो तबाही और

बरबादी हुई है, उस के बारे में तमाम मेम्बर साहबान फ़रमा चुके हैं और इसमें किसी को भी शक नहीं है। सवाल यह है कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और दूसरी स्टेट्स मुश्तर्का तौर पर यह सोचें कि क्या इसका कोई मुस्तकिल इलाज है या नहीं। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के रोहतक और गुड़गांव जिलों में जो फ्लडज़ आए, साहबी नदी उन का कारण है। मैं ने पिछले मार्च में ईरगशन और पावर के म्ताल्लिक बोलते हुए यह कहा था कि साहबी नदी पर छोटे छोटे बांध नहीं, बल्कि बिग एम्बकमेंट्स बनाए जायें। अगर तीन एम्बकमेंट्स गुड़गांव जिले में, तीन राजस्थान में और एक दिल्ली में बनाए जायें, तो वह पानी इस्तेमाल हो सकता है। गुड़गांव जिले की रीवाड़ी तहसील के लोग सरकार के बहुत मशकूर होंगे, क्योंकि वह खारी रकबा है और वहां पर पानी पीने को नहीं मिलता है। वह पानी वहा पर आबपाशी के काम आ सकता है और यह फ्लडज़ का मसला भी दूर हो सकता है। अपने तजुबों की बिना पर मैं कह सकता हूं कि — मैं ने इन बांधों का इन्तजाम किया है — कि यह तमाम फ्लडज़ बन्द हो सकते हैं। हुआ क्या? ढांसा बना दिया गया। अनप्लान्ड तरीके पर एक बांध बना दिया गया। क्या कभी एक बांध भी हुआ करता है? मिनिस्टर साहब सब से बड़े इंजीनियर हैं। वह जानते हैं कि सिरीज आफ़ बंदज़ हुआ करते हैं, जो कि मुसलसल तरीके से पानी की रोक-थाम कर के आहिस्ता आहिस्ता उस की रफ्तार को भी कम करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि ढांसा बांध से आगे इंडस्ट्रियल एरिया में से नजफगढ़ ड्रेन आता था। उन्होंने गंग से तमाम रोक दिया और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से वह पानी तमाम नहीं निकल सका और यह नजफगढ़ नाला तबाही का वायस बना और तमाम रोहतक, गुड़गांव में इसने तबाही मचाई। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी।

हमारे राब साहब इंजीनियर हैं, इसके बारे में मैं उनको कन्विस करने के लिए तैयार हूं और मुझे जब वह चाहें बुला लें और मैं उनको कन्विस कर दंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक साहिबी पर सीरीज आफ़ बांध नहीं होंगे तब तक यह साहिबी का पानी इसी तरह से तबाही मचाता रहेगा।

उजीना झील को भी आप देखें, उसका भी आप मुलाहिजा फरमायें। वहां जाने तक की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे साहब एयर प्लांट कर के मेवात का इलाका देखने के लिए गये थे। वहां पानी ही पानी है। लंडोहा नदी जो राजस्थान में से आती है, उसके तीन बांध बहुत खराब थे। वे तमाम टूट गए हैं। वह पानी उजीना में आया। उजीना के पानी का निकास कामा लेक और गोवर्धन ड्रेन में जाना था। लेकिन आज तक गोवर्धन ड्रेन दस बरस हो गए हैं, कागजों पर ही मौजूद है। वह नहीं बन सका है। राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सेंटर उनको देता नहीं है। इस में तीन चार स्टेट्स आती हैं। जब तक यह मामला ठीक नहीं हो जात, जब तक गोवर्धन ड्रेन से पानी नहीं निकलता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

17 hrs.

एक बात उसूलन में अर्ज करना चाहता हूं। नैचुरल ड्रेन जो है, जो कुदरती पानी का बहाव है, उनको तब तक नहीं रोका जाना चाहिये जब तक कोई दूसर पूरा पक्का इंतजाम नहीं हो जाता है। अपने बगैर प्ल के ढांस बना ली। इसी तरह से उजीना बांध है जहां का पानी इस वक्त तक निकल जाना चाहिये था। अब तक फसलें बोई जानी चाहिये थीं। लेकिन तजवीज किया गया है कि उसको बन्द कर दिया जाए, पानी न निकाला जाए। 621 फुट पर उजीना झील का पानी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि यह फसल गई, रबी की अगली फसल

[श्री गजराज सिंह राव]

तक पानी नहीं रोक सकेंगे और इससे न केवल देश को नुकसान होगा, बल्कि लोगों को भी भारी मसीबत का सामना करना पड़ेगा।

गोवर्धन ड्रेन अगर होता तो कुदरती पलो जो था उससे सारा पानी निकल जाता किसी इलाके में। यह क्यों नहीं हुआ, इसको राव साहब खुद जानते हैं। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। किस के जिम्मे था गोवर्धन ड्रेन को खोदना और उसने क्यों नहीं खोदा। वे कहते हैं, राजस्थान वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था। उत्तर प्रदेश तक में तीन चार स्टेट्स के भलावा इससे तबाही आई है।

यही चीज आप हर जगह पायेंगे कि अनप्लांड तरीके पर काम होता है। प्लांड तरीके पर नहीं होता है। कंस्ट्रिक्टिव तरीके पर काम हो तो पानी का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। आज उसका तबाही के तरीके पर इस्तेमाल हो रहा है।

जो रिलीफ दिया गया है उसको आप देखें तो पायेंगे कि एक रुपया फी अरबमी भी नहीं पड़ता है। उन गांवों में जहां पानी ने जबदस्त तबाही मचाई है, आप गये भी नहीं हैं। वहां पर जाना कौन पसन्द करता है? पानी में जाना कोई पसन्द नहीं करता है। असल गांवों में कोई नहीं गया है। वहां पर जो तबाही मची है उसका अनुमान तो देख कर ही लगाया जा सकता है। मैं अजं कदंगा कि इन बाढ़ों का मुस्तकिल तौर पर कोई इंतजाम किया जाना चाहिये। इस काम के लिए एक कमेटी बिठाई जानी चाहिये। लेकिन जब पानी निकल जाये तो आप यह न भूल जायें कि कोई कमेटी बिठाई गई थी। अगर कोई मुस्तकिल इन बाढ़ों का इंतजाम किया जाए तो तबाही से बचा जा सकता है चाहे वह तबाही असम में आती हो, दिल्ली में आती हो या और किसी प्रदेश में आती हो। तीन चार

स्टेट्स का जब मामला था तो कभी अलवर का राजा नहीं मानता था, कभी दिल्ली वाले नहीं मानते थे। इस तरह से काम नहीं चल सकता है। श्री राव उनको बिठाये और जब तक इस मामले का मुस्तकिल हल न हो, तब तक उनको न छोड़ें।

अध्यक्ष महोदय : अब हर एक माननीय सदस्य सात मिनट में खत्म करने की कोशिश करे।

श्री श्री २० शर्मा (बक्सर) : उत्तर प्रदेश और पंजाब वालों को तो बोलने का अवसर मिल रहा है लेकिन . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठे रहें तो सब को समय मिल जायगा। जब तक सब को, जो कि बोलना चाहते हैं, मौका नहीं मिल जाता है, हम यहां से नहीं जायेंगे। अगर आप बैठे रहने के लिए तैयार हैं, तो सब को मौका मिल जाएगा।

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad) : Sir, on a point of information. May I know whether the Half-an-Hour discussion regarding strike in Sindri Fertilisers Factory will be taken up today or is it postponed? It was to start at 5-00 p.m. Am I getting that privilege today?

Mr. Speaker : About the Half-an-Hour discussion, I learnt in my chamber that the House had desired that might be postponed. He an just go and have his rest.

श्री तन सिंह (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के सिलसिले में किसी भी प्रकार की आलोचना करना व्यर्थ है। जिस किसी भी भाषा में आलोचना की जाती है उस भाषा के शब्द और अर्थ इस सरकार के सामने अब व्यर्थ हो चुके हैं। सत्तरह साल से लगातार प्रतिवर्ष यह चीज यहां आती है, इसपर बहस होती है और बहस के बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। जब यह एक सामान्य चीज हो गई है तो सरकार की आलोचना करना बेकार है।

मैं तो सरकार को सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने शब्दकोष के कुछ शब्दों का अर्थ भी बदल दिया है। अब तक यह बाढ़ दैवी विपदा के रूप में थी लेकिन अब वह विपत्ति के रूप में नहीं रह गई है, वह सामान्य चीज हो गई है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हूँ कि बाढ़ आने पर क्या होता है। केवल इतना ही नहीं कि पानी भर जाता है, इस के अतिरिक्त एक नियमित रूप से चीज होती है, भाषणों की बाढ़ आती है, उस के बाद मंत्रियों के दौड़ों की बाढ़ आती है, उस के बाद आशवासनों की बाढ़ आती है और नियमित रूप से जो कार्यक्रम होते हैं

अध्यक्ष महोदय : बाद में तकरीरों की बाढ़ आती है।

श्री तन सिंह : यही मैं ने कहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भाषण देने का कष्ट क्यों मोल लेना चाहिये। यह एक नियमित चीज हो गई है, आवश्यक चीज हो गई है और इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने हम को अब मजबूत बना दिया है, चाहे जितनी बाढ़ आये, इस देश के नागरिक अब इस बात के लिए तैयार हो गये हैं कि उस को वे सहन कर लें। सहन करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं रह गया है। मंत्री महोदय आशवासन देते हैं कि गवर्नमेंट विल डू एग्जीथिंग पासिबल। लेकिन अब इन शब्दों का भी कोई अर्थ नहीं रह गया है। इन शब्दों को सहन करते-करते इस सरकार को भी लोग सहन करने के लिये तैयार हो गये हैं। सिवाय सहन के और कोई चारा भी तो नहीं है।

हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने के पश्चात् इतना तकनीकी विकास हुआ कि कोई ठिकाना ही नहीं और इस के बारे में बहुत सी बातें भी कही जाती हैं। लेकिन अफसोस

की बात यह है कि हमें हर साल इस विपत्ति का सामना करना पड़ता है। परस्पर विचारों का मतैक्य न हो, परस्पर कोई मत रद्द हो, तब भी बात समझ में आ सकती है। लेकिन जब सभी मानते हैं कि इन बाढ़ों का सामना करना चाहिये, इन से छुटकारा पाने का यत्न किया जाना चाहिये और सरकार स्वयं भी इस विषय में जागरूक है, तो क्या कारण है कि इन पर आज तक काबू नहीं पाया जा सका है। मंत्री महोदय सज्जन प्रकृति के हैं। जब मैं उन की आलोचना करता हूँ तो मुझे खेद होता है। मैं तो समझता हूँ कि सारे का सारा जो प्लानिंग है यह कहीं न कहीं गड़बड़ा गया है। जो योजना कमिशन बैठा हुआ है और जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में बहुत बढ़चढ़ कर प्रचार करता है जब वह कहता है कि हम देश के अन्दर बहुत अच्छी नियामत लाने वाले हैं तो समझ में नहीं आता है कि वह कमिशन इन बाढ़ों के विषय में क्या कर रहा है। यदि उस का दृष्टिकोण केवल एकपक्षीय है कि बांध बना दिये जायें, नहरें खुदवा दी जायें, तो मैं कहूंगा कि उन की अदूरदर्शिता इस हद तक पहुँच गई है कि वह सोच भी नहीं सकता है कि बाढ़ें भी आ सकती हैं, दैवी विपत्तियाँ भी आ सकती हैं और उन के सम्बन्ध में क्या किया जाय ? यदि यह एक पक्ष योजना कमिशन का बिल्कुल अधूरा है तो मैं खेद से कहूंगा कि वास्तव में कोई योजना ही नहीं है। तकनीकी विकास के प्रति जो जनता का विश्वास है वह भी धीरे धीरे उठता जायगा। हम जानते हैं कि पहले भी बाढ़ें आती थीं, दैवी विपत्तियाँ आती थीं और उन को सहन करने के सिवा लोगों के पास कोई चारा नहीं होता था लेकिन आज मैं हम भाषणों के सिवाय कोई चारा नहीं पाते हैं। इस से अधिक और क्या कहा जाय। कितनी गम्भीरतापूर्वक, कितनी निष्ठापूर्वक हम इस बात को कहें कि हम नहीं चाहते हैं कि बार-बार यह बात यहाँ लायें, बार बार इस बात को कहने और सुनने

[श्री तन सिंह]

का भ्रवसर आयें। हम चाहते हैं कि सरकार आखिरी रूप से फंसला कर ले, देश की बाढ़ों को हमेशा के लिए नियंत्रित कर ले अन्यथा योजना कमिशन को हटा दीजिये, बेकार में लोगों का यह जमघट बैठा रखा है, आप ने। इस से बेहतर तो वही लोग हैं जो कम से कम उस स्थान के रहने वाले हैं, जो समझते हैं कि पानी का बहाव किधर है, किधर जा रहा है, और किस तरह से उसे घटाया जा सकता है। इतने बड़े योग्य व्यक्तियों को योजना कमिशन में रखा जाता है लेकिन मैं नहीं जानता कि अपनी योग्यता को वे कब काम में लायेंगे। मैं बहुत देर से सुनता आ रहा हूँ कि इस का प्रबन्ध होने वाला है। मैं थोड़े से समय में उदाहरण दूंगा राजस्थान की दग्धर नदी का। उस में हर साल बाढ़ आती है। वहाँ के लोगों को इस बात का अभ्यास हो गया है कि वहाँ वर्षा हुई नहीं कि बाढ़ आई। मैं आशवासन भी बराबर सुनता आ रहा हूँ कि इस पर इतने करोड़ रुपये मंजूर होने वाले हैं जिस से कि साइफन बनाया जायेगा और पानी को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जायेगा। लेकिन लगातार स्थिति वही बनी हुई है। हर साल हजारों लाखों रुपयों का नुकसान होता है। सूरतगढ़ फार्म है। वह लगातार घाटे में जा रहा है। वह सरकार की अपनी मिलकियत है। जब उस के सम्बन्ध में सरकार को चिन्ता नहीं है तो जनता के सम्बन्ध में उसे क्या चिन्ता होगी, यह मैं नहीं जानता। जो एक सरकारी सूरतगढ़ फार्म बना हुआ है उस को हर साल इस बाढ़ का मुकाबला करना पड़ता है। पता नहीं सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने वाली है क्या नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब भविष्य में हम यहां आयें तो कुछ राहत मिले। ऐसी परिस्थिति न हो कि हम अपने को दैवी विपत्तियों से असुरक्षित अनुभव करें।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : इस सदन में फ्लड, फारेन अफेयर्स और फूड

डिवेट हर बार होती है। तीनों समस्यायें अपनी जगह पर हल होने के बजाय उत्तरोत्तर गम्भीर होती जा रही हैं। फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना है, अभी आप के योजना आयोग ने बतलाया कि ऐसा किया जायेगा। गंगा फ्लड कंट्रोल की बात की गई। लेकिन क्या कंट्रोल हुआ, यह कहीं पर देखने में नहीं आया। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में खास कर गोरखपुर, वलिया, आजमगढ़ और देवरिया में हर साल फ्लड्स आते हैं और जनता दुखी होती है। अभी नाव का जिक्र आया। जब कभी फ्लड आया तो कमेटी बैठती है और यह विचार किया जाता है कि हर गांव में कम से कम एक नाव की व्यवस्था कर दी जाये, जिस में आघा रुपया सरकार दे और आघा रुपया गांव सभा दे। फ्लड गया, नाव की व्यवस्था गई, फ्लड आया, व्यवस्था प्रारम्भ हुई। लेकिन नाव अभी तक नहीं बनी। कई बार यह मुझाव दिया गया कि गांव सभायें नाव आदि का खर्च दें। लेकिन उन के पास कोई सुरक्षित निधि नहीं है। अगर यह सम्भव हो तो धीरे-धीरे सरकार नाव बना दे और गांव सभाओं से आघा धन लेना ही हो तो ले ले, लेकिन नाव दे दे। लेकिन यह व्यवस्था अभी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि एक योजना हुई थी गांवों को ऊंचा करने की हमारे प्रदेश में। काफी गांव कागज में ऊंचे किये गये, कुछ मौके पर भी लोग गये, करोड़ों रुपया इस पर व्यय किया गया। मगर गांव ऊंचे नहीं

हुए। घर कुछ ऊंचे जरूर हुए कहीं कहीं। किसी ने ओवरसियर को रुपया दे कर ठीक कर लिया तो उस का घर ऊंचा हो गया। हर्ष की बात है कि हमारे श्री राव वहां गये थे। उन्होंने गोरखपुर के गांवों को देखा, उन्होंने उन के घरों को ऊंचा करने की मंजूरी दे दी। लेकिन बीच बीच में बैसे ही गड़बड़े पड़ हुए हैं। हम ने एक योजना बनाई गांवों को ऊंचा करने की। बाढ़ से पहले गांव ऊंचे कर दिये जायें।

एक माननीय सदस्य : आप के वहां होते हुए भी वहां पर लोग खा जाते हैं।

श्री सिंहासन सिंह : ओवरसियर और सभापति सब खा जाया करते हैं। यह सब चल रहा है। इन्वॉयरी हो रही है। कई गांवों में मिट्टी नहीं पड़ी लेकिन गांव ऊंचे हो गये। आप ने हमारे सुझाव को माना। मैंने सुझाव दिया कि गांव ऊंचा करने के लिये विलेज रेजिग एक्ट बनाया जाये जिस के आधार पर गांव ऊंचे किये जायें। और उन के चारों तरफ पोखरे बना दिये जायें तो मिट्टी मिलने में आसानी हो जायेगी। ज्यादा मिट्टी की ढलाई नहीं करनी पड़ेगी और गांव भी समतल हो जायेंगे। जहां जहां लोग गांवों में बसे हुए नहीं हैं उन को मजबूर किया जाये कि वे वहां आ कर बस जायें। वहां पर एक नाव दे दी जाय और मसला हल हो जायेगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप ने आदेश दे दिया है कि इस आधार पर गोरखपुर में चार गांव ऊंचे किये जायें। मंत्री महोदय के जाने के बाद जून महीने में हमारे यहां इंजी-निअर आये कि राव साहब का आदेश है गांवों को ऊंचा करने का और हम इस आदेश को लेते हैं। हम ने कहा कि गांव जून में ऊंचा नहीं होगा। अगर गांव को ऊंचा होना है तो मार्च के पहले होना चाहिये जब कि

पानी नहीं रहेगा। इसके बाद दूसरी बाढ़ बांधी लेकिन हाल बिगड़ता गया। मैं बतलाना चाहता हूँ कि हर साल गोरखपुर में फ्लड नुक्सान पहुंचता है। इस का कारण यह है कि खराब बांधे हुए बांधों में से करोब करोब एक तिहाई बांध टूट गये। उनके टूट जाने से पानी का फंसाव हो गया और बाढ़ की स्थिति इतनी विषम हो गई। जहां पर बांध बने थे वहां पर जब राव साहब गये थे तो देहाती लोगों ने उन से कहा कि साहब आप बांध बनाते जायेंगे और हम डूबते जायेंगे क्योंकि जितनी ओपेनिंग थी नदियों की वह बन्द कर दी गई है। उन को खुलवा दो, हमें बांधों की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी बहाव था नदियों का सब बन्द कर दिया गया। उन नदियों को पुनः खोल दिया जाये। अगर और कुछ नहीं तो आप रेगुलेटर लगा दें तो भी बाढ़ का निराकरण हो सकता है।

फ्लड कंट्रोल बोर्ड क्या करता है। केवल बांध को बांधने की योजना। मुझे स्मरण है कि यू० पी० की सरकार ने, जहां तक मेरी जानकारी है, इस सम्बंध में एक आयोग बनाया था। उस आयोग ने इस बात का फैसला किया कि बांध बांधना बाढ़ को रोकने का कोई हल नहीं है, लेकिन इस आयोग के फैसले के बाद भी बांधों का बनाना आरम्भ हो गया। बजाये रोकने के बनना शुरू हो गया। आप इस की जांच कर लें। उन्होंने कहा था कि बांध बनने नहीं चाहियें। आज कल बाढ़ आती है तो लोग दौरा करने के लिये तैयार हो जाते हैं। मेरा एक सुझाव है कि जब बाढ़ आये तो बाढ़ से घबराना नहीं चाहिये। बाढ़ के बीच में रहने वाले आदमी बाढ़ से घबरारते नहीं हैं क्योंकि उस से मिट्टी अच्छी आती है। वे घबरारते कब हैं, जब फसल का नुक्सान होता है, घर गिर जाते हैं। इसलिये गांवों को ऊंचा कर दिया जाये जिस में घर न गिरें। फसल के लिये कुछ व्यवस्था कर दी जाये। हमारे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी

[श्री सिंहासन सिंह]

चाहिये ताकि किसान फसल पैदा कर ले । जितनी भी खरीफ की फसल होती है वह साठ या सत्तर दिनों में तैयार हो जाती है । अगर वह मई मङ्गल में बो दी जाये तो वह तैयार हो जायेगी । प्रायः जुलाई या अगस्त में बाढ़ आती है । मई और जून में फसल इतनी आगे बढ़ जायेगी कि बाढ़ से उस को नुकसान नहीं होगा । लेकिन अब तक इसके लिये कोई योजना नहीं है । लेकिन अभी तक इसके लिये कोई कार्यक्रम नहीं है । न कोई इरिगेशन की योजना है और न कोई पम्पिंग स्ट्रेस की योजना है । ट्यूबवेल लग दें तो भी उनको खाने की समस्या हल हो सकती है । इससे नाब की समस्या भी हल हो जायेगी । देहात में रहने वाला बाढ़ का स्वागत करेगा क्योंकि उस की मिट्टी अच्छी होती है । आप इस पर विचार करें तो कम से कम हमारे क्षेत्र में इससे बड़ी राहत लोगों को होगी । अब जितने बांध बने हुए हैं उन से जितनी नदियों का बहाव रुकता है उन को ओपेन करे, सड़कों को ओपेन करे, जो नेचुरल बहाव है नदियों का उस से मिला दें, गांवों को कुछ ऊंचा करे, अर्ली क्रापिंग के लिये कुछ पानी का प्रबंध करे तो लोगों को कम से कम चना गेहूँ तो मिल सकेगा ।

श्री सहरी सिंह : पंजाब स्टेट की आज हालत यह है कि जितने जिले हैं अमृतसर से ले कर दिल्ली बार्डर तक, उन का एक भारी हिस्सा आज पानी में डूबा हुआ है । मिनिस्टर साहब को मालूम है । यह बात नहीं कि यह उन को मालूम नहीं है । जो स्टेट अनाज भी काफी पैदा करती थी, जहां मवेशी भी काफी होते थे, हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े बैल और भैंस जो मुहैया करती थी, आज आहिस्ता आहिस्ता स्टेट की तकसीम होने के बाद हालत खराब होती जा रही है । दो सालों से आहिस्ता आहिस्ता वहां के अनाज की पैदावार घटती चली जा रही है, वहां के मवेशी खत्म होते

जा रहे हैं । अगर इस हालत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब स्टेट खत्म हुई समझिये ।

मैं चन्द तजवीजों आप के सामने पेश कर दूँ । जिस बन्त पंजाब की तकसीम हुई उस के पहले हमारे बहुत से ड्रेन्स पाकिस्तान के रकब में से गुजरते थे अब वह इलाका पाकिस्तान में आ गया और हमारा पानी निकलना बन्द हो गया । उन ड्रेन्स के बन्द होने से हमारे इलाके में पानी भरा हुआ है । और तकसीम के बाद उन ड्रेन्स के बदले में कोई ड्रेन्स का और सिस्टम नहीं बनाया गया । मेरी दरख्वास्त है कि जो हमको तकसीम की वजह से नुकसान हुआ है और जो ड्रेन पाकिस्तान ने बन्द कर दिए हैं उनकी वजह से जो पानी जमा हो जाता है उसके निकालने का तो इतिजाम किया जाए ।

दूसरे पंजाब में नहरों से बहुत ज्यादा आपाशी होती है । इनमें भाखरा नहर को छोड़ कर बाकी नहरें कच्ची हैं और उन से सीपेज की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है । मेरा सुझाव है कि जिन इलाकों में यह सीपेज होता है उन में सारे में अगर आप नहरें पक्की न कर सकें तो कुछ पंचेज में पक्की कर दें ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अगर आपको वाके में पंजाब को बसाना है तो जहां आप और चीजों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वहां एक सीपेज ड्रेन बना दीजिये । इसके न होने से वहां दो साल से कम अनाज पैदा हो रहा है । पंजाब का बैल मजबूत है, आदमी भी मेहनती है । लेकिन इस वाटर लागिंग की वजह से लाचार हो रहा है और इस वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है ।

पंजाब की छोटी सी स्टेट है । वहां पांच हजार गांवों को पानी से नुकसान हो चुका है । इसमें मिनिस्टर साहब का सूत्र नहीं है, प्लानिंग का कसूर है । पंजाब के लिए

पूरा रुपया नहीं रखा। प्लानिंग कमीशन समझती है कि ज्यादा पानी देने से और फ्लड कंट्रोल से ही ज्यादा अनाज पैदा हो जाएगा। लेकिन पंजाब में बाटर लाइविंग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इस मामले में फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कंजूसी करते हैं। न उन्होंने पंजाब के लिए काफी रुपया एलाट किया और न ठीक प्लान बनायी गयी।

आखिर में मैं हरियाने के बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। टांसा बांध बनाया गया। मैं अर्ज करना चाहता कि हिन्दू राजाओं के जमाने से और मुगल काल से हमारे यहां का पानी और साहिबी नदी का पानी नजफगढ़ झील में आता रहा है। लेकिन झील के ड्रेन को चौड़ा नहीं किया गया इससे दिल्ली में पानी भरता है। आज उसके लिए तजवीज की जा रही है। मुझे शक है कि इस पर अब भी अमल होगा। जो दिल्ली में पानी आया उसमें हमारे आदमियों का कसूर नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहां के पानी का नेचुरल प्लो दिल्ली की तरफ को है लेकिन पंजाब को इसको बदलने के लिए मजबूर किया गया। इसी से दिल्ली में पानी भरता है। ड्रेन नम्बर 8 दिल्ली तक ठीक आता है लेकिन यहां उस का लेवल बढ़ा कर उसको दरिया में गिराने के लिए पंजाब सरकार को कहा गया। उसका नतीजा यह है कि जब दरिया में पानी बढ़ता है तो वापस लौटता है और दिल्ली में पानी बढ़ जाता है।

मैं आखिर में फिर कहना चाहता हूँ कि पंजाब की तरक्की के लिए पंजाब सरकार को ज्यादा रूपा मिलना चाहिए।

Shri Liladhar Kotoki (Nowgong): Mr. Speaker, it is the fitness of things that the problem of floods. . . .

Mr. Speaker: There is no flood in Assam.

Shri Liladhar Kotoki: I shall come to it, Sir. But before that I want to join my friends from Punjab in urging the Minister to do all that is possible to remove the difficulties created by flood and water-logging in Punjab.

It is not true that there is no flood in Assam. The statement itself refers to floods in Assam. The statement that was laid on the Table of the House on the 7th September says on page 4:

"The damage that has occurred so far and my inspection of the areas convinces me that a very thorough and competent organisation is immediately called for for the maintenance of flood embankments in Assam. The standards of maintenance have also to be immediately improved. As regards the erosion which has been the main cause for large-scale damage, it is necessary to find out economical methods of tackling this problem. These erosions shift from place to place and area to area. So they require continuous and constant investigation and study for effective control."

So, Sir. . . . (*Interruptions.*)

Mr. Speaker: The simultaneous translation apparatus should be switched off when it is not in use.

Shri S. M. Banerjee: It is a constant disturbance. . . . (*Interruptions.*)

Shri Liladhar Kotoki: So, this shows that floods control measures so far taken in Assam have not had the desired effect.

In this connection, I would refer to the Report of the High Level Committee on Floods published in 1958 in which various recommendations were made for control of floods in Assam. I will only request the hon. Minister to just enquire whether measures so far taken conform to the recommendations made in the High Level Committee Report.

[Shri Liladhar Kotoki]

During his tour recently the hon. Minister observed that he realised the magnitude of the floods in Assam. I must express my gratitude to the hon. Minister for his suggestion last year to close the Kalang river and its execution in a very speedy way which has saved the entire district of Nowgong including the Nowgong town. Similar measures ought to have been taken to save a large number of villages and towns that have now immersed in the Brammaputra and the Barak and their tributaries. Therefore, the question of erosion has posed today a more serious problem than the flood problem, which is serious as it is. I would urge the hon. Minister to apply his mind to tackle the problem of erosion which is eating away large areas in my State. I have no time to go into the figures and convince hon. Members of the colossal extent of the effects of erosion. Floods cause misery to the people for a short time but there are some beneficial results when the floods recede. So far as erosion is concerned, the damage is permanent. It eats away villages and towns; people are uprooted and they have to be rehabilitated elsewhere. It is a very difficult problem that has arisen in my State. The problem is also too big for a State like Assam to tackle. Therefore, my submission is, here is a case where the Centre must take the full responsibility of tackling the problem of flood and erosion caused by the Brahmaputra and the Barak.

In this connection, Sir, I would like to refer to the very right step that has been taken by the Government to tackle the problem of sea erosion caused to the coasts of Kerala. In that State it was found necessary to have the advice and services of international experts. So far as erosion caused by the mighty Brahmaputra is concerned, I submit, it will perhaps be necessary to requisition the services of international experts to advise the Central Government as to how to tackle this problem. It may also be necessary to

get aid from other countries because it will be a very colossal programme.

Sir, I know my time is up. Therefore, while concluding I will again request the Minister to give his careful and earnest thought to salvage our State from the damages of flood and erosion.

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) :

अध्यक्ष महोदय, साल ब साल हम हाउस में बाढ़ की चूँस रखते हैं और बाढ़ समर्या के बारे में विस्तार से अपने विचार प्रकट करते हैं। हम लोग अपनी तमाम बातें कह जाते हैं। उस के बाद सेक्रेटेरियट या मंत्री महोदय के विभाग से सम्बन्धित अधिकारी उस की बाबत एक रिपोर्ट तैयार कर के भेज देते हैं और उसी की बेसिस पर यह मिनिस्टर्स लोग यहाँ पर हमें जवाब दे देते हैं लेकिन उस से आगे हम नहीं बढ़ते हैं। नतीजा यह होता है कि जब हम लोग जनता में जाते हैं और जब हम से वहाँ पर पूछा जाता है कि गये साल में बाढ़ की रोक थाम के लिए सरकार की ओर से क्या किया गया है तो इस पर हमारा मुँह बंद हो जाता है और हम लोगों को कोई तसल्ली-बख्श जवाब नहीं दे पाते हैं। इस लिये मेरा कहना है कि अब यह बाढ़ के बारे में सरकारी रिपोर्ट के आधार पर मिनिस्टर्स द्वारा वही घिसा पिटा जवाब दुहराया जाना बंद होना चाहिए। बार बार वही फिगर्स उनके द्वारा देते जाना अब रुकना चाहिए। उन्हें देखना चाहिये कि आखिर वह काम कितना आगे बढ़ा, अगर नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा और भविष्य के लिए उसका माकूल इलाज होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस के लिए ठोस क़दम उठावेंगे।

अभी एक अन्य साथी माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। मैं भी मानता हूँ कि बाढ़ का जितना बड़ा सवाल है उस से

कम बड़ा सवाल कटाव का नहीं है । बाढ़ से जो नुकसान होता है उस से ज्यादा नुकसान कटाव में होता है । इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचना चाहता हूँ कि जितनी मुस्तीदी बाढ़ के सवाल को हल करने में लगाई जाय उतनी ही मुस्तीदी से कटाव के सवाल पर भी ध्यान दिया जाय । और उस के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो यह फीगर्स हम लोगों के सामने दी हैं उन के मुताबिक आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा पंजाब व राजस्थान सभी प्रान्तों के सम्बन्ध में फलड डैमेज के बारे में एनफोरमेशन दी गई है । समय की कमी के कारण मैं सब का जिक्र इस समय अलग अलग करने में असमर्थ हूँ लेकिन जो टोटल उन्होंने दिया है उस के बारे में कहना चाहूंगा । टोटल तो उन्होंने दे दिया है हालांकि बहुत सी जगहों में कोई फीगर्स नहीं दी गई हैं जैसे कि गुजरात के वास्ते लिख दिया गया है कि इनफोरमेशन एवैटेड । जे० एंड के० के लिए लिख दिया है कि इनफोरमेशन एवैटेड । मद्रास के बारे में उन्होंने निल लिखा है । उड़ीसा के बारे में उन्होंने लिखा है कि इनफोरमेशन नोट रिस्वीव्ड । हिमाचल प्रदेश की बाबत भी लिखा है कि इनफोरमेशन नोट रिस्वीव्ड । पौंडाचैरी के बारे में निल लिखा है । बाकी जो फीगर्स दी हैं उन में भी बहुत से आइटम्स उन्होंने कह दिया है कि आइटम्स नोट रिस्वीव्ड, निल । छोड़ दिये हैं और जो फीगर्स दिये भी हैं वे कम्प्लीट नहीं हैं । जो भी फीगर्स उन्होंने दिये हैं उस के आधार पर यह देखा जाय कि देश को कितना नुकसान बाढ़ से पहुँचा है, टोटल को अगर देखा जाय तो पता लगेगा कि टोटल एरिया एफैक्टैड 60.98 लाख एकड़ है । दूसरा टोटल नम्बर ऑफ विलैजेंज

अफैक्टैड 17991 बतलाये गये हैं । इसी तरह से टोटल पापुलेशन अफैक्टैड 65.92 लाख हैं । टोटल एरियाज डैमेज टु क्रौप्स में टोटल एरिया 29.85 लाख एकड़ है लेकिन जहाँ उसकी वैल्यू लगाने का सवाल है वह उन्होंने बड़ी आसानी से छोड़ दिया है और उस कौलम में उन्होंने लिख दिया है नोट एराइव्ड ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सारा समय तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने में ही निकला जा रहा है ।

श्री क० ना० तिवारी : बिहार के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । चम्पारन का रहने वाला हूँ । चम्पारन, दरभंगा और नौर्य बिहार के सभी जिले करीब करीब बाढ़ से पीड़ित होते हैं । बिहार में आपने अपने स्टेटमेंट में बतलाया है कि टोटल एरियाज एफैक्टैड 28.89 लाख एकड़ है । उस के नम्बर ऑफ विलैजेंज की तादाद 4730 है । टोटल पापुलेशन एफैक्टैड 38.13 लाख है । डैमेज टु क्रौप्स का टोटल एरिया 12.49 लाख एकड़ है और उस डैमेज की वैल्यू 1710.24 लाख रुपये आंकी गई है । डैमेज टु हाउसेज की वैल्यू 40.23 लाख रुपये है । हैड्स ऑफ कैपिटल लीस्ट 52 है और इसी तरह से और भी नुकसान के आंकड़े दिये गये हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इन फीगर्स को देखने से मालूम हो जायगा कि बाढ़ से वहाँ पर कितनी क्षति होती है । हर साल हमारे यहाँ जितनी भद्र क्रौप है । जितना खाने का अनाज भादों में होता है वह सारे का सारा नष्ट हो जाता है । कटाव की वजह से हजारों आदमी बेघर हो जाते हैं । ईस्ट बंगाल से आये हुए रैफ्यूजीज को आप यहाँ पर बसाते हैं लेकिन हजारों आदमी जो बाढ़ और कटाव से तबाह व बर्बाद हो जाते हैं उन को आप जमीन नहीं दे सकते हैं उनको घर बसाने के लिए भी जमीन नहीं

[श्री क० न० तिवारी:]

दे सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बाढ़ से और कटाव से जो भी राहत आप बिहार को नीर्य बिहार को दिला सकें वह दिलाने के बारे में उचित व आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे डा० के० एल० राव अपने विषय के बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन हमारे इतिहास की सम्भवतः उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। कुछ दिन हुए जब यह बयान दिया गया कि यह साहबी नदी अब की बार ही बहुत तूफान कर चुकी है। मेरा निवेदन है कि साहबी नदी पिछले 50 वर्ष से जब से मैंने होशा सम्भाला है तब से हर पांचवें और सातवें वर्ष यह तबाही लाती है और यह तबाही न केवल राजस्थान में आती है बल्कि पंजाब में, जिला गुड़गांव और दिल्ली में भी आती है। जब से राजस्थान बना है तब से हमने यह प्रयास किया कि अलवर जिले में कम से कम एक बांध बांध दिया जाय लेकिन उस बांध को बांधने के लिए जो भी योजना बनी उस को इंकार कर दिया गया। पहले कहा गया कि इसमें रेता आता है। उसके बाद कहा गया कि इसमें 75 लाख रुपया लगेगा और उस का 4 प्रतिशत लाभ नहीं मिलता है। फिर कहा गया कि इससे एक बांध बनेगा जिस में नुकसान 20-25 हजार रुपये वार्षिक होगा लेकिन आज अकेले अलवर जिले में 50-60 लाख रुपये का नुकसान हो गया और जो तबाही पंजाब और दिल्ली में बचती वह तबाही भी हुई और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हो गया। आज तक उस बांध के बारे में यह नहीं कह सके कि वह क्यों नहीं बांधा जा रहा है? मैंने कंसल्टेटिव कमेटी में भी इसको कहा था तो ताया था कि इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी हम लेंगे। यह हालत

जब बाढ़ के बारे में हो तो फिर क्या किया जा सकता है ?

मुझ से पहले माननीय राव गजराज सिंह ने राजस्थान तीन बांधों की तामीर के लिये कहा है। मेरा तो कहना है कि तीन के बजाय अगर एक भी बांध बांध जाय तो भी बहुत कुछ काम हो सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यहां कुछ ऐसा मालूम होता है कि जो ज्यादा पुकार सकता है उस की ज्यादा सुनी जाती है। इस रिपोर्ट में भरतपुर के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई है किन्तु मैं निवेदन करूँ कि अलवर क्षेत्र में जहाँ नुकसान हुआ है शायद कागज़ों में वह बहुत थोड़ा आये मं अभी 26 तारीख को वहां से हो कर आया हूँ और मैं ने देखा है कि वहां करीब 50 गांव ऐसे हैं जिनकी कि हालत यह हो गई है कि उनकी जमीनें समाप्त हो गई हैं और उन के कम से कम 2000 या 2500 घर नष्ट हो गये हैं और करीब 30 फ्री-सदी लोगों के पास शाम का खाना भी नहीं है। वहां पर यह दशा है कि 50 लाख रुपये का नुकसान केवल उसी जगह पर हो गया है, जब कि गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में सारे राजस्थान में शायद 52 लाख रुपये का नुकसान दिखाया गया है। जब कभी बाढ़ आती है, तो सरकारी अफसर इस कोशिश में रहते हैं कि कम से कम नुकसान दिखाया जाये, ताकि जनता को मालूम न हो जाये कि तबाही कितनी है। वहां यह हालत है कि अभी तक कुछ गांव नदी के पानी से भरे हुए हैं। वहां जीप नहीं जा सकती है। लंग पैदल जाते हैं। मैं स्वयं भी पैदल ही गया था।

इमदाद के बारे में पूछने पर कलेक्टर साहब ने कहा कि हम ने ऊपर लिख दिया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा, वह अभी तक कागज़ों पर ही है और कोई कार्यवाही

नहीं की गई है। बदनसीबी यह है कि मुझ से पहले एक एम० एल० ए० वहां पर पधारे, तो वहां का बी० डी० भ्रो० ताश खेलते मिला। जब मैं एम० एल० ए० के साथ वहां गया, तो तीन बच्चे दफ्तर पर ताला लगा हुआ मिला और सब लोग गायब थे। यह हालत उस सरकार की है, जो कि बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने का दम भरती है।

जब वहां बाढ़ आई, तो मुझे देवयोग से यहां एक मिटिंग में जाना पड़ा। मेरे पीछे वहां के एस० डी० भ्रो० और कांग्रेस के एक नेता वहां पहुंचे और उन्होंने इस स्थिति को भी अपना राजनीतिक साधन बनाया। उन्होंने इस प्रकार का ताना दिया कि विरोधी पक्ष के लोग इस वक्त क्यों नहीं आए। लेकिन जनता अब इतनी अनजान नहीं रही है और वह समझ चुकी है कि इस तरह की बात कहना अच्छी बात नहीं है। लोगों ने इस का कड़वा जबाब भी दिया।

यदि साहबी नदी की समस्या को हल करना है, तो मुझ से पहले श्री गजराराजसिंह राव ने जो सुझाव दिये हैं, वे बहुत ही ठोस सुझाव हैं; इसलिए उन पर अमल करना चाहिए।

ड० राव महोदय ने जो को-आर्डिनेटिंग कमेटी बनाई है, वह केवल यह न देखे कि वर्तमान हालत क्या है, बल्कि वह इस समस्या को दूर तक देखने की कोशिश करे। इस कमेटी को केवल यही नहीं देखना चाहिये कि पानी कहां से आता है, बल्कि रेलवेज ने पुराने जमाने से जो हमारी हालत बिगाड़ी हुई है—खास तौर पर से पटौडी के इलाके में तबाही ला दी है—जब तक यह कमेटी उस पर विचार कर के ऐसा कोई उपाय नहीं निकालेगी कि रेलवे लाइन के नीचे से पानी कैसे निकाला जाये, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

यह जो तरीका है कि बाढ़ आई और कह दिया कि हम कुछ देंगे, लेकिन रायों में एक पैसा भी नहीं पहुंचता है, इसके कोई लाभ नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार सब सरकारों के साथ मिल कर किसी प्रकार एक फंड बनाए, ताकि बाढ़ का बीमा किया जाये और इन वक्त लोगों की जिन्दगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वह रद्द किया जाये। जब तक हम बाढ़ के बारे में बीमे की कोई योजना नहीं बनायेंगे, तब तक गरीब लोगों के करोड़ों रुपयों का नुकसान होता रहेगा। गांवों में जो तबाही आती है, वह गरीब पर आती है। अमीर का पक्का मकान तो बच जाता है। गरीब आदमी और हरिजन इत्यादि गांव से बाहर पड़े रहने हैं, और उन को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है। हमारे यहां यह दशा हो रही है कि खेत के लिए बीज नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चीखें खरीदने के लिए पैसा नहीं है।

श्री बडे (खारगोन) : रहने के लिए मकान नहीं है।

श्री काशीराम गुप्त : मकान नहीं है। जब चट्टर के लिए कहा गया, तो जबार मिला कि हम ने वहां भेजने के लिए कोटा मन्जूर कर दिया है और हम भारत सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए अलहदा क्वोटा मांगेंगे। मैं समझता हूं कि जब वे लोग मर चुकेंगे और उन का दम निकल चुकेगा तब शायद वह कोटा वहां पहुंचेगा। उस से कोई लाभ नहीं होगा।

बाढ़ की समस्या सारे देश की समस्या है, किन्तु जिन क्षेत्रों की य विशेष समस्या है, उन में राजस्थान, पंजाब, यू० पी०, बिहार और दिल्ली इत्यादि आते हैं। सरकार को इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए, ताकि अगले वर्ष भी हम को यहां यही कथा सुनने को न मिले और हमें इस प्रकार के भाषण न देने पड़ें।

Shri Bade: Please take note of crop insurance.

श्री योगेन्द्र झा (मधुवनी) : अध्यक्ष महोदय, सन्त तुलसीदास ने कहा है :

ज्यों ज्यों सुरसा वदन बढ़ावा
तासु दुगुण कपि रूप दिखावा

बाढ़ रोकने की कोशिश जितनी ही की गयी बाढ़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बाढ़-नियंत्रण विभाग है या बाढ़-निवृत्तण विभाग है—यह विभाग बाढ़ का नियंत्रण करता है या बाढ़ को निवृत्तण देता है। मैं अपने यहां की बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहां के लोगों का कहना है कि बाढ़ पहले तो एक दैवी विपत्ति थी। और अब वह सरकारी सृष्टि भी हो गई है सरकार की गलत योजना के कारण भी लोगों को बाढ़ का बहुत बुरा फल भोगना पड़ता है।

मैं कोसी के पश्चिमी तट-बंध का जिक्र करना चाहता हूँ। वहां आज हालत यह है, कि तट-बंध के अन्दर जितना पानी होता है तट-बंध के बाहर उस से ज्यादा पानी होता है। मेरा घर तट-बंध के अन्दर है। मैं दो तट-बंधों के अन्दर रहने वाला आदमी हूँ, लेकिन तट-बंध के बाहर के लोग मेरे गांव में शरणार्थी बन कर आते हैं और जिन गांवों में कभी पानी नहीं जाता था, वहां की फसलें मारी जाती हैं। आज वहां पर यह दृश्य है। मैं डा० राव का ध्यान खास तौर से इस और आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोसी के पश्चिमी तट-बंध न दर्जनों नदियों का मुंह बन्द कर दिया है। तिलजगा, घोरवा, पांची, पर्वता, खरक, धनजैया, बलान, गढ़ुआ आदि कई नदियों का मुंह बन्द कर दिया गया है। कितनी नदियों का नाम मैं गिनाऊँ ? लेकिन इन नदियों के पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं छा गया।

जो थोड़े स्लस-गेट बने, उन की अजीब हालत है। जब रिवर-साइट में, नदी की तरफ,

पानी कम होगा, तब तो गांव की तरफ से बांध के बाहर का पानी स्लूस होकर निकलेगा, अन्यथा पानी नहीं निकलेगा। पानी निकलने का रास्ता क्या होगा ? जिन नदियों में खास कर के बालू आता है, उन की हालत यह होती है कि बालू के बराबर आते रहने से तट-बंध के भीतर बालू जमा होता है और तट-बंध के अन्दर का स्तर ऊंचा होता रहता है। इस प्रकार साल-ब-साल कम पानी आने पर भी वह दृश्य पैदा हो जाता है, जो कि बड़ी बाढ़ के समय होता है। 1954 में कोसी में सवा आठ लाख क्यूसिक पानी डिस्चार्ज हुआ था लेकिन अब दो तीन लाख क्यूसिक पानी के डिस्चार्ज होने पर भी वह दृश्य पैदा हो जाता है, जो सवा आठ लाख क्यूसिक पानी के डिस्चार्ज होने पर होता था।

पिछले सात आठ बरसों में नदी में बालू जमा हो गया और तट-बंध के अन्दर जमीन का स्तर ऊंचा उठ गया। इसलिए प्रोटैक्टिव बांध बनाने से पहले नदी के बालू की समस्या का भी अध्ययन किया जाये। कोसी बैराज का जीवन अनिश्चित है। उस के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो कोठार डैम बनाने की योजना थी, अभी उस का अनुसंधान चल रहा है। कोसी योजना पूरी हो गई, लेकिन उस को बचाने की योजना का अभी अनुसंधान चल रहा है, जब कि दस बरसों में पूरी कोसी योजना के पूरे पैसे व्यर्थ हो जायेंगे, अरबों रुपये पानी में बह जायेंगे।

डा० राव को अच्छी तरह पता है कि कुनौली और डलवा के नजदीक तट-बंध को खतरा क्यों होता है। वह इंजीनियरों की गलती से होता है। अभी बैराज बना। बैराज हो कर पानी निकाला गया। उस को लम्बा रास्ता देना चाहिए था। लेकिन बहुत लम्बा रास्ता न दे कर चार मील के अन्दर उस पुरानी धारा में मिला दिया गया। जिस नदी में लाखों क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज होता है।

उस नदी के बहाव को कुछ ही दूरी पर ले जा कर पुरानी नदी में गिरा दिया गया । आज हालत यह है कि एक साल में एक एक, डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपये उस तट-बंध की रक्षा के लिए खर्च किये जाते हैं । इस प्रकार अवैज्ञानिक योजना, अनसाइंटिफिक प्लानिंग से सरकार और इस देश का नुकसान हो रहा है ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ । कमला बलान का पूर्वी तट-बंध जयनगर से शुरू होता है और कोसी का पश्चिमी तट-बंध कुनीली से शुरू होता है । यहां दोनों की दूरी पचास मील के लगभग है । मधेपुर अंचल में आ कर, भोजा और भगवानपुर गांव के नजदीक आ कर, दोनों तट-बंधों की दूरी तीन मील के लगभग है । बीच में जहां रेलवे लाइन है वहां उसकी दूरी चौदह मील रह जाती है । मैं राव साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार मधेपुर अंचल को भी बचना चाहती है या नहीं ? वहां एक समुद्र जैसा दृश्य उपस्थित हो गया । एक तरफ रेलवे का बांध है दूसरी तरफ कोसी का पश्चिमी तट-बंध है और तीसरी तरफ कमला बलान का पूर्वी तट-बंध है और दोनों की दूरी तीन मील है । पचास मील के एरिया में से जो पानी आ जाता है उससे मधेपुर अंचल एक समुद्र जैसा बन जाता है और जिन गांवों में कभी पानी नहीं आता था वहां भी अब जीवन नरक जैसा हो गया है ।

अखबार में भी मैंने इस चीज को दिया था और अधिकारियों को मैंने निमंत्रण भी दिया था कि वे आ कर इसका अध्ययन करें कि तट-बंधों के निर्माण के बाद कितने पानी का बहाव रुक गया है और कितने पानी के बहने का रास्ता रखा गया है और किस तरह से सैकड़ों गांवों का उद्धार किया जा सकता है । अगर उनका उद्धार नहीं किया गया तो मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूँ कि न केवल अरबों रुपये पानी में चला गया है और चला जाता रहेगा बल्कि लाखों भारतीय नागरिकों का जीवन नरकमय बन गया है

और बनता रहेगा । मुझे आशा है कि डाक्टर राव अवश्य इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : जो बातें अभी चौधरी लहरी सिंह जी और राव गजराज सिंह जी कह चुके हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ । एक बात का मैं निराकरण करना चाहता हूँ । हमारे दिल्ली के भाई श्री नवल प्रभाकर जी ने कहा है कि पंजाब वालों ने उनको डुबाया है पंज ब वालों ने दिल्ली वालों को डुबाया है ।

एक माननीय सदस्य : वह चले गये हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : चले गये हैं तो क्या हुआ, चले जायें । मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पंजाब उनको डुबाता नहीं है । जो स्वाभाविक पानी आता था अज्जर की झील का नजफगढ़ की झील में वह पानी पहले वह निकलता था, जमुना में जाता था । दिल्ली वालों ने, यहां के अखबार वालों ने चिल्लाना शुरू किया और उसका नतीजा जो कुछ हुआ वह आपके सामने है । यहां पर कालोनीज बसा दी गई हैं जहां पानी बहता था वहां बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी कर दी गई हैं और पानी के बहाव को बन्द कर दिया गया । जब यह चिल्लाते हैं कि दिल्ली बह गई इस में मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब का कोई कसूर नहीं है । ढांसा बांध जो आपने बनाया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि इसको बना करके आपने बड़ा भारी जुल्म किया है । माननीय राव साहब की शुद्ध भावना पर मुझे कोई आक्षेप नहीं करना है । लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता हूँ कि अगली बार भगवान न करे बाढ़ आये और अगर प्रा जाये तो आप यह प्रबंध करें कि जहां ढांसा का बांध है, इसको तोड़ दिया जाए । अगर इसको आपने नहीं तोड़ा तो मैं बड़ी ही जिम्मेबारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम इसको जबरदस्ती तोड़ देंगे फिर चाहे इसका नतीजा कुछ भी निकले ।

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

आपके इंजीनियरों की हालत में आपको बताता हूँ। बहादुरगढ़ के पास दो गांव हैं खडोली और कोलासी जो पानी में डूबे हुए हैं। इनका तीन हजार बीघे का रकबा पानी में डबा हुआ है। वहां के इंजीनियरों ने नीचे से साइफन लगा करके यह कहा कि इनको और डुबो दो।

श्री सहरी सिंह : ठीक है, ठीक कहा।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मेरा नम्बर है बोलने का, आप न बोलिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने दफ्तर को कह दूंगा कि दो चौघरियों को इकट्ठे न बिठाया जाए।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : यह बात मैंने बहादुरगढ़ के पास के दो गांवों की आपको बतलाई है। इसका नतीजा यह है कि महिलायें तथा हमारी बहनें जब जंगलों में भी जाती हैं तो कड़ा में बैठ कर उनको जाना पड़ता है। आप चाहें तो इसको मालूम कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सन्यासी नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ। मुझे सब से पहले अपने इलाके का फिक्र है, मुझे सब से पहले अपने इलाके का दुख महसूस होता है। जब तक अपनी दाढ़ी को रंग न लग ले, दूसरों की तरफ नहीं जाया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके की रक्षा का उचित प्रबन्ध हो और उसके लिए पूरी कोशिश हो। ढांसा बांध के जो द्वार हैं इनको ज्यादा खुलवाइये, इस बांध को तुड़वा दीजिये जिससे पानी बह कर भागे जा सके, वहीं पानी खड़ा न रहे। सुरंगें बना कर के भागे जो स्कीम बनेगी, वह तो बनेगी और जब वह बनेगी तब उसको देख भी लिया जाएगा फिल्हाल जो पानी खड़ा हुआ है, खेती जो नष्ट हो गई है, उसका प्रबन्ध आप करें। अगला खेती इस तरह से नहीं बोई जा सकेगी।

इस बास्ते इस पानी को निकालने का आप सब से पहले प्रबन्ध करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो गांव डूब रहे हैं, उन गांवों के लोग अगर किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसको जुर्म करार नहीं दिया जा सकता है। हर एक को सैल्फ-डिफेंस का पूरा अधिकार प्राप्त है। हर एक को अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी रक्षा करे, अपना बचाव करे, फिर चाहे उसके नतीजे कुछ भी निकलें।

मैं अन्त में आप से इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप हमारे इलाके को बचायें।

Shri Chandrabhan Singh (Bilaspur): The discussion which has been going on has been very amusing. When you want to analyse the causes, you have to remember a few basic facts. The first is the annual average rainfall; the second is the process of surface flow; the third is the process of percolation and absorption, and the fourth is the surface evaporation.

As regards annual average rainfall, statistics show that this has not increased in the recent past.

The second point is that the process of surface flow of all our river valleys, is the result of thousands of years of work of nature, ultimately deciding the direction the rivers will go and fall and meet the sea. I think in our intense desire to construct national highways connecting various towns and cities all over the country, care has not been taken of storm water drains. Go along any national highway and you will find thousands of acres of land under water due to the roads which act as an embankment preventing the natural flow of water. This you see in the north, south, east and west. Railway tracks crisscross the country thousands of miles blocking the natural flow of water and creating lakes, ponds, puddles with stagnating water all along.

The big canals arising from big dams, some of them the tallest in the world some the longest in-length, others covering the biggest area against meander along the countryside with utter disregard to the natural flow of water.

The third factor, the percolation and absorption, has also been materially affected. The ground water level and underground water table has been rising at an alarming rate and the foundations of big buildings in Amritsar, Delhi and other places have been endangered. The capacity for percolation and absorption has been materially affected and this has added to the volume of surface flow.

Surface evaporation has also been affected due to humidity and moist conditions beyond all limit.

The engineers who planned the roads, the railway lines and canals have made blunders with the sole aim of effecting economy by not building enough bridges, culverts, submersible roads, overbridges and causeways and have been definitely unmindful of the natural drainage.

Shri Kashi Ram Gupta: On a point of order. Is the hon. Member reading his speech?

Shri Chandrabhan Singh: I am reading from my notes.

Mr. Speaker: I did not notice it.

Shri Chandrabhan Singh: Go to any large city in the country, Delhi, Kannur, Lucknow, Patna, Calcutta, Cuttack, Ahmedabad, Poona or Surat and you will have ample evidence of the truth of my assertion. The tragedy is that to get more land for *lebensraum*, living space, all the lower level areas have been colonised and thus you see the prospect of colonies remaining water bound. The pools of water and quagmire breeding mosquitoes and germs of enteric, diarrhoea, dysentery, cholera, hepatitis and other water-borne diseases become danger spots of death and destruction.

We hear of so many commissions and inquiries and every year the story is repeated *ad nauseum* with increasing impunity and complete disregard for public good, safety and amenity. It is very definitely a sad affair for which the public, the local authorities and finally the Government are fully responsible. I completely fail to understand why this state of affairs has been allowed to go on.

If you come to the villages, the story is worse than ever. There is no publicity for the villagers and the villages which remain waterlogged and water-bound for full four months in the monsoon. The villagers walk in knee-deep water daily along their lanes for all their morning easing and other amenities and they think that it is their lot to remain like that. They say:

भगवान ने हमारे भाग्य में यही लिखा है ।

I recently went to a few villages in my constituency in Bilaspur district. I could not go even on horse back and had to walk with knee-deep and ankle-deep water before I could reach there. Why this should be so after 17 years of independence baffles me. I am hundred per cent certain that the Planning Minister, the members of the Planning Commission and officers of the department responsible are arm-chair theoreticians and white-collar administrators busy in air-conditioned offices and houses, travelling by planes or in air-conditioned compartments with very poor knowledge of Indian conditions. But they are experts in American, Russian and Japanese methods. I appeal to the planners to completely change their outlook, and if they cannot make room for others.

With Dr. K. L. Rao, an acknowledged expert in this sphere, I do not know about the country, but I am expecting a great deal from him. He must remove all obstacles to the natural flow of water. He must give

[Shri Chandrabhan Singh]

enough scope for easy discharge by creating fresh bridges, culverts and channels all along the railways, highways and canals which must be lined with pucca cement paving. The present tendency to leave potholes all along these channels must be stopped and along with the new constructions, special efforts must be made for easy flow of water so that there is no collection anywhere. I know this is a tremendous task, and may take 10 to 15 years to complete, but it must be completed.

Mr. Speaker: How many pages more?

Shri Chandrabhan Singh: I would appeal that every village must be connected with a good, pucca road, ultimately leading to a modern macadamised highway at a distance of three miles at the most. Let there be a road building scheme planned for seven years.

18.00 hrs.

The other day, while hearing the Members discussing the water pollution in Delhi, I was literally shocked to see Members indulging in invectives and emotional exhibitions by gesture and articulate language and blaming the Health Minister for everything. That was most unfair.

May I say that the remedy needs the concerted effort of all sections of the community, inside the House and outside, and I am sure it can be done.

May I appeal to you Mr. Speaker, and through you to the press that they must debate some space for villagers in their papers and to all other Members that some areas must be improved? I will appeal to the Prime Minister to have a special cell, a "village cell" where Finance, P.W. D., Food and Agriculture, Education, Health and Community Development will be represented. Let this be a high-powered body, and let their

decision be final. What the Members of Parliament can do is to adopt five villages, one in each Vidhan Sabha constituency in collaboration with their colleagues in the State Assembly, and develop them as model villages. The first priority should be given to the development of lanes, roads, waterways, with an eye on drainage and flood prevention.

Thank you.

Mr. Speaker: Rather, I should thank him.

Some Hon. Members rose—

Mr. Speaker: I will continue listening to the speech so long as Members are prepared to make them.

श्री प्र० प्र० शर्मा (बकसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण न दे कर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जो कि खास मेरे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। गंगा नदी में जो उस का उत्तरी किनारा है, गाजीपुर से झारा तक, उस में केन्द्रीय सरकार की तरफ से रेलवे के साथ मिल कर एक पक्का एम्बैंकमेंट बनाया गया है। नतीजा यह है कि जो नदी का दक्षिणी किनारा है वह सारा भर जाता है। उत्तरी किनारे में एम्बैंकमेंट बनने की वजह से दक्षिणी किनारे को बाढ़ घों देती है। और जो उस किनारे पर गांव हैं वह बाढ़ में डूब जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि या तो दक्षिणी किनारे पर उसी तरीके से पक्का बांध बने, या फिर जो पानी का निकास है उसे चैनल बना कर उस इलाके की सिंचाई के काम में लगाया जाये जिस से कि वहां पर बाढ़ कम हो। अगर दक्षिणी किनारे पर भी एम्बैंकमेंट बना दिया जायेगा तो नदी गहरी भी काफी हो जायेगी और उस में नाव आदि और स्टीमरों के चलने से एक जगह से दूसरी जगह माल लाने ले जाने में सुविधा होगी। मैं सिर्फ यह छोटा सा सुझाव देना चाहता

था और मुझे आशा है कि जो हमारे मंत्री डा० के० एल० राव हैं, जिन से मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ वे इधर ध्यान देंगे और जिस तरह से वे अपने आप जा कर और जगहों का निरीक्षण करते हैं उसी तरह से वह जो क्षेत्र है उस का निरीक्षण करेंगे और इस के लिये कुछ इन्तजाम करेंगे।

श्री इकबाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज हम फ्लड के सिलसिले में यहां बातें कर रहे हैं। उस में बहुत सा जोश भी आया, कुछ सवाल भी पैदा हुए, इंटरस्टेट मामले और दूसरे मामले में, लेकिन सब से बड़ा मसला यह है कि हर साल फ्लड का मसला क्यों बुरे से ज्यादा बुरा होता जाता है। इसलिये कि इस मसले को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली टेक अप नहीं किया। फ्लड के सिलसिले में तीसरी पांच साला योजना में 90 करोड़ रुपया रखा गया है, और अगर अंशुलहदा अलहदा स्टेट्स की बात कहें तो आप सुन कर हैरान होंगे कि मुझे से पहले जो भाई बोले उन के स्टेट में फ्लड के सिलसिले में 3 करोड़ रुपये के लिये कहा गया और प्लैनिंग कमिशन, ने फ्लड के लिये वह तीन करोड़ रुपये मंजूर किये। पता नहीं है कि वह फ्लड कंट्रोल मेजर्स और एन्टी वाटरलागिंग मेजर्स कितने ले सकेंगे। आखिर रिसोर्स की बात है। जब तक इस ढंग से काम चलता रहेगा तब तक मसला हल होने वाला नहीं है। इस में तो और लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी।

सब से पहले तो मैं यह कहूंगा कि मिनिस्टर महोदय, प्लैनिंग कमिशन के पास जायें और आज जो हालत है उस के सिलसिले में उन से बात करें। जिस स्टेट का जितना मसला है उस के मुताबिक उन को पैसा दिया जायें ताकि मसले के खत्म होने के आसार नजर आये। वरना हर साल लम्बी बहस होगी और लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी। यह लोगों की एकानमिक कंडिशन का मसला है और हर एक आदमी जिस इलाके से वह आता है उस के मुताबिक बात करता है। आखिर हम एक डिमाक्रेटिक

सिस्टम को मानने वाले हैं और हम अपनी जरूरतों के हिसाब से बात करते हैं। मैं इस सिलसिले में इतना ही कहना चाहता हूँ कि पैसा बढ़ाना चाहिये।

इसके बाद मैं पंजाब की तरफ आता हूँ। मेरे सामने बहुत से आदाद व शुमार हैं। सन् 1955 से लेकर 1960 तक पंजाब के लिए मंजूर हुए 15 करोड़ रुपये तब किसी साल 30 करोड़ रुपये, किसी साल 12 करोड़ रुपये किसानों के घरों के लिये और उनकी जमीनों के लिये। अगर आज तक का टोटल किया जाये तो पिछले सात आठ सालों में करीब 150 करोड़ रुपये मंजूर हुए। इसके अलावा भी आपने इस सिलसिले में पंजाब को रिलीफ दिया है। एन्टी वाटरलागिंग के लिये और फ्लड कंट्रोल के लिये। जिस वक्त पंजाब की तकसीम हुई उस वक्त उसका वाटरलाग एरिया 9 लाख एकड़ का था और आज 40 लाख एकड़ है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतना कहता हूँ कि पंजाब सरकार ने हिम्मत की, कुछ मेहनत की, कुछ लोगों के जजबात थे, क्योंकि जो पंजाब की सब से बड़ी प्रॉब्लेम है वह यह है कि जो खेती करने वाले हैं, जो खेती की वजह से मेहनत करते हैं, उन किसानों का सब कुछ निर्भर करता है इसी बात पर कि वहां खूब पैदा हो और उसकी आमदनी से वह अपना गुजारा कर सकें। उन्होंने पिछले तीन सालों में पहले साल 7 करोड़ रुपया लगाया, दूसरे साल 20 करोड़ रु० लगाया और इस साल 10 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। 10 करोड़ रु० की उनकी मांग और है। इसको गिन लिया जाये तो उन्होंने 47 करोड़ रुपया लगाया। सेंटर ने 11 करोड़ रुपये दिये। 27 करोड़ रु० के उनके अपने रिसोर्स थे। यह इसलिये किया गया कि पंजाब के लोगों के मसले की तरफ से कोई भी सूबे की सरकार, चाहे पहला सरकार हो चाहे आज की सरकार हो अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकती थीं। लेकिन मैं डा० के० एल० राव से इतना कहना चाहता हूँ

[श्री इकबाल सिंह]

कि वह उनको पैसा दिलाने की कोशिश करे ताकि उनका मसला हल हो सके, वना यह मसला हल नहीं होगा। अगर पैसा नहीं होगा तो यह मसला हल नहीं हो सकता। आज जिस किस्म का पंजाब का ड्रेनेज का प्रोग्राम है, उसके लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब की सरकार ने डुा दिया। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहां पर पंजाब की सरकार ने ड्रेनेज को चैनेलाइज किया है वहां पर उसने कोई डैम नहीं बनाया। इसलिये नहीं कि डैम बनाना सब से बड़ा गुनाह है और इससे बड़ा गुनाह हमारे यहां की सरकार नहीं कर सकती थी, बल्कि उसने सब ाओं को मॉा। मैं एक लेमैन के तौर पर कह देना चाहता हूं कि तीन साल तक पंजाब और दिल्ली का झगड़ा चला। नजफगढ़ ड्रेन जो है वह 200 क्यूसेक्स का बने या साढ़ चार सौ क्यूसेक्स का बने। इससे ज्यादा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इस साल नजफगढ़ ड्रेन में 15,000 क्यूसेक्स पानी आया। मैं पूछना चाहता हूं कि वह इंजीनियर किस किस्म के थे जिन्होंने यह फैसला कर दिया कि जों पर 15,000 क्यूसेक्स का बहाव हो, वहां पर कम बहाव को मान लिया। कभी दिल्ली वाले उकसा देते हैं कि 200 क्यूसेक्स लो, कभी पंजाब वाले कहते हैं कि 450 क्यूसेक्स। फिर फैसला कर लेते हैं 450 क्यूसेक्स पर। इससे एक बात निकलती है कि इस तरह पर वह डैम बनाते हैं और 15,000 क्यूसेक्स के बहाव को रोकते हैं। इससे जिन लोगों की मिजरीज बढ़ेगी उनका रिएक्शन क्या होगा, उनकी एका-नमिक कंडिशन पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी तो कुछ सोचना चाहिए। इसको सोच कर इंटरस्टेट मसलों को हल करना चाहिये। पंजाब को भी सोचना चाहिये, बाकी की स्टेट्स को भी सोचना चाहिये। यह जो बात आप करने लगे हैं वह गलत है। इस तरह से आप किसी ड्रेनेज को चैनेलाइज नहीं कर

सकते। अगर आप चैनेलाइज नहीं कर सकते हैं तो स्पेअर वे लगाते। अगर आप गेट लगाते हैं तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बहाव आयेगा और इससे ज्यादा बरसात नहीं होगी। इसके अलावा जो पंजाब का इलाका दिल्ली के नजदीक है उसकी ऐंबोवेंट कैपेसिटी कहां गई कि पानी का बहाव ऊपर आ गया और उसको रिटैन नहीं किया जा सकता।

दूसरा जो सब से बड़ा मसला डैम के मिलमिने में है वह उनको चैनेलाइज करने का है। उसके साथ बड़ा मसला कि बिजली दें ताकि ट्यूब वेल लगे जिसमें कि पानी की जो सतह है वह नीचे जा सके और जमीन की एवजावेंट कैपेसिटी बढ़े और उसके साथ लोगों को फायदा हो सके।

आखिर में मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ आता हूं। मैं डा० राव से कहना चाहता हूं कि वहां के लोग झगड़ा करते हैं कि बावजूद इसके वहां पर हमने 50,000 क्यूसेक्स का ड्रेनेज बनाया है, इस बात का मसला है कि उसको डालना है सतलुज में, राजस्थान कैनल में। लेकिन इस मसले के रहते हुए भी वहां कुछ नहीं हो सकता जब तक आप बिजली न दें। पंजाब और बाकी स्टेट्स के जो मसले हैं उन पर आपको सिंपैथिकली गौर करना चाहिये। यह कोई स्टेट का मसला नहीं है, यह ट्यूमन फीलिंग का मसला है और इसको ट्यूमन फीलिंग के ढंग से ही सोचना चाहिये। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। आज लोगों के रिएक्शन इंजीनियस के खिलाफ हैं। अगर ये जड़बात बढ़ते गये तो उनके खराब रिएक्शन होंगे। आज लोग कहते हैं कि हमारे गांव तबाह हो गये लेकिन हमारी खबर लेने वाला कोई नहीं है। मैं यही कहता हूं कि इस तरह तबज्जह देना जरूरी है।

श्री श्रीनारायण दास : बाढ़ प्राकृतिक प्रकोप है लेकिन इससे जो जान माल

की क्षति होती है वह मनुष्य कृत है। इसके सम्बन्ध में मैं पहले भी सदन में बोल चुका हूँ कि इसके लिए रेलवे, रोड और नहर विभाग जिम्मेवार हैं। बाढ़ का पानी पहले भी आता था लेकिन वह अपने रास्ते से निकल जाता था। लेकिन जब से रेलवे लाइन का, सड़कों का तथा नहरों का निर्माण हुआ है, पानी का बहाव रुक गया है। इससे नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए जो देखे कि कहां कहां रेलवे लाइन के निर्माण में पानी के लिए कम स्थान दिया गया है, कहां कहां सड़कों के निर्माण में पानी को निकालने के लिये कम स्थान दिया गया है। अगर इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाएगा तो बाढ़ का पानी निकल जाएगा और फसल बरबाद न होगी। सड़क बनाने में खरचे का ज्यादा ध्यान रखा जाता है यह नहीं देखा जाता कि अगर पुल छोटे बनेंगे तो पानी रुकेगा। इसलिए बाढ़ से नुकसान होता है।

हमारे माननीय मन्त्री जी मेरे क्षेत्र में गए थे। वहां जिन स्थानों पर बाढ़ के समय दस दस पन्द्रह पन्द्रह फीट पानी था वहां पर दो महीने के बाद चिल्लू भर पानी नहीं रहा। इस इलाके में हर साल बाढ़ आती है और फसल बरबाद हो जाती है। मेरा सुझाव है कि इस इलाके के लिए किसी अरली क्रॉप की योजना बनायी जाए जो कि जेठ बैसाख के महीने में उगा ली जाए ताकि बाढ़ से लोगों को नुकसान न हो। इन महीनों में वहां कुछ सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया जाए तो उनकी फसल हो सकती है और व बाढ़ के नुकसान से बच सकते हैं।

बिहार में इस साल दो बार बाढ़ आयी। एक बार बाढ़ आयी तो सारी फसल बरबाद हो गयी। बाद में लोगों ने फिर मेहनत करके जहां तहां से लाकर धान के पौधे लगाए। लेकिन फिर दूसरी बार बाढ़ आ गयी और फिर सारी फसल खराब हो गयी। इससे वहां बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है, वहां के लोगों का क्या भविष्य होगा, मवेशियों के

चारों का क्या इन्तिजाम होगा, आदिमियों के खाने का क्या इन्तिजाम होगा। यह भारी सवाल है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बिहार में इस साल मालगुजारी की वसूली न की जाए, तकानी की वसूली रोकी जाए और वहां के लोगों के लिए खाने पीने का इन्तिजाम किया जाए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। इस समय में अनाज का संकट हो गया था इस इलाके में। बाढ़ के समय बहुत थोड़ी सहायता दी जा सकी क्योंकि चारों ओर पानी भरा था। लोगों को अनाज नहीं मिलता था। सरकारी दुकानों पर भी गल्ले का अच्छा इन्तिजाम नहीं किया गया। इंग्लैंड वटुन क्षति हुई है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस इलाके में अधिक सरकारी अनाज भेजने का इन्तिजाम करें। खास कर उत्तरी बिहार के चम्पारन, सहरसा, मुंगेर आदि जिलों में हर साल बाढ़ आती है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए तटबन्ध का इन्तिजाम किया गया है। लेकिन जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, इन से फायदा भी होता और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस तटबन्ध की नीति पर विचार करने के लिए हाई लेवल पर विचार किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि पीनी का नेचुरल प्लो रखा जाए।

श्री शिव नारायण (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तक जितने माननीय सदस्यों को सुना, किसी ने एक गांव की बात कही किसी ने दूसरे गांव की बात कही। असल में यह एक नेशनल प्राबलम है और सरकार को इसे एक नेशनल प्राबलम की तरह लेना चाहिए। इस पर सारे देश के लिए 70 या 80 करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए। इस मामले में एक दूसरे को दोष देना गलत बात है। यह तो सेंटर की जिम्मेवारी है।

हूड, फारेस्ट और फूड ये तीनों मामले एक दूसरे से मिले हुए हैं। तीन तरह का एरिया है, पहाड़ी, मैदानी और डेल्टाई। अगर

[श्री शिव नारायण]

घाप पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे बांध बना दें तो वहाँ पानी रुक जाए। पानी को रोकना चाहिए। जंगल साफ़ कर दिए गए हैं इसलिए मैदान में सीधा पानी चला आता है।

पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं का राज था तो इतनी बाढ़ें नहीं आती थीं, लेकिन आज जंगल कट गए हैं इसलिए पानी नहीं रुकता। पंडित जी ने सन् 35 में गोरखपुर में कहा था कि कैसे निकम्मे इंजीनियर हैं जो इसकी रोकथाम नहीं कर सकते। मैं आज अपने इंजीनियरों से पूछना चाहता हूँ कि यह क्या गड़बड़ है, उसका इन्तिजाम क्यों नहीं कर पाते। मेरी दरख्वास्त है कि मिनिस्टर साहब से वे इस मामले को खुद अपने हाथों में लें और 70 या 80 करोड़ रुपए की एक स्कीम सारे देश के लिए बनाएं। मैंने सन् 1953 में उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम को हर साल घाघरा नदी से 80 करोड़ की हानि होती है। अगर 80 करोड़ रुपया खर्च करके इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो इस इलाके की दशा बहुत सुधर सकती है। मैंने इस बारे में पंडित जी से सन् 1956 में लखनऊ में कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में एक बांध बना रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस मामले को केन्द्रीय गवर्नमेंट अपने हाथ में ले।

जहाँ तक गांवों के पास बांध बनाने का सवाल है, मेरा कहना है कि इससे एक गांव की रक्षा तो हो जाती है पर दूसरे गांव को नुकसान होने लगता है और हमारे यहाँ इस कारण गोली तक चली और एक प्रोफेसर जो एस०डी०एम० हो कर आया था उसकी जान ही बच गयी।

हमारे के०एल० राव साहब चीन हो कर आए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह नेशनल प्राब्लम है। यह प्रासान काम नहीं है।

इस पर अमल कीजिए और इस काम को अपने हाथ में लीजिए, इसको किसी स्टेट पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसका खुद कीजिए। पानी का फ्री चैनल होने का इतजाम किया जाना चाहिए। यह तो हम ले मैन भी जानते हैं। एक्सपर्ट लोगों को तो इसे और भी समझना चाहिए।

मान्यवर मैं जिस जिले से आता हूँ उसमें सात सात नदियां हैं। उत्तर बस्ती में बरसात में समुद्र सा बन जाता है। मैंने राव साहब से कहा कि नेपाल सरकार से बात करके अगर डैम बना दें। अगर एक साल भी हमारे यहाँ बाढ़ रुक जाए तो हम इतना चावल पैदा कर सकते हैं कि सारे हिन्दुस्तान को खिला दें। घाघरा के कंट्रोल हो जाने से उसके किनारे इतना चावल, मक्का और दूसरा अनाज हो सकता है कि चार साल तक खाने को काफी हो जाए। हमारा काम बतला देने का है, आगे सरकार का काम है कि वह देखे या न देखे। हमने सही बात बतला दी। मैं फिर कहता हूँ कि सरकार 70-80 करोड़ का मुंह न देखे। एक बार हिम्मत करके इस फोड़ का आपरेशन कर दे।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और इस पर सरकार को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह देश के लिए बहुत गम्भीर समस्या है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री हुकम चन्द कछबाय : अध्यक्ष महोदय इस बाढ़ के सम्बन्ध में काफी सदस्यों ने भाषण दिए और अच्छे अच्छे विचार आपके सामने रखे। मैं भी अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूँ।

बाढ़ की समस्या सारे देश की समस्या है और हमेशा की समस्या है, हर साल बाढ़

आती है और हर बार हम यहां चर्चा करते हैं। पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर यह बाढ़ क्यों है। पानी जमा होता क्यों है। इसके लिए कुछ विशेषज्ञ इंजिनियर बुला कर इस पर विचार करना चाहिए और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि गांवों के निकट पानी जमा न हो। पानी निकलने का ठीक रास्ता होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहां मध्य प्रदेश में बहुत कम बाढ़ आती है। सब जगह पानी बरसता है लेकिन बाढ़ नहीं आती। इसका मूल कारण यह है कि मध्य प्रदेश में हर गांव के पास एक बड़ा तालाब है और उसके पास कुछ नदियां और नाले होते हैं। तो जो पानी आता है वह तालाब में जमा हो जाता है और कुछ नालों और नदियों में बह जाता है। मैं पंजाब में घूमा हूँ, लेकिन मैंने वहां तालाब नहीं देखे तालाब हों तो उनमें पानी जमा हो जाए और उसको बारह महीने देहात के लोग अपने निजी उपयोग में ला सकते हैं और उससे छोटी सिंचाई भी हो सकती है। इससे उपज भी बढ़ सकती है। तो यह पानी 12 महीने तक चल सकता है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के तालाब बड़ी तादाद में बनाए जाएं जिनमें चारों तरफ का पानी एकत्र हो जाए ताकि उससे छोटी सिंचाई योजनाएं चल सकें।

मैं बड़ी योजनाओं के विरुद्ध हूँ। लेकिन शासन आज बड़ी योजना के पीछे पड़ा है। बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी नहरों से पानी दिया जा रहा है। अगर इन नहरों का कोई भाग टूट जाता है तो उससे आस पास के इलाके के गांव जलमग्न हो जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिंचाई की छोटी छोटी अनेकों योजनाएं बनाई जायं और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उचित तथा सस्ते रेट पर दिया जाये। इस के अलावा बाढ़ भ्रष्टाचार के कारण जिन लोगों का नुकसान होता है, जिनको काफ़ी पीड़ा होती है, उन बाढ़

पीड़ित क्षेत्र के लोगों को ज़रूरी शिक्षण देना चाहिए ताकि संकट के समय वे असहाय बन कर खड़े न हो जायं और केवल सरकारी सहायता के लिए ही मुंह न ताका करें क्योंकि एक तो वह सहायता मिलती ही बहुत कम है और अगर मिलती भी है तो देर में मिलती है। ऐसे समय में वे स्वयं अपने सहायता कर सकें, वे अपने मवेशी, सामान और जान किस तरह से बचा कर निकलें इस की शासन द्वारा कोई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

इस के अलावा मेरा इस बात का अनुभव है कि हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आती तो उस क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ताकि बाढ़ आने पर तुरन्त लोग अपने गांव छोड़ कर, अपने मकान आदि खाली करके अपना पूरा सामान, मवेशी आदि लेकर कहीं ऊंची जगहों पर चले जायें।

जहां तक गांवों को ऊंचा करने का सवाल है यह एक बड़ी लम्बी योजना है और इस में काफी पैसा लगेगा लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जब गांव के अन्दर पानी आये तो वह देहात में न चला जाय और वह पानी किसी दरिया, तालाब आदि में जाकर मिल जाय। बहुत से माननीय सदस्यों ने उप-अपार क्षति का जिक्र किया है जोकि डा. ब. हों से हमेशा हमारे देशवासियों को होता रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे चाणक्य का यह कथन याद आ जाता है कि जिस नगर में ज्यादा चोरियां हों तो उस होने वाली धन हानि का हर्जाना उस नगर की पुलिस द्वारा पीड़ित लोगों को दिलवाया जाना चाहिए। वहां की पुलिस को उस का हर्जाना भरना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वही चाणक्य वाला सिद्धान्त यहां बाढ़ के सम्बन्ध में भी लागू किया जाये अर्थात् बाढ़ के कारण, कटाव के कारण लोगों का जो नुकसान हुआ है, शासन द्वारा उसकी भरपाई की जाय। जितना उनका रुपयों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

श्रीर मवेशियों का नुकसान हुआ है उस सारे नुकसान को मंत्री महोदय को अपनी ओर से भरना चाहिए ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक उनको पैसे की सहायता देने का सवाल है पैसे की मदद दी जाय लेकिन खाली पैसा देने से ही उन की समस्या हल नहीं होने वाली है । देखना यह चाहिए कि उनका किस चीज का नुकसान हुआ है ? अगर जमीन का नुकसान हुआ तो उन्हें आल्टरनेट लैंड देना चाहिए, फसल का नुकसान यदि उनका हुआ है तो उन्हें अपना मूहैया बिटा जाय । कृषि का उत्पादन करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में बीज दिये जायं । जिनके मवेशी हू गये हैं उन्हें सरकार मदद दिलाये । जिनके मकान बाढ़ में गिर गये हैं रुखवार उनके नये मकान बनवा कर खड़े करे । मैं श्रीर अधिक न बहते हुए सिर्फ यही चाहूंगा कि मैं ने जो चंद एक सुझाव दिये है उन पर मंत्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, डा० के० एल० राव ने सदन के सामने जो स्टेटमेंट रखवा है उस को पढ़ कर यह मालूम होता है कि पूरी हालत से वह भी शायद वाकिफ नहीं हैं । यह उन का दोष नहीं है क्योंकि हमारे सूबे की सरकार अबसर रिपोर्ट भेजा भी करती है लेकिन मैंने इस सदन में बारबार यह सवाल किया है श्रीर दूसरे माननीय मित्रों ने भी किया है कि आखिर मास्टर प्लान का क्या हुआ ? उत्तर प्रदेश के बारे में क्या यह जाता था श्रीर इस सदन में यह भी बतलाया गया कि उत्तर प्रदेश का मास्टर प्लान फलड्स कंट्रोल के लिए एक मास्टर प्लान बनाने जा रहा है लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उस प्लान का क्या हुआ और उस मास्टर का क्या हुआ ? वन ही अलग हो गये, कुछ दात समझ में नहीं आती है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्वी जिलों में जहां पर सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है और सारे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, विशेष कर पूर्वी जिलों की हालत को आप देखें तो आपको पता चल जायेगा कि स्थिति कितनी विषम हो चली है । यह उनका कल्याण कब होगा और किस प्रकार सरकार के द्वारा होगा, इसका कुछ पता नहीं है । इस के बारे में शायद वहां के लोग सोच ही नहीं सकते हैं । इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान जो उत्तर प्रदेश का होने वाला है, उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लिये भी आखिर क्या हुआ ? क्या वह रुपए की वजह से रुक गया है ?

श्री इकबाल सिंह : उत्तर प्रदेश को ७ करोड़ मिले उस में से 2 करोड़ लखनऊ पर लगा दिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ । हमारे यहां झगड़ा हो जाया करता है जिसका कि फायदा आप उठाना चाहते हैं । मैं जानता हूँ कि हमारे यहां झगड़ा हो रहा है और उस का फायदा आप लोग उठाना चाहते हैं . . .

श्री इकबाल सिंह : मैं तो एनफोरेशन दे रहा हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर इसे बिलकुल न छोड़ा जाये क्योंकि हमारे यहां मुसीबत यह है कि यहाँ पर जिस तरह से सैलाब की चर्चा हो रही है, उनी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सैलाब घा जाया करते हैं । उसमें हम लोगों की अबसर डूबने की हालत हो जाती है लेकिन चूंकि हमें तैरना आता है इसलिए तैर कर निकल जाते हैं । राव साहब खुद भी उत्तर-प्रदेश गये थे । उन्होंने वहां का दौरा किया :

था। उन्होंने वहाँ की हालत स्वयं देखी और बाढ़ पीड़ित गांवों का निरीक्षण किया। श्री सिंहासन सिंह की यह बात बिलकुल सही है कि जहाँ पर गांवों को उठाने का सवाल था, रेजिग आफ दी विलेज का सवाल था, यह देखने की जरूरत है कि कहां उठा, किस का गांव उठा या किस का मकान उठा? इस सम्बन्ध में मैं तीन, चार सुझाव उन के सामने देना चाहता हूँ। एक तो यह है कि मास्टर प्लान जिस तरीके से लागू करने की कोशिश है वह फौरन लागू किया जाय। दूसरी चीज यह है कि जब देश में रेलवे ऐक्सीडेंट्स बढ़ने लगे तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और इस सदन में यह कहा गया कि कम से कम उन ऐक्सीडेंट्स को किसी तरीके से भी एंवाएड किया जाय। किसी तरह से यह ऐक्सीडेंट्स कम किये जायें। ताकि हिपुमान फेल्योर से न हों दूसरी किसी वजह से हों जाय तो हों जाय। उस को देखने के लिए आप ने कुंजरु कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई और उस की रिपोर्ट को हम ने देखा कि आखिरकार काफ़ी अच्छे सुझाव हमारे पास आये जिससे ऐक्सीडेंट्स एकदम दूर नां नही हुए लेकिन कम से कम मुख्य कारण जो उनके थे वे हमें मालूम हुए। मैं चाहता हूँ कि उसी आधार पर इस बाढ़ की समस्या को भी विचारा जाय। मंत्री महोदय खुद बड़े योग्य व्यक्ति हैं। जिस विभाग के वे मंत्री हैं उसका उन्हें स्वयं बहुत अच्छा अनुभव व ज्ञान प्राप्त है। मैं चाहता हूँ कि जैसे खोसला कमेटी बनी थी वह एक वैसा ही हाई पावर कमिशन या कमेटी बनायें जैसे कि रेलवे ऐक्सीडेंट्स को दूर करने के लिए बनी थी। ऐक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाय जिसमें ऐक्सपर्ट्स हों, और संसद् सदस्य आदि हों। जब वह ऐक्सपर्ट कमेटी जितके कि सदस्यों को इस बारे में काफ़ी ज्ञान है जब वह इस बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे तब मैं समझता हूँ कि हमें यह सब मालूम होगा कि आखिर यह बाढ़ की समस्या है क्या और इसकी लैथ और ब्रैड्थ क्या है? तब पता चलेगा कि यह कसी ग्रहम और संगीन समस्या है?

रेलवे के क्लवर्ट्स के बारे में मुझे यह कहा है कि दूर न जाकर आप अभी यहाँ से मेरठ जाने का कष्ट करें तो बारिश के समय में कुछ जगहों पर रास्ते में चलना मुश्किल है काई गाड़ी वहाँ पर चल नहीं सकता है। रेलवे साईन्स तो हम लोगों ने 37000 मील बनाई लेकिन यह नहीं सोचा था कि पुलियों का जरूरत पड़ेगा। हो सकता है कि इन पुलियों के बनाने के कारण कुछ ज्यादा पैसा खर्च हो जाता लेकिन उस ज्यादा पैसे खर्च होने के डर में आज हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आज क्लवर्ट्स के न बनने से हुआ यह है कि हमारी ट्रेन सर्विस सस्पेंड हो गयी है।

यहाँ दिल्ली के बारे में मैं बतलाऊँ कि हालां कि कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है तो भी हम ने अभी उस दिन जब दिल्ली शहर में बारिश हाँ गई तो देखा कि डिप्लो-मैटिक एनक्लेव की बस्ती जोकि नयी ही बनी है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना डिफैक्टिव है कि डिप्लोमेत्स की डिप्लोमेत्स धरी रह गयी और वह घरों में ही बैठे रह गये वह बाहर नहीं निकल सके। यह हालत तो दिल्ली शहर की है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बाढ़ से कितना नुकसान होता होगा और कितनी उनमें तबाही होती होगी? जरूरतै इस बात की है कि बाढ़ के संकट के समय उनको तकावी दी जाय और कोई सूद उनसे न लिया जाय। अगर सूद के उनका वह तकावा दा जाय न कि यह सवा 6 फीसदी सूद उन से ले लिया जाय। मालगुजारी उनकी बिलकुल माफ कर दी जाय और उन्हें कपड़ा, बीज, अन्न आदि मुहैया किया जाय। एक तरफ तो वे बाढ़ से पीड़ित होते हैं और दूसरी तरफ उनके सामने समस्या रहती है कि अपनी आवश्यकता की चीजें किस तरीके से खरीदें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस कमीशन मुकर्रर करने की डिमांड को मंजूर करेंगे ताकि एक परमानेंट बेसिस पर वह इस समस्या पर काबू पाने का उपाय सोच सकें। इस कमीशन की मांग को स्वीकार करने में उनकी असफलता नहीं होगी बल्कि उनका

[श्री स० म० बनर्जी]

बढ़पन और भी ज्यादा होगा। बस मेरा यही निवेदन है।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिचाई मंत्री को केवल एक सुझाव इस बाढ़ के सम्बन्ध में देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बार कहा था कि बैसे तो बड़ी नदियों से बाढ़ प्रायः आती रहती है लेकिन छोटी नदियाँ भी इतना अधिक नुकसान कर सकती हैं यह इस बाढ़ से ही अनुभव हुआ लेकिन मेरा अपन अनुमान यह है कि शायद उनके कानों तक यह बात नहीं पहुँची कि छोटी नदियाँ भी पिछले वर्षों में नुकसान करती रही हैं। पिछले वर्षों में बाढ़ के जो परिणाम रहे हैं वह इस का परिचय हम को देते हैं। बड़ी नदियों के सम्बन्ध में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का बाढ़ से जहाँ जहाँ हानि होती है उस की ओर भी मैं अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह हानियाँ दो प्रकार की हैं। एक तो यह कि वर्षा ऋतु में जब गंगा नदी में बाढ़ आती है तो उसके ऊँचे किनारों पर बसे हुए गाँव से कट कट कर उनके भूमियाँ समाप्त हो जाती हैं और गाँव के गाँव उजड़ जाते हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र है। बिजनौर जिले में टाल टाली के पास जब गंगा आगे को बड़ती है तो करीब ६-७ गाँव गंगा के बाढ़ की तरह का बाढ़ में उजड़ चुके हैं और गंगा के प्रवाह में कट गये और धरतियाँ सहारनपुर जिले में चली गईं। उन उजड़े हुए लोगों को दूसरे स्थान पर अभी तक धरती नहीं मिल पाई है। इस तरीके से वह प्रश्न फिर सामने खड़ा है। यह जो कटाव हुआ है यह भी बाढ़ का ही बहुत बड़ा परिणाम है। इसलिए इस कटाव से भी बचने का कोई उपाय करना चाहिए।

गंगा नदी की बाढ़ के सम्बन्ध में मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ। गढ़मुक्तेश्वर में लेकर आने वाले शहर और उससे आगे राजघाट वह सब गंगा नदी में से नहर निकली है,

धीरे धीरे गंगा नदी में रेत का जमाव इतना अधिक बढ़ रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर और धनूपशहर के बीच में सावन भादों का महीना जब आता है तो गंगा नदी का पानी बड़ी आसानी के साथ चारों ओर फैल जाता है। उसका परिणाम यह है कि पड़ोस की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, वह प्रवाह उन में आ कर पड़ जाता है। मुरादाबाद जिले में हसनपुर तहसील का बहुत बड़ा इलाका इस प्रकार का है, जिस की लाखों बीघे की फसल प्रति वर्ष गंगा की बाढ़ के हवाले हो जाती है।

उत्तर प्रदेश के पिछले सिचाई मंत्री, चौधरी चरण सिंह, के सामने जब मैं ने यह सुझाव उपस्थित किया, तो उन्होंने कहा कि गंगा नदी के किनारों को रोकना, जिससे वह पानी इधर-उधर न फैल सके, बहुत अधिक व्यय-साध्य होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किसी तरीके से रेत को निकाल कर नदी को गहरा कर दिया जाये, ताकि उस का पानी अपने सीमित क्षेत्र में बहे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की वह योजना अभी तक योजना-मात्र है और उस को व्यावहारिक रूप नहीं मिला है।

डा० के० एल० राव स्वयं इन सारी बातों के विशेषज्ञ हैं और एक कुशल इंजीनियर हैं। मैं उन से निवेदन करूँगा कि वह उस क्षेत्र की ओर भी विशेष ध्यान दें, जहाँ न कोई सड़क है, न कोई हास्पिटल है, न कोई रेल-गाड़ी पहुँचती है और न जहाँ के लोगों की आवाज ही सरकार के कानों तक पहुँच पाती है। गंगा नदी में बाढ़ आने से प्रति वर्ष लाखों बीघे की फसल नष्ट हो जाती है। नदी से जो नहर निकलती है उसकी वजह से रेत एकते एकते गढ़मुक्तेश्वर तक गंगा का लेवल ऊँचा हो गया है। यदि माननीय मंत्री जी उस को गहरा करने की व्यवस्था करेंगे तो वहाँ के लाखों व्यक्तियों को लाभ होगा।

Shri Krishnapal Singh (Jalesar): In spite of his great anxiety, the reason why the present Minister has not succeeded in solving the problem is the fact that there is no organisation which can help him in working out his schemes. What I mean is this, that we need a special commission or special body—I made this suggestion last year too to the hon. Minister—which will exclusively and constantly pay sole attention to this problem and will try to solve it. We need a body here in the Centre as well as in the States down to the district level. We should have a separate body which would for all the twelve months in the year pay full attention to this problem and to no other. The setting up of such a body is one of the ways of solving this problem.

We have floods every year, and this body should be allotted sufficient funds to deal with this problem. It should have on it representatives from the different Ministries which are concerned with it, such as the Railway Ministry, the Ministry in charge of Communications, the Health Ministry, Works, Housing and Supply Ministry and the Food and Agriculture Ministry. I hope that such a body will be brought into existence very soon. Then it will be much easier for the present Minister and for everybody else to be able to give relief to the people who are affected, and to prevent floods in the future.

The second reason why we need such a body is that although the Centre may be very anxious, the States are not equally anxious in regard to this matter. I shall give an example. Recently, a note has been circulated with certain figures. So far as UP is concerned, I can assure the hon. Minister that those figures are totally wrong. I have myself been visiting some of the flooded and water-logged areas of three districts of UP. In Aligarh, 15 people have died, and several hundreds of villages have been flooded and waterlogged. In Mathura, at least three tehsils

have suffered immense damage. Then, there is an area about fifteen miles from Mathura on the way to Hathras town, which is like a sheet of water. There is another place in one of the tehsils in Mathura district, where there is a lake about ten miles in length, which has affected very good and fertile land of about eighteen to twenty villages. Nothing has been done in this regard simply because the local officials and the State Government have not taken adequate steps. In Etah also, conditions are more or less similar.

Therefore, if we have one organisation which will constantly pay attention to this problem, we can expect that it may be solved within a reasonable limit of time.

One word about gratuitous relief. Gratuitous relief is inadequate. I would suggest that taccavi should not be given. It is a great nuisance. When people go to get taccavi, they have to pay a portion of it to the petty officials. When the time comes for realisation of the taccavi, they have quite often to be put into lock-up because they cannot afford to pay back. The best thing is to give them as much help as possible in the shape of gratuitous relief.

I would like to emphasise here that we should have a scheme for construction of houses in rural areas. Whenever a village has been destroyed by floods, we should have a plan ready to build a fresh village, if we are serious about housing schemes in rural areas. This is an ideal opportunity which nature has afforded us and we should take the fullest advantage of it and put into effect schemes of housing in rural areas.

श्री बृजराज सिंह—कोटा : मैं माननीय मंत्री से निम्न एक बिन्दु के लिए यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने—श्रीर ख.स कर पंजाब के माननीय

[श्री बृजराज सिंह—कोटा]

सदस्यों ने—वाटरलागिंग की बड़ी शिकायत की है, क्योंकि उनके क्षेत्र में इरिगेशन की कैनाल बहुत बन चुकी हैं। जिस प्रदेश और जिस जिले से मैं आता हूँ, वहाँ पर चम्बल की कैनाल बनाने की योजना है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोटा में कम से कम इस और खास ध्यान दिया जाये, ताकि जो घटना पंजाब या यू० पी० में इन कैनाल की वजह से घट चुकी है, वह हमारे क्षेत्र में न घट सके। अगर शासन की ओर से अभी से प्लानिंग को ठीक कर दिया जाये, तो हमारे एरिया में बहुत कुछ बच जायेगा, वना कुछ वर्षों बाद वहाँ भी वही हालत होगी, जो कि इस समय पंजाब और यू० पी० आदि में हो रही है।

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) :
अध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ के सम्बन्ध में दो तीन सुझाव देना चाहता हूँ।

बाढ़ में जिन लोगों का नुकसान होता है—और अधिकतर काश्तकारों का नुकसान होता है—वे बाढ़ के बाद अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकते। उन को जो सबसिडी देनी है, वह तो दे दी जाये, लेकिन इसके अतिरिक्त उनको लांग-टर्म लोन भी दिये जाये, जो कि पन्द्रह बीस बरस में वापस दे सकें—जैसे कि बॉडिंग और कुओं के लिए दिये जाते हैं—, ताकि बाढ़ से पहले उन लोगों की जो स्थिति थी, वे तुरन्त उस स्थिति तक पहुँच जायें और काम पर लग जायें।

बाढ़ के बारे में हम बहुत दिनों से पढ़ते हैं और सुनते हैं। आज-कल बाढ़ें बहुत आती हैं और उनसे बहुत नुकसान होता है। मैं चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग की दृष्टि से इस समस्या को स्टडी किया जाये। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री शास्त्री, ने कहा है, जब बाढ़ आती है, तो गांव कट जाते हैं, नुकसान होता है और मकान गिर जाते हैं।

मेरा सुझाव है कि जिन गांवों में पिछले दो, तीन या दस बरस से बाढ़ आ रही है, उनके निवासियों को कहा जाये कि वे लोग वहाँ से उठ कर ऐसी जगह बस जायें, जहाँ बाढ़ से नुकसान न हो। यह प्लानिंग करने की बड़ी आवश्यकता है।

Dr. M. S. Aney: Considering the extent of the damage and the wide-ness and vastness of the problem, I believe a separate Commission ought to be appointed by the Government of India to investigate into the whole problem as an all-India problem. That is one thing very necessary.

For the last 15 years the Planning Commission have been sitting and studying the entire problem of Indian economic uplift. Yet, the question of the damages done by the floods and the rate of relief that should be given has not received any adequate consideration, in fact no consideration at all, at the hands of the Planning Commission. It is rather a matter of surprise.

Therefore, I feel it is necessary to have a separate Commission.

I agree with the suggestion made by my hon. friend there that there should be a separate organisation also to help the Minister in charge of this problem here to give his undivided and devoted attention to the problem throughout the year.

If these things are done, there is a possibility of the question being tackled in a proper spirit.

Mr. Speaker: Shri Jyotishi. There is still one more Member who has not spoken. There is no audience, all are speakers.

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) :
अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस सदन में जो भाषण हुए हैं उनको सुन कर मुझ

जैसा आदमी इसी निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि सरकार अब तक जो कुछ करती आई है लोगों का मत है कि वह बेवकूफी ही करती आई है। यही प्रायः सभी भाषणों का मन्तव्य प्रतीत हुआ। सरकार ने सड़कों का जो निर्माण किया, वह गलत किया, रेलों का निर्माण किया, वह गलत किया। यही इम्प्रेशन मुझे मिला है। बड़े जोश खरोश के साथ, बड़ी मजबूती के साथ यहां पर भाषण हुए हैं। उनको सुन कर यही धारणा बनती है निश्चित रूप से कि शासन बड़ी बेवकूफी कर रहा है। सड़कें जो शासन ने बना रखी हैं उनके कारण बाढ़ें आती हैं, रेलें जो बना रखी हैं उनके कारण बाढ़ें आती हैं और इस तरह के जो दूसरे काम कर रखे हैं, जैसे नहरें बनाने के कारण, बाढ़ें आती हैं (इंटरफ़ॉज) इस तरह की बात जब कही जाती है तो मैं उससे कतई सहमत नहीं हो सकता हूँ। मेरा पक्का यकीन है कि हज़ार कोशिश हम कर ले, ऐसे मौके आयेंगे, जब पानी छिड़ेगा, जब पानी आयेगा

श्री बागड़ी : कोई ज्योतिष की बात बताइये।

श्री उवा० प्र० ज्योतिषी : जब हमारे देश में नहरें नहीं बनी थीं, रेलें नहीं बनी थीं, सड़कें नहीं थीं, तब भी मैं कहता हूँ कि आप इस देश के इतिहास को पढ़ कर देखें, पुराणों को पढ़ कर देखें, बाढ़ें आया करती थीं और लोगों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ता था, लोगों को गांव के गांव खाली करने पड़ते थे, दूसरी जगहों पर जाकर बसना पड़ता था। इतना निराश होना, इतना मायूस होना जितना हम दिखाई देते हैं, बड़ी गलत चीज मुझे लगती है। हम लोगों को उत्तेजित करें यह कह कर कि जो काम किये गये हैं, गलत किये गये हैं, मैं समझता हूँ बुरी चीज है। हमारी जिन्दगी जैसी कुछ भी है, उस में हमको हानि और

लाभ दोनों चीजों का तखमीना लगाना होगा और देखना होगा कि कोई कदम उठा है तो उसके कितना लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है। जब योजना बनती है, जब सड़कें बनती हैं, जब रेलें बनती हैं, जब यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं तो हमें देखना होगा कि उन से कितनी सुविधायें लोगों को प्राप्त होती हैं, कितनी सम्पत्ति देश की बढ़ती है और जब नहरें बनती हैं तो हमें देखना होगा कि उनसे उस प्रदेश में उपज कितनी बढ़ी है, कितना उस प्रदेश को लाभ हुआ है। यह ठीक है कि जब दीपक जलाया जाता है तो उसमें से प्रकाश के साथ धुआँ भी निकलता है और उस धुएँ को भी हमें बरदाश्त करना पड़ता है। हम योजना करें कि धुआँ कम निकले। इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचारकरना होगा। हमें देखना होगा कि जो वाटरलॉगिंग हो गया है, वह न हो। हम इसके बारे में भी कुछ योजना करें जिससे पानी निकलना शुरू हो सके, जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी से हम छुटकारा पा सकें। हमें कोशिश करनी होगी कि हमारी फसलें न डूबें, उनको हानि न पहुँचे। लेकिन इसके लिये करोड़ों की सम्पत्ति हम एक दम से डाल दें, ऐसा करते वक्त हमें इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना होगा। (इंटरफ़ॉज) बाढ़ पीड़ितों के प्रति मैं पूरी हमदर्दी रखता हूँ कम से कम उतनी हमदर्दी रखता हूँ जितनी कि कछवाय साहब को हो सकती है। एक भी भाई की एक इंच जमीन भी अगर डूबती है, एक बच्चे को भी अगर भूखे रहना पड़ता है, एक भी आदमी को अगर पानी में रहना पड़ता है, तो उसके साथ जितनी कछवाय साहब को हमदर्दी है, उतनी ही मुझको भी है और मुझको शायद उनसे ज्यादा ही हमदर्दी है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर ऐसी बात है तो आप इस भाषा को न बोलते।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : आप शायद मेरी भाषा नहीं समझ रहे। देश के पैसे को जिस किसी काम में हम लगायें हमें देखना होगा कि आया वह पैसा उत्पादक कार्यों में लगाया जा रहा है या अनुत्पादक कार्यों में। यह देख लेना बहुत जरूरी है। बाढ़ों के लिये जो रुपया रखा जाए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो भी रुपया रखा जाए और बाढ़ें न आ सकें, इस हेतु जो भी रुपया रखा जाए, इस हेतु प्लानिंग करने के लिए जो भी रुपया रखा जाए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि देश की पाई पाई का अधिक से अधिक उत्पादक चीजों के लिए उपयोग हो। अगर पंजाब में या उत्तर प्रदेश में नहरों के कारण बाढ़ें आने लगी है तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पर आप नहरे बनाना छोड़ कर मध्य प्रदेश में नहरे बनायें। मध्य प्रदेश भूख है, मध्य प्रदेश प्यासा है, वहाँ की नदियों पर आप बांध लगाइये। वहाँ कोई वाटरलागिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश की नदियों में पानी है और वह बेतहाशा बहता रहता है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर आप नहरे डालिये, वहाँ पर तालाब बनाइये, वहाँ पर सिंचाई का नजम कीजिये, अपने

रुपये को उस तरफ डाइवर्ट कीजिये ताकि वह रुपया उत्पादक कार्यों में लग सके।

यही मुझे निवेदन करना था।

श्री हुकम चन्द कच्छबाय : अध्यक्ष महोदय, यदि जवाब कल दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): Mr. Speaker, Sir, I must express my very grateful thanks to the hon. Members of the House for the very valuable suggestions that they have given.

Mr. Speaker: Would he like to continue tomorrow?

Dr. K. L. Rao: I can finish in fifteen minutes, Sir. I shall be brief in my reply.

अध्यक्ष महोदय : जब हाउस की यह मर्जी है तो फिर कल ही पढ़ाई से रखिये।

18.47 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the October 1, 1964/Asvina 9, 1886 (Saka).